ST-7141
13/10/23

दूरभाष– 0121–2762927

कार्यालय, उप निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,उ0प्र0, मेरठ मण्डल मेरठ।

AO
अपर नगर आयुक्त
13/10/23

सेवा में,
नगर आयुक्त,
नगर निगम, गाजियाबाद

दिनांक– 12-10-2023

संख्या–मे0मं0/कार्य0/ 1841

विषय:– वर्ष 2020–21 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उठायी गयी महत्वपूर्ण आपत्तियों पर कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नगर निगम, गाजियाबाद लेखे की वर्ष 2020–21 की सम्परीक्षा आख्या निर्गमन संख्या–एल0ए0एम0/24 दिनांक 31.07.2023 की एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि **उ0प्र0 स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम–1984 की धारा–9(2)** के अधीन इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उठायी गयी महत्वपूर्ण आडिट आपत्तियों पर शीघ्रता से अनुपालन कराकर निराकरण की कार्यवाही कराये जाने हेतु आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(देवेन्द्र)
उप निदेशक
मेरठ मण्डल मेरठ।
दिनांक–

पृष्ठांकन संख्या–मे0मं0/कार्य0/

प्रतिलिपि– लेखाधिकारी, नगर निगम, गाजियाबाद को प्रकरण में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित।

(देवेन्द्र)
उप निदेशक
मेरठ मण्डल मेरठ।

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

L.A.M-24
31-7-2023

नगर आयुक्त

सम्परीक्षा आख्या

वर्ष 2020–21

नगर निगम, गाजियाबाद।

कार्यालय, उप निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,उ०प्र०
मेरठ मण्डल, मेरठ

सा–34

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण रिर्पोट

लेखे का नाम:– नगर निगम गाजियाबाद।

अवधिः– 2020–21

प्रस्तावना:– " यह ऑडिट रिर्पोट भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पूर्ण तकनीकि मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण तथा उनके द्वारा निर्धारित सम्प्रेक्षण मापदण्डों एवं लेखा प्रमाणन के दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए राज्य अधिनियिम/स्थानीय निकायों के नियमों के अन्तर्गत तैयार की गयी है "

सम्परीक्षा तिथि:– नगर निगम गाजियाबाद वित्तीय वर्ष 2020–21 की सम्परीक्षा दिनांक 04–02–2022 को प्रारम्भ एवं प्रारम्भिक गोष्ठी श्री राजेश कुमार गौतम वित्त एवं लेखाधिकारी नगर निगम गाजियाबाद के साथ सम्पन्न हुयी। तथा दिनांक 31–10–2022 को समाप्त एवं समापन गोष्ठी वित्त एवं लेखाधिकारी नगर निगम गाजियाबाद के साथ सम्पन्न हुयी।

लेखा परीक्षा का स्वरूप:– उप सम्परीक्षा।

प्रशासन:– आलोच्य अवधि में नगर निगम के महापौर (मेयर) के पद पर श्रीमती आशा वर्मा आसीन रहीं। तथा नगर आयुक्त के पद पर श्री दिनेश चन्द्र दिनांक 01–04–2020 से दिनांक 18–08–2020 तक तदुपरान्त दिनांक 19–8–2020 से दिनांक 31–3–2021 तक श्री महेन्द्र सिंह तंवर कार्यरत रहे।

आलोच्य अवधि में लेखाधिकारी के पद पर श्री अरूण कुमार मिश्र एवं सहायक नगर आयुक्त/कार्मिक श्रीमती रश्मि त्रिपाठी कार्यरत रहीं।

आलोच्य अवधि में विकास कार्यो का आहरण–वितरण का कार्य नगर आयुक्त एवं लेखाधिकारी तथा वेतन भुगतान हेतु आहरण–वितरण का कार्य लेखाधिकारी एवं सहायक नगर आयुक्त द्वारा संयुक्त रूप से सम्पादित किया गया था।

डिस्क्लेमर:– यह निरीक्षण प्रतिवेदन नगर निगम गाजियाबाद के लेखाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/दी गयी सूचनाओं के आधार पर तैयार की गयी है। यदि इनके द्वारा कोई अभिलेख/तथ्य छिपाये गये है। अथवा गलत प्रस्तुत किये गये है। तो इसका उत्तर दायित्व कार्यालय निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश प्रयागराज का नही होगा।

भाग–(क)

1– निर्माण कार्यो में प्रयुक्त होने वाले उपखनिजों पर रॉयल्टी की कम/न कटौती किये जाने के कारण शासन को रू0 2,54,40745/– की राजस्व हानिः–

उ0प्र0 शासन के भूतत्व एवं खनिज अनुभाग के शासनादेश सं0–3385/88–2015–292/2015 दिनांक 15–10–15 द्वारा निर्देशित किया गया था कि सार्वजनिक निर्माण कार्यो में प्रयुक्त होने वाले उपखनिजों की आपूर्ति प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्राप्त किये जाने वाले उपखनिज नियमानुसार रायल्टी का भुगतान कर वैद्य अभिवहन प्रपत्र (एम.एम.11) के आधार पर परिवहन किये गये है। जिन मामलों में रायल्टी का भुगतान किये बिना उपखनिजों की आपूर्ति हुयी हो उनके बिलों का भुगतान करने से पूर्व निर्धारित दर पर रायल्टी की धनराशि की कटौती कर संगत लेखा शीर्षक में अवश्य जमा कर ली जाए।

शासनादेश के बिन्दु सं0–2 द्वारा यह भी इंगित किया गया था कि उक्त शासनादेश की आड में कार्यदायी संस्था के सम्बधित ठेकेदारों द्वारा ऐसे स्थान अथवा ऐसे जनपदों में जहॉ उपखनिजों के खनन के लिए खनन पट्टे स्वीकृत है एवं वैद्य अभिवहन प्रपत्र (एम.एम.–11) के आधार पर खनिज प्रपत्र किया जा सकता है, उन स्थानों पर भी उपखनिज यथा बालू मौरम,मिटटी आदि) का अवैद्य रूप से खनन कर निर्माण कार्यो में प्रयोग कर लेते है ठेकेदारों के द्वारा इस प्रकार के खनिज उपलब्ध किये जाने से न सिर्फ अवैद्य खनन की प्रवृत्ति को बढावा मिलाना है अपितु अनियमित खनन से पर्यावरण एवं परिस्थिति की के भी कुप्रभावित होने की संभावना बनी रही है।

उक्त अधिनियम की धारा–21(5) के प्रावधानों के अनुसार यदि खनिजों का अवैध खनन कर उसका उपभोग कर लिया गा है तो अवैध खननकर्ता से रॉयल्टी के साथ–साथ खनिज का मूल्य (सामान्यतः रॉयल्टी का पॉच गुना) की कटौती ठेकेदार के बिल से करते हुए निर्धारित लेखा शीर्षक 0853 अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग 102 खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क में जमा करा लिया जाए तथा ट्रेजरी चालान की एक प्रति जिलाधिकारी को भेज दी जायेगी।

नगर निगम गाजियाबाद द्वारा उपलब्ध कराये गये निर्माण कार्य पत्रावलियों की नमूना जॉच में पाया गया कि निगम द्वारा कराये गये निर्माण कार्यो में उपभोग किये गये खनिजों के सापेक्ष ठेकेदार द्वारा अभिवहन प्रपत्र–11 प्रस्तुत नहीं किये गये थे और न ही निगम द्वारा ठेकेदार के बिल से रॉयल्टी की कटौती की गयी थी तथा उस पर लगायी गयी पेनाल्टी जो रॉयल्टी दर का पॉच गुना होती है उसकी कटौती भी नही की गयी थी। जिससे शासन को धनराशि रू0 2,54,40,745/– (विवरण संलग्न) की हानी हुई। शा0सं0 – 243/86– 2016–200/77 टी0 सी0– ग्यारह दिनांक 19–1–2016 के द्वारा खनिजों पर रॉयल्टी की दरें निर्धारित की गयी थी। उक्त अधिनियम की धारा–21(5) के अनुसार उक्त न काटी गयी रॉयल्टी की धनराशि रू0 50,88,149/– का पॉच गुना पेनाल्टी लगाने पर 50,88,149×5=25440745/– की राजस्व की क्षति परिलक्षित हुई। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाय। विस्तृत विवरण परिशिष्ट''9'' पर दिया गया है।

2– नगर निगम द्वारा कराये गये निर्माण कार्यो में ठेकेदारों द्वारा विलम्ब से कार्य पूर्ण किये जानेपर ठेकेदारों से अर्थदण्ड की वसूली न करने के कारण ठेकेदारों को अधिक भुगतान रू01,82,25,735/– :–

निगम द्वारा आलोच्य अवधि में नगर निगम निधि चौदहवां वित्त आयोग एवं अवस्थापना विकास निधि से कराये गये निर्माण कार्यो की पत्रावलियों की जॉच से प्रकाश में आया कि निगम द्वारा कराये गये विभिन्न निर्माण कार्यो में जिसमें ठेकेदारों द्वारा कार्यादेश में दी गयी अवधि के अन्तर्गत कार्य को

पूर्ण न करके बिलम्ब से कार्य पूर्ण किया गया था वहाँ पर निगम द्वारा ठेकेदार पर अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार या तो बिलम्ब हेतु आर्थिक दण्ड लगाया ही नही गयाथा या बहुत कम लगाया गया था जिस कारण ठेकेदारों को अधिक भुगतान हो गया था। अनुबन्ध की शर्त सं0–2 के अनुसार कार्य में देरी करने के लिए ठेकेदार पर कार्य की आगणन राशि पर 1 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा किन्तु अर्थदण्ड की यह धनराशि आगणित धनराशि के 10 प्रतिशत से अधिक नही होगी। ठेकेदारों पर अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार अर्थदण्ड आरोपित न करने के कारण ठेकेदारों को रूपया 1,82,25,735/–का अधिक भुगतान हो गया था। वर्ष 2020–21 तक देरी से किये गये कार्य पर ठेकेदारों पर अनुबन्ध की शर्त–2 के अनुसार अर्थदण्ड की धनराशि की गणना करके ठेकेदारों से वसूल की जाए। सम्बन्धित विवरण संलग्न–9 में अंकित है।

3– नगर निगम द्वारा कराये गये निर्माण कार्यो में अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी के कम लिये जाने के कारण आर्थिक क्षति रूपयाः– 3,06,17,441/–

नगर निगम द्वारा कराये गये निर्माण कार्यो की पत्रावलियों से प्रकाश में आयाय कि नगर निगम द्वारा निर्माण विभाग की विभिन्न पत्रावलियों में अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी आगणन धनराशि का 10 प्रतिशत से अधिक ब्लों(न्यून) पर ठेकेदार द्वारा निविदा/टेण्डर डाले जाने स्थिति में 10प्रतिशत(न्यून) तक .50प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक ब्लो(न्यून) दर पर 1 प्रतिशत प्रति 1प्रतिशत कम दर पर ली गयी थी जो अनियमित एवं आपत्तिजनक थी।

शासनादेश सं0–622/23–12–2012–2–आडिट/08टी0सी0 दिनांक 08–06–12 के अनुसार अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी आगणन धनराशि पर 10 प्रतिशत से अधिक ब्लो (न्यून) दर ठेकेदार द्वारा निविदा डाले जाने की स्थिति में 10 प्रतिशत से अधिक ब्लो (न्यून) पर 01 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी ली जायेगी।

इस प्रकार शासनादेश की गलत व्याख्या के कारण निर्माण कार्यो पर निगम द्वारा अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी कम लिये जाने से संलग्न परिशिष्ट "11" के विवरणानुसार रूपया 3,06,17,441/–की आर्थिक क्षति हुयी थी। कम परफोरमेन्स गारन्टी लिये जाने सम्बन्धी यदि कोई अन्य आदेश हो तो सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाए अन्यथा स्थिति में कम अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी लिये जाने का कारण स्पष्ट करते हुए ली गयी कम अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी ठेकेदारों से जमा करायी। उक्त स्थिति नगर निगम के वित्तीय हितों के प्रतिकूल थी कम अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी लिये जाने से निगम को रू0 3,06,17,441/–की आर्थिक क्षति हुयी थी।

4– अमृत योजना के अन्तर्गत शासन से स्वीकृत डी0पी0आर रू0 111.064 लाख के बिना शासन से अनुमोदन लिये परिवर्तित कर निर्माण कार्यो को रू0 19,88,534/–बढाकर रू041,68,373/– दो गुना से अधिक कर पेड़–पौधों व अन्य मदों में कमी कर योजना के उद्देश्यों समाप्त किया जाना,विलम्ब दण्ड न लिये जाने के कारण रू0 11,10,640/– की आर्थिक क्षति/ अधिक भुगतानः–

अमृत योजना से सम्बन्धित पत्रावलियों की जॉच में प्रकाश में आया कि उक्त योजनान्तर्गत कार्य की डी0पी0आर नगर निगम द्वारा शासन को प्रेषित की गयी थी,जिसके क्रम में शासन द्वारा निम्नवत् स्वीकृति प्रदान की गयी थी–

1–वार्ड–60 राजेन्द्र नगर सै–03 में गोल पार्क का निर्माण व अनुरक्षण कार्य,शासनादेश संख्या–एस.एम. ए.एम.यू/742/39/2016 दिनांक 17–10–2016 धनराशि रू0 66.78 लाख ।

2– वार्ड –63 जनकपुरी वृन्दावन गार्डन स्थित खजूर वाला पार्क का निर्माण व अनुरक्षण कार्य, शासनादेश संख्या– एस. एम.ए.एम.यू./742/39/2016 दिनांक 17–10–2016 धनराशि रू0 44.284 लाख दोनो कार्यो की स्वीकृत धनराशि रू0 66.78+44.284=111.064 लाख निविदा प्रकिया के उपरान्त गोल पार्क का निर्माण कार्य न्यूनतम के आधार पर मैसर्स आकाश इन्फाटेक को 0.20 प्रतिशत निम्न पर

कार्यादेश पत्रांक–186/निर्माण/2017–18 दिनांक 06–04–2018 द्वारा धनराशि रू0 66,64,644/– पर स्वीकृत किया गया। पर स्वीकृत किया गया। कार्यविधि 06 माह निर्धारित की गयी थी। इस प्रकार वृन्दावन गार्डन स्थित खजूर वाले पाई का निर्माण कार्य उक्त फर्म को ही निविदा दरों से 0.20 प्रतिशत निम्न पर कार्यादेश संख्या–188/निर्माण/ 2017–18 दिनांक 06–04–2018 द्वारा रू0 44,19,144/– पर स्वीकृत किया गया था। उक्त की कार्यविधि भी 06 माह थी। उपरोक्त के पश्चात अधिशासी अभियन्ता,नगर निगम,गाजियाबाद द्वारा फर्म को पत्रांक–327/निर्माण/2018–19 दिनांक 06–08–2018 नोटिस जारी किया गया कि कार्य धीमी गति से किया जा रहा है। इसे समयान्तर्गत पूर्ण किया गया कि कार्य धीमी गति से किया जा रहा है। इसे समयान्तर्गत पूर्ण किया जाए । जिसके कम में सम्बन्धित फर्म द्वारा अपने पत्र दिनांक 23–08–2018 द्वारा लिखा गया कि नगर निगम द्वारा मेरी बिना सहमति पर बी0ओ0क्यू में भारी मात्रा में बदलाव कर दिया गया है। बी0ओ0क्यू की सूचना व समयावधि बढाने की मांग की गयी। उक्त के कम में फर्म को कोई समयवृद्धि स्वीकृति नहीं की गयी। उक्त के पश्चात पत्रावली में संलग्न कम्पलिशन स्टेटमेन्ट के अनुसार निम्नांकित परिवर्तन बिना किसी प्रकिया के कर दिये गये,जबकि उक्त कार्यो की डी0पी0आर0 शासन स्तर पर स्वीकृत एवं अनुमोदित की गयी थी तो इसमें कोई भी परिवर्तन शासन की स्वीकृति एवं अनुमोदन के नहीं किया जाना चाहिए था। इस प्रकार मनमाने ढंग से स्वीकृत बी0ओ0क्यू0 में कार्यादेश जारी किये जाने के पश्चात परिवर्तन किया जाना पूर्णतः अनियमित था। उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जाए अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए आवश्यक प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।

(2) उपरोक्त परिवर्तन किये जाने के उपरान्त स्वीकृत कार्य में निम्नांकित महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिए गये–

क0	कार्य का विवरण/मद	परिवर्तित धनराशि	स्वीकृत धनराशि	अधिक
1	गोल पार्क में निर्माण कार्य	24,10,757	11,32,056	12,78,701
2	खजूर वाले पार्क में निर्माण कार्य	17,57,616	8,56,479	901137
	योग	**41,68,373**	**19,88,535**	**21,79,838**

इस प्रकार स्वीकृत निर्माण मद को 209.62 प्रतिशत बढा दिया गया। कार्य के स्वीकृत धनराशि /निविदा राशि के अन्तर्गत ही रखने के कारण पेड–पौधों,झूलों एवं अन्य जन सुविधाओं में कटौती की गयी, जिसके कारण योजना का मूल उद्धेश्य ही समाप्त कर दिया गया। अमृत योजना का उद्धेश्य पेड–पौधो व हरित क्षेत्र को बढावा देना था,जबकि यहॉ पर नगर निगम अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्य बढा कर पेड पौधो की मात्रा अत्यधिक कम कर दी गयी। यदि बढाये गये निर्माण कार्य इतने ही आवश्यक थे तो इनका समावेश डी0पी0आर0 तैयार करते समय ही किया जाना चाहिए था। यह अनियमित एवं आपत्तिजनक था। इस प्रकार रू0 21,79,838/– अर्थात दूने से अधिक निर्माण बढाया जाना परियोजना के मूल उद्धेश्य को समाप्त किया जाना था,जिसका प्रभाव निम्नवत् पेड पौधो व अन्य वस्तुओं/सुविधाओं को कम कर/समायोजित करना पडा था।

जन सुविधाओं में कटौती

क0	मद	गोल पार्क				खजूर वाला पार्क			
		स्वीकृत	परिवर्तित	कमी	कमी का प्रतिशत	स्वीकृत	परिवर्तित	कमी	कमी का प्रतिशत

1	गार्डन बैंच	25	10	15	60	25	10	15	60
2	झूले 05 प्रकार	10	5	5	50	10	5	5	50
3	डस्टबिन	30	20	10	33	15	10	5	33

इस प्रकार उक्त पार्को में जन सुविधाओं व झूलों इत्यादि में लगभग 50 प्रतिशत की कमी की गयी थी। जो कि मूल योजना के प्रतिकूल था। इसी प्रकार पेड–पौधों व उद्यानिक कार्यो में भी निर्माण कार्यो के विचलन का समायोजन किये जाने हेतु निम्नवत् कटौती की गयी थी–

पेड–पौधों व उद्यानिक कार्यो में कटौती

		गोल पार्क				खजूर वाला पार्क			
क0	मद / पौधों के प्रकार	स्वीकृत	परिवर्तित	कमी	कमी का प्रतिशत	स्वीकृत	परिवर्तित	कमी	कमी का प्रतिशत
1	ग्रासिंग	19000	16645	2355	12.40%	8363	8363	–	–
2	फाईकस बैजामिना	1000	100	900	90%	450	50	400	89%
3	फाईकस रिनोल्ड बुशी	500	70	430	86%	250	50	200	80%
4	फाईकस पाण्डा बुशी	1000	100	900	90%	450	80	370	82%
5	मोल श्री	300	101	199	66%	150	50	100	67%
6	अशोक पैंडूला	500	100	400	80%	300	50	250	83%
7	बोटल पॉम	50	20	30	60%	25	10	15	60%
8	गुडहल देशी	250	103	147	59%	120	50	70	58%
9	चांदनी डबल	250	100	150	60%	120	50	70	58%
10	गुलाब ग्राफिटड	500	50	450	90%	250	165	85	34%
11	बिसमार्किया पाम	25	10	15	60%	15	8	7	47%
12	फोक्सटेल पॉम	50	11	39	78%	25	10	15	60%
13	फाईकस स्टार लाईट बुशी	200	20	180	90%	100	9	91	91%
	प्रतिशत कमी =70.88 प्रतिशत					62.23 प्रतिशत			

इस प्रकार उद्यानिक कार्यो में 60 प्रतिशत से 70 प्रतिशत अधिक की कटौती किए जाने का मूल कारण निर्माण कार्यो का बढाया जाना था। यह कृत्य परियोजना के मूल स्वरूप के प्रतिकूल था, जिससे परियोजना का उद्देश्य की मृत प्रायः कर दिया गया था। अतः इस सम्बन्ध में अभिलेखों के आधार पर स्थिति स्पष्ट करायी जाए अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायित्व का निर्धारण कर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(3) उपरोक्त दोनो कार्य दिनांक 06–04–2018 को प्रारम्भ कर दिनांक 05–10–2018 (छःमाह) को समाप्त हो जाने चाहिए थे। जिसके विपरीत खजूर वाला पार्क का निर्माण कार्य दिनांक 15–7–2020 को 283 दिन पश्चात सामप्त किया था एवं गोल पार्क का निर्माण कार्य दिनांक 01–01–2020 के पश्चात अर्थात एक वर्ष से भी अधिक विलम्ब से समाप्त किया गया था। अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार

विलम्ब हेतु प्रतिदिन 1प्रतिशत आगणन राशि का अधिकतम 10 प्रतिशत की दर से निम्नवत् विलम्ब दण्ड की कटौती न किये जाने के कारण अधिक भुगतान किया गया था–

क0	स्थल	आगणन राशि	विलम्ब शुल्क
1	गोल पार्क का निर्माण	66.78लाख×10प्रतिशत	6,67,800/–
2	खजूर वाला पार्क निर्माण	44.284 लाख×10प्रतिशत	4,42,840/–
		योग	11,10,640/–

5– शासनादेश का उल्लंघन कर स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान से पूर्व में किए गये क्रय के आधार पर पुनः रिपीट आर्डर कर क्रय किया जाना अनियमित रू0 46,88,367/–:–

14 वे वित्त आयोग के सम्बन्ध में मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 26–10–2018 में प्रस्ताव संख्या–03 (स्वास्थ्य विभाग) के कमांक–08 पर आवारा पशुओं के पकडने हेतु 02 नग कैटल कैचर क्रय के सम्बन्ध में निविदा प्रकिया के अन्तर्गत न्यूनतम के आधार पर मैसर्स पोली मेक इण्डिया से रू0 15,62,789/– प्रति वाहन की दर से 02 नग कैटल केयर वाहन क्रय किये गये थे। उपरोक्त के पश्चात राज्य मिशन निदेशक(एस0 बी0एम) के पत्रांक–पी.एम. यू/2568/427(6)/2019 दिनांक–14 अगस्त,2019 द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत नगर निगमों को कैटल कैचर वाहन क्रय करने हेतु नगर निगम गाजियाबाद को 05 नग कैटल कैचर हेतु रू0 87,50,000/– अवमुक्त किये गये थे। उक्त के क्रम में पूर्व फर्म मै0 पोलीमैक को कार्यादेश संख्या–95/स्वा0/2019–20 दिनांक 21–11–2019 निर्गत करते हुए पूर्व में क्रय 02 नग कैटल कैचर के अतिरिक्त 03 नग ओर कैटल कैचर रू0 15,62,789×03=रू0 46,88,367/– का क्रय पूर्व दरों के आधार पर रिपीट आर्डर देकर कर लिया गया। जिसके लिये व्यय प्रमाणक संख्या–522 दिनांक 11–02–2020 द्वारा कटौतियों के उपरान्त फर्म को रू0 44,88,359/– का भुगतान कर दिया गया।

उक्त के सम्बन्ध में शासन द्वारा शासनादेश संख्या–ए–1–1173/दस–2001–10–10 (55)/2000 दिनांक 27–4–2001 द्वारा पूर्व में प्राप्त टेण्डर के आधार पर पुनः रिपीट आर्डर दिये जाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध था। इसके बावजूद भी निगम अधिकारियों द्वारा शासनादेश का पूर्णतः उल्लघन कर रू0 46,88,367/– के वाहनों का क्रय किया जाना अनियमित था। इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रभावी कार्यवाही लिया जाना अपेक्षित है।

6– अमृत योजना के अन्तर्गत जी0एस0टी0 लागू होने से पूर्व तैयार किए गए आगणनों से 4 प्रतिशत वैट न घटाये जाने के कारण रू0 3,71,822/–का अधिक भुगतान:–

सम्परीक्षा में प्रस्तुत निम्नवत् पत्रावलियों के कार्यो की डी0पी0आर0 शासन द्वारा निम्नवत् स्वीकृत की गयी थी–

क0	कार्य का विवरण	स्वीकृति तिथि
1	वार्ड–63 जनकपुरी वृन्दावन गार्डन स्थित खजूर वाला पार्क का निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य।	17–10–2016
2	वार्ड–60 राजेन्द्र नगर सै0–3 में गोल पार्क का निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य।	17–10–2016
3	वार्ड–67 कविनगर बी–ब्लॉक स्थित कालाधाम पार्क का निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य।	07–04–2017

यहॉ यह उल्लेखनीय है देश में दिनांक 01–07–2017 से जी0एस0टी0 प्रभावी/लागू किया गया था। उक्त सभी आगणन जी0एस0टी0 प्रभावी होने से पूर्व के थे।

शासनादेश संख्या–1614 / 23–10–2017–12(सामान्य) / 2017, लोक निर्माण विभाग–10 लखनउ दिनांक 08 नवम्बर,2017 के पैरा (1)–3 में स्पष्ट किया गया था कि चूँकि वैट अस्तित्व में नही है, अतः जो पूर्व में 4 प्रतिशत ओवरहैड में सम्मिलित है उसे घटाकर ही आगणन तैयार किए जाये। अर्थात 01–07–2017 के पूर्व में जो आगणन तैयार किए गये थे। भुगतान के समय उनमें से 4 प्रतिशत वैट घटाते हुए तत्पश्चात जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाना था। किन्तु नगर निगम अधिकारियों के द्वारा उपरोक्त तीनों आगणनों से भुगतान के समय 4प्रतिशत वैट की कटौती किए वगैर ही जी0एस0टी0 का भी भुगतान किया गया था। यह पूर्णतः अधिक एवं अनियमित भुगतान था। इसका उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए अधिक भुगतान की वापसी कराया जाना अपेक्षित है।

क0	कार्य का नाम	कार्य की धनराशि	कटौती योग्य 4 प्रतिशत वैट
1	वार्ड–63 खजूर वाला पार्क निर्माण	17,84,356 / –	71,374
2	वार्ड–60 गोल पार्क निर्माण	25,92,439 / –	1,03,698
3	वार्ड–67 कलाधाम पार्क निर्माण	39,22,810 / –	1,56,912
4		योग (+)12प्रतिशत जी0एस0टी =	3,31,984 39,838
		कुल अधिक भुगतान =	3,71,822 / –

7– कार्यादेश एवं अनुबन्ध के विपरीत एक के स्थान पर दो नग कैटल कैचर क्रय किया जाना अनियमित रू015,62,789 / –:–

मण्डलायुक्त की बैठक दिनांक 26–10–2018 में स्वास्थ्य विभाग को 02 नग, आवारा पशुओं को पकडने के लिए समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी थी। जिसके क्रम में जैम पोर्टल पर निविदा प्रक्रिया के उपरान्त 01नग कैटल कैचर क्रय हेतु मैसर्स पोलीमैक इण्डिया की न्यूनतम दर रू0 15,62,789 / –की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। जिसके क्रम में अधिशासी अधिकारी(वि0 / यां) नगर निगम,गाजियाबाद द्वारा पत्रांक –243 / स्वा0 / 2019 दिनांक 08–03–2019 द्वारा 01 नग कैटल कैचर रू0 15,62,789 / –क्रय हेतु कार्य आदेश जारी कर अनुबन्ध किया गया था। (दोनो की छायाप्रति संलग्न)। उक्त अनुबन्ध एक नग वाहन क्रय हेतु ही था,जिस पर पृथक से एक ओर कैटल कैचर का मूल्य जोडा गया था।

इस प्रकार जब जैम पोर्टल पर 01 नग कैटल कैचर हेतु निविदा मॉगी गयी थी ओर एक ही कैटल कैचर हेतु कार्यादेश व अनुबन्ध किया गया था किस आधार पर 02 कैटल कैचर रू0 15,62,789×02=31,25,578 / –का क्रय किया गया था। इस प्रकार क्रय किया जाना कार्यादेश एवं अनुबन्ध का पूर्णतः उल्लंघन था एवं यह वित्तीय नियमों / प्रक्रिया का अतिक्रमण किये जाने वाला कृत्य था। इस प्रकार एक नग अतिरिक्त कैटल कैचर रू0 15,62,789 / –का क्रय किया जाना अनियमित था। अनुबन्ध व कार्यादेश की छायाप्रतियॉं परिशिष्ट '21' व '22' पर संलग्न है। बिड की छायाप्रति परिशिष्ट '23' पर संलग्न है।

8– निर्माण कार्यो में बिलों की धनराशि में 1 प्रतिशत अतिरिक्त लेबर सेस जोडें जाने के कारण ठेकेदारों को 26,89,236=00 का अधिक भुगतानः–

निर्माण कार्यो की जॉच में 1 प्रतिशत लेवर सेस अतिरिक्त जोडने के पश्चात ही लेबर सेस की धनराशि की कटौती की गयी थी जबकि लेवर सेस से सम्बन्धित एक्ट में इसके पूर्व भुगतान का उत्तरदायित्व ठेकेदार का था। वह भी ठेकेदारों के बिल से कटौती कर किया जाना था।

लोक निर्माण विभाग लखनउ (सामान्य वर्ग) के पत्रांक 9755 एम0टी0/सामान्य वर्ग/40एम0टी0–45/2017 दिनांक 19–12–2017 कार्यालय ज्ञाप में अंकित "भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षा का प्रतिवेदन 31मार्च,2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सडक कार्यो में अनुबन्ध स्तर पर निष्पादन लेखा परीक्षा में उल्लिखित प्रस्तर 4.2 में अनुशंसा की गयी है। कि शासन द्वारा समस्त खण्डों को तत्काल यह निर्देश निर्गत किया जाना चाहिए कि कर्मकार उपकार की कटौती ठेकेदारों के बिलों से की जाए एवं समस्त समावेशी अनुबन्धों में उपकर के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जाए।

"बिड डाक्यूमेंन्ट में लेबर सेस की देयता के सम्बन्ध में पूर्व व्यवस्था पूर्णतया स्पष्ट है जिसके अनुसार लेबर सेस के भुगतान का दायित्व ठेकेदार का है। उक्त के कम में एतद् द्वारा आदेश दिये जाते है कि कर्मकार उपकर की कटौती ठेकेदारों के बिलों से की जाए एवं समस्त समावेशी अनुबन्धों में कर्मकार उपकर के भुगतान का भार ठेकेदारों द्वारा वहन किया जायें।"

अतः संलग्नक "12" के अनुसार बिल में रूपये 26,89,236/– लेबर सेस के रूप में जोडे गये थे जिनका भुगतान ठेकेदार को किया गया था अतः लेबर सेस की जोडी गयी धनराशि अंकन रूपये 26,89,236/– का भुगतान अधिक/अनियमित था इसकी वसूली सम्बन्धित/उत्तरदायी से कराया जाना अपेक्षित है।

9– 50 लाख व 50 लाख से अधिक के कार्यो हेतु डी0पी0आर0 (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिर्पोट) न बनाये जाने के कारण अनियमित भुगतान रू0 2,95,61,498/–

सम्परीक्षा के समय 14वॉं वित्त आयोग एवं अवस्थापना विकास निधि की पत्रावलियों की जॉच से प्रकाश में आया कि 50 लाख व 50 लाख से अधिक के कार्यो हेतु डी0पी0आर0 (डिटेल्ट प्रोजेक्ट रिर्पोट) नही बनायी गयी थी। एवं सलग्न विवरण में दर्शाये गये कार्यो की पत्रावलियों में सलग्न नही थी,जबकि आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ की अध्यक्षता में 14 वे वित्त आयोग एवं अवस्थापना विकास निधि की कार्ययोजना स्वीकृति हेतु गठित समिति दिनांक 17–7–17 एवं दिनांक 27–10–18 को हुई मीटिंग में भी निर्देशित किया गया था कि 50 लाख व 50 लाख से उपर के कार्यो हेतु डी0पी0आर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिर्पोट) तैयार कराकर पत्रावली में संलग्न किया जाए लेकिन उक्त दिये गये निर्देशों को बावजूद भी संलग्न विवरणानुसार रूपये का भुगतान बिना डी0पी0आर0तैयार कर संलग्न किये ही कार्यो हेतु किया गया था जो अनियमित एवं आपत्तिजनक था। अतएवं बिना डी0पी0आर0तैयार कर पत्रावली में सलंग्न किये ही कार्यो हेतु किये गये अनियमित भुगतान रू0 2,95,61,498=00 के सम्बन्ध में आवश्यक/प्रभावी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। विवरण परिशिष्ट "13" में दिया गया है।

10– डी0पी0आर0 बनाये बिना ही कार्य कराये जाने से ठेकेदार को अनियमित भुगतान रू0 36,35,950/–

व्यय प्रमाणकों की सम्परीक्षा से प्रकाश में आया कि अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत इन्टीमेशन कम वर्क आर्डर सं0–निर्माण/30/2018–19 दिनांक 05–3–2019 के द्वारा वार्ड–46 दुहाई में पीपल वाली लिंक गलियों में आर0टी0सी0 नाली एवं इन्टर लॉकिंग टाईल्स का कार्य" का ठेका मैसर्स शान्तनु कन्स0को दिया गया था उपरोक्त कार्य हेतु ठेकेदार के द्वितीय एवं अन्तिम बिल का भुगतान व्यय प्रमाणक सं0–44/07–08–20 रू0 3,22,000/– किया गया था। उपरोक्त कार्य हेतु

डी0पी0आर0 नही बनायी गयी थी। जबकि आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ की अध्यक्षता में अवस्थापना विकास निधि की कार्ययोजना स्वीकृति हेतु गठित समिति दिनांक 27–10–18 को हुई मीटिंग में भी निर्देशित किया गया था कि 50 लाख से उपर के कार्यो हेतु डी0पी0आर0 (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिर्पोट) तैयार कर पत्रावली में संलग्न की जाए लेकिन उक्त दिये गये निर्देशों के बावजूद भी रू036,35,950/– का भुगतान सभी कटौतियों उपरान्त किया गया था। बिना डी0पी0आर0 तैयार कर संलग्न किये ही कार्य हेतु भुगतान अनियमित एवं आपत्तिजनक था। इस सम्बन्ध में आवश्यक/प्रभावी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। उक्त कार्य में निम्न लिखित अनियमितताएँ प्रकाश में आयी।

(1) कार्य में अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी आगणन धनराशि पर 10 प्रतिशत से अधिक बिलो (न्यून) पर ठेकेदार द्वारा निविदा/टेण्डर डाले जाने की स्थिति में 10 प्रतिशत बिलों तक 50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक बिलों (न्यून) दर पर 01 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर पर ली गयी थी। इस प्रकार रू0 870824=00 अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी ली गयी थी।

शासनादेश सं0– 622/23–12–2012–2 आडिट/08टी0सी0 दिनांक 08–6–12 के अनुसार अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी आगणन धनराशि पर 10 प्रतिशत से अधिक ब्लो (न्यून) पर ठेकेदार द्वारा निविदा डाले जाने की स्थिति में 10 प्रतिशत से अधिक ब्लो (न्यून) पर 01 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी रू0 12,53,280=00 ली जानी थी।

इस प्रकार शासनादेश की गलत व्याख्या के कारण अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी रू0 3,82,456/– कम ली गयी थी। रू0 3,82,456/– अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी कम लिये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(2) उ0प्र0 शासन के भूतत्व एवं खनिज अनुभाग के शासनादेश सं0–3385/88–15–2920/2015 दिनांक 15–10–15 द्वारा निर्देशित किया गया था कि सार्वजनिक निर्माण कार्यो में प्रयुक्त होने वाले उप खनिजों की आपूर्ति प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्राप्त किये जाने वाले उपखनिज नियमानुसार रॉयल्टी का भुगतान कर अभिवहन प्रपत्र–11 (एम0एम011)के आधार पर परिवहन किये गये है जिन मामलों में रायल्टी का भुगतान किये बिना उप खनिजों की आपूर्ति हुई हो, उनके बिलों का भुगतान करने से पूर्व निर्धारित दर पर रॉयल्टी की धनराशि की कटौती कर संगत लेखा शीर्षक में अवश्य जमा कर ली जाए।

इस निर्माण कार्य में उपभोग किये गये खनिजों के सापेक्ष ठेकेदार द्वारा अभिवहन प्रपत्र–11(एम0एम0–11) प्रस्तुत नही किये गये थे और न ही निगम द्वारा ठेकेदार के बिल से रॉयल्टी की कटौती की गयी थी तथा उस पर लगायी गयी पेनाल्टी जो रायल्टी दर का पॉच गुना होती है उसकी कटौती भी नही की गयी थी जिससे शासन को निम्न विवरणानुसार रू0 1,98,520/– की क्षति हुयी है।

मद	दर	धनराशि
151.23 घन मी. फाइन सैंड	65/–	9830
208 घन मी ग्रीट	110/–	22880
69.94घन मी कोर्स सैण्ड	100/–	6994
		39704×5=198520

(3) बिल की धनराशि में 1 प्रतिशत लेबर सेस अतिरिक्त जोडने के पश्चात ही लेबर सेस की धनराशि की कटौती की गयी थी, जबकि लेबर सेस से सम्बन्धित एक्ट मे इसके पूर्व भुगतान का उत्तरदायित्व ठेकेदार का था वह भी ठेकेदारों के बिल से कटौती कर किया जाना था।

लोक निर्माण विभाग लखनउ (सामान्य वर्ग) के पत्रांक 9755 एम0टी0/सामान्य वर्ग/40एन0टी0–45/2017 दिनांक 19–12–2017 कार्यालय ज्ञाप में अंकित भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 31मार्च,2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सडक कार्यो में अनुबन्ध प्रबन्ध पर निष्पादन लेखा परीक्षा में उल्लिखित प्रस्तर–4.2 में अनुशंसा की गयी है। कि शासन द्वारा समस्त खण्डों को तत्काल यह निर्देश निर्गत किया जाना चाहिए कि कर्मकार उपकर की कटौती ठेकेदारों के बिलों से की जाए। एवं समस्त समावेशी अनुबन्धों में उपकर के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जाए।

बिल में रूपये 35176/– लेबर सेस के रूप में जोडे गये थे जिनका भुगतान ठेकेदार को किया गया था अतः लेबर सेस की जोडी गयी धनराशि रू0 35176/–का भुगतान अधिक/अनियमित था। इसकी वसूली सम्बन्धित /उत्तरदायी से कराया जाना अपेक्षित है।

11– निगम द्वारा कराये गये निर्माण कार्यो में स्टोन बैलास्ट के कार्यो पर 10 प्रतिशत वॉयड्स न काटे जाने से ठेकेदारों को अधिक भुगतान रूपया–21,55,051/–

निगम द्वारा आलोच्य अवधि मे निगम निधि चौदहवे वित्त आयोग एवं अवस्थापना विकास निधि से कराये गये निर्माण कार्यो की पत्रावलियों की जॉच में प्रकाश में आया कि निगम द्वारा कराये गये निर्माण कार्यो में संलग्न विवरण के अनुसार स्टोन बैलास्ट की मात्रा पर 10प्रतिशत वॉयड्स की मात्रा नही घटाई गयी थी जिस कारण ठेकेदारों को रूपया 21,55,051/– का अधिक भुगतान कर दिया गया था। 10प्रतिशत वॉयड्स न काटे जाने का कारण स्पष्ट करते हुए वर्ष 2020–21 में निगम द्वारा काटे गये समस्त कार्यो में नियमानुसार 10वॉयड्स की कटौती सुनिश्चित किया जाए एवं इस धनराशि की गणना कराकर ठेकेदारों से वसूली करने हेतु निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। विवरण संलग्न परिशिष्ट'14' पर दिया गया है।

12– लोक निर्माण विभाग की अनुमति के अभाव में स्वागत द्वार का निर्माण कराया जाना अनियमित रू0 14,01,282/– एवं फर्म से नेगोसिएशन न किऐ जाने के कारण अधिक भुगतान 1,66,753/– :–

नगर आयुक्त ,नगर निगम गाजियाबाद की समीक्षा बैठक दिनांक 11–01–2018 के कम में हापुड रोड पर पार्थ इन होटल के सामने दिशा सूचक/स्वागत द्वार लगाने हेतु रू0 12,94,000/–का आगणन तैयार किया गया था। जिसका समाचार पत्रों में प्रकाशन कराकर ई–टेन्डरिंग के माध्यम से निविदा आमन्त्रित की गयी थी। उक्त के कम में एक निविदा आगणन से 16.90प्रतिशत कम पर मैसर्स खोसला कन्स्ट्रक्शन की प्राप्त हुयी एवं फर्म द्वारा अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी की एफ0डी0आर0 संख्या–607986 दिनांक 18–10–2017 रू0 1,17,000/– कार्यालय में जमा कर दिया गया। नोट शीट–2 के अनुसार प्रतिस्पर्धा हेतु तीन निविदाओं का होना आवश्यक है, परन्तु कार्य की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त कार्य की न्यूनतम निविदा रू0 9,51,653/–की स्वीकृति की संस्तुति अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता द्वारा दिनांक 07–02–2018 को कर दी गयी ,जिसके पश्चात मुख्य अभियन्ता नगर निगम,गाजियाबाद द्वारा बिना कोई कारण दिये दिनांक 17–3–2018 (एक माह 10 दिन के पश्चात) पुनः टेण्डर करने के आदेश कर दिये गये। जब सम्बन्धित फर्म से परफोरमेन्स गारन्टी की एफ0डी0आर0 जमा करा ली गयी थी, तो किस आधार पर एक माह 10 दिन के पश्चात पुनः टेण्डर के आदेश किये गये थे, का औचित्य स्पष्ट नही था। जिसके कारण नगर निगम अधिकारियों की कार्यशैली सन्देहात्मक प्रतीत हो रही थी।

उक्त के पश्चात पुनः निविदा आमन्त्रित की गयी जिसके कम में मात्र दो निविदाये निम्नवत् निविदायें प्राप्त हुयी थी–

1– मैसर्स शान्तनु कन्स्ट्रक्शन 5 प्रतिशत निम्न
2– ए0के0जी0कन्स्ट्रक्शन 4 प्रतिशत निम्न
जिसके क्रम में फर्म से बिना निगोसिएसन किये अनुबन्ध की कार्यवाही कर कार्यादेश संख्या–65/निर्माण /2018–19 दिनांक 19–9–2018 कार्यावधि 03 माह जारी कर दिया गया। इस बार भी तीन निविदायें नही प्राप्त थी फिर भी कार्यादेश जारी किया गया था, जबकि पूर्व में 16.90 प्रतिशत निम्न की निविदा को निरस्त कर दिया गया था। अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा मैसर्स शान्तनु से पूर्व में प्राप्त निविदा के आधार पर कम से कम एक बार नेगोसिएशन करना भी आवश्यक नही समझा नेगोसिएशन कर कम से 16.90 प्रतिशत निम्न तक दरें कम लिए जाने की कार्यवाही की जानी चाहिए थी ऐसा न किये जाने के कारण नगर निगम को रू0 14,01,282×(16.90–5) 11.90 प्रतिशत रू0 1,66,753/–का अधिक भुगतान करना पडा था।

तत्पश्चात अधिशासी अभियन्ता नगर निगम गाजियाबाद के पत्रांक 504/निर्माण/2018–19 दिनांक 09–10–2018 द्वारा अधि0अभियन्ता लोक निर्माण विभाग से स्वागत द्वार के निर्माण की अनुमति मॉगी गयी। जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–2 लोक निर्माण विभाग, गाजियाबाद द्वारा पत्रांक–3373/1सी दिनांक 19–11–2018 द्वारा मार्ग के भविष्य में चौडीकरण एवं सुदृढीकरण प्रस्तावित होने के कारण मार्ग के मध्य कुल 13–75 मीटर (45.10फुट) के बाद ही कार्य होना संभव था,के क्रम में पुनः प्लान टेबलबार जगह अवगत कराने के पश्चात ही अनुमति के संबंध में विचार किए जाने का आश्वासन दिया गया। जिसके क्रम में पुनः रू0 15,89,350/– का आगणन तैयार किया गया एवं अधिशासी अभियन्ता नगर निगम द्वारा पत्रांक–150/निर्माण/2018–19 दिनांक 02–07–2019 द्वारा पुनः उक्त कार्य के संबध में अनुमति की मॉग की गयी। जिसके क्रम में लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गयी और न ही नगर निगम गाजियाबाद द्वारा अनुमति प्राप्त किए जाने हेतु पुनः पत्राचार ही किया गया था। दिनांक 01.11–2019 के कार्य प्रारम्भ कराकर दिनांक 30–1–2019 को कार्य पूर्ण करा लिया गया। कृत कार्य की लागत रू0 14,01,282/– थी।

सम्बन्धित विभाग से अनुमति के बिना ही कार्य कराया जाना अनियमित था। भविष्य में किसी विवाद होने की दशा मे उक्त कार्य पर किया गया व्यय रू0 14,01,282/–पूर्णतः निरर्थक होने की सम्भावना बनी रहेगी। अतः बिना अनुमति के लोक निर्माण विभाग के अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस प्रकार के निर्माण कराये जाने का औचित्य स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है।

<u>13– इण्टरलॉकिंग टाईल्स कार्य में मदों की आगणन के सापेक्ष अधिक दर्शाये जाने के कारण रू0 1,97,112/– का अधिक भुगतानः–</u>

वार्ड–50 सुभाष नगर में दीक्षित के मकान से एम0डी0पब्लिक स्कूल रामकिशन से परमेश्वर राम होते हुए नारायण मिश्रा के मकान तक नाली व इण्टर लॉकिंग टाईल्स का कार्य मै0 प्रमोद कुमार सिंघल किया गया था। कार्य के आगणन में सी0सी0टाईल्स पुरानी उखाडना 868.80व0मी0 व लगाना भी 868.80 वर्ग मीटर दर्शाया गया था जिसके सापेक्ष वास्तव में 783.00वर्ग मीटर ही पुरानी टाईल्स उखाडी गयी थी। जबकि नयी टाईल्स 896.00 वर्ग मीटर टाईल्स लगाना (S/F) दर्शाया गया था जो कि अधिक कार्य दर्शाया गया था। जब 783.00 वर्ग मीटर टाईल्स डिस्मेन्टलिंग की गयी थी तो इतने ही क्षेत्र में नयी टाईल्स लगायी जानी थी। द्वारा कार्य अधिक दर्शाकर निम्नवत् मदों में वृद्धि कर अधिक भुगतान किया गया था। जिसकी वापसी करायी जाना अपेक्षित है–

			783 व0मी0 क्षेत्र के आधार पर		
क0	मद	दर्शायी गयी मात्रा	देय मात्रा	अधिक मात्रा×दर	अधिक भुगतान

1	इन्टरलाकिंग टाईल्स	896 व0मी0	783 व0मी0	113 X720	81360
2	अर्थ फिलिंग	227 घ0मी0	156.6 घ0मी0	70.40 X307	21613
3	s/s स्टोन ब्लास्ट	69.47 घ0मी0	62.64 घ0मी0	6.83X 2048	13988
4	——"——कन्सोलिडेशन	69.47 ——"——	62.64 —"—	6.83X 120	820
				योग	1,17,781
				(+)12प्रतिशत जी0एस0टी0	14,134
				कुल योग	1,31,915

(2) उक्त कार्य में पुरानी टाईल्स मात्रा 6000 की कटौती रू0 4प्रतिशत प्रति टाईल्स की दर से की गयी थी। जबकि कार्य पूर्व स्थल के फोटो से स्पष्ट हो रहा था कि पुरानी टाईल्स में लगभग 75प्रतिशत टाईल्स सही/साबुत थी। कार्य पश्चात की फोटो संलग्न न किया जाना भी इस बात का द्योतक था कि कार्य में पुरानी टाईल्स की प्रयोग किया गया था। अतः पुरानी टाईल्स की स्थिति अभिलेखों द्वारा स्पष्ट करायी जाए अन्यथा की स्थिति में कम कटौती किये जाने के कारण निम्नवतः अधिक भुगतान किया गया था–

पुरानी टाईल्स	783.00वर्ग मीटर
कटौती योग्य	783×75प्रतिशत= 587.25वर्गमीटर×35=20553×रू04 प्रति टाईल्स =रू0 82,212/–(–)कटौती =24000=58,212/–
(+)12प्रतिशत जी0एस0टी0	6,985/–
योग	65,197/–

कुल अधिक भुगतान= रू0 1,31,915+65,197=1,97,112

14– विलम्ब शुल्क रू0 8,00,000=00 ठेकेदार के बिल से न काटा जाना व अन्य अनियमितताऐं :–

व्यय प्रमाणकों की सम्परीक्षा से प्रकाश में आया कि 14 वॉ वित्त आयोग के अन्तर्गत कार्यादेश संख्या 153/निर्माण 2019–20 दिनांक 23–10–19 के द्वारा "वार्ड 74 वैशाली सै0–06 पुल से मंगलम स्कूल के सामने से वसुन्धरा सै–15 निकट साई मंदिर तक सुरक्षा के दृष्टिकोण से नाले की पैरापेट का निर्माण कार्य का ठेका मै0 आर0जी0बिल्डटैक इन्जी0लि0 को दिया गया था। उपरोक्त कार्य हेतु ठेकेदार के द्वितीय एवं अन्तिम बिल का भुगतान व्यय प्रमाणक सं0–402ए/28–12–20 रू0 4,75,900–/किया गया था। उपरोक्त कार्य प्रारम्भ की तिथि 23–10–19 व कार्य समाप्ति की तिथि कार्यादेश के अनुसार 22–4–20 थी व कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि 05–10–20 थी इस प्रकार कार्य 166 दिवस विलम्ब से पूर्ण हुआ। अनुबन्ध की शर्त सं0–2 के अनुसार कार्य में देरी के लिए ठेकेदार पर कार्य की आगणन राशि पर 01 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड लिया जाना था किन्तु अर्थदण्ड की यह धनराशि आगणित धनराशि के 10 प्रतिशत से अधिक नही होगी। इस प्रकार 80,00,000×10 प्रतिशत विलम्ब दण्ड=8,00,000=00रू0 ठेकेदार से वसूल किया जाए उपरोक्त कार्य में निम्न लिखित अनियमितताऐ प्रकाश में आयी–

(1) उपरोक्त कार्य की आगणन धनराशि रू0 80,00,000=00 थी उक्त कार्य की डी0पी0आर0 नही बनायी गयी थी जबकि आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ की अध्यक्षता में 14वॉ वित्त आयोग की कार्ययोजना स्वीकृति हेतु गठित समिति दिनांक 27–10–18 को हुई मीटिंग में भी निर्देशित किया गया था कि 50 लाख के उपर के कार्यो हेतु डी0पी0आर0 (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिर्पोट) तैयार कर पत्रावली में संलग्न की

जाए लेकिन उक्त दिये निर्देशों के बावजूद भी रू0 62,85,830=06 का भुगतान ठेकेदार को बिना डी0पी0आर तैयार करे ही कार्य हेतु भुगतान अनियमित एवं आपत्तिजनक था। इस सम्बन्ध में आवश्यक / प्रभावी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(2) कार्य में अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी आगणन धनराशि पर 10प्रतिशत से अधिक ब्लो (न्यून) पर ठेकेदार द्वारा निविदा / टैण्डर डाले जाने की स्थिति में 10प्रतिशत बिलों तक 50 प्रतिशत प्रति 1प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक बिलों (न्यून) दर पर 01 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर पर ली गयी थी। इस प्रकार रू0 9,00,000=00 अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी ली गयी थी।

शासनादेश सं0 622 / 23–12–2012–2 आडिट / 08 टी0सी0 दिनांक 08–6–12 के अनुसार अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी आगणन धनराशि पर 10प्रतिशत से अधिक बिलों (न्यून) पर ठेकेदार द्वारा निविदा डाले जाने की स्थिति में 10 प्रतिशत से अधिक बिलों (न्यून) पर 01 प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी रू0 16,80,000 / – ली जानी थी।

इस प्रकार शासनादेश की गलत व्याख्या के कारण अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी रू0 7,80,000 / – कम ली गयी थी। रू0 7,80,000 / – अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी कम लिये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये।

(3) उ0प्र0 शासन के भूतत्व एवं खनिज अनुभाग के शासनादेश सं0 3385 / 88–2015–292 / 2015 दिनांक 15–10–15 द्वारा निर्देशित किया गया था कि सार्वजनिक निर्माण कार्यो में प्रयुक्त होने वाले उपखनिजों की आपूर्ति प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्राप्त किये जाने वाले उपखनिज नियमानुसार रायल्टी का भुगतान कर अभिवहन प्रपत्र–11 (एम0एम011) के आधार पर परिवहन किये बिना उपखनिजों की आपूर्ति हुई हो उनके बिलों का भुगतान करने से पूर्व निर्धारित दर पर रॉयल्टी की धनराशि की कटौती कर संगत लेखा शीर्षक में अवश्य जमा कर ली जाए।

इस निर्माण कार्य में उपभोग किये गये खनिजों के सापेक्ष ठेकेदार द्वारा अभिवहन प्रपत्र–11 (एम.एम. –11) प्रस्तुत नही किये गये थे और न ही निगम द्वारा ठेकेदारउ बिल से रायल्टी की कटौती की गयी थी तथा उस पर लगायी गयी पेनाल्टी जो रायॅल्टी दर का पॉच गुना होती है उसकी कटौती भी नहीं की गयी थी जिससे शासन को निम्न विवरणानुसार रू0 4,24,015 / – की क्षति हुई है।

मद	दर	धनराशि
33.63 घनमी0फाईन सैंड	65	2186
538.26घनमी0 ग्रीट	110	59208
234.09घनमी0कोर्स सैंण्ड	100	23409
		84803×5=4,24,015 / –

(4) बिल की धनराशि में 1 प्रतिशत लेबर सेस अतिरिक्त जोडने के पश्चात ही लेबर सेस की धनराशि की कटौती की गयी थी। जबकि लेबर सेस से सम्बन्धित एक्ट में इसके पूर्व भुगतान का उत्तरदायित्व ठेकेदार का था। वह भी ठेकेदारों के बिल से कटौती कर लिया जाना था।

लोक निर्माण विभाग, लखनऊ (सामान्य वर्ग) के पत्रांक 9755 एम.टी. / सामान्य वर्ग / 40 एन0टी0–45 / 2017 दिनांक 19–12–2017 कार्यालय ज्ञाप में अंकित भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च,2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सडक कार्यो में अनुबन्ध प्रबन्ध पर निष्पादन लेखा परीक्षा में उल्लिखित प्रस्तर 4.2 में अनुशंसा की गयी है। कि शासन द्वारा समस्त खण्डों को तत्काल यह निर्देश निर्गत किया जाना चाहिए कि कर्मकार उपकर की कटौती ठेकेदारों के बिलों से की जाए एवं समस्त समावेशी उपबन्धों में उपकर के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जाये।

बिल में रूपये 55026/– लेबर सेस के रूप में जोडे गये थे, जिनका भुगतान ठेकेदार को किया गया था अतः लेबर सेस की जोडी गयी धनराशि रू0 55,626/– का भुगतान अधिक/अनियमित था। इसकी वसूली सम्बन्धित /उत्तरदायी से कराया जाना अपेक्षित है।

15–ठेकेदार के बिल से रूपये–4,98,500/–विलम्ब दण्ड, रूपये–83,400/–रॉयल्टी की कटौती न किया जाना व रूपये–31,795/–लेबर सेस का अधिक भुगतान एवं अन्य अनियमितताऐं:–

व्यय प्रमाणकों की सम्परीक्षा से प्रकाश में आया कि 14वॉ वित्त आयोग के अन्तर्गत कार्यादेश सं0–11/निर्माण/2019–20 दिनांक–17–3–20 के द्वारा वार्ड नं0–72 वैशाली सैक्टर–01 में गुरूद्वारे से इलाहाबाद बैंक के सामने कोने तक सडक के दोनो तरफ डैंस द्वारा सडक सुधार कार्य का ठेका मै0 पी0पी0 रियलकॉन प्रा0लि0 को दिया गया था उपरोक्त कार्य हेतु ठेकेदार के तृतीय एवं अन्तिम बिल का भुगतान व्यय प्रमाणक संख्या–381/7–10–20 रूपये–12,53,600/–किया गया था। उक्त कार्य में निम्नलिखित अनियमितताएं प्रकाश में आयी ।

(1)– कार्य में अतिरिक्त परफोर्मेन्स गारन्टी आगणन धनराशि पर 10 प्रतिशत से अधिक बिलों (न्यून) पर ठेकेदार द्वारा निविदा/टैण्डर डाले जाने की स्थिति में 10 प्रतिशत बिलों (न्यून) तक 50 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक बिलों (न्यून) दर पर 01 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर पर ली गयी थी। इस प्रकार रूपये–12,50,000/–अतिरिक्त परफारमेन्स गारन्टी ली गयी थी।

शासनादेश संख्या–622/23–12–2012–2 आडिट/08 टी0सी0 दिनांक–08–6–12 के अनुसार अतिरिक्त परफारमेन्स गारन्टी आगणन धनराशि पर 10 प्रतिशत से अधिक बिलों(न्यून) पर ठेकेदार द्वारा निविदा डाले जाने की स्थिति में 10 प्रतिशत से अधिका बिलों (न्यून) पर 01 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त परफारमेन्स गारन्टी रूपये–14,01,400/–ली जानी थी।

इस प्रकार शासनादेश की गलत व्याख्या के कारण अतिरिक्त परफॉरमेन्स गारन्टी रूपये–1,51,400/–कम ली गयी थी। रूपये–1,51,400/–अतिरिक्त परफॉरमेन्स गारन्टी कम लिये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाय।

(2)–कार्य की प्रारम्भिक तिथि दिनांक–17–3–2020 तथा कार्य समाप्ति तिथि 15–6–20 थी। माप पुस्तिका सख्या–8638 पृष्ठ संख्या 16 के अनुसार कार्य दिनांक 19–9–20 को समाप्त हुआ। इस प्रकार कार्य 96 दिवस विलम्ब से पूर्ण हुआ। अनुबन्ध की शर्त संख्या–2 के अनुसार कार्य में देरी के लिए ठेकेदार पर कार्य की आगणन राशि पर 01 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड लिया जाना था किन्तु अर्थदण्ड की यह राशि आगणित, आगणित धनराशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार 50,05,000X10% विलम्ब दण्ड 4,98,500/–(500500–2000)रूपये ठेकेदार से वसूल किया जाय।

(3)–उपरोक्त कार्य में स्टोन ब्लास्ट का कार्य 105.80 घन मी0कराया गया था। जिस पर 10 प्रतिशत बायडस की मात्रा नहीं घटायी गयी थी। इस प्रकार ठेकेदार को 105.80 X 10% = 10.58 X 2048 = 21668=00 का अधिक भुगतान किया गया था। रूपये–21,668/–की वसूली ठेकेदार से करायी जाय।

(4)–उ0प्र0 शासन के भूतत्व एवं खनिज अनुभाग के शासनादेश संख्या–3385/88–2015–292/2015 दिनांक–15–10–15 द्वारा निर्देशित किया गया था कि सार्वजनिक निर्माण कार्यो में प्रयुक्त होने वाले उपखनिजों की आपूर्ति प्रापत करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रापत किये जाने वाले उप खनिज नियमानुसार रायल्टी का भुगतान कर अभिवहन प्रपत्र–11 (एम0एम0–11) के आधार पर परिवहन किये गये बिना उप खनिजो की आपूर्ति हुयी हो, उनके बिलो का भुगतान करने से पूर्व निर्धारित दर पर रायल्टी की धनराशि की कटौती कर संगत लेखा शीर्षक में अवश्य जमा कर लीय जाय।

इस निर्माण कार्य में उपभोग किये गये खनिजो के सापेक्ष ठेकेदार द्वारा अभिवहन प्रपत्र–11 (एम0 एम0–11) प्रस्तुत नहीं किये गये ाँ और नही निगम ठेकेदार के बिल से रायल्टी की कटौती की गया थी थी तथा उस पर लगायी गयी पेनाल्टी जो रायल्टी दर का पांच गुना होती है। उसकी कटौती भी नहीं की गयी थी।जिससे शासन को निम्न विवरणानुसार रूपये की क्षति हुयी थी।

मद	दर (घन मी0)	धनराशि
41.87 फाइन सैड	65	2722
105.80 स्टौल ब्लास्ट	110	11638
23.20 कोई सैड	100	2320
		16680 x5 = 83400=00

(5)– विल की धनराशि में 01 प्रतिशत लेबर सेस अतिरिक्त जोडने के पश्चात् ही लेबर सेस की कटौती की धनराशि की कटौती की गयी थी। जबकि लेबर सेस से सम्बन्धित एक्ट में इसके पूर्व भुगतान का उत्तरदायित्व ठेकेदार का था व भी ठेकेदारों के विल से कटौती कर किया जाना था।

लोक निर्माण विभाग, लखनऊ(सामान्य वर्ग) के पत्रांक 9755 एम0टी0/सामन्य वर्ग/40 एम0टी0–45/2017 दिनांक–19–12–2017 कार्यालय ज्ञाप में अंकित भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सडक कार्यो में अनुबन्ध प्रबन्ध पर निष्पादन लेखा परीक्ष में उल्लिखित प्रस्तर–4.2 में अनुशंसा की गयी है।
कि शासन द्वारा समस्त खण्डों को तत्काल यह निर्देश निर्गत किया जाना चाहिए कि कर्मकार उपकार की कटौती ठेकेदार के विलो से की जाय एव समस्त समावेशी अनुबन्धों में उपकर के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जाय।

बिल में रूपये 31795/–लेबर सेस के रूप में जोडे गये थे। जिनका भुगतान ठेकेदार को किया गया था अतः लेबर सेस की जोडी गयी धनराशि रूपये–31795/–का भुगतान अधिक/अनियमित था इसकी सम्बन्धित/उत्तरदायी से कराया जाना अपेक्षित है।

(6)–उपरोक्त कार्य की अनुमानित लागत रूपये–50,05,000/–थी। आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्देशित किया गया था कि 50 लाख से ऊपर के कार्यो हेतु डी0पी0 आर0 (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार कराकर पत्रावली में संलग्न किया जाय। डी0पी0आर नहीं बनाये जाने का आधार स्पष्ट किया जाय।

16– ठेकेदार के बिल से रू0 4,29,925/– रॉयल्टी रू0 92,336/– बिलम्ब दण्ड की कटौती न किया जाना व रू0 44,250/– लेबर सेस का अधिक भुगतान एवं अन्य अनियमितताऐं:–

व्यय प्रमाणकों की सम्परीक्षा से प्रकाश में आया कि 14 वॉ वित्त आयोग अनुदान से प्राप्त कोष के अन्तर्गत कार्यादेश सं0–09/निर्माण/2019–20 दिनांक 07–3–20 के द्वारा " वार्ड–46, गर्ग स्टेशनरी से लेकर मानसी विहार के गेट से गणेश टूर ट्रेवल्स व एन व एल ब्लॉक के मोड तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाईल्स का कार्य का ठेका मैसर्स अजय त्यागी कान्ट्रैक्ट को दिया गया था उपरोक्त कार्य हेतु ठेकेदार के तृतीय एवं अन्तिम बिल का भुगतान व्यय प्रमाणक सं0–2266/13–11–20 द्वारा रू0 1,51,200/– किया गया था। उक्त कार्य में निम्नलिखित अनियमितताऐं प्रकाश में आयी–

(1) प्राविधिक परीक्षक, मण्डलीय टी.ए.सी मेरठ की निरीक्षण आख्या पत्रावली में सलग्न नही थी। बिना निरीक्षण रिपोर्ट के भुगतान किया अनियमित था।

(2) कार्य में अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी आगणन धनराशि पर 10 प्रतिशत से अधिक बिलों (न्यून) पर ठेकेदार द्वारा निविदा/टैण्डर डाले जाने की स्थिति में 10प्रतिशत(न्यून) तक .50प्रतिशत प्रति 1प्रतिशत

कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक बिलों(न्यून) दर पर 01 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर ली गयी थी। इस प्रकार रू0 10,97,000/– अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी ली गयी थी।

शासनादेश सं0–622/23–12–2012–2–आडिट/08 टी0सी0 दिनांक 08–6–12 के अनुसार अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी आगणन धनराशि पर 10 प्रतिशत से अधिक बिलों (न्यून) पर ठेकेदार द्वारा निविदा डाले जाने की स्थिति में 10 प्रतिशत से अधिक बिलों (नयून) पर 01 प्रतिशत प्रति 01 कम दर पर अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी रू0 19,25,000/– ली जानी थी।

इस प्रकार शासनादेश की गलत व्याख्या के कारण अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी रू0 8,28,000/– कम ली गयी थी। रू0 8,28,000/–अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी कम लिये जाने का आधार स्पष्ट किया जाए।

(3) कार्य की प्रारम्भिक तिथि 07–3–20 तथा कार्य की समाप्ति तिथि 06–9–20 थी। माप पुस्तिका सं0–8969 के पृष्ठ सं0–18 के अनुसार कार्य दिनांक–03–11–20 को समाप्त हुआ। इस प्रकार कार्य 58 दिवस विलम्ब से पूर्ण हुआ। अनुबन्ध की शर्त सं0–02 के अनुसार कार्य में देरी करने के लिए ठेकेदार पर कार्य की आगणन राशि पर 1 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड लिया जाना था किन्तु अर्थदण्ड की यह धनराशि आगणित धनराशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार 92,336/– बिलम्ब दण्ड ठेकेदार से वसूल किया जाए।

(4) उपरोक्त कार्य में स्टोन ब्लास्ट का कार्य 310.69 घन मी. कराया गया था। जिस पर 10 प्रतिशत वॉयडफस की मात्रा नही घटाई गयी थी। इस प्रकार ठेकेदार को 310.04×10 प्रतिशत=31.06×2048= 63610 की वसूली ठेकेदार से करायी जाए।

(5) उ0प्र0 शासन के भूतत्व एवं खनिज अनुभाग के शासनादेश सं.–3385/88–2015–292/2015 दिनांक 15–10–15 द्वारा निर्देशित किया गया था कि सार्वजनिक निर्माण कार्यो में प्रयुक्त होने वाले उपखनिजों की आपूर्ति प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्राप्त किये जाने वाले उपखनिज नियमानुसार रॉयल्टी का भुगतान कर अभिवहन प्रपत्र(एम.एम–11) के आधार पर परिवहन किये गये है जिन मामलों में रायल्टी का भुगतान किये बिना उप खनिजों की आपूर्ति हुई हो उनके बिलों का भुगतान करने से पूर्व निर्धारित दर पर रायल्टी की धनराशि की कटौती कर संगत लेखा शीर्षक में अवश्य जमा कर ली जाए।

इस निर्माण कार्य में उपभोग किये गये खनिजों के सापेक्ष ठेकेदार द्वारा अभिवहन प्रपत्र–11 (एम.एम–11) प्रस्तुत नहीं किये गये थे और न ही निगम द्वारा ठेकेदार के बिल से रायल्टी की कटौती की गयी थी तथा उस पर लगायी गयी पेनाल्टी जो रायल्टी दर का पॉच गुना होती है उसकी कटौती भी नही की गयी थी जिससे शासन को निम्न विवरणानुसार रू0 4,29,925/– की हानि हुई।

मद	दर	धनराशि
फाईन सैंड 64.12 घन.मी.	65	4168
ग्रीट/स्टोन ब्लास्ट 586.82घन.मी.	110	64550
कोर्स सैड 172.67 घन.मी0	100	17267
		85985×5=4,29,925=00

(6) बिल की धनराशि में 1प्रतिशत लेबर सेस अतिरिक्त जोडने के पश्चात ही लेबर सेस की धनराशि की कटौती की गयी थी। जबकि लेबर सेस से सम्बन्धित एक्ट में इसके पूर्व भुगतान का उत्तरदायित्व ठेकेदार का था वह भी ठेकेदारों के बिल से कटौती कर किया जाना था।

लोक निर्माण विभाग लखनउ (सामान्य वर्ग) के पत्रांक 9755 एम.टी./सामान्य वर्ग/40एम0टी0-45/2017 दिनांक 19-12-2017 कार्यालय ज्ञाप में अंकित भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च,2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सडक कार्यो में अनुबन्ध प्रबन्ध पर निष्पादन लेखा परीक्षा में उल्लिखित प्रस्तर 4.2 में अनुशंसा की गयी है कि शासन द्वारा समस्त खण्डों को तत्काल यह निर्देश निर्गत किया जाना चाहिए कि कर्मकार उपकार की कटौती ठेकेदारों के बिलों से की जाए। एवं समस्त समावेशी अनुबन्धों में उपकर के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जाये ।

बिल में रूपये 44,250/- लेबर सेस के रूप में जोडे गये थे। जिनका भुगतान ठेकेदार को किया गया था। अतः लेबर सेस की जोडी गयी धनराशि रूपये 44,250/-का भुगतान अधिक/अनियमित था। इसकी वसूली सम्बन्धित/उत्तरदायी से कराया जाना अपेक्षित है।

<u>17- ठेकेदार के बिल से रू0 2,76,621/- विलम्ब दण्ड रू0 1,94,455/- रॉयल्टी की कटौती न किया जाना व रू0 18539/- लेबर सेस का अधिक भुगतान एवं अन्य अनियमितताऐं:-</u>

व्यय प्रमाणकों की सम्परीक्षा से प्रकाश में आया कि नगर निगम कोष के अन्तर्गत कार्यादेश सं0-52/निर्माण/2019-20 दिनांक 8-7-19 के द्वारा वार्ड-24 महरौली में विनोद शर्मा के मकान से सुरेश पाल के मकान तक आर0सी0सी0 नाली व इण्टरलॉकिंग टाईल्स का कार्य का ठेका मैसर्स गोयल कन्स.क. को दिया गया था। उपरोक्त कार्य हेतु ठेकेदार के प्रथम एवं अन्तिम बिल का आरंभिक भुगतान व्यय प्रमाणक सं0-926/9-11-20 का रू0 2,00,000=00 किया गया था। उक्त कार्य में निम्नलिखित अनियमितताऐं प्रकाश में आयी।

(1) कार्य में अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी आगणन धनराशि पर 10प्रतिशत से अधिक बिलों (न्यून) पर ठेकेदार द्वारा निविदा/टैण्डर डाले जाने की स्थिति में 10प्रतिशत बिलों (न्यून) तक .50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक बिलों (न्यून) दर पर 01 प्रतिशत 01 प्रतिशत कम दर पर ली गयी थी इस प्रकार रू0 646.000/-अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी ली गयी थी।

शासनादेश सं0-622/23-12-2012-2012-2 आडिट/08 टी0सी0 दिनांक-08-6-12 के अनुसार अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी आगणन धनराशि पर 10प्रतिशत से अधिक बिलों (न्यून) पर ठेकेदार द्वारा निविदा डाले जाने की स्थिति में 10 प्रतिशत से अधिक बिलों (न्यून) पर 01 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी रू0 663950/-ली जानी थी।

इस प्रकार शासनादेश की गलत व्याख्या के कारण अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी रू0 17950/- कम ली गयी थी रू0 17950/- अतिरिक्त परफोरमेन्सय गारन्टी कम लिये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(2) कार्य की प्रारम्भिक तिथि 08-07-2019 तथा कार्य समाप्ति तिथि-07-10-19 थी। माप पुस्तिका सं0-8966 के पृष्ठ सं0-06 के अनुसार कार्य दिनांक 21-3-20 को समाप्त हुआ। इस प्रकार कार्य 165 दिवस विलम्ब से पूर्ण हुआ। इस प्रकार अनुबन्ध की शर्त सं0-02 के अनुसार कार्य में देरी करने के लिए ठेकेदार पर कार्य की आगणन राशि पर 1प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड लिया जाना था किन्तु अर्थदण्ड की यह धनराशि आगणित धनराशि के 10 प्रतिशत से अधिक नही होगी। इस प्रकार 2766215×10प्रतिशत बिलम्ब दण्ड=276621=00 रू0 ठेकेदार से वसूल किया जाए।

(3) उपरोक्त कार्य में स्टोन ब्लास्ट का कार्य 143.14 घन मी0 कराया गया था। जिस पर 10प्रतिशत वॉयड्स की मात्रा नही घटाई गयी थी। इस प्रकार ठेकेदार को 143.14 × 10 प्रतिशत=14.31

घनमीटर×2048=29,306/– का अधिक भुगतान किया गया था। रू0 29,306/– की वसूली ठेकेदार से करायी जाये।

(4) उ0प्र0 शासन के भूतत्व एवं खनिज अनुभाग के शासनादेश सं0–3385/88–2015–292/2015 दिनांक 15–10–15 द्वारा निर्देशित किया गया था कि सार्वजनिक निर्माण कार्यो में प्रयुक्त होने वाले उपखनिजों की आपूर्ति प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्राप्त किये जाने वाले उपखनिज नियमानुसार रायल्टी का भुगतान कर अभिवहन प्रपत्र(एम.एम.11) के आधार पर परिवहन किये गये है। जिन मामलों में रॉयल्टी का भुगतान किये बिना उपखनिजों की आपूर्ति हुई हो उनके बिलों का भुगतान करने से पूर्व निर्धारित दर पर रॉयल्टी की धनराशि की कटौती कर संगत लेखा शीर्षक में अवश्य जमा कर ली जाए।

इस निर्माण कार्य में उपभोग किये गये खनिजों के सापेक्ष ठेकेदार द्वारा अभिवहन प्रपत्र–11(एम0एम0–11) प्रस्तुत नहीं किये गये थे और न ही निगम द्वारा ठेकेदार के बिल से रॉयल्टी की कटौती की गयी थी। जिससे शासन को निम्न विवरणानुसार रू0 1,94,455/– की हानी हुई।

मद		दर	धनराशि
फाईन सैंड	55.41	65	3602
ग्रीट	276.87	110	30456
कोर्स सैंड	48.33	100	4833
			38891×5=1,94,455=00

(5) बिल की धनराशि में 1 प्रतिशत लेबर सेस अतिरिक्त जोडने के पश्चात ही लेबर सेस की धनराशि की कटौती की गयी थी। जबकि लेबर सेस से सम्बन्धित एक्ट में इसके पूर्व भुगतान का उत्तरदायित्व ठेकेदार का था वह भी ठेकेदारों के बिल से कटौती कर किया जाना था।

लोक निर्माण विभाग लखनउ (सामान्य वर्ग) के पत्रांक 9755 एम.टी./सामान्य वर्ग/40 एम.टी.–45/2017 दिनांक 19–12–2017 कार्यालय ज्ञाप में अंकित भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च,2016 को सम्पन्न हुए वर्ष के लिए सडक कार्यो में अनुबन्ध प्रबन्ध पर निष्पादन लेखा परीक्षा में उल्लिखित प्रस्तर 4.2 में अनुशंसा की गयी है कि शासन द्वारा समस्त खण्डों को तत्काल यह निर्देश निर्गत किया जाना चाहिए कि कर्मकार उपकार की कटौती ठेकेदारों के बिलों से की जाए। एवं समस्त समावेशी अनुबन्धों में उपकर के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जाये।

बिल में रूपयेउ 18,539=00 लेबर सेस के रूप में जोडे गये थे। जिनका भुगतान ठेकेदार को किया गया था अतः लेबर सेस की जोडी गयी धनराशि रूपये 18,539=00 का भुगतान अधिक/अनियमित था। इसकी वसूली सम्बन्धित/उत्तरदायी से कराया जाना अपेक्षित है।

18– कार्य में स्टोन जाली के स्थान पर दीवार लगाने से ठेकेदार को रू0 3,15,829=00 का अधिक भुगतान एवं बिल से 19,00,000/–रू बिलम्ब दण्ड 3,88,370/–रॉयल्टी की कटौती न किया जाना व 1,01,668=00 लेबर सेस रू0 3,54,797/– 12.5प्रतिशत सेटलमेन्ट, रु0 14623.00 10 प्रतिशत बॉयड्स न काटे जाने से अधिक भुगतान एवं अन्य अनियमितताऐंः–

व्यय प्रमाणकों की सम्परीक्षा से प्रकाश में आया कि 14 वॉ वित्त आयोग के अन्तर्गत कार्यादेश सं0–01/निर्माण/2018–19 दिनांक 02–2–19 के द्वारा " मोहन नगर"जोन में लोनी रोड पर एयर फार्म चाराहे से सिंकदरपुर रोड तक सडक के दोनो ओर सौन्दर्यकरण का कार्य" का ठेका मै0 कैंसर प्रा0 लि0 को दिया गया था। उपरोक्त कार्य हेतु ठेकेदार के पंचम एवं अन्तिम बिल का भुगतान व्यय प्रमाणक सं0–634/14–5–20रू0 8,73,700 सभी कटौतियों उपरान्त किया गया था। दिनांक 12–2–20 को अबर अभियन्ता (निर्माण) द्वारा थानाध्यक्ष,थाना साहिबाबाद गाजियाबाद को पत्र लिखा गया था कि

गाजियाबाद नगर निगम द्वारा 14 वॉ वित्त आयोग के अन्तर्गत हिन्डन फोर्स चौराहे से सिकंदरपुर सिविल टर्मिनल तक सौन्दर्यकरण का कार्य कराया गया था जिसमें सौन्दर्यकरण हेतु स्टोन जाली लगायी गयी थी। स्थल पर कुछ अज्ञात लोगों द्वारा लगभग 60 मी0जाली को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। पत्रावली में संलग्न फोटो के अनुसार 60मी0 क्षतिग्रस्त की जाली के स्थान पर दीवार बनायी गयी थी जो अनियमित एवं आपत्तिजनक था। 60मी0 क्षतिग्रस्त जाली के स्थान पर दीवार बनाने हेतु किया गया भुगतान रू0 60वर्ग.मी.× 6560/–3,93,600–28.99 प्रतिशत = 279495=00 + 12 प्रतिशत जी0एस0टी रू0 33539=00 + 1 प्रतिशत लेबर से रू0 2795) 3,15,829=00 सम्परीक्षा की दृष्टि से आपत्ति जनक था। रू0 3,15,829/– की वसूली ठेकेदार कराके 14वॉ वित्त आयोग निधि में जमा करायी जाये। उक्त कार्य में निम्नलिखित अनियमितताएं प्रकाश में आयी।

(1) कार्य में अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी आगणन धनराशि पर 10प्रतिशत से अधिक ब्लो (न्यून) दर पर ठेकेदार द्वारा निविदा/टैण्डर डाले जाने की स्थिति में 10प्रतिशत ब्लो (न्यून) तक .50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर तथा 10प्रतिशत से अधिक ब्लों (न्यून) दर पर 01 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर पर ली गयी थी। इस प्रकार रू0 46,00,000/– अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी ली गयी थी।

शासनादेश सं0–622/23–12–2012–2 ऑडिट/08 टी0सी0 दिनांक 08–6–12 के अनुसार अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी आगणन धनराशि पर 10प्रतिशत से अधिक ब्लो (न्यून) पर ठेकेदार द्वारा निविदा डाले जाने की स्थिति में 10प्रतिशत से अधिक ब्लो (न्यून) पर 01 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी रू0 55,10,000/– ली जानी थी।

इस प्रकार शासनादेश की गलत आख्या के कारण अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी रू0 9,10,000=00 कम ली गयी थी। रू0 9,10,000/– अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी कम लिये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(2) कार्य की प्रारम्भिक तिथि 02–02–19 तथा कार्य समाप्ति तिथि 02–8–19 थी। माप पुस्तिका सं0–3541 के पृ0सं0–20 के अनुसार कार्य दिनांक 19–2–20 को समाप्त हुआ। इस प्रकार कार्य 201 दिवस विलम्ब से पूर्ण हुआ। अनुबन्ध की शर्त सं0–2 के अनुसार कार्य में देरी के लिए ठेकेदार पर कार्य की आगणन राशि पर 01 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड लिया जाना था किन्तु अर्थदण्ड की यह धनराशि आगणित धनराशि के 10प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार 1,90,00,000×10 प्रतिशत विलम्ब दण्ड 19,00,000/– रू0 ठेकेदार से वसूल किया जाए ।

(3) उक्त कार्य में मिट्टी की मात्रा पर 12.5 प्रतिशत सैटलमेन्ट चार्ज की मात्रा नहीं घटाइ गयी। जिस कारण ठेकेदार को रू0 3,54,797/– (9245.49×12.50प्रतिशत=1155.69×307=354797) का अधिक भुगतान कर दिया गया था। रू0 3,54,797.00 की वसूली ठेकेदार से करके 14 वॉ वित्त आयोग निधि में जमा करायी जाए।

(4) उपरोक्त कार्य में स्टोल ब्लास्ट का कार्यउ 71.46 घन.मी. कराया गया था। जिस पर 10 प्रतिशत वॉयड्स की मात्रा नहीं घटायी गयी थी। इस प्रकार ठेकेदार को 71.46×10 प्रतिशत =7.14×2048 =14623=00 का अधिक भुगतान किया गया था। रू0 14623=00 की वसूली ठेकेदार से करायी जाए।

(5) उ0प्र0 शासन के भूतत्व एवं खनिज अनुभाग के शासनादेश सं0–3385/88–2015 –292/2015 दिनांक 15–10–15 द्वारा निर्देशित किया गया था कि सार्वजनिक निर्माण कार्यो में प्रयुक्त होने वाले उपखनिजो की आपूर्ति प्राप्तउ करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्राप्त किये जाने वाले उप खनिज नियमानुसार रॉयल्टी का भुगतान कर अभिवहन प्रपत्र–11(एम0एम–11) के आधार पर परिवहन किये गये है। जिन मामलों में रॉयल्टी का भुगतान किये बिना उपखनिजों की आपूर्ति हुई

हो, उनके बिलों का भुगतान करने से पूर्व निर्धारित दर पर रॉयल्टी की धनराशि की कटौती कर संगत लेखा शीर्षक में अवश्य जमा कर ली जाए।

इस निर्माण कार्य में उपभोग किये गये खनिजों के सापेक्ष ठेकेदार द्वारा अभिवहन प्रपत्र–11(एम.एम.11) प्रस्तुत नहीं किये गये थे और न ही निगम द्वारा ठेकेदार के बिल से रायल्टी की कटौती की गयी थी तथा उस पर लगायी गयी पेनाल्टी जो रायल्टी दर का पॉच गुना होती है। उसकी कटौती भी नही की गयी थी। जिससे शासन को निम्न विवरणानुसार रू0 38,83,370/–की क्षति हुई थी।

मद		दर	धनराशि
फाईन सैंड	139.36	65	9058
ग्रीट/स्टोनब्लास्ट	502.13	110	55234
कोर्स सैंड	133.82	100	13382
			77674 × 5=3,88,370=00

(6)–बिल की धनराशि में 01 प्रतिशत लेबर सेस अतिरिक्त जोडने के पश्चात् ही लेबर से की धनराशि की कटौती की गयी थी, जबकि लेबर से से सम्बन्धित एक्ट में इसके पूर्व भुगतान का उत्तरदायित्व ठेकेदार का था वह भी ठेकेदार के बिल से कटौती कर किया जाना था।

लोक निर्माण विभाग लखनऊ (सामान्य वर्ग) के पत्रांक 9755 एम0टी0/सामान्य वर्ष/40 एम0टी0–45/2017 दिनांक–19–12–2017 कार्यालय ज्ञाप में अंकित भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च,2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सडक कार्यो में अनुबन्ध प्रबन्ध पर निष्पादन लेखा परीक्षा में उल्लिखित प्रस्तर–4.2 में अनुशंसा की गयी है। कि शासन द्वारा समस्त खण्डों को तत्काल यह निर्देश निर्गत किया जाना चाहिए कि कर्मकार उपकर की कटौती ठेकेदारों के बिलों से की जाय। एवं समस्त समावेशी अनुबन्धों में उपकर के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जाय।

बिल में रूपये 1,01,668/–लेबर सेस के रूप में जोडे गये थे। जिनका भुगतान ठेकेदार को किया गया था अतः लेबर से की जोडी गयी धनराशि रू0–1,01,668/–का भुगतान/अधिक/अनियमित था इसकी वसूली सम्बन्धित/उत्तरदायी से कराया जाना अपेक्षित है।

(7)–उपरोक्त कार्य की अनुमानित लागत रू0–1,90,00,000/–थी। आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निदेशित किया गया था कि 50 लाख या 50 लाख से ऊपर के कार्यो हेतु डी0पी0आर0(डिटेल्ट प्राजेक्ट रिपोर्ट) तैयार कराकर पत्रावली में संलग्न किया जाय। डी0पी0आर0 नहीं बनाये जाने का आधार स्पष्ट किया जाय।

19–एकल या दो निविदाओं के आधार पर कार्य का आंबटन किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक रूपये–8206,204/– :–

नगर निगम निधि/पार्षद कोटा की पत्रावलियों की सम्परीक्षा से प्रकाश में आया कि निम्नलिखित कार्यो का आबंटन प्राप्त एक या दो निविदाओं की दरों के आधार पर किया गया था, जो अनियमित एवं आपत्ति जनक था नियमानुसार कार्य के आंबटन हेतु तीन वैध निविदाओं का प्राप्त होना आवश्यक है तीन वैध निविदाओं की तुलनात्मक दरों के आधार पर कार्य का आंबटन किया जाना चाहिए एकल या दो प्राप्त निविदाओं के प्राप्त होने पर दूसरी बार विज्ञापन/ई–टेण्डरिंग कराया जाना चाहिए था। एकल या दो निविदाओं के आधार पर कार्य का आबंटन किये जाने का आधार स्पष्ट किया जाय। इस ओर नगर निगम के उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप किया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार के प्रकरणों की पुनरावृत्ति न हो। एक या दो प्राप्त निविदाओं के आधार पर कार्य का आंबटन के प्रकरण निम्नवत् उदाहरण स्वरूप दिये गये है।

क0सं0	कार्य का नाम/ठेकेदार का नाम/आगणन धनराशि	प्राप्त निविदायें
1	दौलतपुरा में लक्ष्मन पेशगार बाली गली नाली व इण्टरलॉकिंग टाईल्स का कार्य मै0 कुबेर ट्रेडर्स 5,98,400/–	मै0 कुवंर ट्रेडर्स
2–	वार्ड–18 रजापुर में विनोद पीरवाली गली जयपाल के मकान के पास नाली व इण्टर लॉकिंग टाईल्स का कार्य मै0 मार्डन इन्जी0एसो0 9,42,323/–	1–मै0मार्डन इन्जी0एसो0 2– मै0 जे0पी0 गोयल
3	वार्ड–52 श्याम विहार में कालोनी में स्वीस हॉटल से अमरजीत वालिया तक नाली व इण्टर लॉकिंग टाईल्स व श्री बालाजी स्टील से सोना मोटर्स तक इण्टरलॉकिंग टाईल्स लगाने का कार्य मै0 आकाक्षा कन्स0 7,44,500/–	1–मै0 आकाक्षा कन्स0 2–मै0 ए0के0जी0कन्स0
4	वार्ड–52 कोट गॉव में म.न.–183 ए से म.न.–148/3 बब्बन वाली गली में नाली मरम्मत का कार्य में रघुवंशी बिल्डटैक 1,67,100/–	1–मै0 रघुवंशी बिल्डटैक 2–मै0 महिमा कन्स0
5	रेलवे स्टेशन के पास वीरांगना रानी लक्ष्मीवाई मूर्ति परिसर का सौन्दर्यीकरण का कार्य मै0 प्रवीन कुमार कान्ट्रैक्टर 2,96,830/–	1–मै0 प्रवीन कुमारकान्टे0 2–मै0 गर्गसन इन्फाद्रक प्रा0लि0
6	वार्ड –95 में मरकज मस्जिद के पीछे न.–7,14 व11 में सी0सी0मरम्मत व नाली निर्माण का कार्य मै0 अनिल कुमार चौहान 9,98,500/–	1–मै0 अनिल कुमारचौहान 2–उत्तम कन्स0कम्प0
7	वार्ड –67 राजनगर में स्थित म0न0 बी–07 के सामने वाला पार्क की दीवार ऊँची मरम्मत व रगाई पुताई का कार्य मै0 गुडविल कन्स0 2,03,750	1–मै0 गुडविल कन्स0 2–मै0 शैलेश कुमार सिंह
8	वार्ड–95 में गली न0 13,15व 23 में सी0सी0 मरम्मत व नाली निर्माण का कार्य मै0 अनिल कुमार चौहान,9,92,800/–	1–अनिल कुमार चोहान 2–मै0 महिमा कन्स0
9	वार्ड–19 बाल्मिकी कुन्ज उदलनगर जी–ब्लाक मन्दिर के पास वाली गलियों में पैच रिपेयर का कार्य मै0 महिमा कन्स0 9,59,800/–	1–मै0महिमा कन्स0 2– मै0 ए0एन0कन्स0
10	वार्ड–62 गोविन्दपुरम में भामा शाह पार्क के अन्दर फुटपाथ का कार्य मै0 बी0डी0एस0ग्रुप 4,88,201/–	1– मै0 आकांक्षा कन्सं0 2–मै0 बी0डी0 एस0 ग्रुप
11	वार्ड–24 पांडव नगर मधरिमा बिस्किुट फैक्ट्री मे न्यू एरिया कालेज गेट न0–03 तक आर0सी0सी0 नाली व इण्टरलॉकिंग टाईल्स का कार्य मै विनोद कुमार कान्ट्रैक्टर,18,14,000/–	1– विनोद कुमार कान्ट्रे0 2– मै0 रूद्राक्ष एशो0
12	वार्ड 31 माता वाली कालोनी में प्रदीप से अमूल त्यागी के मकान तक कुवंर पोल से जय कुमार के मकान कच्ची गलियों में तक नाली व टाईल्स लगाने का कार्य मै0 प्रमोद कुमार सिंघल 16,38,000/–	1–मै0 प्रमोद कुमारसिंघल 2– मै0 रघुवंशी बिल्डटैक

20— 160 मीटर लम्बाई की आर0सी0सी0 नाली का निर्माण के स्थान पर 116.90 मीटर लम्बाई तक ही किये जाने के कारण किया गया व्यय निरर्थक रू0 5,38,705/—

वार्ड—18, रजापुर में विनोद के मकान से ज्योति चौधरी के मकान होते हुए अमित प्रोविजनल स्टोर तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण का रू0 5,89,706/— का आगणन तैयार किया गया था। आगणन के अनुसार नाली निर्माण 80×2=160मीटर लम्बाई, 1मीटर चौडाई एवं 1 मीटर गहराई (2×80एल×1बी×1डी) किया जाना था जो कि न्यूनतम के आधार पर मैसर्स केश राम कन्सं0 को 7प्रतिशत न्यून पर रू0 5,47,770/— स्वीकृत किया गया था। माप पुस्तिका के अनुसार उक्त नाली की लम्बाई में खुदाई मात्र 116. 90 मीटर की गयी थी, किन्तु खुदाई की मात्रा को आगणन के अनुसार कराया जाना दर्शाने हेतु मिटटी खुदाई में चौडाई एवं गहराई में वृद्वि कर दी गयी थी जो कि निम्नवत् था—

लम्बाई	चौडाई	गहराई	घन0मीटर	
7.00	1.20	1.10	9.24	जबकि नाली की गहराई एवं चौडाई 1×1मीटर की होनी चाहिए थी।
12.30	1.20	1.10	16.23	
27.70	1.20	1.20	39.88	
22.00	1.00	1.10	24.20	
28.50	1.10	1.10	34.48	
19.40	1.10	1.20	25.60	
116.90			149.63	

इस नाली की लम्बाई आगणन के सापेक्ष 160—116.90=43=10 मीटर अर्थात 27 प्रतिशत कम निर्माण कार्य कराया गया था। जो कि कार्य की आवश्यकता के अनुसार नही था साथ ही जिस प्रयोजन हेतु नाली का निर्माण कराया गया था उसकी उद्देश्य की पूर्ति न होने के कारण किया गया व्यय कुल रू0 5,38,705/— (कार्य की लागत) निरर्थक/ निष्प्रयोज्य थां इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

21—डिस्मेन्टलिंग से प्राप्त पुरानी ईटों की कटौती कम दर से करने/कटौती न किये जाने के कारण रू0 1,30,190/—का अधिक भुगतानः—

निर्माण पत्रावलियों की जॉच में पाया गया कि डिस्मेन्टलिंग से प्राप्त पुरानी ईटों की कटौती रू0 700/— प्रतिघन मीटर की दर से अधिकांश पत्रावलियों से की गयी थी एवं कुछ पत्रावलियों में कटौतीा ही नहीं की गयी थी। जबकि डिस्मेंटलिंग से प्राप्त पुरानी ईटों का 50 प्रतिशत भाग की कटौती ईट के रूप में तथा 50 प्रतिशत कटौती ब्रिक ब्लास्ट के रूप में की जानी चाहिए थी। उक्त रू0 700/— प्रतिघन मीटर की दर से कटौती किस नियम अथवा शासनादेश के द्वारा की गयी थी, का कोई उल्लेख पत्रावलियों में नहीं था। अतः इसे स्पष्ट कराया जाय अन्यथा की दशा मे शिड्यूल आफ रेटस—2017 के अनुसार एम—150 ब्रिक रू0 4,700/— प्रति हजार की दर एवं ब्रिक ब्लास्ट 4.00 से0मी0 रू0 950/— प्रति घनमीटर की दर से गणना न किये जाने के कारण निम्नवत् अधिक भुगतान किया गया था। इसकी उत्तरदायी से वसूली कर नगर निगम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। विवरण संलग्न परिशिष्ट '15' पर दिया गया है।

22— कार्य समय से प्रारम्भ न किये/समय से कार्य पूर्ण न किये जाने के कारण धरोहर राशि जब्त न किये जाने/विलम्ब दण्ड न लिये जाने के कारण रु0 1,87,944 का अधिक भुगतान :—

वार्ड 71, संजय नगर के एन0 211 से एफ 261 टंकी वाले रोड की साइड पटरी पर इन्टरलाकिंग टाईल्स व नाला का कार्य का आगणन रु0 18,79,444.00 का तैयार किया गया था। कार्य की

धरोहर राशि रु0 1,87,944.40 की थी। उक्त कार्य निविदा प्रक्रिया के अन्तर्गत न्यूनतम के मैसर्स बालाजी कन्सट्रक्शन को कार्यादेश संख्या–054 / निर्माण / 2019–20 दिनांक 24.06.2019 द्वारा आवंटित किया गया था। कार्य पूर्ण करने की अवधि 03 माह थी। कार्य दिनांक 23.09.2019 तक पूर्ण किया जाना था। किन्तु सम्बन्धित फर्म द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था। इसकी पुष्टि अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम, गाजियाबाद के पत्रांक–39 / निर्माण / 2018–19 दिनांक 29.07.2019 द्वारा भी की गयी थी। माप पुस्तिका के अनुसार कार्य दिनांक 20.11.2019 को प्रारम्भ व दिनांक 13.03.2020 को समाप्त किया गया था। इस प्रकार कार्य निर्धारित समय से 174 दिन विलम्ब से पूर्ण किया गया था।

जब कार्य लगभग 05 माह तक प्रारम्भ ही नहीं किया गया था तो फर्म की धरोहर राशि रु0 1,87,944 जब्त कर पुनः निविदा आमंत्रित की जानी चाहिये थी। इसके पश्चात भी यदि उक्त कार्यवाही नहीं ली गयी थी तो निगर निगम के अनुबनध के प्रस्तर–2 के अनुसार कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण न किये जाने पर आगणन राशि का 01 प्रतिशत प्रतिदिन, अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा तक आगणन राशि का 18,79,444 ×10 प्रतिशत = रु0 1,87,944.00 की कटौती की जानी चाहिये थी। कटौती न किये जाने के कारण सम्बन्धित फर्म को रु0 1,87,944.00 का अधिक भुगतान किया गया था। इसकी वसूली उत्तरदायी से कराया जाना अपेक्षित है।

23– पुरानी टाईल्स के मूल्य की कटौती न करके, पुरानी टाईल्स को मलबे के रूप में फेंकने हेतु ढुलाई दिये जाने के कारण रु0 84,974.00 का अधिक भुगतान :–

मैसर्स कुंवर ट्रेडर्स द्वारा वार्ड 22 दौलतपुरा में लक्षमन वाली गली, किशोर वाली, इन्द्रजीत वाली गली, समय सिंह वरली, होराम, दिनेश पंडित व अन्य गलियों में सी0सी0 नाली व टाईलस कार्य की पत्रावली की जांच में प्रकाश में आया कि माप पुसितका संख्या 9708 के अनुसार 694.47 वर्ग मीटर पुरानी टाईल्स डिस्मेन्टलिंग का भुगतान रु0 15.00 प्रतिवर्ग मीटर की दर से किया गया था एवं माप के पृष्ठ 06 पर सम्बन्धित अवर अभियन्ता द्वारा टिप्पणी की गयी थी कि "स्थल पर डिस्मेन्टलिंग के बाद कोई टाइल प्रयोग करने योगय नहीं पायी गयी। मलबे के रूप में धनराशि की कटौती की गयी है"

उपरोक्त तथ्य बिल्कुल ही गलत था क्योंकि पुरानी टाईल्स के रूप में कोई कटौती नहीं की गयी थी बल्कि इन टाईल्स को मलबा दर्शाकर 694.47 व0मी0 ×0.08 =55.55 घन मीटर ×रु0 217= रु0 12054.00 का भुगतान भी कर दिया गया था जो कि पूर्णतः अनियमित था।

(2) पत्रावली में संलग्न कार्य के पूर्व के फोटो के अनुसार लगभग 75 प्रतिशत टाईल्स सही / साबुत स्थिति में थी जिनकी कटौती रु0 4 प्रति टाईल्स की दर से कटौती की जानी चाहिये थी। इनको मलबा दर्शाकर सम्बन्धित फर्म को 694.47×35=23306×75 प्रतिशत =18230.00 टाईल्स × रु0 4 =72920 का अधिक भुगतान फर्म को किया गया था। इस प्रकार उक्त त्रुटिपूर्ण कृत्य कर सम्बन्धित फर्म को रु0 72920 +12054 =84974.00 का लाभ पहुंचाया गया था। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जाय अन्यथा की स्थिति से सम्बन्धित अवर अभियन्ताओं से वसूली कराया जाना अपेक्षित है। कार्य की साईट की छायाप्रति (पत्रावलीनुसार) परिशिष्ट–'24' पर संलग्न है।

24–आगणन / स्वीकृति के सापेक्ष कार्य बढाये जाने के कारण रु0 78,819.00 का अधिक भुगतान :–

वार्ड 69 में अम्बेडकर कालोनी की मुख्य सडक पर नाली व टाईल्स का कार्य न्यूनतम के आधार पर आगणन राशि से 22.99 प्रतिशत न्यून पर मैसर्स ए0एस0 कन्सं0 की स्वीकृति किया गया था। पत्रावली की जांच में पाया गया कि पुरानी टाईल्स डिस्मेंटलिंग 660.00 वर्ग मी0 की जानी थी एवं इतने की क्षेत्रफल में नायी टाईल्स लगायी जानी थी। इसके सापेक्ष माप पुसितका के अनुसार 716.90 वर्ग मीटर में डिस्मेंटलिंग करना व इतने ही क्षेत्रफल में नयी टाईल्स लगाना दर्शाया गया था। जबकि उक्त कार्य मुख्य मार्ग का था तो मार्ग की लम्बाई एवं चौड़ाई बढ़ने का कोई औचित्य ही नहीं था। उक्त कृत्य से ऐसा प्रतीत होता है कि

चूंकि सम्बनिधत फर्म द्वारा कार्य 22.99 प्रतिशत निम्न पर किया गया था। इसकी प्रतिपूर्ति हेतु कार्य की मात्रा बढा दर्शाकर फर्म को अनुचित लाभ पहुंचाया गया था। यदि कार्य बढ़ाये जाने का कोई अन्य आधार था तो उसकी पुष्टि अभिलेखों द्वारा करायी जाय अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए वसूली हेतु प्रभावी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है–

क0	मद/कार्य	दर्शायी मात्रा	आगणन मात्रा	अधिक मात्रा × दर	अधिक भुगतान
1	नयी इन्टलाकिंग टाईल्स लगाना	716.90 व0मी0	660 व0मी0	56.90 व0मी0×720	3238.00
2	अर्थ फिलिंग	141.13 घ0मी0	132घ0मी0	9.13घ0मी0×307	2803.00
3	S/S स्टोन ब्लास्ट	57.35घ0मी0	52.80घ0मी0	4.55घ0मी0×2048	9318.0
4	–"– कन्सोलिडेशन	57.35–"–	52.80–"–	4.55घ0मी0×180	819.00
				योग	16178.00
			+2प्रतिशत जी0एस0टी0		1941.00
			कुल योग		18119.00

(2) माप पुस्तिका/कम्पलिशन स्टेटमेन्ट के अनुसार पुरानी टाईल्स की मात्रा 5269 नग रु0 4 प्रति नग की दर से कटौती की गयी थी। जबकि पत्रावली में संलग्न फोटोग्राफ इस प्रकार लिया गया था जिससे कि पुरानी टाईल्स की स्थिति ज्ञात ही नहीं हो रही थी कि लगभग कितने प्रतिशत टाईल्स सही थी अथवा टूटी हुयी थी। मात्रा 21 प्रतिशत टाईल्स कटौती का आधार स्पष्ट नहीं था। इसे स्पष्ट कराया जाये अथवा नयूनतम 75 प्रतिशत टाईल्स की कटौती निम्नवत् की जानी अपेक्षित है–

716.90 व0मी0 टाईल्स ×75 प्रतिशत =5,37.675 व0मी0

कटौती योग्य टाईल्स =537.675×35=18818×04

=75,272.00

(–) की गयी कटौती =21,076.00

कम कटौती =54,196.00

(+) 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 =6504.00

कुल योग =60700.00

कुल अधिक भुगतान रु0 18119 +60700=78,819.00

25–अनुबन्ध विलम्ब दण्ड रु0 10,700, रायल्टी रु0 20,755, कार्य विलम्ब दण्ड रु0 94,232 बिल से न काटा जाना व लेबर सेस रु0 6105.00 का अधिक भुगतान एवं अन्य अनियमितताएं :–

नगर निगम पत्रावलियों की जांच में आया कि कार्यादेश सं0 014/निर्माण/2018–19 की जांच में आया कि कार्यादेश सं0–014/निर्माण/2018–19 दिनांक 18.06.19 के द्वारा "वार्ड 18 रजापुर में विनोद पीर, पीरवाली गली, जयपाल के मकान के पास नाली व इन्टरलाकिंग टाईल्स का कार्य" का ठेका मै0 मार्डन इन्जी0 एसो0 25.89 न्यून पर (ब्लो) रु0 6,98,338.00 में दिया गया था। उपरोक्त कार्य हेतु ठेकेदार के प्रथम एवं अन्तिम बिल का भुगतान व्यय प्रमाणक सं0 805 दिनांक 9.11.20 रु0 6,53,400 सभी कटौतियों

उपरान्त किया गया था। अधिशासी अभियन्ता नगर निगम के कार्यालय पत्रांक–निर्माण/मीमो/2018–19 दिनांक 08.03.19 द्वारा ठैकेदार को सूचित किया गया था कि 03 दिन की अवधि में दिनांक 11.03.19 यथा आवश्यक स्टाम्प दे व एग्रीमेन्ट कराये उक्त अवधि में स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेन्ट नहीं कराते है तो नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। ठेकदार द्वारा 107 दिन विलम्ब से दिनांक 18.06.19 को नगर निगम से अनुबन्ध किया था। 107 दिनों की अनुबनध विलम्ब अवधि हेतु कोई अनुबनध विलम्ब दण्ड ठेकेदार के बिल से नहीं काटा गया था जलकल विभाग नगर निगम के अनुबन्ध विलम्ब दण्ड हेतु बनाये गये नियमानुसार 100 रु0 प्रतिदिन विलम्ब दण्ड के अनुसार 107×100=107000 रु0 ठेकेदार से वसूल करके नगर निगम निधि कोष में जमा कराया जाय। उक्त कार्य में निम्नलिखित अनियमितताएं प्रकाश में आयीं–

(1) कार्य की प्रारम्भिक तिथि 18.06.19 तथा कार्य समाप्ति तिथि 17.08.19 थी। माप पुस्तिका सं0 3869 के पृष्ठ सं0 6 के अनुसार कार्य दिनांक 03.03.20 को सामाप्त हुआ। इस प्रकार कार्य 199 दिवस विलम्ब से पूर्ण हुआ। अनुबन्ध की शर्त सं0 2 के अनुसार कार्य में देरी के लिए ठैकेदार पर कार्य की आगणन राशि पर 01 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड लिया जाना था किन्तु अर्थदण्ड की यह धनराशि आगणित धनराशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार 9,42,323 ×10 प्रतिशत विलम्ब दण्ड 94232.00 रु0 ठेकेदार से वसूल किया जाय।

(2) इस निर्माण कार्य में उपभोग किये खनिजों के सापेक्ष ठेकेदार द्वारा अभिवहन प्रपत्र 11(एम0एस0 11) प्रस्तुत नहीं किये गये थे और न ही निगम द्वारा ठेकेदार के बिल से रायल्टी की कटौती की गयी थी तथा उस पर लगायी गयी पेनाल्टी जो रायल्टी दर का पांच गुना होती है उसकी कटौती भी नहीं की गयी थी जिससे शासन को निम्न विवरणानुसार रु0 20,755.00 की क्षति हुई थी।

	मद	दर	धनराशि
1	38.64 फाईन सैंड	65.00	2512.00
2.	ग्रीट 14.90मी.^{3}	110.00	1639.00
			4151×5=20755

(3) बिल की धनराशि में 1 प्रतिशत लेबर सेस अतिरिक्त जोडने के पश्चात ही लेबर सेस की धनराशि की कटौती की गयी थी जबकि लेबर सेस से सम्बन्धित एक्ट में इसके पूर्व भुगतान उत्तरदायित्व ठेकेदार का था। वह भी ठेकेदार के बिल से कटौती कर किया जाना था।

बिल में रु0 6105.00 लेबर सेस के रूप में जोडे गये थे। जिनका भुगतान ठेकेदार को किया गया था अतः लेबर सेस की जोडी गयी धनराशि रु0 6105.00 का भुगतान अधिक/अनियमित था। इसकी वसूली सम्बन्धित/उत्तरदायी से करया जाना अपेक्षित है।

(4) कार्य में अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी आगणन धनराशि पर 10 प्रतिशत से अधिक ब्लो(न्यून) दर पर ठेकेदार द्वारा निविदा टेण्डर डाले जाने की स्थिति में 10 प्रतिशत ब्लो(न्यून) तक .50 प्रतिशित प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक ब्लो(न्यून) दर पर 01 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर पर ली गयी थी। इस प्रकार रु0 2,00,000.00 अतिरिक्त परफोमेन्स गारन्टी ली गयी थी।

शासनादेश स0–622/23–12–2012–2 आडिट/08 टी0सी0 दिनांक 08.06.12 के अनुसार अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी आगणन धनराशि पर 10 प्रतिशत अधिक ब्लो(न्यून) पर ठेकेदार द्वारा निविदा डाले जाने की स्थिति में 10 प्रतिशत से अधिक ब्लो(न्यून) पर 1 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी रु0 2,45,004.00 ली जानी थी।

इस प्रकार शासनादेश की गलत आख्या के कारण अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी रु0 45,004.00 कम ली गयी थी। रु0 45004.00 अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी कम लिये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाय।

26–मैसर्स प्रतीक इन्टरप्राइजेज से पुरानी टाईल्स के मूल्य की कटौती न किये जाने के कारण रु0 51080.00 का अधिक भुगतान :–

मैसर्स प्रतीक इन्टरप्राइजेज द्वारा वार्ड 93 कैला भट्टा व अमन कॉलोनी में तययब मस्जिद सेवाराम, सलमान से सुन्दर इलियास से दिलशाद व गौरिया मस्जिद वाली गली में नाली व सी0सी0 मरम्मत का कार्य किया गया था। उक्त कार्य में 912.03 वर्गमीटर पुरानी टाईल्स डिस्मेन्टलिंग का किया गया था। उपरोक्त में से 43.77 घनमीटर पुरानी टाईल्स को मलबे के रूप में फेंकना दर्शाया गया था जिससे स्पष्ट था कि अवशेष टाईल्स सही दशा में थी जिनके मूल्य की कटौती फर्म से की जानी चाहिये थी, जोकि नहीं की गयी थी। जिसके कारण सम्बन्धित फर्म को निम्नवत् अधिक भुगतान किया था जिसकी समबन्धित अभियन्ताओं से वापसी कराया जाना अपेक्षित है।

कुल डिस्मेन्टलिंग पुरानी टाईल्स	=912.03व0मी0×0.08=72.96 घनमीटर
मलबे के रूप में फेंकना	=43.77 घनमीटर
शेष सही टाईल्स की संख्या	=72.96–43.77=29.19 घनमीटर
	=29.19÷0.08=364.875 वर्ग मीटर
	=364.875×35=12770
कटौती योग्य मूल्य	=4 प्रति टाईल्स ×12,770=51080.00

27– लैब टैस्ट के अभाव में रु0 1,23,732.00 का अनियमित एवं आपत्तिजनक भुगतान एवं अन्य अनियमितताएं :–

नगर निधि पत्रावलियों की जांच से प्रकाश में आया कि कार्यादेश सं0 270/निर्माण/2019–20 दिनांक 30.10.19 के द्वारा वार्ड 62 गोविन्दपुरम में धामाशाह पार्क के अन्दर फुटपाथ का कार्य का आवंटन मै0 बी0डी0एस0 ग्रुप को आगणन राशि रु0 4,88,201.00 पर 11 प्रतिशत निम्न पंर (ब्लो) रु0 4,34,499.00 में दिया गया था। उपरोक्त कार्य हेतु ठेकेदार के प्रथ एवं अन्तिम बिला का भुगतान व्यय प्रमाणक सं0 763/227–20 रु0 3,99,900 रु0 सभी कटौतियों उपरान्त किया गया था। उपरोक्त कार्य की मद सं0 7 s/L 80mm thick rubermould inter locking tile etc हेतु 171.85 वर्गमी0 ×720 प्रति वर्ग मी0 की दर से रु0 1,23,732.00 भुगतान किया। पत्रावली में 80mm tiles का Compressive Strength लैब टैस्ट संलग्न नहीं था। बिना लैब टैस्ट के उपरोक्त कार्य हेतु किया गया भुगतान रु0 1,23,732 अनियमित एवं आपत्तिजनक था। लैब टैस्ट के अभाव में उपरोक्त कार्य हेतु रु0 123732 का भुगतान करने का आधार स्पष्ट किया जाय। अन्यथा स्थिति में रु0 123732 की ठेकेदार से वसुली करके नगर निगम निधि खाते में जमा करायी जाय। उक्त कार्य में निम्नलिखित अनियमितताएं प्रकाश में आयी–

(1)कार्य की प्रारम्भिक तिथि 30.10.19 तथा कार्य समाप्ति तिथि 29.11.19 थी। माप पुस्तिका सं0 9548 के पृष्ठ सं0 03 के अनुसार कार्य दिनांक 30.12.19 को समाप्त हुआ। इस प्रकार कार्य 31 दिवस विलम्ब से पूर्ण हुआ। अनुबनध की शर्त सं0 2 के अनुसार कार्य में देरी के लिए ठेकेदार पर कार्य की आगणन राशि पर 01 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड लिया जाना था किनतु अर्थदण्ड की यह धनराशि आगणित धनराशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार 488201 ×10% विलम्ब दण्ड =48,820.00 रु0 ठेकेदार से वसूल किया जाय।

(2) इस निर्माण कार्य में उपभोग किये खनिजों के सापेक्ष ठेकेदार द्वारा अभिवहन प्रपत्र 11(एम0एम0 11) प्रस्तुत नहीं किये गये थे और न ही निगम द्वारा ठेकेदार के बिल से रायल्टी की कटौती की गयी थी तथा

उस पर लगायी गयी पेनाल्टी जो रायल्टी दर का पांच गुना होती है उसकी कटौती भी नहीं की गयी थी जिससे शासन को निम्न विवरणानुसार रु0 18110.00की क्षति हुई थी।

मद	दर	धनराशि
27.80 फाइन सैंड	65	1807.00
16.50 ग्रीट	110	1815.00
		3622×5=18110.00

(3) बिल की धनराशि में 1 प्रतिशत लेबर सेस अतिरिक्त जोड़ने के पश्चात ही लेबर सेस की धनराशि की कटौती की गयी थी जबकि लेबर सेस से सम्बन्धित एक्ट में इसके पूर्व भुगतान का उत्तरदायित्व ठेकेदार का था। वह भी ठेकेदार के बिल से कटोती कर किया जाना था।

बिल में रु0 3736.00 लेबर सेस के रूप में जोड़े गये थे जिनका भुगतान ठेकेदार को किया गया था। अतः लेबर सेस की जोडी गयी धनराशि रु0 3736.00 का भुगतान अधिक/अनियमित था। इसकी वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी से कराया जाना अपेक्षित है।

(4) कार्य में अतिरिक्त परफोर्मेन्स गारन्ट आगणन धनराशि पर 10 प्रतिशत से अधिक ब्लो(न्यून) दर पर ठेकेदार द्वारा निविदा/टेण्डर डाले जाने की स्थिति में 10 प्रतिशत ब्लो(न्यून) तक .50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक ब्लो(न्यून) दर पर 01 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर पर ली गयी थी। इस प्रकार रु0 20,000.00 अतिरिक्त परफोर्मेन्स गारन्टी ली गयी थी।

शासनादेश स0-622/23-12-2012-2 आडिट/08 टी0सी0 दिनांक 08.06.12 के अनुसार अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी आगणन धनराशि पर 10 प्रतिशत अधिक ब्लो(न्यून) पर ठेकेदार द्वारा निविदा डाले जाने की स्थिति में 10 प्रतिशत से अधिक ब्लो(न्यून) पर 1 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी रु0 53,702.00 ली जानी थी।

इस प्रकार शासनादेश की गलत आख्या के कारण अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी रु0 33,702.00 कम ली गयी थी। रु0 33,702.00 अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी कम लिये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाय।

28– अनावश्यक मद के रूप में ठेकेदार को अधिक भुगतान रु0 80,185.00 :–

पत्रावली की सम्परीक्षा से प्रकाश में आया कि अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत विजयनगर जोन अनतर्गत वार्ड 23 कैलाशनगर में 250/300 एम0एम0 व्यास की 1450 मीटर आर0सी0सी0 सीवर लाइन डालने का कार्य का ठेका प्र0 अधिशासी अभियन्ता (जल) के कार्यादेश 19/जलकल/20–21 दिनांक 18.06.20 द्वारा मैसर्स राकेश सिंह नर्सरी किया गया था। उपरोक्त कार्य की मापपुस्तिका के पृष्ठ सं0 13 के क्रम सं0 20 के अनुसार Removing & refilling of ordinary soil मात्रा 2110.14 मी^{3} दर 38 रु0 80185.00 कार्य कराया गया था जबकि अन्य दो कार्यों वसुन्धरा जोन अन्तर्गत वार्ड 76 वैशाली सै0 2ई में 300 एम0एम0 ब्यास की 1252 मी0 आर0सी0 सीवर लाईन डालने का कार्य व सिटी जोन अनतर्गत वार्ड 93 में 300 एम0एम0 ब्यास की 450 मी सीवर लाइन डालने का कार्य में उक्त Removing & refilling of ordinary soil कार्य नहीं कराया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से Removing & refilling of ordinary soil कार्य हेतु रु0 80185.00 भुगतान ठेकेदार को अधिक किया गया था। Removing & refilling of ordinary soil को कराने का औचित्य स्पष्ट किया जाय अन्यथा स्थिति में रु0 80185 की वसूली ठेकेदार से किया जाना अपेक्षित है।

29–एम0बी0 की त्रुटिपूर्ण गणना से ठेकेदार को रु0 24,413.00 का अधिक भुगतान किया जाना :–

नगर निगम निधि पत्रावलियों की सम्परीक्षा में जांच में प्रकाश में आया कि कार्यालय आदेश सं0 0263/निर्माण/2019–20 दिनांक 23.10.19 द्वारा ''वार्ड 38 अर्थला में पांचाल से राजेन्द्र के मकान तक पप्पू यादव के मकान से आशीष के मकान तक, धर्मवती वाली गली, डॉ महावीर वाली गली, राजेन्द्र के मकान

वाली, संजीव कुमार के मकान के सामने सुभाष के मकान के सामने एवं रजनीश वाली गलियों में नाली व इन्टरलाकिंग टाईल्स का कार्य का ठेका मैसर्स कॉटेक बिल्डर्स को दिया गया था। उपरोक्त कार्य हेतु ठेकेदार के प्रथम एवं अन्तिम बिल का भुगतान व्यय प्रमाणक सं0 166/14–12–20 रु0 1894600 किया गया था। एम0बी0 की त्रुटिपूर्ण गणना के कारण निम्न विवरणानुसार ठेकदार को रु0 24413.00 का अधिक भुगतान किया गया था। इसकी वसूली ठेकेदार अथवा उत्तरदायी से कराकर नगर निगम निधि में जमा करायी जाय।

क0	मद	एम0बी0 में गणना	सही गणना	अन्तर	दर	अधिक भुगतान
1	Earth work in filling in ordinary soil	699.87	687.72 cum	12.15	229	2782.35
2	Providing and laying of dry brick ballast 6:12	109.13	106.97 sqm	2.16	1020.80	2204.93
3	supply and laying of m 30 grade 80mm thick Rubber moulded coloured interlocking tiles	1426.84	1399.86 sqm	26.98	720	19426
						24413.00

30– स्वीकृत कार्य के सापेक्ष कम कार्य कराया जाना अनियमित भुगतान रु0 5,61,800.00 एवं अन्य अनियमितताएं एवं रु0 16,796.00 का अधिक भुगतान :–

निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जांच में प्रकाश में आया कि वार्ड 09 पटेल नगर द्वितीय बी–ब्लाक में निकुंज कुमार के मकान से एस0एन0 पब्लिक स्कूल तक इण्टरलाकिंग कार्य का आगणन रु0 7,86,000.00 का तैयार किया गया था। उक्त आगणन में कार्य लम्बाई 72 मीटर थी एवं कुल मदें 12 थी। उक्त कार्य हेतु मात्र 02 निविदायें प्राप्त हुयी जिनमें न्यून के आधार पर यह कार्य मै0 प्रमोद कुमार सिंघल को 23.76% न्यून पर रु0 5,99,246.00 कार्यादेश पत्रांक–381/निर्माण/2018–19 दिनांक 12.06.2019 द्वारा स्वीकृत किया गया था।

कार्य की माप पुस्तिका सं0 6229 की जांच में पाया गया कि उक्त इण्टरलाकिंग कार्य 72 मीटर के सापेक्ष 64 मीटर तक ही कार्य कराया गया था। चूंकि कार्य 23.76% न्यून पर स्वीकृत था इसलिये सम्बन्धित फर्म को लाभ पहुंचाने एवं स्वीकृत धनराशि की सीमान्तर्गत ही कार्य कराये जाने के कारण उक्त रोड का निर्माण कम कराया गया था जिससे स्थानीय नागरिकों को कार्य का सम्पूर्ण लाभ न प्राप्त हो सका। उक्त के अतिरिक्त कार्य में निम्नांकित अनियमिततायें प्रकाश में आयीं–

(1) स्वीकृत मदों के सापेक्ष निम्नांकित कार्य नहीं कराये गये थे जिसके कारण कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होना सुनिश्चित था–

(i) आर0सी0सी0 स्लेब	15400.00
(ii) सप्लाई/लेयिंग एम0एस0 बारस	8792.00
योग	24192.00

(2) पुरानी आर0सी0सी0 डिस्मेंटलिंग का कार्य 72×0.60×0.30=12.96 घन मीटर के स्थान पर 64× 0.70 × 0.30=13.44घन मीटर दर्शाया गया था जिससे उक्त मद एवं मलबा ढुलाई में निम्नवत् अधिक भुगतान किया गया–

देय– 64× 0.60 × 0.30=11.52 घनमीटर (डिस्मेंटलिंग)

अधिक– 13.44–11.52 =1.92 घनमीटर ×दर रु0 800 =1536.00

मलबा ढुलाई =1.92×217 =417

योग 19553

(3) स्टोन ब्लास्ट की आपूर्ति व कन्सोलिडेशन 64 मीटर रोड पर निम्नवत् देय था–

64×8.50×0.08 =43.52 घनमीटर × 2048 = 891129.00

अधिक भुगतान 50.68–43.52=7.16 घन मीटर ×2048 =14664.00

कन्सोलिडेशन का अधिक भुगतान = 7.16 घ0मी0 ×25 =179

कुल अधिक भुगतान रु0 14664+179 =14843.00

(+) 1953.00

16796.00

31– पुरानी टाईल्स के मूल्य की कटौती न किये जाने के कारण रु0 67,228 का अधिक भुगतान :–

मैसर्स मार्डन इन्जी0 एसोसिएट द्वारा वार्ड 18, रजापुर में विनोद, पीर वाली गली व जयपाल के मकान के पास नाली व इन्टरलाकिंग कार्य की पत्रावली की जांच में प्रकश में आया कि उक्त कार्य के आगणन में 522.20 वर्ग मीटर नयी टाईल्स लगाना एवं 52.20 घनमीटर पुरानी टाईल्स डिस्मेन्टलिंग व 4.18 घनमीटर पुरानी टाईल्स मलबे के रूप में फेंकने का प्राविधान किया गया था जो कि पत्रावली में संलग्न फोटो से भी स्पष्ट था जबकि माप पुस्तिका संख्या 3869 में उपरोक्त पुरानी टाईल्स के कार्य को बिल्कुल विलोपित कर दिया गया था जिसके कारण निम्नवत् फर्म को लाभ पहुंचा कर नगर निगम को आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी थी।

पुरानी टाईल्स =52.20–4.18 =48.02 घनमी0 अथवा 480.20 वर्ग मीटर

=480.20×35 प्रति वर्ग मीटर =16.807×4= पुरानी टाईल्स का मूल्य प्रति नग

=67,228 कुल क्षति।

32– आठ नग मैन हाल फ्रेम व कवर के स्थान पर 04 नग मैन हाल फ्रेम व कवर का क्षेत्रफल घटाये जाने के कारण रु0 13,505.00 का अधिक भुगतान :–

वार्ड 95 में दुधेश्वरनाथ मन्दिर से जल चढाकर कांवडियों के निकासी रास्ते में सी0सी0 व नाली मैनहाल मरम्मत आदि कार्य मैसर्स महिमा कन्संट्रक्शन द्वारा किया गया था। कार्य की माप पुस्तिका संख्या 9730 की जांच में पाया गया कि आईटम संख्या 05 पर 08 नग मैनहाल फ्रेम व कवर हेतु रु0 1489.00 प्रति की दर भुगतान किया गया था। इससे स्पष्ट है कि कार्य क्षेत्र में 08 मैनहाल स्थित थे। किन्तु निम्नांकित मदों में केवल 04 नगर मैनहाल का क्षेत्रफल घटाया गया था जबकि 08 नगर मैन हाल का क्षेत्रफल घटाया जाना चाहिये था। कम क्षेत्रफल (4 नग×3.14×0.30×0.30=1.13 घन मीटर) घटाये जाने के कारण निम्नवत् अधिक भुगतान किया गया था–

क0	मद	दर×क्षेत्रफल	अधिक भुगतान
1	पुरानी सी0सी0 डिस्मेन्टलिंग	600×1.13 घ0मी0	678
2	40 एम0एम0 ब्रिक ब्लास्ट	2850×1.13 घ0मी0	3221
3	पी0सी0सी0 1:2:4	6100×1.13 घ0मी0	6893
4	80 एम0एम0 रबड़ मोल्डिंग टाईल्स	720×3.768 व0मी0	2713
		योग	13505.00

33– पुरानी इन्टरलाकिंग टाईल्स की कटौती न किये जाने के कारण रु0 62,502.00 का अधिक भुगतान :–

वार्ड 22 दौलतपुरा में लक्ष्मण पेशगार वाली गली में नाली व इन्टरलाकिंग टाईल्स कार्य की पत्रावली की जांच में पाया गया कि कार्य के आगणन में पुरानी टाईल्स डिस्मेन्टलिंग का कार्य 465.50 वर्ग मीटर एवं नायी टाईल्स का कार्य भी 465.50 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में दर्शाया गया था। इसके सापेक्ष माप पुस्तिका में पुरानी टाईल्स डिस्मेन्टलिंग का कार्य 35.52 वर्ग मीटर एवं नयी टाईल्स लगाने का कार्य 434.13 वर्ग मीटर दर्शाया गया था। पत्रवली में कार्य के पूर्व स्थल के फोटो संलग्न नहीं किये गये थे जिससे कृत कार्य की स्थिति संदिग्ध थी साथ ही पुरानी टाईल्स की कटौती निम्नवत् कम किये जाने के कारण सम्बन्धित फर्म को लाभ पहुंचाकर नगर निगम को आर्थिक क्षति पंहुचायी गयी थी। इस सम्बन्ध में अभिलेखों द्वारा स्थिति स्पष्ट करायी जाय अन्यथा की स्थिति में अधिक भुगतान की उत्तरदायी से वसूली किया जाना अपेक्षित है।

नयी टाईल्स =434.13 वर्ग मीटर (मैसर्स कुंवर ट्रेडर्स)

(–) पुरानी टाईल्स=35.52 वर्ग मीटर (जो कटौती की गयी थी)

पुरानी टाईल्स जिनकी =398.61 वर्ग मीटर ×35 टाईल्स =13951.35 टाईल्स कटौती नहीं की गयी।

कटौती योग्य धनराशि =13951.35×04 प्रति टाईल्स =55,805.00

(+)12%जी0एस0टी0=6697.00

कुल क्षति =62,502.00

34– पुरानी टाईल्स की कटौती कम दर से किये जाने के कारण रु0 4,386.00 का अधिक भुगतान :–

निर्माण कार्यो की पत्रावलियों की जांच में प्रकाश में आया कि डिस्मेन्टलिंग से प्राप्त पुरानी टाईल्स का अधिकांश पत्रावलियों में रु0 4 प्रति टाईल्स की दर से सम्बनिधत फर्मों से कटौतियां की गयी थी किन्तु निम्नाकिंत कार्यों में इन पुरानी टाईल्स की कटौती फर्म से रु0 3 प्रति टाईल्स की दर से की गयी थी। उपरोक्त अन्तर का कोई आधार पत्रावलियों में नहीं दिया गया था। अतः कम दरों से कटौती का औचित्य अभिलेखों से स्पष्ट कराया जाय अन्यथा की स्थिति में सम्बनिधत से वसूली कर नगर निगम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है–

क0	फर्म का नाम	कार्य का विवरण	टाईल्स की संख्या ×दर	अधिक भुगतान
1	मै0 एस0एन0 ट्रेडर्स	वार्ड 88 किराना मण्डी में दिनेश शर्मा की सामने गली में नाली व इन्टरलाकिंग	1586×01	1586
2	मै0 मार्डन इन्जी0 एसोसिएट	वार्ड 17 सेवा नगर में हिण्डन विहार में रोश से महेन्द्र ट्रान्सपोर्ट तक नाली व	1000×01	1000

		इन्टर0।		
3	मै0 कृष्ण इन्टरप्राइजेज	वार्ड 69 लोहिया गनर में सी ब्लाक, सोनी आटोसर्विस एवं रूप चन्द के मकान तक सड़क सुधार	1800×01	1800
			योग	4,386.00

35– मैनहाल फ्रेम व कवर 10 नग के स्थान पर 20 नग का भुगतान किये जाने के कारण रु0 16,967.00 का अधिक भुगतान :–

वार्ड 22 दौलतपुरा में लक्ष्मन वाली गली, किशोर वाली, इन्द्रजी वाली गली समय सिंह वाली, होराम वाली गली, दिनेश पंडित वाली गली व अन्य छोटी गलियों में सी0सी0 नाली व टाईल्स का कार्य मैसर्स कुवंर ट्रेडर्स द्वारा किया गया था। कार्य की माप पुस्तिका की जांच में पाया गया कि कार्य की आईटम संख्या 3 (40 एम0एम0 ब्रिक ब्लास्ट 1:6:12) व संख्या 7 (पी0सी0सी इन 1:2:4) के कार्य में s/f मैन हाल फ्रेम व कवर 10 नग (10 ×3.14×0.30×0.08=0.22 घनमीटर क्षेत्रफल) घटाया गया था। उक्त से स्पष्ट था कि कार्य में 10 नग ही मैन हाल फ्रेम व कवर की आपूर्ति की गयी थी, जबकि कार्य की मद संख्या 5 के द्वारा कुल 20 नग मैन हाल व कवर का रु0 1489.00 की दर से रु0 29780.00 का भुगतान किया गया था। जबकि कार्य में मात्र 10 नग मैनहाल कवर व फ्रेम का क्षेत्रफल ही घटाया गया था। इस प्रकार 10 नग के स्थान पर 20 नग का भुगतान किये जाने के कारण रु0 14,890 का अधिक भुगतान किया गया था। इसकी वापसी सम्बन्धित /उत्तरदायी से करायी जानी अपेक्षित है।

(2) पुरानी टाईल्स उखाडने व नयी टाईल्स लगाने में इन 10 मैनहाल फ्रेम व कवर का स्थान नहीं घटाया गया था जिसके कारण निम्नवत् अधिक भुगतान किया गया था–

मैनहाल फ्रेम व कवर का क्षेत्रफल =10×3.14×0.30×0.30=2.826 वर्गमीटर

पुरानी टाईलस उखाडने में अधिक भुगतान=2.826 व0मी0×15= 40.00रु0

नयी टाईल्स लगाने में अधिक भुगतान =2.826 व0मी0×720= रु0 2035.00

कुल अधिक भुगतान रु0 14890+42+2035=16,967.00

माप पुस्तिका की छायाप्रति संलग्न परिशिष्ट–'25' पर दी गयी है।

36– निर्माण कार्य पत्रावलियों में डी0 पी0 आर0 डिजाइन एवं ड्राईंग्स बनाये जाने हेतु अनियमित एवं आपत्ति जनक भुगतान रू0 20,000:–

नगर निगम की आलोच्य अवधि की निर्माण कार्य की पत्रावलियों की जांच में प्रकाश में आया की निम्नांकित विवरणानुसार निर्माण कार्य पत्रावलियों में ठेकेदार के बिलों में डी0 पी0 आर0 डिजाइन एंव डाइंग्स तैयार कराये जाने हेतु रूपये 10000 प्रति कार्यो। पत्रावली की धनराशि सम्मिलित की गयी थी। जबकि डी0 पी0 आर0 डिजाइन एवं डाइन्स तैयार किये जाने का दायित्व नगर निगम के इंजीनियरिंग अनुभाग का था। उक्त के सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि डी0 पी0 आर0 डिजाइन एवं डाइन्स तैयार किया जाने का कार्य आगणन एवं निविदा आमनत्रण किये जाने के पूर्व किया जाना चाहिए था उक्त मद हेतु धनराशि आगणन एवं ठेकेदार के बिलों में सम्मिलित किये जाने का क्या औचित्य था। यदि उक्त कार्य ठेकेदार द्वारा किया गया था तो यह गम्भीर रूप से आपतिजनक था इस सम्बन्ध मे यदि कोई सक्षम आदेश/शासनादेश हो तो सम्परीक्षा में दिखाया जाय अन्यथा स्थिति में संलग्न विवरणानुसार रूपये 20,000.

00 के किये गये अनियमित भुगतान की प्रतिपूर्ति उत्तरदायी से करये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि निर्माण की कुछ पत्रावलियें में आगणन में उक्त मद हेतु धनराशि सम्मिलिय की गयी थी किन्तु ठेकेदार के बिल में उक्त मद सम्मिलित नहीं थी। आगणन में उक्त मद को सम्मिलित किये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाय।

कुछ निर्माण पत्रावलियों में आगणन एवं ठेकेदार के बिल में उक्त मद हेतु द्यनराशि सम्मिलित की गयी थी किन्तु लेखा अनुभाग द्वारा उक्त मद की धनराशि की कटौती बिल से कर दी गयी थी। उपरोक्त से भी स्पष्ट है कि डी0 पी0 आर0, डिजाइन एवं डाइन्गस हेतु किया गया रू 20,000.00 का भुगतान अनियमित है। जिसकी प्रतिपूति उतरदायी से कराया जाना अपेक्षित है। विवरण परिशिष्ट '16'पर दिया गया है।

<u>37—वाटर एलाउन्स का अधिक अनियमित भुगतान रू 8197 :—</u>

निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जांच मे प्रकाश में नगर निगम अभियन्ताओं द्वारा फर्मों के रू 25 प्रति द्यनमीटर की दर से वाटर एलाउन्स का भुगतान किया गया थां। उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग के शिडयूल ऑफ रेटस के कमांक —20.04 आईटम नम्बर 757 (ए) के अनुसार उपरोक्त वाटर एलाउन्स वर्ष में 15 नवम्बर से 31 मई तक के मघ्य कार्य होने पर ही देय था। किन्तु निम्नाकिंत प्रकरणों में सम्बन्धित अभियन्ताओं द्वारा नियमों का उल्लघंन कर उपरोक्त अवधि मे कार्य न किये जाने के बावजूद भी फर्मो को वाटर एलाउन्स का भुगतान कर नगर निगम को आथिक क्षति पहुंचायी गयी थी। इसकी सम्बन्धित से वसूली कर नगर निगम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है

क0	फर्म का नाम	कार्य का विवरण	माप पुस्तिका की दिनांक	अधिक भुगतान(रू0)
1	मै0 कुवंर टेडर्स	वार्ड 22 दौलतपुरा में लक्षमण पेशगार वाली गली में नाली व इन्टरलाकिंग	15—09—2019	868=25
2	मार्डन इन्जी0 एसो0	वार्ड 53 संजय नगर में राजेन्द्र से ईश्वर व पार्षद के मकान से जयसिंह प्राइमरी से सतीश के मकान तक इन्टरलाकिंग।	09—06—2019	3,689=75
3	विनोद कुमार कान्टैक्टर्स	— वार्ड 24 पाडंव नगर मद्युरिमा फैक्टी से न्यू एरा कॉलेज गेट नं0—3 में आर0 सी0 सी0 नाली व इन्टरलाकिंग।	30—08—2019	3,170=50
4	ए0 एस0 कसं0	वार्ड 84 राजनगर में सडको पर पेंच कार्य	29—08—2019	468=75
			योग	8197=25

<u>38—खुदाई से प्राप्त मिटटी की मात्रा से अधिक मात्रा का मलबा, ढुलाई का भुगतान किये जाने के कारण रू 361 का अधिक भुगतान</u> —

वार्ड — 69 लोहिया नगर में बी — 175 05 से बी 24 तक, सोनी आटो सर्विस बी 175 06 के पीछे तथा बी 207 से कप चन्द के मकान तक सडक सुधार का कार्य मैसर्स कृष्णा इन्टरप्राइजेज द्वारा

किया गया था। उक्त कार्य की माप पुस्तिका सं0–10765 के पृष्ठ 9 पर आईटम नं0 07 पर अर्थ कटिंग की मात्रा 49.50 दर्शाकर रू 95 प्रतिघनमीटर की दर से भुगतान किया गया था जबकि आईटम नं0–12 पर उपरोक्त मिटटी सहित मलबा डिस्पोजल का भुगतान निम्नवत किया गया था–

1	डिस्मेन्टलिगं ऑफ आर0 सी0 सी0	59.32 घनमीटर
2	अर्थ कटिंग से प्राप्त मिटटी	51.58 घनमीटर
	योग	110.90 घनमीटर रू 173.70–रू 19,263–33

मिटटी खदाई हेतु जब 49.50 घनमीटर का भुगतान किया गया था ढुलाई में 51.58 घनमीटर मिटटी का भुगतान किसी भी प्रकार से सम्भव नही था। उक्त मात्र को अधिक दर्शाकर निम्नवत अधिक भुगतान किया गया था। इसकी वसूली उतरदायी से कराकर निगम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

अधिक घनमीटर 51.58 = 49.50 = 2.08 घनमीटर 173.70

रू 361.29 अथवा रू 361

39– नगर निगम द्वारा आलोच्य अवधि में करये गये निर्माण कार्यो में पायी गयी विविध अनियमिततायेः–

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में नगर निगम द्वारा कराये गये निर्माण कार्यो से सम्बन्धित जॉच हेमु प्रस्तुत की गयी पत्रावलियो की सम्पक्षिा के समय प्रकाश में आया कि नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली सडको हेतु सडक रजिस्टर नही बनाया गया था जिसके अभाव में यह सुनिश्चित नही किया गया कि नगर निगम के कार्यक्षेत्र में कौन – कौन सी सडके है। तथा जिन सडको का निर्माण , सुधार कराया जा रहा है वे नगर निगम कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत है अथवा नही निगम द्वारा आगणन पंजिका एवं तकनीकि स्वीकृत पंजिका का अनुरक्षण नही किया गया था जिससे यह सुनिश्चित न हो सका कि सडक पूर्व में कब बनी थी तथा किस विभाग द्वारा बनायी गयी थी सडक किस स्तर की थी एवं सडक पर कार्य कराये जाने की आवश्यकता थी अथवा नही । विभिन्न पत्रावलियों की जॉच से प्रकाश में आया कि एस्टीमेटस में रिपोर्ट, एनालिसिस आफ रेटस, डिटेल आफ मेजरमेंट , सर्वे रिपोर्ट तथा सामग्री एवं विटुमिन के उपभोग से सम्बन्धित विवरण नहीं लगाये गये थे। पत्रावलिो में देखा गया कि समाग्री की जॉच प्रावेट लेबोरेटरी में करायी गयी थी जबकि नियमानुसार लोक निर्माण विभाग द्वारा सीपित लेबोरेटरी में करायी जानी चाहिए थी।

2– मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–1408 23–3–07–62 जनरल 08 टी0 सी0 दिनांक 08–05–2009 द्वारा निर्देशो के तहत यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए था कि ठेकेदार द्वारा सडक निर्माण कार्य में विटुमिन रिफाइनरी से प्राप्त की गयी है किन्तु इस सम्बन्ध में किसी भी पत्रावली में नगर निगम द्वारा रिफाइनरी को भेजे गये कार्यादेश संलग्न नही थे। नगर निगम द्वारा अधिकांश कार्यो की पत्रावलियो में विटुमिन क्रय से सम्बन्धित विवरण अंकित नही किये गये थे और कोई कार्य कराये गये थे जिससे स्पष्ट था कि निगम द्वारा उक्त शासनादेश का अनुपालन नही किया गया था।

3– निर्माण कार्य पत्रापलियों की जॉच में देखा गया कि द्वितीय/ अन्तिम बिल पर पूर्व में किये गये कार्य की भाग का उल्लेख नही किया जाता था जिससे यज सुनिश्चित नही हो पाता था कि बिल में किस मद कितनी मात्रा का भुगतान इस बिल से किया गया था/ निर्माण कार्य के द्वितीय/अन्तिम बिल में पूर्व के बिलो में कराये गये कार्य की भाग का उल्लेख किया जाय/

4– निर्माण कार्यो से सम्बन्धित माप पुस्तिका की सम्परीक्षा में पाया गया कि माप पुस्तिका में भुगतान के उपरान्त लाल स्याही से कास करे भुगतान व ब्यय प्रमाणाक संख्या एवं दिनांक अंकित नही

किया जात था/ इसका अनुपालन एुनिश्चित किया जाय/अन्यथा स्थिति में दोहरे भुगतान की प्रबल सम्भावना से इनकार नही किया जा सकता था/

5– नगर निगम द्वारा जमानत पंजी अनुरक्षित नही की गयी थी इसके अभाव में जमानत वापसी का सत्यापन किया जाना सम्भव नही था/ जमानत पंज अनुरक्षित करके प्रत्येक कार्य हेतु ली गयी जमानत धनराशि की प्रविष्टि करके सक्षम अधिकारी से सत्यापनोपरान्त सम्परीक्षा में आगामी अवसर पर प्रस्तुत कर तत्सम्बन्धी आवश्यक जॉच करायी जाय/

6– निर्माण कार्य पत्रावलियों की सम्परीक्षा के समय प्रकाश में आया कि अधिकांश कार्यों में कार्य पूर्ण होने के पश्चात ही इन्टरलाकिन्ग टाइल्स /सामाग्रियों की टेस्टिन्ग रिपोर्ट करायी जाती थी जबकि सामाग्रियों की टेसटिंगरिपोर्ट र्िये प्रारम्भ/ सामाग्री के प्रयोग करने के पूर्व करयी जानी चाहिए थी/

7– निर्माण कार्यों की पत्रावलियो की सम्परीक्षा के समय प्रकाश में आया कि अधिकांश कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नही किये जा रहे थे जबकि नगर निगम द्वारा मात्र कुछ कार्यों में नाममात्र के विलम्ब शुल्क आरोपित कर कटौती/वसूली की जाती नियमानुसार विलम्ब शुल्क की वसूली की जाय एवं समय वृद्वि के अनुमोदन/स्वीकृति की कार्यवधि किया जाना अपेक्षित है।

8– उ0 प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण फर्मकार कल्याण बोर्ड में कार्य एवं श्रमिको का पंजीकरण प्रपत्र पत्रावलियों में संलग्न नही थे इस सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवधि किया जाना अपेक्षित है।

9– निर्माण कार्य पत्रावलियो में रायल्टी से सम्बन्धित एम0 एम0 –11 प्रपत्र संलग्न नही किये गये थे जिससे तत्सम्बन्धी आवश्यक जॉच नही की जा सकी अतएव उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवधि किया जाना अपेक्षित है।

10– प्रमुख सचिव उ0 प्र0 शासन नगर विकास अनुभाग 5 के शासनादेश संख्या 24 वी0 आई0 पी0 1 नौ –5–2017–120बजट/2013 दिनांक 24–8–2017 के निर्देशनुसार योजनान्तर्गत निर्मित किये जाने वाली सडक का निर्माण होने के पश्चात 5 वर्ष तक अनुरक्षण/ रख रखाव की जिम्मेदारी/ सम्बन्धित कान्टैक्टर/ ठेकेदार की होगी।

अतएव उपरोक्त कमियो को दूर किये जाने हेतु नगर निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकष्ट किया जाता है।

40– अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत पूर्व टेण्डर के आधार पर पुनः कय किया जाना अनियमित एवं भूमि के अभाव में कूडा टांसफर शैडों (आधुनिक कूडा घर) का निर्माण न होने के कारण कय वाहनों के निष्प्रयोज्य/खडे रहने से अनुदान धनराशि रू 7,65,56,880.00 का अपव्यय एवं अन्य अनियमिततायें:–

सम्परीक्षा में प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत स्वच्छ भारत मिशन हेतु दिनांक 17.07.2017 को मण्डलायुक्त की अध्यक्षता मे समिति द्वारा 05 स्थानों पर टांसफर स्टेशनों के निर्माण हेतु रू 12.50 करोड की धनराशि आरक्षित की गयी थी। इस हेतु हाइटेक छलाव द्यर हेतु 10.50 सी0यू0मी0 के पोर्टेबल काम्पेक्टर, हुक लोडर की आपूर्ति एवं स्थापना तथा 01 वर्ष के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु टाईम्स ऑफ इण्डिया एवं दैनिक जागरण में सूचना प्रकाशित कर निविदायें आमन्त्रित की गयी जिसके कम में मात्र दो निविदायें प्राप्त हुयी। निविदा शर्तनुसार निविदादाता द्वारा किसी भी सरकारी विभाग में पिछले 07 वर्षो में कम से कम 02 विभिन्न शहरों में उपरोक्त उपकरणों के आपूर्ति एवं अनुभव की अर्हता एक फर्म ही पूर्ण कर रही थी। इस आद्यार पर टेण्डर निरस्त पुनः निविदा प्राप्त की जानी चाहिये थी, किन्तु निगम अधिकारियों द्वारा निविदायें निरस्त न कर दोनो फर्मो को योग्य मानते हुए वित्तीय निविदायें खोल दी गयीं। जिसमे न्यून दरें मै0 टी0 पी0 एस0 इन्फ्रास्टक्चर लि0 ग्रेटर कैलाश दितीय, नई दिल्ली की निम्नवत थी

क्र0	आईटम	दर×मात्रा	कुल धनराशि
1	10.5 क्यू0 मी0 गारबेज पोर्टेबल कामपेक्टर फॉर ढलाव एलोगं विद बिन कार्ट मैकनिज्म ।	16,52,000×03	49,56,000
2	लोडर फॉर 10.5 क्यू0 मी0 पोर्टेबल काम्पेक्टर सूटेबल आन मांउटेड ऑन 16 टन, जी0 वी0 डबलू0, बी0एस0–IV ट्रक चैसेस।	19,64,800×01	19,64,800
3	16 टन जी0 वी0 डबलू0, बी0एस0–ट्रक चैसेस एलोन विद स्लीपर फिटेड केबिन एण्ड पी0टी0ओ0, मेक महिन्द्रा /टाटा अशोक और समकक्ष।	17,92,000×01	17,92,000
		योग	87,12,800
4	संचालन एवं अनुरक्षण 01 वर्ष हेतु		50,97,000

निगम कार्यालय के पत्रांक–466/जलकल व्यवस्था/2017–18 दिनांक 20.12.2017 द्वारा नेगोसिएशन करने पर सम्बन्धित फर्म द्वारा अपनी दरें निम्नवत् दी गयी–

क्रमांक (1) आईटम की दर रू = 16,22500×3 = 48,67,500

क्रमांक (2) आईटम की दर रू = 19,25,120×1= 19,25,120

क्रमांक (3) आईटम की दर रू = 17,15,200×1= 17,15,200

योग = रू 85,07,820

(4) संचालन व अनुरक्षण 1 वर्ष हेतु = 48,60,000

उक्त के कम मे फर्म को कार्यादेश – 2866/स्वा0/स्टोर/18–19 दिनांक 05–04–2018 जारी कर रू 85,07,820 का कय कर आयकर एवं लेबर सैस की कटौती कर माह जुलाई 2018 एवं दिसम्बर, 2018 मे फर्म को पूर्ण भुगतान कर दिया गया। पत्रावली नोट सीट – 15 के अनुसार उक्त फर्म द्वारा डी0 एल0 एफ0 कालोनी मोहन नगर मे एक ट्रांसफर स्टेशन की सीपना की गई थी जो कि संतोषजनक रूप से कार्य कर रहा था। इस कार्य हेतु रू 5,00,000 की घरोहर राशि जमा की गयी थी। उक्त के पश्चात दिनांक 31–10–2017 की निविदा के आघार पर ही 9 अन्य सीलों रा ट्रांसफर स्टेशन सीापित कराये जाने हेतु निम्नवत प्रस्ताव किया गया–:

1– 10.50 cum पोर्टेबल काम्पेक्टर मय बिन कार्ट –27 नग ×16,22,000 = 4,37,94,000

2– उपरोक्त पोर्टेबल काम्पेक्टर हेतु हुक लोडर का फेब्रिकेशन – 9 नग × 1925120 = 17326080

3– 16 टन चेसिस बी0 एस0 – 4 मोडल की आपूर्ति मय पी0 टी0 ओ0 पावर – 9 नग × 1715200=15436800

योग = 7,65,56,880

जिसके कम में फर्म द्वारा पोर्टेबल काम्पेक्टर की क्षमता में वृद्वि कर 10.50 Cum के स्थान पर 12.50 Cum करने एवं डिटेचबल बिन कोर्ट के स्थान पर पोर्टेबल काम्पेक्टर के साथ अटेचड बिन – कोर्ट उपलबघ कराने हेतु सहमति दी गयी। उक्त के कम मे प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम गाजियाबाद द्वारा आपूर्ति आदेश पत्रांक – 918/।/ स्टोर 2018–19 दिनांक 18–02–2019 जारी कर दिया गया। उक्त के कम मे आपूर्ति के सापेक्ष आयकर एवं लेबर सेस की कटौती कर फर्म को भुगतान कर दिया गया था। उक्त आपूर्ति रू 7,65,56,880 की प्राप्त की गयी थी।

पत्रावली में संलग्न विवरण (छाया प्रति संलग्न) के अनुसार 10 कूडा ट्रांसफर शैड निर्माण के सापेक्ष 06 स्थलो हेतु भूमि ही उपलब्ध नही थी एवं 02 स्थलो पर 90 प्रतिशत कार्य किया गया था एवं 01 स्थल पर मात्र 10 प्रतिशत कार्य होना दर्शाया गया था। मात्र एक स्थल पूर्ण था जिस पर पूर्व मे कय मशीनरी कार्यरत दर्शायी गयी थी। इस प्रकार उर्पयुक्त 09 कूडा ट्रासफर शैड हेतु मशीनरी जिस पर रू 7,65,56,880 का भारी भरकम व्यय किया गया था। निम्नवत निष्प्रयोज्य खडी थी–

क0	वाहन/मशीनरी विवरण	नग	खड़े करने का स्थल
1	पोर्टेबल काम्पेटर	19	स्वास्थ्य स्टोर सिहानी गैराज
2	—"—	08	मोहन नगर गैराज
3	हुक लोडर	04	सिहानी गैराज
4	—"—	05	गोविन्द पुरम पानी की टंकी कम्पाउण्ड

उपरोक्त आपूर्ति निगम को मार्च, 2019 मे प्राप्त हो गयी थी। उपरोक्त वाहनों / मशीनरी के निष्प्रयोज्य रहने से इनकी कार्य क्षमता एवं गुणवता भी प्रभावित होना सुनिश्चित था। निगम के पास कूडा ट्रांसफर शैड हेतु भूमि उपलब्ध ही न होने के उक्त कय बिना आवश्यकता के कय एवं अनुदानों का अपव्यय था। कय से पूर्व कूडा ट्रांसफर शैडो का निर्माण /भूमि की उपलब्धता के अभाव मे उपरोक्त कय पूर्णतः अनियमित था। इस सम्बन्ध मे उतरदायित्व का निर्धारण करते हुए आवश्यक कार्यवाही लिया जाना अरेक्षित है।

(2) शासनादेश संख्या – ए – 1 – 1173/दस – 2001 –10 –10 (55) /2000 दिनांक 27–04–2001 द्वारा पूर्व प्राप्त टेन्डर के आघार पर पुनः रिपीट आर्डर दिये जाने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध था। इसके बावजूद भी निगम अधिकारियों द्वारा शासनादेश का उल्लघंन कर रू 7,65,56,880 की भारी धनराशि का पुनः पूर्व फर्म को ही पूर्व टेण्डर के आधार पर कार्यादेश/आपूर्ति आदेश जारी किया जाना पूर्णतः अनियमित था।

(3) कूडा ट्रांसफर शैडो की स्थिति परिशिष्ट 26 पर सलंग्न है।

41 – विभागीय स्पेसिफिकेशन को कम करते हुए निम्न मानक के बेक्हो लोडर कय किया जाना अनियमित रू 1,35,38,000:–

स्वास्थ्य विभाग की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि मा0 महापौर जिलाधिकारी एवं नगर आयुक्त की अध्यक्षता में 13 वें व 14 वें वित्त आयोग सम्बन्धी बैठक दिनांक 13–11–2019 मे ली गयी सहमति के कम में 07 नग एक्सकेवेटर कम बेक्हो लोडर कय हेतु रू 182.00 लाख अनुमानित व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी। जिसके कम मे जैम पोर्टल पर निविदा संख्याा – GEM/2019/B/447071 दिनांक 02–12–2019 के सापेक्ष पांच फर्मो द्वारा प्रतिभाग लिया गया। निगम अधिकारियों द्वारा तकनीकी निरीक्षण में पांचों फर्मो को अर्ह मानते हुए वित्तीय निविदा खोली गयीं। जिनमे न्यूनतम के आघार पर मै0 एक्सन कंस्ट्रक्शन इक्यूपमेन्ट लिमिटेड से रू 19,34,000 प्रतिवाहन की दर से कुल रू 1,35,38,000 का कय कर निम्नवत भुगतान कर दिया गया था।

रू 13538000 = कुल मूल्य

(–) रू 270760 = आयकर 2 प्रतिशत कटौती

(–) रू 270760 = जी0 एस0 टी0 2 प्रतिशत कटौती

शुद्व भुगतान – 12996400 वा0 सं0 – 811/676773/26–10–2020

पत्रावली की नोट सीट – 3 पर विभागीय स्पेसिफिकेशन दिये गये थे जिनको नोट सीट – 4 पर परिवर्तित कर इन मानकों को निम्न कर दिया गया था। उक्त मानक किस आधार पर परिवर्तित किये गये थे, इसका कोई उल्लेख पत्रावली मे नही किया गया था और न ही इसके समर्थन मे कोई अभिलेख पत्रावली में संलग्न थे। इस प्रकार बिना किसी आधार के मानको/विभागीय स्पेसिफिकेशन के सापेक्ष मानकों को परिवर्तित कर बेक्हो लोडरों का क्रय रू 13538000 का व्यय अनियमित था।

क्र0	मद का नाम(जिनका मानक निम्न था)	वास्तविक विभागीय स्पेसिफिकेशन	क्रय वाहन क्षमता/ मानक
1	टोरक	321	305
2	बकेट की क्षमता	0.27	0.26
3	बकेट के खुदाई की गहराई	4.959	4.77
4	बेहको डीपर टीपर बल कि0ग्रा0 में	3435	3200
5	लोडर के बकेट का पेलोड कि0ग्रा0 में	1980	1850
6	लोडर के बकेट की खुदाई की गहराई	114	80
7	आपरेटिंग वजन किलोग्राम में	7584	7500

उक्त के क्रम में उल्लेंखनीय है के उक्त लोडरों की आपूर्ति माह जून 2020 मे किये जाने के पश्चात ही नोट सीट – 10 के अनुसार 01 बेक्हो लोडर संख्या – यू0 पी0 – 14 जे0 टी0 – 7379 मे मई 2021 मे ही हाईड्रोलिक पम्प आदि मे खराबी आने के कारण उक्त वाहन एक माह से अधिक खडा रहा था। जिससे इसके अधोमानक होने की पुष्टि हो रही थी।

टि0–विभागीय स्पेसिफिकेशनों की स्थिति संलग्न परिशिष्ट 27 व 28 पर दी गयी है।

<u>42 –गीले कूडे से कम्पोस्ट खाद हेतु स्रेडर/कम्पोस्टिंग मशीन, स्रेडर हेतु शेड का निर्माण एवं क्यूरिंग सिस्टम पर रू 2423621 का व्यय किये जाने के पश्चात खाद विक्रय से कोई भी आय प्राप्त न होने के कारण निरर्थक व्ययः–</u>

स्वास्थ्य विभाग की पत्रावलियों की जांच से प्रकाश में आया कि महापौर एवं जिलाधिकारी , गाजियाबाद की अक्ष्यक्षता में 14 वें वित्त आयोग एवं अवस्थापना निधि के सम्बन्ध में की गयी बैठक में दिनांक 13–11–2019 के स्वीकृति के क्रम विभिन्न जोनों से निकलने वाले गीले कूडे से स्थानीय स्तर पर ही कम्पोस्ट बनाने हेतु दिनांक 07–12–2019 को विज्ञापन प्रसारित कर अल्पकालीन ई–निविदायें आमंत्रित की गयीं। उक्त के क्रम में प्राप्त निविदाओं में न्यूनतम के आधार पर निम्नवत क्रय व निर्माण कार्य कराया गया–

क्र0	क्रय/निर्माण का विवरण	व्यय धनराशि	फर्म का नाम	भुगतान का विवरण
1	कम्पोस्टिगं मशीन क्रय	968474	मै0 वल्वर इनोवेशन प्रा0 लि0	रू 1121200
2	क्यूरिक सिस्टम क्रय	199500	मै0 वल्वर इनोवेशन प्रा0	व0 सं0 624व 625 दिनांक

			लि0	23—02—2021
3	उपरेक्त हेतू शेड निर्माण कार्य	1255647	महालक्ष्मी टेडर्स	रू 1189500 व0 सं0 848 / 28—10—2020

योग = 2423621

उपरोक्त के कम में मैसर्स देवाजा इन्टर प्राइजेज के पत्र दिनांक 04—12—2020 द्वारा संजय नगर स्थित कम्पोस्टिंग प्लान्ट का हैण्ड ओवर मैसर्स वल्वर इनोवेशन प्रा0 लि0 से प्राप्त किये जाने का उल्लेख किया गया था। साथ ही उक्त प्लान्ट के सफलतापूर्वक स्थापना एवं संचालन किया जाना भी बताया गया था। जबकि अघिशासी अभियन्ता वि0 / या0 नगर निगम गाजियाबाद द्वारा कायोदेश उक्त मशीनों के कय हेतु पत्रांक 29 व 30 / स्वा0 / 2019, 20 दिनांक 30—12—2019 जारी किया गया था एवं शेड का निर्माण दिनांक 06—03—2020 को पूर्ण किया गया था साथ ही उक्त मशीनों का ई— वे बिल दिनांक 18—05—2020 को जनरेट किया गया था। इतने विलम्ब से हैण्डओवर का औचित्य स्पष्ट नही था। इसे अभिलेखों द्वारा स्पष्ट कराया जाय।

(2) उपरोक्त व्यय / कय के सापेक्ष नगर निगम की आय पक्ष के विकय मद में आलोच्य अवधि में खाद के विकय से कोई आय प्राप्त नही थी और न ही पत्रावली में यह उल्लेख था कि उक्त कम्पोस्टिंग मशीन से प्रतिदिन कितनी खाद का उत्पादन होगा। अतः अब तक उत्पादित खाद का सत्यापन सम्बन्धित भण्डार पंजी से कराते हुए, खाद का विकय न किये जाने का औचित्य स्पष्ट कराया जाय अन्यथा की स्थिति में उपरोक्त योजना पर किया गया व्यय 2423621 पूर्णतः निरर्थक था / यह अनुदान की धनराशि के अपव्यय का प्रकरण था।

<u>43 — फर्म द्वारा निर्माण पूर्व शेड का तकनीकी निरीक्षण नही कराये जाने से रू 1189500 = 00 का अनियमित एव आपत्तिजनक भुगतानः—</u>

स्वास्थ्य विभाग की पत्रावलियों की जॉच से प्रकाश में आया कि दिनांक 13—11—19 को महापौर एवं जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 14 वे वित्त आयोग निधि के अन्तर्गत शेडर मशीन हेतु मेड एवं आर0 सी0 सी0 निर्माण कार्य की स्वीकृति समिति द्वारा प्रदान की गयी थी। उक्त कार्य की स्वीकृति नगर आयुक्तनगर निगम गाजियाबाद द्वारा दिनांक 10—12—19 को प्रदान की गयी थी। दिनांक 06—12—19 को ई0 — निविदा के माध्यम से मै0 महालक्ष्मी ट्रेडर्स को आगणन धनांक रू 14,00,000 से 1.39 प्रतिशत कम पर अधिशासी अभियन्ता के कार्य आदेश सं0 — 31 / स्वा0 / 2019—20 दि0 30—12—19 द्वारा कार्य का ठेका दिया गया था। ई —टेण्डर निविदा सूचना की शर्त सं0 —3 के अनूसार फर्म को निर्माण पूर्व शेड का तकनीकी निरीक्षण विभाग को कराना होगी फर्म द्वारा निर्माण पूर्व शेड का तकनीकी निरीक्षण नही कराया गया था तकनीकी निरीक्षण सम्बन्धि रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न नही थी। तकनीकी निरीक्षण सम्बन्धि रिपोर्ट के अभाव में फर्म को किया गया भुगतान रू 1189500 = 00 अनियमित एवं आपत्तिजनक था। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाय। कृत कार्यवाही से सम्परीक्षा को अवगत कराया जाय।

(1) अधिशासी अभियन्ता के कार्य आदेश दिनांक 30—12—19 के अनुसार कार्य पूर्ण करने की अवधि 20 दिन अर्थात 18—10—20 थी। पत्रावली में संलग्न एम0 बी0 सं0 5552 के प्रष्ठ सं0 — 6 के अनुसार कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि 06—3—20 थी। इस प्रकार कार्य नियति तिथि से45 दिन विलम्ब से पूर्ण हुआ। अनुबन्ध की शर्ते के अनुसार कार्य में देरी के लिए ठेकेदार पर कार्य की आगणन राशि पर 01 प्रतिमत प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड लिया जाना था किन्तु अर्थदण्ड की यह धनराशि आगणित

धनराशि के 10 प्रतिशत से अधिक नही होगी। इस प्रकार 14,00,000 × 10 प्रतिशत विलम्ब दण्ड 1,40,000 = 00 रू ठेकेदार से वसूल किया जाय।

44 – शासनादेश की व्यवस्था के विरूद्व मात्र बोर्ड प्रस्ताव पारित कर ठेका श्रमिक सफाई व सीवर कर्मी को भुगतान अनियमित रू 85736243 :–

व्यय प्रमाणकों की जांच में प्रकाश में आया कि सम्परीक्षा हेतु चयनित माहों में ठेका श्रमिक सफाई व सीवर कर्मियों को रू 85736243 का भुगतान किया गया था। उक्त भुगतान नगर निगम की बोर्ड बैठक दिनांक 07–04–18 के प्रस्तान संख्या – 06 के कम में की गयी स्वीकृति के आधार पर किये गये थे। जबकि नगर निकायें में सफाई कमियों की संविदा पर भर्ती के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या – 5417/9–1–15–185 सा/ 10 टी सी, दिनांक 21 दिसम्बर 2015 एवं शासनादेश संख्या – 133/9–1–16–185 सा/10 टी सी, दिनांक 19 जनवरी 2016 को अवक्रमित करते हुए तथा भर्ती एवं नियुक्ति पर लगे प्रतिबन्ध में कार्मिक अनुभाग – 2 के शासनादेश संख्या – 20/1/91 –का –2–2012, दिनांक 15 मार्च 2012 एवं नगर निकायें में दैनिक वेतन/ संविदा पर लगे प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में नगर विकास अनुभाग –1 के शासनादेश संख्या 3988/9–1–2010 –203/2010, दिनांक 07 दिसम्बर के प्रस्तर – 2 तथा चतुर्थ श्रेणी के रिक्त होने वाले पदों के सम्बन्ध में वित्त वेतन आयोग अनुभाग – 2 के शासनादेश संख्या – वे0 आ0– 2 – 2052/ दस – 59 एम/2008,दिनांक 08 दिसम्बर, 2010 के प्रस्तर – 2 में निर्धारित की व्यवस्था/ निर्देशों को सफाई कार्मिकों के पदों पर भर्ती के संबंध में शासनादेश संख्या – 2021/9–1–16–185 सा/10 टी सी, नगर विकास अनुभाग – 1 दिनांक, 4 जुलाई 2016 के द्वारा संविदा के आधार पर भर्ती/ नियुक्ति की व्यवस्था की गयी। इसके अतिरिक्त नगर निगम द्वारा आउटसोसिंग के माध्यम से भी विभिन्न पदों पर कार्मिकों की आपूर्ति ली गयी थी।

इस प्रकार दैनिक वेतन/ठेका कार्मिको की भर्ती/नियुक्ति पर शासनादेशों द्वारा रोक लगाये जाने के बावजूद मात्र बोर्ड प्रस्ताव पारित कर दैनिक वेतन/ठेका कार्मिक से कार्य लिया जाना अनियमित था। उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई अन्य शासनादेश अथवा शासन की अनुमति हो तो सम्परीक्षा में प्रस्तुत कर स्थिति स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है। भुगतानो का विवरण संलग्न परिशिष्ट 29 पर दिया गया है।

45 – 50 नग ई – वाहन 500 कि0 ग्रा0 क्षमता के होपर वाहन के कय रूपये 1,13,74,986 = 00 में पायी गयी अनियमिताये एवं विल से आयकर की कटौती न किये जाने से राजकीय राजस्व की क्षति रूपये 257757 = 00 :–

14 वॉ वित्त आयोग निधि से 50 नग ई– वाहन 500 कि0 ग्रा0 क्षमता के होपर वाहन के कय हेतु आगणन धनराशि 125 लाख की कार्ययोजना दिनांक 13–11–2019 को मा0 महापौर की अक्ष्यक्षता में गठित समिति की अवस्थापना विकास निधि की बैठक में स्वीकृत किया गया। उक्तकय हेतु नगर आयुक्त की स्वीकृति दिनांक 20–1–2020 के कम में 5–2–20 पुनः 22–2–2020 को आमंत्रित ई निविदा में सर्वन्यून निविदा मेसर्स दिव्या इन्टर प्राइजेज 644 इसाइयो की पुलिया बरेली की 6.5 प्रतिशत कम पर कराये 11687500 = 00 की प्राप्त हुयी जिसपर निगम द्वारा निगोशियेट करके 9.00 प्रतिशत कम पर रूपये 11375000 = 00 का कार्यादेश मेसर्स दिब्या इन्टरप्राइजेज को संख्या 66 दिनांक 20–3–20 दिया गया/उक्त आपूर्ति हेतु कार्यावधि 30 दिवस निर्धारित थी। व्यय प्रमाणक संख्या 256 दिनांक 13–7–20 रूपये 10731966 एवं 69 । दिपांक 3–9–20 रूपये 415500 कमशः रूपये 219020 एवं रूपये 8480 जी0 एस0 टी0 तथा रू 20 अन्य कटौती के पश्चात फर्म को भुगतान किया गया था/ उक्त भुगतान कर्न्टजेन्ट विल में अंकित प्राप्त विलो का विवरण निम्नवत था –

1–	बिल नं0	6	दिनांक 10.06.2020	909997
2–	—''—	7	—''—12.06.20	909999
3–	—''—	8	—''—16.06.20	909999
4–	—''—	9	—''—19.06.20	909999
5–	—''—	10	—''—19.06.20	909999
6–	—''—	11	—''—21.06.20	909999
7–	—''—	13	—''—26.06.20	909999
8–	—''—	14	—''—26.06.20	909999
9–	—''—	15	—''—28.06.20	909999
10	—''—	16	—''—29.06.20	909999
11–	—''—	17	—''—30.06.20	909999
12–	—''—	18	—''—30.06.20	909999
13–	—''—	19	—''—30.06.20	455000
			योग	1,13,74,986

उक्त बिल की कुल राशि रु0 11374986 में इन्स्योरेन्स हेतु रु0 8500 प्रतिनग की दर से रु0 425000 की कटौती करते हुए शेष धनराशि 10949986 में रु0 219020 की जी0एस0टी0 की कटौती के पश्चात रू 10731966 का भुगतान किया गया था पुनः इन्श्योरेन्स हेतु रोकी गयी धनराशि रू 425000 मे से 8480 जी0 सी0 टी0 अन्य रू 20 की कटौती के पश्चात फर्म को रूपये 415500 का भुगतान किया गया था। उक्त पत्रावली की जॉच में निम्नांकित कमियां प्रकाश में आयी।

1 – फर्म द्वारा प्रेषित कुल बिल रूपये 11374986 से आयकर की कटौती नही की गयी थी जबकि अन्य बिलो से 2.266 प्रतिशत आयकर की कटौती की जा रही थी इसप्रकार 2.266 प्रतिशत आयकर की कटौती न किये जाने से राजकीय राजस्व की रूपये 257757 = 00 की क्षति हुई थी जिस की प्रतिपूति कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

2 – मुख्य अभियंता नगर निगम के पत्रांक – 161/निर्माण/19–20 दिनांक 26–12–19 द्वारा दिनांक 13–11–19 को महापौर की अक्ष्यक्षता में सम्पन्न हुयी अवस्थापना विकास निधि एवं 14 वॉ वि0 आ0 की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न अंकित थी। जबकि कार्यवृत्त में अवस्थापना विकास निधि की बैठक अंकित थी। 14 वॉ वि0 आयोग निधि की योजना स्वीकृति आयुक्त महोदय मेरठ की अक्ष्यक्षता में गठित समिति की बैठक में की जानी चाहिए थी यदि महापौर की अक्ष्यक्षता गठित समिति में कार्य योजना स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी आदेश हो तो प्रस्तुत किया जाय अन्यथा स्थिति में उक्त क्रय हेतु भुगतान अनियमित एवं आपत्तिजनक था।

3 – गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न नही था जबकि जिलाधिकारी द्वारा भुगतान से पूर्व उच्च्स्तरीय तकनीकी जॉच कराये जाने का निर्देश कार्य वृत्त में दिया गया था यह गम्भीर रूप से आपत्तिजनक था।

4 – पत्रावली की नोटिन्ग में संलग्न पंजिका में पृष्ठ 46 से 51 पर अंकित होने का उल्लेख था जबकि बाउचर पर स्टाक पंजिका में हवृष्ट किये जाने आपूर्ति गुणवत्ता पूर्ण एवं सन्तोष जनक होने का प्रमाणपत्र अंकित नही किया गया यह गम्भीर रूप से अनियमित एवं आपत्तिजनक था।

5 – बरेली से गाजियाबाद वाहनो की आपूर्ति हेतु चालान पत्रावली में संलग्न नही था नही पत्रावली वाहनो की प्राप्ति रशीद ही संलग्न थी।

6 – क्रमांक – 1 पर अंकित प्रथम विल रूपये 909997 अंकित था जबकि अन्य बिल रूपये 909999 अंकित था। स्थिति स्पष्ट की जाय/

7 – इन्श्योरेंस हेतु रोकी गयी धनराशि रु0 425000 में से मात्र रू 415500 फर्म को, जी0 एस0 टी0 8480 अन्य 20 कुल रूपये 424000 का भुगतान प्रदर्शित था रू 1000 के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी अंकित नही थी।

अतएव उपरोक्त आपत्तियो के सम्बन्ध में स्थिति सम्परीक्षा में स्पष्ट करायी जाय अन्यथा स्थिति में आयकर की प्रतिपूर्ति कराये जाने एवं अन्य आपत्तियों के सम्बन्ध में प्रभावी/आवश्यक कार्यवधि किये जाने हेतु निगम के उच्चाधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाना है।

46 – लैण्ड फील साईट जगजीवनपुर में कडे के निस्तारण हेतु 01 पोकलेन मशीन की आपूर्ति हेतु रू 11,19,500 = 00 का आपत्ति जनक भुगतान :–

स्वास्थ्य विभाग की पत्रावली की जॉच से प्रकाश में आया कि वसुन्धरा और मोहननगर जोन में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले कूडे का लैण्ड फिल साईट शाहनुर निज मोरटा गॉव के नजदीक जगजीवनपुर में 01 पोकलेन मशीन चल रही थी जिसको नगर निगम द्वारा सेवा प्रदाता के माध्यम से किराये पर लिया हुआ है जिसकी अवधि दिनांक 05–08–20 तक है। दिनांक 7–7–20 से 4–9–20 तक किराये पर रू 2380 रू प्रतिघंटा/मशीन 08 घंटे प्रतिदिन की दर से 60 दिनो हेतु रू 1142400 का भुगतान मै0 नार्थ इण्डिया डेवलपर्स को किया गया था। दरों का निर्धारण दिनांक 5–7–15 को आमन्त्रित की गयी निविदा दरों पर किया ग या था। उपरोक्त कार्य में निम्न अनियमिततॉए प्रकाश में आयी–

(1) दरों का निर्धारण दिनांक 5–7–15 को आमन्त्रित निविदा के आधार पर किया गया था। कार्य के समय निविदा आमन्त्रित की जानी चाहिए थी जिससे प्रतिस्पर्धात्मक दरों का लाभ नगर निगम को प्राप्त हो सकता था। इतनी पुरानी दरों पर कार्य करते का आधार स्पष्ट किया जाय।

(2) पोलकेन मशीन की लॉग बुक अनुरक्षित नही की गयी थी जिससे मशीन द्वारा किये गये कार्य की अवधि को सत्यापित नही किया गया था। लॉग बुक अनुरक्षित न करने का कारण स्पष्ट किया जाय।

(3) 1 पोलकेन मशीन हेतु मात्र दो माहो में रू 1142400 = 00 का व्यय किया गया था। जो वर्ष में लगभग रू 6854400 होता है। वन्या नगर निगम के पास पोलीकेन मशीन नही थी। पत्रावली में स्पष्ट नही था। पत्रावली की आख्यानुसार वसुन्धरा और मोहननगर जोन में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले कूडे का लैण्डफिल साइट निज मोरटा गॉव के जंग लमे निस्तारित किया जा रहा है किन्तु लैण्ड फिल साईट पर जाने के कारण निकट ही दूसरी जमीन जगजीवनपुर में ली गयी है। इस पर यह मशीन चल रही है इससे स्पष्ट होता है बल्कि प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले कूडे का निस्तारण हेतु इस मशीन का प्रयोग वर्तमान समय से पहले हो रहा था और भविष्य में भी इसकी आवश्यकता होगी। इसकी आवश्यकता एव मितव्ययिता को ध्यान मे रखते हुए कय की कार्यवाही पर विचार किया जाना अपेक्षित था। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाय।

47 – बिना निविदा के कार्य कराये जाने से रू 1242300 = 00 का आपत्तिजनक भुगतान :–

स्वास्थ्य विभाग की पत्रावलियों की जॉच में प्रकाश में आया कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम के कार्यादेश स0 पत्रांक – मीमो/स्व0/स्टोर/18 – 19 दिनांक 2– 7– 18 द्वारा दिनांक 6–6–18 से 5–3–19 तक रू 981000 तथा कार्यादेश सं0 – मीमो/स्वा0/स्टोर 19 – 20 दिनांक 5–8–19 द्वारा दिनांक 6–3–19 से 6–6–19 तक रू 327000 का मोहननगर में स्थित आनन्द इन्डस्ट्रीयल ऐरिया से जी0 टी0 रोड के पास (1154 मी0) तक सफाई कार्य का कायोदेश रू 109000 प्रतिमाह की दर से दिया गया था। रु0 1,09,000 प्रतिमाह की दर पूर्व में निगम द्वारा रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था करने हेतु आमन्त्रित की गयी निविदाओं के आधार पर दी गयी थी। उक्तरोक्त कार्य हेतु निविदाना आमन्त्रित किया जाना आवश्यक था जिससे नगर निगम के प्रतिस्पर्धात्मक दरों का लाभ प्राप्त होता। निविदा आमन्त्रित न करने को आधार स्पष्ट किया जाये। पूर्व में निगम द्वारा रात्रिकालीन

सफाई व्यवस्था करने हेतु मांगी गयी निविदायों की दर कार्य का जास्टीफिकेशन, आगणन आदि पत्रावली में संलग्न नही थी। जिससे रू 109000 प्रतिमाह कार्य की दर का सत्यापन न हो सका। जिससे रू 1242300 कुल धनराशि माँ कालिका कॉन्ट्रेक्टर को किया गया भुगतान सम्परीक्षा की दृष्टि से आपत्तिजनक /अमान्य था।

48 – जे0 सी0 बी0,चैन डोजर एवं पोकलेन मशीन की किराये पर आपूर्ति हेतु अनियमित/आपत्तिजनक/अमान्य भुगतान रूपये 2712059 = 00 :–

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में चयनित माहो के ब्यय प्रमाणको की जॉच के समय प्रकाश में आया कि चेक संख्या 000219 दिनांक 1–7–2020 रूपये 2421000 का भुगतान बृज इन्टरप्राइजेज मोहन नगर गाजियाबाद को कविनगर जोन में शाहपुर मार्ग पर कूडे के समतली करण हेतु जे0 सी0 बी0 चैन डोजर एवं जे0 सी0 बी0 के किराये पर आपूर्ति हेतु किया गया था। उक्त भुगतान फर्म द्वारा प्रस्तुत चार बिलो की धनराशि रूपये 2738700 के सापेक्ष किया गया था जिसका विवरण निम्नवत है।

वा0 सं0	दिनांक	कार्यावधि	बिल धनराशि	टी0डी0एस0	भुगतानित धनराशि	अन्य कटौती
12	1–7–20	19–12–19 से 18–1–20 एक पोकलेन	571200	12943	546700	11557
11	1–7–20	19–1–20से 17–2–20एक जे0सी0बी0 एक चैन डोजर	748800	16968	716800	15032
10	1–7–20	19–12–19से 18–1–20 एक चैन डोजर एवं एक जे0सी0बी0	748800	16968	731800	32
9	1–7–20	29–1–20से 27–2–20 एक पोकलेन एक जे0सी0बी0	669900	15180	425800	20
334	11–5–20	उपरोक्त बिका पार्ट भुगतान	–––––		228900	–––––
			2738700	62059	2650000	26641

नगर निगम के पास पर्याप्त मात्रा में जे0 सी0 बी0, पोकलेन एवं चैनडोजर मशीने उपलब्ध होने के बावजूद उक्त मशीने किराये पर लगातार उपयोग की जा रही थी। नगर निगम में उपलब्ध उक्त मशीने उक्तावधि में कार्य हेतु उपलब्ध नही थी इसकी पुष्टि अभिलेखो के माध्यम से नही करायी गयी और नही एक ही स्थान पर इतना कूडे का देर होने की पुष्टि अभिलेखो/ साक्ष्यो से करायी गयी कि लगातार महीनो उक्त मशीनो हेतु कूडा समतलीकरण का कार्य उपलब्ध था।

उक्त मशीनो के किराये पर लेने से सम्बन्धित अनुबन्ध पत्रावली सम्परीक्षार्थ प्रस्तुत नही की गयी और नही कूडे की माप एवं किराये पर कितनी मशीनो को लिये जाने की आवश्यकता भी से सम्बन्धित अभिलेख व्यय प्रमाणक के साथ उपलब्ध थे।

नगर निगम में उक्त मशीने कितनी मात्रा में भी तथा उक्तावधि में कितनी मशीने कहाँ कहाँ कार्यकर रही थी जिससे उक्त स्थान पर कूडा समतलीकरण हेतु मशीने किराये पर लिये जाने थी आवश्यकता पडी से सम्बन्धित अभिलेख एवं किराया अनुबन्ध पत्रावली सम्परीक्षा में प्रस्तुत कर आवश्यक जॉच करायी जाय अन्यथा स्थिति उक्त भुगतान रू 2650000 एवं टी डी एस0 रू 62059 कुल रूपये 2712059 = 00 का भुगतान अनियमित/आपत्तिजनक/अमान्य था जिस सम्बन्ध में प्रभावी/आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

49– स्वास्थ्य विभाग द्वारा कय किये गये डीजल तथा आयल हेतु किये गये भुगतान, स्टाक पंजिका/उपभोग पंजिका/लागबुक के अभाव में असत्यापित रु0 6,76,86,202.00

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा उप सम्परीक्षा माहों के व्यय प्रमाणकों की जांच के समय प्रकाश में आया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा निम्नलिखित विवरणानुसार डीजल व आयल आदि के कय हेतु रु0 6,76,86,202.00 का भुगतान मात्र उप सम्परीक्षा माहों में किया गया था। परन्तु नगर निगम द्वारा उक्त कय के सत्यापनार्थ/पुष्टि हेतु डीजल/आयल की स्टाक पंजिका/उपभोग पंजिका/लागबुक आदि सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी और नही डीजल/आयल की आवश्यकता/मांग के सत्यापनार्थ कोई अभिलेख व्यय प्रमाणक के साथ संलग्न थे जिससे उक्त कय हेतु किये गये भुगतान/व्यय का सत्यापन/पुष्टि नहीं किया गया जा सका। अतएव डीजल/आयल की आवश्यकता/उपभोग से सम्बन्धित अभिलेख स्टाक पंजिका/उपभोग पंजिका/लागबुक/मांग पत्र आदि अभिलेख सम्परीक्षा में आगामी अवसर पर प्रस्तुत कर तत्सम्बन्धी आवश्यक जांच करायी जाय। उप सम्परीक्ष माहों में किये गये डीजल आयल हेतु भुगतान का विवरण निम्नवत है–

क0 सं0	वा0सं0	चैक सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	132	000497	03.07.2020	1340000	डीजल हेतु इंडियान आयल कारपोरेशन लि0 मेरठ को भुगतान आदि
2	176	001513	7.7.2020	1410000	—"—
3	177	000500	—"—	1290073	–"–जयचन्द मुखिया एच. पी. फिलिंग स्टेशन
4	178	000448	—"—	2295058	–"–महादेव फ्यूल सेंटर
5	179	000449	—"—	2313631	–"–मै0 फ्यूल एण्ड फ्लाई
6	180	002709	—"—	2485306	–"–मैं हिंडन फिलिंग सेंटर
7	184	001516	10.07.2020	1410000	–"–इंडियन आयल कारपोरशन लि0 मेरठ
8	274	000498	14.07.2020	14100000	—"—
9	366	000118	17.07.2020	1570911	–"–जयचन्द मुखिया एच. पी. फिलिंग स्टेशन
10	367	001529	—"—	1410000	–"–इंडियन आयल कारपोरशन लि0 मेरठ
11	395ए	000095	20.07.2020	2750776	–"–मै0 फ्यूल एण्ड फ्लाई को भुगतान

12	395बी	000119	—"—	2726167	—"—मैं0 हिंडन फिलिंग सेंटर को भुगतान
13	790	072156	22.07.2020	1410000	—"—इंडियन आयल कारपोरशन लि0 मेरठ को भुगतान
14	1126	001546	27.07.2020	886717	—"—जयचन्द मुखिया एच. पी. फिलिंग स्टेशन को भुगतान
15	1127	000099	—"—	1500000	—"—मे0 महादेव फ्यूल सेंटर को भुगतान
16	1128	000455	—"—	1410000	—"—इंडियन आयल कारपोरशन लि0 मेरठ को भुगतान
17	1210	002732	29.07.2020	1329168	—"—मै0 फ्यूल एण्ड फ्लाई को भुगतान
18	1211	000499	—"—	1546710	—"—मैं0 हिंडन फिलिंग सेंटर को भुगतान
19	1323	00010	30.07.2020	1317282	—"—मै0 महादेव फ्यूल सेंटर को भुगतान
20	1351	000460	31.07.2020	1410000	—"—इंडियन आयल कारपोरशन लि0 मेरठ को भुगतान
21	01	000534	02.11.2020	1338000	—"—
22	02	870840	—"—	2636671	—"—मैं0 हिंडन फिलिंग सेंटर को भुगतान
23	87	870841	06.11.2020	553711	सी0एन0जी0 हेतु 50 नग डोर टू डोर वर्धमान पैट्रोलियम को भुगतान
24	88	000606	—"—	1338000	डीजल हेतु इंडियान आयल कारपोरेशन लि0 मेरठ को भुगतान
25	96	000224	—"—	1481819	—"—मै0 महादेव फ्यूल सेंटर को भुगतान
26	2141	000538	10.11.2020	1350000	—"—इंडियन आयल कारपोरशन लि0 मेरठ को भुगतान
27	2162	002796	—"—	3172063	—"—मैं0 हिंडन फिलिंग सेंटर को भुगतान

28	2163	002796	—"—	2223157	—"—मै0 महादेव फ्यूल सेंटर को भुगतान
29	2164	000547	—"—	79900	हाइड्रोलिक आयल मै0 राज ट्रेडिंग कम्पनी को भुगतान
30	2165	002798	—"—	2019239	डीजल आदि मै0 जयचन्द मुखिया एच.पी. फिलिंग स्टेशन
31	2166	000245	—"—	3519916	—"—मैं0 हिंडन फिलिंग सेंटर को भुगतान
32	2290	002799	13.11.2020	1350000	—"—इंडियन आयल कारपोरेशन लि0 मेरठ को भुगतान
33	2297	002851	17.11.20	1350000	—"—इंडियन आयल कारपोरेशन लि0 मेरठ को भुगतान
34	2298	002852	19.11.2020	1350000	—"—
35	2300	000619	23.11.2020	1340000	—"—
36	2301	249238	—"—	1789758	डीजल आपूर्ति मैं0 जयचन्द मुखिया एच.पी. फिलिंग स्टेशन
37	2392	249240	26.11.2020	3413551	—"—मैं0 हिंडन फिलिंग सेंटर को भुगतान
38	2394	000620	—"—	1202886	सी0एन0जी0 हेतु वर्धमान पैट्रोलियम को भुगतान डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की गाडियों हेतु
39	2395	002853	—"—	1340000	डीजल हेतु इंडियान आयल कारपोरेशन लि0 मेरठ को भुगतान
40	2396	450559	—"—	1615732	—"—जयचन्द मुखिया एच. पी. फिलिंग स्टेशन को भुगतान
				6,76,86,202.00	

50— लॉग बुकों के अभाव में गाडियों की मरम्मत हेतु किया गया भुगतान आपत्तिजनक रु0 60,33,600.00 :—

व्यय प्रमाणकों की सम्परीक्षा से प्रकाश में आया कि निम्न गाडियों की मरम्मत हेतु विभिनन फर्मों को भुगतान किया गया था। सम्परीक्षा में बार—बार मांग किये जाने के बावजूद लॉग बुक उपलब्ध नहीं

करायी गयी। लॉगबुकों के अभाव में गाडियों की मरम्मत हेतु किया गया भुगतान असत्यापित/आपत्तिजनक था। उप सम्परीक्षा माहों में किये गये भुगतान का विवरण निम्नवत् है–

कमांक	व्यय प्रमाणक सं0/दिनांक / धनराशि	भुगतान प्राप्त कर्ता	गाडी नं0
1	632/21.07.2020 रु0 52,700.00	मै0 पी0के0 इन्जीनियर्स	UP 14 GT 0183
2	633/21.07.2020 रु0 46,500	—"——"——"—	DP 7615
3	634/21.07.2020 रु0 45,900	—"——"——"—	UP 14 GT 0179
4	635/21.07.2020 रु0 48,700	—"——"——"—	UP 14S 7620
5	636/21.07.2020 रु0 42300	—"——"——"—	UP 14AD 9997
6	637/21.07.2020 रु0 41200	—"——"——"—	UP 14AJ 1852
7	638/21.07.2020 रु0 44,400	—"——"——"—	UP 14N 1578
8	639/21.07.2020 रु0 33,800	—"——"——"—	UP 14S 7620
9	640/21.07.2020 रु0 20,800	—"——"——"—	UP 14AE 9005
10	641/21.07.2020 रु0 16,300	—"——"——"—	UP 14 J 4489
11	642/21.07.2020 रु0 13200	—"——"——"—	UP 14AG 0381
12	643/21.07.2020 रु0 11,400	—"——"——"—	UP 14 5443
13	644/21.07.2020 रु0 15300	—"——"——"—	ट्रेक्टर 30-DI
14	645/21.07.2020 रु0 23,600	—"——"——"—	UP 14A 6722
15	646/21.07.2020 रु0 22,800	—"——"——"—	UP 14 DT 5732
16	647/21.07.2020 रु0 24400	—"——"——"—	UP 14A 9997
17	648/21.07.2020 रु0 16200	मै0 आर0के0 इन्जीनियर्स	UP 14FT 5298

18	649 / 21.07.2020 रु0 19,300	—"—"—"—	टिप्पर– 1978
19	650 / 21.07.2020 रु0 15400	—"—"—"—	UP 14-2764
20	651 / 21.07.2020 रु0 17,900	—"—"—"—	UP-14J-4013
21	652 / 21.07.2020 रु0 20,200	—"—"—"—	RC - 6317
22	653 / 21.07.2020 रु0 11,800	—"—"—"—	UP 14N-1576
23	654 / 21.07.2020 रु0 20600	—"—"—"—	UP 14J-4493
24	655 / 21.07.2020 रु0 22,700	—"—"—"—	UP14 FT- 5303
25	656 / 21.07.2020 रु0 14,400	—"—"—"—	UP14 6898
26	657 / 21.07.2020 रु0 17,800	—"—"—"—	UP 14BT-6550
27	658 / 21.07.2020 रु0 18,000	—"—"—"—	UP- FT- 5531
28	659 / 21.07.2020 रु0 19600	—"—"—"—	टिप्पर– 1955
29	660 / 21.07.2020 रु0 18,200	—"—"—"—	DP-7445
30	661 / 21.07.2020 रु0 18,000	—"—"—"—	0435, 3407
31	662 / 21.07.2020 रु0 14,600	—"—"—"—	UP14J-5443
32	663 / 21.07.2020 रु0 16,600	—"—"—"—	UP 14AH-9319
33	664 / 21.07.2020 रु0 23,400	—"—"—"—	UP 14AT-5307
34	665 / 21.07.2020 रु0 21,300	—"—"—"—	UP 14CU- 3404
35	666 / 21.07.2020 रु0 17,100	—"—"—"—	UP 14V-9675
36	667 / 21.07.2020 रु0 23,400	—"—"—"—	TMX 20-0202-1555

37	668 / 21.07.2020 रु0 23000	—"——"——"—	UP 14-5443
38	669 / 21.07.2020 रु0 22,100	—"——"——"—	UP14FT-5379
39	670 / 21.07.2020 रु0 23,000	—"——"——"—	UP14-7615
40	671 / 21.07.2020 रु0 23,600	—"——"——"—	UP14J-5441
41	672 / 21.07.2020 रु0 23,700	—"——"——"—	UP 14DT-5662
42	673 / 21.07.2020 रु0 22,900	—"——"——"—	UP 14AD-5257
43	573 / 21.07.2020 रु0 12500	मै0 क्लासीक मोटर्स	UP14AB-8888
44	574 / 21.07.2020 रु0 19,500	—"——"——"—	UP 14AB 7777
45	575 / 21.07.2020 रु0 13,600	—"——"——"—	UP 14 U-2020
46	576 / 21.07.2020 रु0 16,500	—"——"——"—	UP 14 U-2800
47	581 / 21.07.2020 रु0 22,300	मै0 भारत ऐन्टर प्राईजेज	टेंकर नं0— 8, 3 JCB UP14 GT-2388
48	582 / 21.07.2020 रु0 20,200	—"——"——"—	JCB UP 14 GT-2384
49	583 / 21.07.2020 रु0 19,900	—"——"——"—	JCB UP 14 AG-0505
50	584 / 21.07.2020 रु0 16,800	—"——"——"—	टिप्पर— UP 14GT-0176
51	585 / 21.07.2020 रु0 19000	—"——"——"—	UP 14CU-9673
52	586 / 21.07.2020 रु0 17,600	—"——"——"—	UP AT-4215
53	587 / 21.07.2020 रु0 21,600	—"——"——"—	UP 14FT-5298
54	588 / 21.07.2020 रु0 18,300	—"——"——"—	UP 14AT-5452
55	589 / 21.07.2020 रु0 21,700	—"——"——"—	कूड़ा रिक्श सलेक्शन

56	590 / 21.07.2020 रु0 23800	—"——"——"—	UP14-AG-0400
57	591 / 21.07.2020 रु0 13400	—"——"——"—	मोबाइल शौचालय की रिपेयर
58	593 / 21.07.2020 रु0 22,200	—"——"——"—	UP14GT-9163
59	594 / 21.07.2020 रु0 23000	—"——"——"—	UP14-9992
60	595 / 21.07.2020 रु0 21600	—"——"——"—	UP14CU-3407
61	596 / 21.07.2020 रु0 20,800	—"——"——"—	UP 14GT-0183
62	597 / 21.07.2020 रु0 17500	—"——"——"—	UP14CU-3397
63	598 / 21.07.2020 रु0 19,800	—"——"——"—	UP14DT-6898
64	599 / 21.07.2020 रु0 21600	—"——"——"—	UP14GT-0183
65	600 / 21.07.2020 रु0 24100	—"——"——"—	UP14A-6723
66	601 / 21.07.2022 रु0 23200	—"——"——"—	UP14-N-7445
63	602 / 21.07.2020 रु0 22,200	—"——"——"—	UP-14FT-5382
64	603 / 21.07.2020 रु0 21700	—"——"——"—	UP14GT-0180
65	606 / 21.07.2020 रु0 46,900	मै0 बाला जी ट्रेडर्स	UP14GT-8435
66	607 / 21.07.2020 रु0 53700	—"——"——"—	UP14GT-0179
67	608 / 21.07.2020 रु0 22,500	मै0 डी0के0 इन्जीनियर्स	UP14DT-55481
68	609 / 21.07.2020 रु0 24300	—"——"——"—	UP14GT-8730
69	610 / 21.07.2020 रु0 32,500	—"——"——"—	UP14CC-9318
70	611 / 21.07.2020 रु0 24200	—"——"——"—	UP14AT-4937

71	612 / 21.07.2020 रु0 19,200	मै0 प्रज्ञा मोटर्स एण्ड अर्थ मूवर्स	टाटा टम्फर– UP 14MT-0501
72	613 / 21.07.2020 रु0 21,500	—"——"——"—	ट्रेक्टर मैस्सी–5245
73	614 / 21.07.2020 रु0 23,200	—"——"——"—	टिप्पर– UP 14AT-5008
74	615 / 21.07.2020 रु0 22,600	—"——"——"—	ट्रेक्टर– UP 14N-7496
75	616 / 21.07.2020 रु0 23,200	—"——"——"—	लोडर– UP 14AT-9892
76	617 / 21.07.2020 रु0 22,100	—"——"——"—	J.C.B. UP14AG-0398
77	618 / 21.07.2020 रु0 23,400	—"——"——"—	J.C.B. UP14-AG-0398
78	619 / 21.07.2020 रु0 23,100	—"——"——"—	लोडर– UP 5-7616
79	620 / 21.07.2020 रु0 22,300	—"——"——"—	J.C.B. UP AG-0397
80	621 / 21.07.2020 रु0 48,300	मै0 एस0के0 मोटर्स	UP14 FT-5382
81	622 / 21.07.2020 रु0 33,300	—"——"——"—	पोपलेन मशीन नं0 8
82	718 / 21.07.2020 रु0 20,300	—"——"——"—	UP 14 DT-0528
83	719 / 21.07.2020 रु0 17,600	—"——"——"—	UP14N-1579
84	720 / 21.07.2020 रु0 8800	मै0 चोपड़ा मोटर्स	UP 14 CU-3901
85	721 / 21.07.2020 रु0 24,200	—"——"——"—	UP 14AT-9149
86	876 / 24.07.2020 रु0 36500	मै0 मित्तल ऑटो मोबाइल	UP14-5443
87	1102 / 24.07.2020 रु0 21300	मै0 प्रज्ञा मोटर्स एण्ड अर्थ मूवर्स	UP-14-GT-3228
88	1103 / 24.07.2020 रु0 24000	—"——"——"—	UP-14DT-5259
89	1104 / 24.07.2020 रु0 24300	—"——"——"—	UP14A-6722

90	1105 / 24.07.2020 रु0 23,100	—"—"—"—	J.C.B.UP-14-AG-0399
91	1106 / 24.07.2020 रु0 23,500	—"—"—"—	UP14-FT-5531
92	1107 / 24.07.2020 रु0 23,700	—"—"—"—	सेवर मशीन चैसिस नं0–F-75-10313
93	1108 / 24.07.2020 रु0 23,700	—"—"—"—	UP14-AK-9122
94	1109 / 24.07.2020 रु0 23,200	—"—"—"—	UP14-AG-0506
95	1110 / 24.07.2020 रु0 23,600	—"—"—"—	मैसी ट्रेक्टर
96	521 / 09.11.2020 रु0 15,100	मै0 क्लासिक मोटर्स	UP 14N-1572
97	522 / 9.11.2020 रु0 16,500	—"—"—"—	UP14U-2020
98	523 / 09.11.2020 रु0 24,400	—"—"—"—	UP 14 AM-9999
99	524 / 09.11.2020 रु0 24,400	—"—"—"—	UP 14 AM-9999
100	525 / 09.11.2020 रु0 23,200	—"—"—"—	UP 14AM-6666
101	526 / 09.11.2020 रु0 24,400	—"—"—"—	UP 14 DB-8010
102	527 / 09.11.2020 रु0 24,400	—"—"—"—	UP 14-AV-8888
103	528 / 09.11.2020 रु0 23,900	—"—"—"—	UP 14 FT-8214
104	529 / 09.11.2020 रु0 23000	—"—"—"—	UP14A-7952
105	530 / 09.11.2020 रु0 22,900	—"—"—"—	UP 14AV-7777
106	531 / 09.11.2020 रु0 24,400	—"—"—"—	UP14AV-1414
107	532 / 09.11.2020 रु0 16000	—"—"—"—	UP14 AG-1020
108	533 / 09.11.2020 रु0 24,100	—"—"—"—	UP 14F- 9424

109	1283 / 09.11.2020 रु0 49,200	मै0 एस0के0 मोटर्स	टिपर– UP14-AG-0383
110	1284 / 09.11.2020 रु0 85000	––"–––"–––"––	टिपर– 5439
111	1285 / 09.11.2020 रु0 68900	––"–––"–––"––	UP14 DP-9989
112	1286 / 09.11.2020 रु0 57000	––"–––"–––"––	UP14-ST-0183
113	1287 / 09.11.2020 रु0 71000	––"–––"–––"––	पोपलेन मशीन नं0 8
114	1288 / 09.11.2020 रु0 51,300	––"–––"–––"––	UP 14 AT-4939
115	1289 / 09.11.2020 रु0 94300	––"–––"–––"––	ऐलीवेटर मशीन नं0 7
116	1290 / 09.11.2020 रु0 42,500	––"–––"–––"––	
117	1291 / 09.11.2020 रु0 49,900	––"–––"–––"––	UP14-FF-5298
118	1292 / 09.11.2020 रु0 64,300	––"–––"–––"––	UP-14 टिपर -GT-0181
119	1293 / 09.11.2020 रु0 23,800	मै0 प्रज्ञा मोटर्स एण्ड अर्थ मूवर्स	UP 14-S-7616
120	1294 / 09.11.2020 रु0 21,900	––"–––"–––"––	UP 14-AG-0506
121	1295 / 09.11.2020 रु0 19,600	––"–––"–––"––	UP 14-CC-3393
122	1296 / 09.11.2020 रु0 23,500	––"–––"–––"––	UP14DT-5548
123	1297 / 09.11.2020 रु0 23,400	––"–––"–––"––	UP 14AH-9322
124	1298 / 09.11.2020 रु0 22000	––"–––"–––"––	UP 14-GT-7067
125	1299 / 09.11.2020 रु0 21,300	––"–––"–––"––	UP 14 GT 6317
126	1300 / 09.11.2020 रु0 23,400	––"–––"–––"––	UP14 DT-5259
127	1301 / 09.11.2020 रु0 22,400	––"–––"–––"––	UP 14 CU-3901

128	1302 / 09.11.2020 रु0 24000	—"——"——"—	UP 14 DT-5735
129	1303 / 09.11.2020 रु0 21400	—"——"——"—	UP14S-8187
130	1304 / 09.11.2020 रु0 23,600	—"——"——"—	UP 14-GT-8740
131	1305 / 09.11.2020 रु0 22,600	—"——"——"—	UP 14-AG-0400
132	1306 / 09.11.2020 रु0 21100	—"——"——"—	UP 14 DT-5258
133	1307 / 09.11.2020 रु0 20,500	—"——"——"—	UP 14-AG-0505
134	1308 / 09.11.2020 रु0 23,600	—"——"——"—	UP 14 BT-6391
135	1309 / 09.11.2020 रु0 22,800	—"——"——"—	UP 14-8390
136	1310 / 09.11.2020 रु0 35,500	—"——"——"—	UP 14 GT-0184
137	1311 / 09.11.2020 रु0 66,300	—"——"——"—	UP 14 AG 0510
138	1312 / 09.11.2020 रु0 39300	—"——"——"—	UP 14 AG-0511
139	1345 / 09.11.2020 रु0 14000	मै0 पी0के0 इन्जीनियर्स	UP-14A-6722
140	1346 / 09.11.2020 रु0 16500	—"——"——"—	UP14 9892
141	1347 / 09.11.2020 रु0 57800	—"——"——"—	UP 14 a- 0163
142	1348 / 09.11.2020 रु0 50,600	—"——"——"—	UP 14-5446
143	1349 / 09.11.2020 रु0 23,600	—"——"——"—	UP 14 N- 1583
144	1350 / 09.11.2020 रु0 33,100	—"——"——"—	UP 14- 1572
145	1351 / 09.11.2020 रु0 27,500	—"——"——"—	UP 14S-7620
146	1352 / 09.11.2020 रु0 28900	—"——"——"—	UP 14H 9675

147	1353 / 09.11.2020 रु0 21,600	—"——"——"—	UP 14 A-6723
148	1354 / 09.11.2020 रु0 23,900	—"——"——"—	UP 14H-9675
149	1355 / 09.11.2020 रु0 26100	—"——"——"—	ट्रेक्टर— 30D,1.
150	1356 / 09.11.2020 रु0 21,900	—"——"——"—	UP 14 DF-5658
151	1357 / 09.11.2020 रु0 66,800	—"——"——"—	UP 14AT-4941
152	1358 / 09.11.2020 रु0 60,200	—"——"——"—	UP 14 AG-0505
153	1359 / 09.11.2020 रु0 60,200	—"——"——"—	UP 14 AT 5010
154	1360 / 09.11.2020 रु0 78600	—"——"——"—	UP 14 AG-0382
155	1361 / 09.11.2020 रु0 23800	आर0के0 इन्जीनियर्स	UP 14 J-5441
156	1362 / 09.11.2020 रु0 23,700	—"——"——"—	UP 14S-7615
157	1363 / 09.11.2020 रु0 27,300	—"——"——"—	UP 14-5442
158	1364 / 09.11.2020 रु0 34,600	—"——"——"—	UP 14 AT-5008
159	1365 / 09.11.2020 रु0 60,800	—"——"——"—	UP 14 J-4013
160	1366 / 09.11.2020 रु0 37100	—"——"——"—	UP 14 DT-5547
161	1367 / 09.11.2020 रु0 43500	—"——"——"—	UP 14 AJ-9837
162	1368 / 09.11.2020 रु0 29,500	—"——"——"—	UP 14AT-5008
163	1369 / 09.11.2020 रु0 25,200	—"——"——"—	UP 14AG-0435
164	1370 / 09.11.2020 रु0 90,000	—"——"——"—	UP 14 AE-9003
165	1371 / 09.11.2020 रु0 33,000	—"——"——"—	टिपर सं0— 5304

166	1372 / 09.11.2020 रु0 93,300	—"——"——"—	मिनी एक्सीवेटर मशीन
167	1373 / 09.11.2020 रु0 74,900	—"——"——"—	पोकलेन मशीन नं0 3
168	1374 / 09.11.2020 रु0 25,600	—"——"——"—	UP 14 AG-0435
169	1375 / 09.11.2020 रु0 45,100	—"——"——"—	UP 14 S-7615
170	1376 / 09.11.2020 रु0 27,600	—"——"——"—	UP 14 AT- 4940
171	1388 / 09.11.2020 रु0 22,600	मै0 चौपडा मोटर्स	UP 14AT 5324
172	1389 / 09.11.2020 रु0 15,900	—"——"——"—	UP 14BT-5320
173	1390 / 09.11.2020 रु0 21,100	—"——"——"—	UP 14 AG-0386
174	1391 / 09.11.2020 रु0 16,600	—"——"——"—	UP 14 AD-5257
175	1392 / 09.11.2020 रु0 22,200	—"——"——"—	UP 14N-1580
176	1402 / 09.11.2020 रु0 11,700	मै0 ग्रीन लैण्ड ऑटो मोबाइल्स	ब्लाजो 25 टिप्पर
177	1403 / 09.11.2020 रु0 13000	—"——"——"—	—"——"—
178	1404 / 09.11.2020 रु0 12500	—"——"——"—	—"——"—
179	1405 / 09.11.2020 रु0 12000	—"——"——"—	—"——"—
180	1406 / 09.11.2020 रु0 16000	—"——"——"—	—"——"—
181	1407 / 09.11.2020 रु0 16,000	—"——"——"—	—"——"—
182	1408 / 09.11.2020 रु0 22,900	—"——"——"—	—"——"—
183	1409 / 09.11.2020 रु0 24,200	—"——"——"—	—"——"—
184	1410 / 09.11.2020 रु0 14,700	—"——"——"—	—"——"—

185	1411 / 09.11.2020 रु0 22800	—"——"——"—	—"——"—
186	1412 / 09.11.2020 रु0 16000	—"——"——"—	—"——"—
187	1686 / 09.11.2020 रु0 58,000	मै0 बालाजी ट्रेडर्स	UP 14 GT-0180
188	1687 / 09.11.2020 रु0 24,000	—"——"——"—	UP 14 GT- 8298
189	1688 / 09.11.2020 रु0 23,300	—"——"——"—	UP 14 GT- 08319
190	1689 / 09.11.2020 रु0 17,500	—"——"——"—	UP 14 GT-8077
191	1690 / 09.11.2020 रु0 22,800	—"——"——"—	UP 14 GT-8728
192	1691 / 09.11.2020 रु0 17,100	—"——"——"—	UP14 GT-8067
193	1692 / 09.11.2020 रु0 11,100	—"——"——"—	UP 14 GT-8731
194	1693 / 09.11.2020 रु0 34,400	—"——"——"—	UP 14 GT-8742
195	1700 / 09.11.2020 रु0 72,000	मै0 पावर रोल सर्विसिज	UP 14 AG- 0435
196	1701 / 09.11.2020 रु0 61,300	—"——"——"—	UP 14 AG-0506
197	1702 / 09.11.2020 रु0 37,700	—"——"——"—	UP 14 AG-0509
198	1703 / 09.11.2020 रु0 28,200	—"——"——"—	UP 14 ST- 5381
199	1704 / 09.11.2020 रु0 41,200	—"——"——"—	UP 14 GT- 0509
200	1705 / 09.11.2020 रु0 11,600	—"——"——"—	UP 14 GT-2390
201	1706 / 09.11.2020 रु0 29,900	—"——"——"—	UP 14 MA-IQDAPH DK6J76710
202	1707 / 09.11.2020 रु0 15,600	—"——"——"—	UP 14 GT- 0509
203	1708 / 09.11.2020 रु0 29,900	—"——"——"—	Vehicle no- NA10DAPHDK6F75044

204	1733 / 09.11.2020 रु0 24,100	मै0 भारत ऐन्टरप्राइजेज	UP 14 GT-2391 UP 14 DT-6554
205	1734 / 09.11.2020 रु0 17,100	मै0 पी0के0 इन्जीनियर्स	टिपर— PB-32DT- 5793
206	1735 / 09.11.2020 रु0 14,400	——"———"———"——	मिनी एक्सीवेटर नं0 15
207	1736 / 09.11.2020 रु0 23,800	——"———"———"——	up 14 j-5442
208	1737 / 09.11.2020 रु0 24,400	——"———"———"——	UP 14 GT- -DT-5697
209	1738 / 09.11.2020 रु0 14,600	——"———"———"——	मिनी एक्सीवेटर नं0 13
210	1739 / 09.11.2020 रु0 24,400	——"———"———"——	UP 14 DT-5547
	60,33,600.00		

51—विभिन्न वार्डो में साफ — सफाई का कार्य ठेकेदारो से कराया जाना, अनियमित/अमान्य/आपत्तिजनक भुगतान रूपये — 1,53,48,700 :—

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में चयनित माहो के व्यय प्रमाणकों (संलग्न सूची) की जांच से प्रकाश मे आया कि विभिन्न ठेकेदारो से विभिन्न वार्डो मे साफ सफाई का कार्य कराया गया था। इन कार्यो के लिये ठेकेदारो मे रूपये 1,53,48,700 का भुगतान किया गया था।

जांच मे देखा गया कि नगर निगम में नियमित सफाई कर्मचारियो की संख्या — 998
आउट सोरसिग सफाई कर्मचारियो की संख्या — 893
एवं ठेका सफाई कर्मचारियो की संख्या — 2759
कुल सफाई कर्मचारियो की संख्या = 4650 थी।
लेकिन फिर भी ठेकेदारो द्वारा विभिन्न वार्डो मे साफ सफाई का कार्य कराया गया था और इस कार्य हेतु रूप में 15348700 का भुगतान किया गया था। यह भुगतान सम्परीक्षा की दृष्टि मे अमान्य था। अधियाचन संख्या आडिट — 95 दिनांक 16—9—2022 एवं अधियाचन संख्या — अडिट —105/दिनांक 29—9—2022 द्वारा साफ सफाई से सम्बन्धित पत्रावलियो की मांग की गयी किन्तु पत्रावलियां प्रस्तुत नही की गयीं। व्यय प्रमाणकों के साथ सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नही थे। साफ सफाई से सम्बन्धित अनुबन्ध पत्रावलियां एवं अभिलेख सम्परीक्षा जांच हेतु प्रस्तुत करे अन्यथा स्थिति मे साफ सफाई का पूर्ण भुगतान 15348700/अनियमित/अमान्य/आपत्तिजनक था। इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर सम्परीक्षा को अवगत कराया जाये। विवरण संलग्न परिशिष्ट 30 पर दिया गया है।

52 — नगर निगम मे जे0 सी0 बी0 मशीन उपलब्ध होने पर भी ठेकेदारो द्वारा समतलीकरण का कार्य कराया जाना, अनियमित/अमान्य/आपत्तिजनक, रूपये 24,39,000 :—

आलोच्य अवधि मे सम्परीक्षा मे चयनित माहो के व्यय प्रमाण मे की जांच मे देखा गया कि व्यय प्रमाणक संख्या 2226 दिनांक 13—11—2020 प्रताप विहार मे कूडे का समतलीकरण का कार्य हेतु मै0 कीर्ती कन्सट्रक्शन एण्ड अर्प मूर्वस को रूपये — 2439000 का भुगतान किया गया था।

सम्परीक्षा जांच मे देखा गया कि नगर निगम के पास जे0 सी0 बी0 मशीने उपलब्ध होने के बावजूद भी ठेकेदार से कूडा समतलीकरण का कार्य कराया गया था। इस कार्य के लिये ठेकेदार मे रूपये – 2439000 का भुगतान किया गया था। नगर निगम के पास जी0 सी0 बी0 मशीन उपलब्ध थी तो कूडा समतलीकरण का कार्य अपनी मशीन द्वारा क्यो नही कराया गया था।

जे0 सी0 बी0 द्वारा समतलीकरण का कार्य जाने से सम्बन्धित अनुबन्ध पत्रावली सम्परीक्षा मे प्रस्तुत नही की गयी थी और न ही व्यय प्रमाणक के साथ समतलीकरण से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख संलग्न थे।

अधियाचन संख्या – 95 दिनांक 16–9–2022 एवं अधियाचन संख्या 105 दिनांक 29–9–2022 द्वारा पत्रावली की मांग की गयी थी परन्तु पत्रावली प्रस्तुत नही की गयी थी।

कूडा समतलीकरण से सम्बन्धित अनुबन्ध पत्रावली एवं अभिलेख सम्परीक्षा जांच हेतु करायी जाये अन्यथा स्थिति में उक्त भुगतान रूपये 2439000 अनियमित/अमान्य/आपत्तिजनक था। इस सम्बन्ध मे कार्यवाही कर सम्परीक्षा मे अवगत कराया जाये।

53 – चैन डोजर मशीन की किराये पर आपूर्ति हेतु अनियमित/आपत्तिजनक/अमान्य भुगतान रूपये 1108800 :–

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा मे चयनित माहो के व्यय प्रमाण मे की जांच मे देखा गया कि व्यय प्रमाणक संख्या 1396 दिनांक 9–11–2020 मै0 नार्थ इण्डिया डवलपमेन्ट को चैन डोजर की आपूर्ति दिनांक 24–6–2019 से 22–8–2020 तक सडरपुर ग्राम मे कार्य हेतु रूप मे 1108800 का भुगतान किया गया था।

जांच मे देखा गया कि नगर निगम के पास चैन डोजर मशीन होने के बावजूद किराये पर लगातार उपयोग की जा रही थी। नगर निगम मे उक्त चैन डोजर उक्तावधि मे कार्य हेतु उपलब्ध नही थी। इसकी पुंष्टि अभिलेखो के माध्यम से नही करायी गयी थी।

चैन डोजर को किराये पर लेने से सम्बधित अनुबन्ध पत्रावली सम्परीक्षार्थ प्रस्तुत नही की गयी थी और न ही किराये पर लिये जाने मे आवश्यकता से सम्बन्धित अभिलेख व्यय प्रमाणक से साथ थे। अधियाचन संख्या आडिट 195 दिनांक 16–9–2022 एवं अधियाचन संख्या आडिट 105 दिनांक 29–9–2022 द्वारा पत्रावलियो की मांग की गयी थी परन्तु पत्रावलियां नही की गयी थी।

चैन डोजर से सम्बन्धित अनुबन्ध पत्रावली एवं अभिलेख सम्परीक्षा जांच हेतु प्रस्तुत करायी जाये अन्यथा स्थिति में उक्त भुगतान रूपये 1108800 अनियमित/अमान्य/आपत्तिजनक था। इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर सम्परीक्षा में अवगत कराया जाये।

54 – नगर निगम मे पर्याप्त मात्रा में सफाई कर्मचारी होने पर भी नाला सफाई का कार्य बाह्य संख्या से कराया जाना अनियमित/अमान्य/आपत्तिजनक रूपये 401514 :–

आलोच्य अवधि मे सम्परीक्षा मे चयनित माहो के व्यय प्रमाण को की जांच मे देखा गया कि सूची के अनुसार विभिन्न ठेकेदारो से नाला सफाई के कार्य हेतु कुल रूपये – 401514 का भुगतान किया गया था।

जांच मे देखा गया कि नगर निगम में नियमित सफाई कर्मचारिये की संख्या – 998
आउटसोसिंग सफाई कर्मचारियों की संख्या – 893
एवं ठेका सफाई कर्मचारियो की संख्या – 2759
कुल सफाई कर्मचारियो की संख्या – 4650 थी।
लेकिन फिर भी ठेकेदारो द्वारा नाला सफाई का कार्य कराया गया था और नाला सफाई कार्य हेतु कुल रूपये 401514 का भुगतान किया गया था। यह भुगतान सम्परीक्षा की दृष्टि मे अमान्य था।

अधियाचन संख्या – आडिट – 105 दिनांक 29–9–2022 द्वारा पत्रावलियो की मांग की गयी थी परन्तु पत्रावलियां प्रंस्तुत नही की गयी थी। व्यय प्रमाणको के साथ सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नही थे। नाला सफाई से सम्बन्धित अभिलेख एवं अनुबन्ध पत्रावलियां सम्परीक्षा जांच हेतु प्रस्तुत करें अन्यथा स्थिति में उक्त भुगतान रूपये 4,01,514 अनियमित/अमान्य/आपत्तिजनक था। इस सम्बन्ध में कार्यवधि कर सम्परीक्षा मे अवगत कराया जाये।

कं0	व्यय प्रमाणक संख्या	दिनांक	धनराशि	ठेकेदार का नाम	फर्म का विवरण
1	880	24–7–20	255614	मै0 कालिका कान्ट्रेक्टर	वसुन्धरा जोन सैक्टर 15 साई मन्दिर से वैशाली सैक्टर 6 नाले की सफाई
2	894	24–7–20	145900	––"––	हापुडचुंगी ब ब्लाक तक नाला सफाई कार्य
			401514		

<u>55 – ट्रैक्टर ट्राली मे किराये पर अतपूर्ति हेतु अनियमित/अमान्य/आपत्तिजनक भुगतान रूपये 309950</u> :–

आलोच्य अवधि में सम्परीक्षा में चयनित माहो के व्यय प्रमाणको की जांच से प्रकाश में आया कि चैक संख्या 002716 दिनांक 10–7–2020 रूपये 178650 का भुगतान वार्ड 62 गोविन्दिपुरम में ट्रैक्टर ट्राली आपूर्ति दिनांक 12–1–2020 से 12–4–2020 तक एवं चैक संख्या 002716 दिनांक 10–7–2020 रूपये 131300 का भुगतान वार्ड संख्या 18 में ट्रैक्टर ट्राली आपूर्ति दिनांक 17–12–2019 से 16–3–2020 तक के लिये किया गया था।

जांच मे देखा गया कि नगर निगम के पास ट्रैक्टर ट्राली प्रर्याप्त मात्रा में होने के बावजूद ट्रैक्टर ट्राली किराये पर लगातार उपयोग की जा रही थी। नगर निगम मे उपलब्ध उक्त ट्रैक्टर ट्राली उक्तावधि में कार्य हेतु उपलब्ध नही थी। इसमे पुष्टि अभिलेखो के माध्यम से नही करायी गयी थी।

ट्रैक्टर ट्राली मे किराये पर लेने से सम्बन्धित अनुबन्ध पत्रावली सम्परीक्षा प्रस्तुत नही की गयी थी और न ही किराये पर लिये जाने की आवश्यकता से सम्बन्धित अभिलेख व्यय प्रमाणक के साथ उपलब्ध थे। ट्रैक्टर ट्राली किराये से सम्बन्धित अभिलेख एवं किराया अनुबन्ध पत्रावली सम्परीक्षा मे प्रस्तुत कर सम्परीक्षा जांच करायी जाये अन्यथा स्थिति में उक्त भुगतान रूपये 178650 + 131300 कुल रूपये 309950 का भुगतान अनियमित/आपत्तिजनक/अमान्य था। इस सम्बन्ध मे आवश्यक कार्यवाही कर सम्परीक्षा को अवगत कराया जाये।

<u>56 – विभिन्न वार्डो की सफाई कर्मचारियो हेतु नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम गाजियाबाद को भुगतान अनियमित एवं आपत्तिजनक रूपये 2135350</u> : –

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा चयनित सम्परीक्षा माहो के ब्यय प्रमाणको की जांच के समय प्रकाश में आया कि ब्यय प्रमाणक संख्या 181 दिनांक 7–7–2020 रूपये 1110550 एवं ब्यय प्रमाणक संख्या 182 दिनांक 7–7–2020 रूपये 1024800 कुल रूपये 2135350 का भुगतान नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम गाजियाबाद को चेक संख्या 072153 दिनांक 7–7–2020 द्वारा किया गया था। उक्त भुगतान विभिन्न जोनो के विभिन्न वार्डो में दिनांक 21–4–2020 से दिनांक 20–6–2020 तक सफाई कार्यो हेतु सफाई श्रमिको हेतु किया गया था। सफाई कार्य के श्रमिको हेतु नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम गाजियाबाद को भुगतान किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक था। लेखा

अनुभाग द्वारा सीधे सफाई श्रमिको के खातो में अन्तरित कर भुगतान किया जाना चाहिए था। किन नियमों /शासनादेशो के कम में नगर स्वास्थ्य अधिकारी को भुगतान किया गया था स्पष्ट नही था अतएव नगर स्वास्थ्य अधिकारी को भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में यदि कोई वित्तीय नियम/शासनादेश हो तो दिखाया जाय अन्यथा स्थिति में उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्व आवश्यक/प्रभावी कार्यवधि किया जाना अपेक्षित है।

57 – नगर निगम द्वारा सीवर सफाई हेतु जैटिंग मशीन किराये पर लिए जाने से अनियमित/अमान्य/आपत्तिजनक भुगतान रूपये 493600 :–

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में चयनित माहों के व्यय प्रमाणकों की जांच मे देखा गया कि व्यय प्रमाणक संख्या 1038 एवं 1040 दिनांक 24–2–2020 में अधिशासी अभियन्ता जल के कार्य आदेश संख्या 43/जल/2019 – 20 दिनांक 19–12–2019 एवं 122/जलकल/2019 दिनांक 2–8–2019 सीवर सफाई हेतु मै0 ट्रांस एशिया बिल्डर को रूपये 493600 भुगतान किया गया था।

सम्परीक्षा जांच में देखा गया कि सिटी जोन एवं वसुन्धरा जोन में बौलरो पर अथिष्ठापित सीवर की सफाई हेतु सीवर जैटिंग मशीन दिनांक 1–12–2019 से 31–1–2020 सिटी जोन तथा 1–8–2019 से 30–9–2019 तक वसुन्धरा जोन में किराये पर ली गयी थी। उक्त कार्य हेतु मै0 ट्रांस एशिया बिल्डर को सिटी जोन रूपये 245800 एवं वसुन्धरा जोन रूपये 247800 कुल रूपये 493600 का भुगतान किया गया था।

उपरोक्त बिलों पर यह प्रमाण नही दिया गया था कि नगर निगम के पास जैटिंग मशीन उपलब्ध नही है न ही सम्बन्धित अभिलेखों द्वारा इसकी पुष्टि करायी गयी. थी। जिसके कारण जैटिंग मशीन किराये पर लिए जाने का औचित्य स्पष्ट न हो सका। अतः जैटिंग मशीन अनुलब्धता की स्थिति अभिलेखों द्वारा स्पष्ट किया जाए अन्यथा की दशा में भुगतान रूपये 493600 सम्परीक्षा में अनियमित/अमान्य/आपत्तिजनक था।

58 – 400 नग हाथ ठेली की आपूर्ति का कार्य अनियमित एवं आपत्तिजनक :–

स्वास्थ्य विभाग की पत्रावलियों की जॉच में प्रकाश में आया कि 14 वॉं वित आयोग के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता वि0/मॉ0 नगर निगम के कार्य आदेश सं0 14/स्वा0/2019–20 दिनांक 20–11–19 के द्वारा 800 नग हाथ ठेली मशीनो का कय का ठेका मै0 जिरोन इन्ज0 प्रा0 लि0 को दिया गया था। उपरोक्त कार्य के बिल का भुगतान सभी कटौतियो उपरान्त रूपये 1530200 किया गया था। उक्त कार्य में निम्नलिखित अनियममिताऍं प्रकाश में आयी।

(1) 800 नग हाथ ठेली मशीनो की आपूर्ति हेतु आगणन पत्रावली में संलग्न नही। इससे स्पष्ट होता है कि कार्य का आगणन तैयार नही किया गया था आगणन के अभाव में अनुमानित दर किस आधार पर निकाली गयी स्पष्ट किया जाय।

(2) पत्रावली में अवशेष हाथ ठेली का उल्लेख नही किया गया था और वर्तमान में इनका कहॉं कहॉं प्रयोग किया जाना है। कार्य की आवश्यकता का उल्लेख पत्रावली में नही था।

(3) 400 नग हाथ ठेलो की आपूर्ति का कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं सन्तोषजनक रूप से किया गया है का प्रमाणपात्र सक्षम अधिकारी द्वारा नही दिया गया था। वान्टी/गारन्टी प्रमाणपत्र पत्रावली में संलग्न नही था। भण्डार कय नियमावली का पालन नही किया गया था ।

(4) कार्य का आदेश दिनांक 20–11–2019 को दिया गया कार्य आदेश के अनुसार कार्य 30 दिनो में अर्थात 19–12–2019 तक पूर्ण किया जाना था। आपूर्ति की जानी। इस प्रकार आपूर्ति इन्वाइस के अनुसार दिनांक 16–1–2020 अर्थात 27 दिवस विलम्ब की गयी थी। विलम्ब समय के लिए बिल से कोई धनराशि की कटौती नही की गयी थी। बिलम्ब अवधि हेतु विलम्ब धनराशि पेनल्टी की कटौती बिल से नही किये जाने का औचित्य स्पष्ट किया।

(5) 800 नग हाथ ठेली का कय आपूर्ति आदेश दिया गया था। 400 नग हाथ ठेली कय किये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाय।

59 – 10 सीटर 05 मोबाइल टायलेट की आपूर्ति का कार्य अनियमित एवं आपत्तिजनक :–

स्वास्थ्य विभाग की पत्रावलियों की जॉच में प्रकाश में आया कि 14 वॉ वित आयोग के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता वि0/मा0 नगर निगम के कार्य आदेश सं0 56/स्वा0/2020 दिनांक 6–3–2020 के द्वारा 10 सीटर के 05 मोबाइल टायलेट की आपूर्ति का कार्य का ठेका मै0 ईस्ट्रन केमिकल सेन्टर को दिया गया था। उपरोक्त कार्य के प्रथम एवं अन्तिम बिल का भुगतान सभी कटौतियो उपरान्त रूपये 3465600 किया गया था। उक्त कार्य में निम्नलिखित अनियमितताएं प्रकाश में आयी –

(1) 10 सीटर 05 मोबाइल टामलेट की आपूति हेतु आगणन पत्रावली में संलग्न नही था। इससे स्पष्ट होता है कि कार्य का आगणन नही बनाया गया था। कार्य का आगणन न बनाने जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाय।

(2) पत्रावली से यह स्पष्ट नही हो सका कि मोबाइल टोमलेट पूर्व मे कितने अवभेष थे और वर्तमान में इनका कहॉ कहॉ प्रयोग किया जाना है। कार्य की आवश्यकता का उल्लेख पत्रावली में नही किया गया था।

(3) मोबाइल टॉमलेट की आपूर्ति का कार्य गुणवत्तपूर्ण एवं सन्तोषजनक रूप से किया गया है। का प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी द्वारा नही दिया गया था भण्डार कम नियमावली का पालन नही किया गया था।

(4) कार्य का आदेश दिनांक 6–3–2020 को दिया गया। कार्य आदेश के अनुसार कार्य 30 दिनों में अर्थात 5–4–2020 तक पूर्ण किया जाना था। आपूर्ति की जानी थी पत्रावली में संलग्न इन्वाइस के अनुसार मोबाइल टामलेट की आपूर्ति निम्न दिनांको को की गयी थी–

कम सं0	इन्बाइन्स सं0	इन्वाइस दिनांक	मोबाइल टायलेट की सं0	धनराशि जी0 एस0 टी0 सहित
1	010	21–5–2020	01	722000
2	012	21–5–2020	01	722000
3	014	11–6–2020	01	722000
4	015	11–6–2020	01	722000
5	016	13–6–2020	01	722000

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कम सं0 – 1 व 2 पर अंकित मोबइल टोयलेट की आपूर्ति 46,46 दिन कम सं0 – 3,4 अंकित 67,67 दिन क कम सं0– 5 पर अंकित मोबाइल टोयलेट की आपूर्ति 69 दिन देरी की गयी थी। बिलम्ब समय के लिए बिल से कोई धनराशि की कटौती नही की गयी थी। बिलम्ब धनराशि की कटौती बिल से नही किये जा सके तथा औचित्य स्पष्ट किया जाय।

60 – सफाई कार्य को बिना निविदा के कार्य कराये जाने से रूपये 5,25,000 का आपत्तिजनक भुगतान:–

स्वास्थ्य विभाग की पत्रावलियों की जॉच में प्रकाश में आया कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम के कार्यादेश सं0–मीमो/स्वा0/स्टोर/19–20 दिनांक 28–2–2020 द्वारा दिनांक 6–3–2020 से 5–6–2020 तक रूपये 525000 का मोहन नगर जोन वार्ड – सं0 – 60 में राजेन्द्रनगर इन्डस्ट्रियल एरिया जी0 टी0 रोड साहिबाबाद तक सफाई का कार्य का कार्यादेश रूपये 175000 प्रतिमाह की दर से

दिया गया था। रूपये 175000 प्रतिमाह की दर पूर्व में स्वीकृत दरों के आधार पर की गयी थी। उपरोक्त कार्य हेतु निविदा आमन्त्रित किया जाना आवश्यक था जिससे नगर निगम को प्रतिस्पर्धात्मक दरों का लाभ प्राप्त होता। निविदा आमन्त्रित न करने का आधार स्पष्ट किया जाय। पूर्व में निगम द्वारा सफाई कार्य करने हेतु मांगी गयी निविदाओं की पर कार्य का जस्टिफिकेशन आगणन आदि में पत्रावली में सलग्न नही था। जिससे रूपये 175000 प्रतिमाह कार्य की दर का सत्यापन न हो सका जिससे रूपये 525000 मै0 हिन्डन इन्टर प्राइजेज को किया गया भुगतान सम्परीक्षा की दृष्टि से आपत्तिजनक/अमान्य था।

61 – विज्ञापन दर ठेके के स्थान पर विज्ञापन कार्य कुटेशन के आधार पर कराया जाना आपत्तिजनकः–

स्वास्थ्य विभाग स्वच्छ भारत मिशन की पत्रावलियो की जॉच में प्रकाश में आया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण के अन्तर्गत विभिन्न प्रचार प्रसार हेतु फलैक्स बोर्ड, समाचार पत्रो मे विज्ञापन कराया गया था। विज्ञापन कार्य कुटेशन आदि माध्यमों से कराया गया था। यदि स्वास्थ्य विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए विज्ञापन कार्य को दर ठेके के आधार पर दिया जाता तो नगर निगम को तुल्नात्मक दरों का लाभ प्राप्त होता। निम्नलिखित कार्यो की पत्रावलियों की जॉच में प्रकाश में आया कि फलैक्स ऑन वुडन साइज, फलैक्स ऑन आर्यन फ्रेम साइज कार्य की दरों काफी अन्तर पाया गया। विभिन्न दरों पर कार्य कराने का आधर स्पष्ट किया जाय।

कमांक	कार्य का नाम	दर	मात्रा	अन्तर	अधिक भुगतान	व्यय प्रमाणक सं0/दिनांक धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	नगर निगम द्वारा आमजन नागरिको को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने व खले में शौचालय के आस पास फ्लैक्स लगाने का कार्य Flex on gram Frame size	33/–प्रति वर्ग फीट				930/23–3–21 रूपये 468344.00
2	स्वच्छता शंखनाद रैली कार्यकम में खैतान पब्लिक स्कूल Flex on gram Frame size	36	1920 वर्ग फीट	36–33 =3	3×1920=5760	159/11.02.21 रु0 84391.00
3	स्वच्छता शंखनाद रैली कार्यकम Flex on gram Frame size	36	2000 वर्ग फीट	36–33 =3	3×2000=6000	1490/27.04.20 रु0 83035.00
4	स्वच्छता शंखनाद रैली कार्यकम Flex on gram Frame size	36	2200 वर्ग फीट	36–33 =3	3×2200=6600	1492/27.04.20 रु0 91338.00

5	नगर निगम द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाये गये कार्यक्रम में प्रचार प्रसार हेतु। gram Flex Bord	36	2000 वर्ग फीट	36—33 =3	3×2000=6000	1474 / 27.04.20 रु0 83035.00
6	स्वच्छता शंखनाद रैली में फ्लैक्स बोर्ड का कार्य	36	2049 वर्ग फीट	36—33 =3	3×2049=6147	1499 / 27.04.20 रु0 86972.00
7	जोन वाईज कामर्शियल क्षेत्र में थैला प्रयोग करने सम्बन्धी। gram Flex Bord	36	2000 वर्ग फीट	36—33 =3	3×2000=6000	1465 / 27.04.20 रु0 83035.00
8	स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत शहर के मुख्य बाजार, मार्किट चौराहों पर gram Flex Bord	36	2200 वर्ग फीट	36—33 =3	3×2200=6600	1466 / 27.04.20 रु0 91338.00
9	स्वच्छता शंखनाद रैली में फ्लैक्स बोर्ड की आपूर्ति।	36	1320 वर्ग फीट	36—33 =3	3×1320=3960	1491 / 27.04.20 रु0 76946.00
10	कोविड 19 के प्रति जागरूक व लॉकडाउन किये जाने हेतु फ्लैक्स बोर्ड आपूर्ति।	36	2200 वर्ग फीट	36—33 =3	3×2200=6600	944 / 27.04.20 रु0 91338.00
			<u>बुड़न फ्लैक्स बोर्ड</u>			
11	नगर निगम सीमान्तर्गत मुख्य चौराहों पर फ्लैक्स बोर्ड आपूर्ति। Wooden Flex Bord	25.60				956 / 23.03.21 रु0 88570.00
12	भारत सरकार के शहरी विकास और आवास मंत्रालय द्वारा एक नागरिक धारण सर्वेक्षण रैली	32	1000 वर्ग फीट	32—25.60 =6.40	6.40×1000 =6400	509 / 25.09.20 रु0 37005

13	स्वच्छता शंखनाद रैली Flex Wooden frame	32	2520 वर्ग फीट	32—25.60 =6.40	6.40×2520 =16128	1495 / 27.04.20 रू0 92,999
14	भारत सरकार के शहरी विकास और आवास मंत्रालय द्वारा एक नागरिक धारण सर्वेक्षण Flex on Wooden frame	32	2000 वर्ग फीट	32—25.60 =6.40	6.40×2000 =12800	1508 / 27.04.20 रू0 73809.00
15	स्थायी अस्थायी रैन बसैरों में कूड़ा बैंक के व्यापक प्रचार प्रसार किये जाने हेतु। Flex on Wooden frame	32	2000 वर्ग फीट	32—25.60 =6.40	6.40×2000 =12800	160 / 11.02.21 रू0 80670
16	नगर निगम द्वारा आमजन को समस्त शौचालयों में सूचक फ्लैक्स बोर्ड	27	9600 वर्ग फीट	27—25.60 =1.40	1.40×9600 =13440	931 / 23.03.21 रू0 2928080

62 — निष्प्रयोज्य मोबाइल टायलेट की निलामी न कराने से आर्थिक क्षति रूपये 22892 :—

निष्प्रयोज्य मोबाइल शौचालय को कटवाकर विभाग में जमा कराने के सम्बन्ध में से सम्बन्धित पत्रावली की जांच मे देखा गया कि वसुन्धरा जोन मे ब्रज बिहार सूर्य नगर का कण्डम मोबाइल टायलेट मे कटवाले हेतु मै0 अन्नपूर्णा इन्टर प्राइजेज गाजियाबाद को रूपये 22892 का भुगतान किया गया था।

जांच मे देखा गया कि वसुन्धरा जोन में ब्रजबिहार सूर्य नगर का कण्डम मोबाइल टायलेट को कटवाने हेतु तीन फर्मो से कुटेशन प्राप्त हुई थी, इनमे से न्यूनतम कुटेशन मै0 अन्नपूर्णा इन्टरप्राइजेज गाजियाबाद को रूपये 22892 सभी कर सहित स्वीकृत की गयी थी। मोबाइल टायलेट को कटवाकर रूपये 22892 व्यय किया गया था जबकि कण्डम मोबाइल टायलेट को निष्प्रयोज्य सामग्री के रूप मे खुले बाजार से दर प्राप्त कर विक्रय किया जाना था। जिससे नगर निगम को व्यय के स्थान पा आय की प्राप्ति होती। इस प्रकार कण्डम मोबाइल टायलेट की निलामी ना करने के स्थान पर टायलेट को कटवाकर रूप्ये 22892 की आथिक क्षति पहुचायी गयी थी इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर सम्परीक्षा में अतगत कराया जाये।

63 — विभिन्न जोनो के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर विभिन्न जलकल कार्यो को ठेके स्थान पर कोटेशन से कार्य कराया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक रूप्ये 4,95,80,625 :—

जलकल विभाग की पत्रावलियों की जॉच से प्रकाश में आया कि जलकल विभाग नगर निगम के जोनो के अन्तर्गत विभिन्न स्थानो पर विभिन्न जलकल कार्यो को अनेक भागों में बॉटकर कुटेशन के आधार पर कराया गया था। जलकल विभाग द्वारा कार्यो हेतु ठेकेदारों से कुटेमन मांगे गये थे कार्य का आबंटन विभिन्न दिनांको को किया गया था। जलकल विभाग के अति आवश्यक कार्यो का भी दो माह

या अधिक समय बिलम्ब से कार्यादेश दिया गया था। यदि कार्यो को सम्पूर्ण रूप में एक फर्म/ ठेकेदार से कराया जाता तो कार्य कम समय में कराया जा सकता था और नगर निगम को प्रतिस्पर्धात्मक दरो का लाभ प्राप्त होता। शासनादेश सं0 6736/23–7–2006 –176 सा0/99 दिनांक 5 जनवरी 2007 द्वारा भी कार्य को टुकडो में कराये जाने पर प्रतिबन्धित किया गया था। अतएव ठेके के स्थान पर कुटेशन से कार्य कराया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक था। इस और नगर निगम के उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। कार्यो का विवरण निम्नवत है।

क0सं0	एक साथ प्रकाशित कुटेशनों की संख्या	सम्पूर्ण धनराशि	कुटेशन आमन्त्रण की अन्तिम तिथि	कार्यादेश का दिनांक
1	100	76,27,827.00	05.11.19	कुटेशन आमन्त्रण की अन्तिम तिथि से लगभग दो माह बाद।
2	56	49,53,057.00	15.08.19	कुटेशन आमन्त्रण की अन्तिम तिथि से लगभग दो माह बाद।
3	146	1,12,53,508.00	03.02.20	कुटेशन आमन्त्रण की अन्तिम तिथि से लगभग तीन माह बाद।
4	90	70,41,198.00	27.07.20	कुटेशन आमन्त्रण की अन्तिम तिथि से लगभग दो माह बाद।
5	233	1,87,05,035.00	11.05.18	कुटेशन आमन्त्रण की अन्तिम तिथि से लगभग एक माह बाद।
		4,95,80,625.00		

टि0– कोटेशनों की सूची संलग्न परिशिष्ट–'31' पर दी गयी है।

64 – नगर निगम के विभिन्न जोनों में नलकूपों के संचालन एवं अनुरक्षण कार्यो हेतु अनियमित एवं आपत्तिजनक भुगतान रूपये 75,86,584 :–

नगर निगम द्वारा विभिन्न जोनो में नलकूपों का संचालन एवं अनुरक्षण प्राइवेट फर्मो कम्पनियो द्वारा किया जा रहा था। सम्बन्धित पत्रावलियों में आलोच्य अवधि से सम्बन्धित संचालन एवं अनुरक्षण का नगर निगम द्वारा कोई निविदा/टेण्डर आलोच्य अवधि में नहीं किया गया था। बल्कि पूर्व वर्षो में आमन्त्रित पूर्व निविदा की न्यूनतम स्वीकृत दरों दर ही कार्यादेश दिया गया था किसी भी पत्रावली में इस प्रकार का कोई विवरण सलग्न नही था कि नगर निगम के पास निम्न नल कूपों के संचालन हेतु जनशक्ति का अभाव था। उक्त के अभाव में प्राइवेट फर्मो द्वारा नलकूपों को संचालित कराने का औचित्य स्पष्ट कराया जाय।

कुछ पत्रावलियो मे दी गयी आख्या से स्पष्ट था कि नलकूपों के संचालन हेतु 31–1–2018 को ई–निविदाये मांगी गयी थी जिन्हें नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 26–3–2018 को स्वीकृति प्रदान की गयी थी किन्तु पत्रावलियों में सम्बन्धित निविदायें एवं तुलनात्मक विवरण तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति संलग्न नही थी। इन्हे सम्परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत किया जाय। विवरण संलग्न परिशिष्ट 17 पर दिया गया है।

65 – रूपये 62,35,512 के कार्य को 80 भागों में बॉटकर ठेके के स्थान पर कुटेशन के आधार पर कार्य कराया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक :–

जलकल विभाग की पत्रावलियों की जॉच से प्रकाश में आया कि जलकल विभाग नगर निगम के जोनो के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर विभिन्न जलकल कार्यो को 80 भागों में बॉटकर कुटेशन के आधार पर कराया गया था। जलकल विभाग द्वारा निम्नांकित रूपये 6235512 के कार्यो हेतु ठेकेदारो से दिनांक 6–12–2019 तक कुटेशन मांगे गये थे। कार्य का आबंटन विभिन्न दिनांको को किया गया था। जलकल विभाग के अतिआवश्यक कार्यो को भी दो माह से अधिक समय से विलम्ब से कार्यादेश दिया गया था। यदि कार्यो को सम्पूर्ण रूप में एक फर्म/ठेकेदार से कराया जाता तो कार्य कम समय में कराया जा सकता था और नगर निगम को प्रतिस्पर्धात्मक दरों का लाभ प्राप्त होता/ शासनादेश सं0 6736/23–7–2006–176 सा0/99 दिनांक 5 जनवरी 2007 द्वारा भी कार्य को टुकडो में कराये जाने पर प्रतिबन्धित किया गया था। कार्य पत्रावलियों में मात्र पुस्तिका संलग्न नही थी जिससे कार्य की सम्पूर्ण लागत व कार्य का विवरण की जॉच सम्भव न हो सकी। पत्रावलियों में माप पुस्तिका संलग्न किया जाना अपेक्षित है।

क0सं0	व्यय प्रमाणक सं0/दिनांक धनराशि	कार्य/ठेकेदार का नाम	कुटेशन आमन्त्रण की अन्तिम तिथि कार्यादेश दिनांक	कुटेशन की आगणन धनराशि (रु0) निधि का नाम
1	374/9.11.20 रु0 90900	वसुन्धरा जोन हिन्डन बिहार में 6"एम0एस0 राईजिंग मैन पाईप लाईन पम्प नं0 4 में एम0एस0 पाईप मरम्मत मै0 अनुज कुमार	06.12.19 14.02.20	95186.00 निगम निधि
2	381/9.11.20 रु0 65200.00	मोहन नगर जोन अन्तर्गत शालीमार गार्डन एवं म0नं0 70 के 4"एम0एस0 लाईन सप्लाई लेन को गन्दे नाले के ऊपर करना। मै0 अनुज कुमार	06.12.19 14.02.20	68129.00 निगम निधि
3	375/9.11.20 रु0 64700.00	मोहन नगर जोन शालीमार गार्डन एवं म0 70		
4	379/9.11.20 रु0 82100.00	वसुन्धरा जोन के अन्तर्गत 3 स्थानों पर लीकेज मरम्मत	06.12.19 08.06.20	86186.00 निगम निधि

66 – एक ही प्रकृति के कार्य को विभिन्न ठेकेदारों से भिन्न भिन्न दरों पर कराये जाने से ठेकेदारो को किया गया अधिक भुगतान रूपये 17,56,919 :–

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में नगर निगम के जलकल अनुभाग द्वारा पूर्व अधिष्ठापित डीपवेल बोर की रिबोरिन्ग कार्य की जॉच हेतु प्रस्तुत 16 पत्रावलियों की सम्परीक्षा के समय प्रकाश में आया कि उक्त सभी रिबोर के कार्यो हेतु आगणन रूपये 18,00,000 का तैयार किया गया था। उक्त आगणन के आधार पर ही निविदाये आमंत्रित की गयी थी जिसमें कविनगर जोन अन्तर्गत वार्ड – 84 स्थिति

राजनगर सेक्टर – 11 में पूर्व से अधिष्ठापित डीपवेल बोर की रिबोरिन्ग का कार्य आगणन दर रूपये 18,00,000 से 25.85 प्रतिशत कमदर पर न्यूनतम निविदा के आधार पर मै0 गोपाल इलैक्ट्रिक इंजीनियरिन्ग गाजियाबाद को रू0 1334700 में दिया गया था। ठेकेदार द्वारा उक्त कार्य को रूपये 1314771 की कुल लागत पर सम्पादित किया गया था। जबकि उपरोक्त अन्य कार्यो को जिसकी आगणन दर समान थी, को उक्त से उच्च दर पर उक्त ठेकेदार एवं अन्य ठेकेदारो द्वारा सम्पादित किया गया था। जिसमें न्यूनतम लागत 1314771 से अधिकतम लागत रूपये 1642872 थी। इस प्रकार एक ही प्रकृति के कार्य को एक ही ठेकेदार एवं भिन्न भिन्न ठेकेदारो की भिन्न भिन्न दरों पर निविदा स्वीकार कर कार्य कराया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक था। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि एक ही तिथि मे खोली गयी निविदा भी भिन्न भिन्न दरों पर स्वीकृत की गयी थी जिसक लिए न तो कोई जस्टिफिकेशन पत्रावली में अंकित था और नही ठेकेदारो से कोई निगोशियेशन किया गया था।

इस प्रकार एक ही प्रकृति के कार्य को बिना किसी जस्टिफिकेशन अंकित किये ठेकेदारो से बिना किसी निशोशियेशन के भिन्न भिन्न दरों पर कार्य कराये जाने से न्यूनतम लागत रूप्ये 1314771 को आधार मानकर उक्त 16 कार्यो में निम्नांकित विवरणानुसार रूपये 1756919 का ठेकेदारो को अधिक भुगतान किया गया था।

अतएव उक्त के सम्बन्ध में सम्परीक्षा में आगामी अवसर पर स्थिति स्पष्ट करायी जाय अन्यथा स्थिति में ठेकेदारो को किये गये अधिक भुगतान कुल रूपये 1756919.00 की प्रतिपूर्ति उत्तरदायी से कराये जाने हेतु नगर निगम के उच्चाधिकारियो का ध्यान विशेष रूपसे आकृष्ट किया जाता है। किये गये अधिक भुगतान का विवरण निम्नवत है।

कमांक	कार्य का विवरण	फर्म का नाम	स्वीकृत निविदा धनराशि	कार्य की कुल लागत	न्यूनतम लागत 1314771 से अधिक भुगतान
1	मोहन नगर जोन साई उपवन नलकूप नं0 2 में रिबोरिंग का कार्य	मै0 गोपाल इलै0 इन्जीरियरिंग	1376100	1359870	45099
2	वसुन्धरा जोन वार्ड 76 सेक्टर 1 स्थित आर्शीवाद कालोनी में रिबोर का कार्य	मै0 सुपरवाट सप्लाई कं0	1624669	1604040	289269
3	वसुन्धरा जोन वार्ड 77 वैशाली सै0 4 में स्थित पम्प नं0 4/7 की रिबोरिंग कार्य	मै0 गोपाल इलै0 इन्जी0	1438200	1426556	111785
4	सिटी जोन द्वितीय वार्ड 69 लोहिया नगर में रिबोरिंग कार्य	––"––	1352700	1344853	30082
5	सिटी जोन द्वितीय वार्ड 19 संजय गीता प्रथम में रिबोरिंग कार्य	मै0 राज कन्स0	1512900	1501583	186812

6	सिटी जोन तृतीय वार्ड 92 नया बस अड्डा नं0 1 में रिबोरिंग कार्य	मै0 गोपाल इलै0 इन्जी0	1376100	1374178	59407
7	सिटी जोन तृतीय वार्ड33 एम0एम0जी0 अस्पताल नलकूप नं0 1 रिबोरिंग कार्य	मै0 केशव इन्टरप्राइजेज	1655072	1642872	289269
8	सिटी जोन तृतीय वार्ड 92 एम0बी0 गर्ल्स नया बस अड्डा परिसर में रिबोरिंग कार्य	मै0 गोपाल इलै0 इन्जी0	1376100	1373260	58489
9	विजय नगर जोन वार्ड 51 जी ब्लाक में रिबोरिंग कार्य	मै0 सुपर वाटर सप्लाई कं0	1642659	1610953	296182
10	कविनगर जोन वार्ड 91 कलाधाम पम्प नं0 14 रिबोरिंग कार्य	मै0 गोपाल इलै0 इन्जी0	1334700	1324448	5677
11	कविनगर जोन वार्ड 62 गोविन्दपुरम डी ब्लाक में रिबोरिंग कार्य	--"--	1376100	1359112	44341
12	कविनगर जोन वार्ड 62 गोविन्दपुरम सी ब्लाक में रिबोरिंग कार्य	--"--	1346100	1360696	45925
13	कविनगर जोन वार्ड 84 राजनगर से-03 में रिबोरिंग कार्य	--"--	1376100	1359465	44694
14	कविनगर जोन वार्ड 84 राजनगर से-11 में रिबोरिंग कार्य	--"--	1334700	1314771	शून्य
15	सिटी जोन प्रथम वार्ड 59 एम0बी0 गर्ल्स चन्द्रपुरी में रिबोरिंग कार्य	--"--	1438200	1431900	117129
16	सिटी जोन तृतीय वार्ड 92 चमड़ा पैठ में रिबारिंग कार्य	--"--	1424700	1408698	93925
					1756919.00

67 – एक ही प्रकृति के कार्य को एक ही ठेकेदार द्वारा भिन्न – भिन्न दरो पर कराये जाने से रूपये 536736.00 एवं कार्य को विलम्ब से पूर्ण किये जाने पर बिल से अर्थदण्ड की कटौती न किये जाने से रू0 178552.00 कुल रु0 715288.00 की नगर निगम को आर्थिक क्षति :–

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में अवस्थापना विकास निधि से सिटी जोन तृतीय वार्ड 92 कैला भटठा स्थित कमेला चौक एवं वसुन्धरा जोन अन्तर्गत वैशाली सेक्टर – 1 में नवीन उपिवेल नलकूप के अधिष्ठापन कार्य की पत्रांवली की जॉच के समय प्रकाश आया कि उक्त दोनों कार्यो हेतु आगणन धनराशि रूपये 32,00,000 थी। उक्त दोनो कार्य हेतु कमशः रूपये 3038400 (5.05 प्रतिशत कम दर पर) एवं रूपये 2446400 (23.55 प्रतिशत कम दर पर) की निविदा स्वीकृत की गयी थी तथा ठेकेदार द्वारा उक्त कार्यो को कमशः रूपये 2977771 एवं रूपये 2440975 की कुल लागत पर समाप्त किया गया था/उक्त कार्यो हेतु ठेकेदार मेसर्स गोपाल इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग तुराव नगर गाजियाबाद के प्रस्तुत बिल से समस्त करों की कटौती के पश्चात कमशः व्यय प्रमाणक संख्या 2463 दिनांक 28–11–20 में 1627500 एवं व्यय प्रमाणक संख्या 1734 दिनांक 30–3–21 में 1058700 कुल रूपये 2686200 का भुगतान कमला चौक स्थित नलकूप अधिष्ठापन के कार्य हेतु एवं व्यय प्रमाणक संख्या 339 दिनांक 5–10–20 रूपये 1305800 एवं व्यय प्रमाणक संख्या 2464 दिनांक 28–11–20 रूपये 862300 कुल रूपये 2168100 का भुगतान वैशाली सं0–1 नलकूप अधिष्ठापन हेतु किया गया था।

1 – उक्त दोनो पत्रावलियो की जॉच के समय प्रकाश में आया कि उक्त दोनो कार्य एक ही प्रकृति के थे तथा दोनो कार्य हेतु आगणन धनराशि भी समान थी। उक्त दोनो कार्य की निविदा मेसर्स गोपाल इलेक्ट्रिक इंजीनियरिन्ग तुराव नगर गाजियाबाद की स्वीकृत की गयी थी जो कमेला चौक स्थिति नलकूप अधिष्ठापन हेतु रूपये 3038400 (5.05प्रतिशत कम दर पर) एवं वैशाली सेक्टर –1 में नलकूप अधिष्ठापन हेतु रूपये 2446400 (23.55प्रतिशत कम दर पर) की निविदा स्वीकृत की गयी थी एक ही प्रकृति के कार्य हेतु एक ही ठेकेदार को भिन्न भिन्न दरो पर निविदा स्वीकृत किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक था तथा उक्त कार्यो की वास्तविक कुल लागत कमश रूपये 2977711 एवं 2440975 थी। इस प्रकार एक ही प्रकृति के कार्य हेतु भिन्न भिन्न दो पर निविदा स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप कार्य की कुल लागत हेतु भिन्न भिन्न धनराशि का भुगतान किये जाने से नगर निगम को रूपये 536736 (2977711=00–2440975) की आथिक क्षति हुई थी। उक्त के सम्बन्ध में सम्परीक्षा में आगामी अवसर पर स्थिति स्पष्ट करायी जाय अन्यथा स्थिति में नगर निगम को हुयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति उत्तरदायी से करायी जाय।

2 – सिटी जोन कमेला चौक स्थित डीपवेल नलकूप अधिष्ठापन हेतु कार्यादेश सं0 27/जलकल/20–21 दिनांक 20–10–20 एवं वैशाली से0 – 1 स्थित नलकूप अधिष्ठापन हेतु कार्यादेश सं0 – 13/नलकल /2020–21 दिनांक 30–5–20 द्वारा 4 माह में कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देश दिया गया था। अनुबंध की अन्य शर्त संख्या 6 के अनुसार निर्धारित समय पर कार्य पूर्ण न होने पर रू 100 प्रतिलाठा प्रतिदिन की दर से ठेकेदार के बिल से अर्थदण्ड की कटौती किये जाने का प्राविधान था ठेकेदा द्वारा माप पुस्तिका में अंकित तिथि के अनुसार उक्त कार्यो को कमशः दिनांक 25–3–21 एवं 1–11–20 को पूर्ण किया गया था जबकि दिनांक 20–2–21 एवं 30–9–20 को पूर्ण किया जाना था इस प्रकार कमशः 33 एवं 32 दिवस बिलम्ब से कार्य पूर्ण किया गया था जिस हेतु कोई अर्थदण्ड की कटौती ठेकेदार के बिल से नही की गयी थी जिससे स्वीकृत निविदा धनराशि के आधार पर कमशः रूपये 100267 = 00 (3038400×100×33)/100000 एवं 78285 (2446400×100×32)/100000 कुल रूपये 178552 (100267+78285) की की आर्थिक क्षति नगर निगम की हुयी थी।

अतएव उपरोक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाय अन्यथा स्थिति कुल धनराशि रूपये 715288 (536736+178552) की प्रतिपूर्ति कराये जाने हेतु संस्था के उच्चाधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

68 – अतिरिक्त मद के रूप में ठेकेदार को अधिक भुगतान रू 2395500=00 व अन्य अनियमितताए:–

व्यय प्रमाणकों की सम्परीक्षा से प्रकाश में आया कि 14 वें वित आयोग के अन्तर्गत प्र0 अधिकारी अभियन्ता जल के कार्यादेश – 01/जलकल/2020–21 दिनांक 13–5–20 के द्वारा वसुन्धरा जोन अन्तर्गत वार्ड – 76 वैशाली से0 2 ई में 300 एम0 एम0 ब्यास की 1252 मीटर आर0 सी0 सी0 सीवर लाईन डालने का कार्य का ठेका मै0 आकांक्षा कन्सट्रक्शन को रू 6017120 दिया गया था। कार्यालय आदेश सं0 12/जलकल/20–21 दिनांक 13–5–20 द्वारा सिटी जोन तृतीय अन्तर्गत वार्ड – 93 में 300 एम0 एम0 ब्यास की 450 मी0 सीवर लाइन डालने का कार्य का ठेका मैसर्स खुर्शीद अहमद को एवं कार्यादेश सं0 19/जलकल/20–21 दिनांक 18–6–20 द्वारा विजय नगर जोन अन्तर्गत वार्ड 23 कैलाशनगर में 250/300 एम0 एम0 ब्यास की 1450 मीटर आर0 सी0 सी0 सीवर लाईन बिछाने का कार्य का ठेका मै0 राकेश सिंह नर्सरी को रु0 35,24,500.00 में दिया गया था। तीनों कार्यों की प्रकृति एक जैसी है किन्तु फिर भी वसुन्धरा जोन अन्तर्गत वार्ड 76 वैशाली से0–2 ई0 में 300 एम0एम0 ब्यास की 1252 मी0 आर0सी0सी0 लाईन डालने के कार्य में निम्नलिखित अतिरिक्त मदों का प्रयोग हेतु भुगतान ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया था जो सम्परीक्षा की दृष्टि से अनुचित था। निम्न चार अतिरिक्त मदों का प्रयोग इस कार्य में करने का औचित्य स्पष्ट किया जाय अन्यथा स्थिति में अतिरिक्त निम्न मदों हेतु किये गये भुगतान रु0 23,95,500.00 की वसूली ठेकेदार से किया जाना अपेक्षित है।

क0सं0	मद	वार्ड 76 वैशाली सै0 2ई0 में 300 एम0एम0 ब्याज की 1252 मीटर आर0सी0सी0 सीवर लाईन डालने का कार्य	वार्ड 93 में 30 एम0एम0 ब्याज की 450 मीटर सीवर लाईन डालने का कार्य	वार्ड 23 कैलाश नगर में 300 एम0एम0 ब्याज की 1450 मीटर आर0सी0सी0 सीवर लाईन बिछाने का कार्य
		85,67,734.00	26,23,000.00	50,35,000
	आगणन धनराशि	मात्रा	दर	धनराशि
1	Concreat 6:12 Fine sand & brick ballast i/c all comp.	1230वर्गमी0	1850	2275,500
2	Repairing of damage waterline at all of Comp. Work	10 Job	5000	50,000
3	Making connection of new sewer line to exiting sewer manholesi/c all	5 job	10000	50,000

	required material, T/p and labour charges etc.			
4	Cleaning of side	1	20000	20,000
				23,95,500

(2) कार्य में अतिरिक्त परफोर्मेन्स गारन्टी आगणन धनराशि पर 10 प्रतिशत से अधिक ब्लो(न्यून) पर ठेकेदार द्वारा निविदा/टैण्डर डाले जाने की स्थिति में 10 प्रतिशत ब्लो(न्यून) तक .50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक ब्लो(न्यून) दर पर 01 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर पर ली गयी थी। इस प्रकार रु0 21,25,653 अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी ली गयी थी।

शासनादेश सं0 622/23–12–2012–2 आडिट/08 टी0सी0 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी आगणन धनराशि पर 10 प्रतिशत से अधिक ब्लो(न्यून) पर ठेकेदार द्वारा निविदा डाले जाने की स्थिति में 10 प्रतिशत से अधिक ब्लो(न्यून) पर 01 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी रु. 25,70,320.00 ली जानी थी।

इस प्रकार शासनादेश की गलत व्याख्या के कारण अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी रु0 4,44,667.00 कम ली गयी थी। रु0 4,44,667.00 अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी कम लिये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

उ0प्र0 शासन के भूतत्व एवं खनिज अनुभाग के शासनादेश सं0 3385/88–2015–292/2015 दिनांक 15.10.2015 द्वारा निर्देशित किया गया था कि सार्वजनिक निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उपखनिजों की आपूर्ति प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्राप्त किये जाने वाले उप खनिज नियमानुसार रायल्टी का भुगतान कर अभिवहन प्रपत्र–11 (एम0एम0 11) के आधार पर परिवहन किये गये है जिन मामलों में रायल्टी का भुगतान किये बिना उपखनिजों की आपूर्ति हुई हो, उनके बिलों का भुगतान करने से पूर्व निर्धारित दर पर रायल्टी की धंनराशि की कटौती कर संगत लेखा शीर्षक में अवश्य जमा कर ली जाए।

इस निर्माण कार्य में उपभोग किये गये खनिजों के सापेक्ष ठेकेदार द्वारा अभिवहन प्रपत्र–11 (एम0एम–11) प्रस्तुत नहीं किये गये थे और न ही निगम द्वारा ठेकेदार के बिल से रायल्टी की कटौती की गयी थी तथा उस पर लगायी गयी पेनाल्टी जो रायल्टी दर का पांच गुना होती है। उसकी कटौती भी नहीं की गयी थी जिससे शासन को निम्न विवरणानुसार रु0 1,64,235.00 की क्षति हुई थी।

मद	दर	धनराशि
197.93 घन मी0 फाइन सैंड	65	12865.00
176.34 घन मी0 ग्रीट	ग्रीट 110	19397.00
5.85 घन मी0 कोर्स सैंड	100	585
		32847 X5=1,64,235.00

69 – 250 एम0 एम0 ब्यास की डी0 आई0 पाइप लाइन डालने के कार्य में अनावश्यक मद हेतु रूपये 805951 पुरानी निकाली गयी टाइल्स की कम मात्रा में रिलेइन्ग कराये जाने से रूपये 38100 एवं विलम्ब से कार्य पूर्ण किये जाने के फलस्वरूप विलम्ब दण्ड की बिल से कटौती न किये जाने से रूपये 604938 कुल रूपये 1448989 को ठेकेदार को अधिक भुगतान एवं अन्य अनियमिततायें:–

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में अवस्थापना विकास निधि से वसुन्धरा जोन अन्तर्गत वार्ड नं0 54 नया सी0 डब्ल्यू0 आर0 से वसुन्धरा से0 – 1 तक 250 एम0 एम0 ब्यास की डी0 आई0 पाइप

लाइन डालने के कार्य की पत्रावली की जॉच के समय प्रकाश में आया कि उक्त कार्य करने हेतु मेसर्स केशव इन्टरप्राइजेज बी0 – 133 पटेल नगर गाजियाबाद को आगणन धनराशि 7334000=00 25.69 प्रतिशत कमदर पर रूपये 5449895=00 में न्यूनतम निविदा के आधार पर दिया गया था। उक्त कार्य की कुल लागत द्वितीय/अन्तिम बिल के अनुसार रू0 5410054=00 थी। जिसमें से टी0 डी0 एस0 आयकर कटौती रूपये 108202=00 जी0 एस0 टी0 रूपये 108202=00 से रूपये 54101=00 व अन्य रू0 49 कुल रूपये 270554 की कटौती के पश्चात कुल रूपये 5139500 का भुगतान मेसर्स केशव इन्टर प्राइजेज को ब्यय प्रमाणक संख्या 340 दिनांक 5–10–2020 रूपये 2640900 एवं ब्यय प्रमाणक संख्या 848 दिनांक 23–3–21 रूपये 2498600 द्वारा किया गया था। उक्त पत्रावली की जॉच में निम्नांकित कमियॉ प्रकाश में आयी।

1 – उक्त कार्य में सप्लाई एण्ड लेइन्ग आफ स्टोन वैलास्ट 22.4 –53 गेज एवं 45–63 गेज हेतु कार्य कराया गया था। 250 एम0 एम0 ब्यास की डी0 आई0 पाइप लाइन डालने के कार्य में दो बार स्टोन बैलास्ट का कार्य किन परिस्थितियो मे कराया गया था। उक्त कार्य कराये जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध अभिलेखीय पुष्टि कराया जाय अन्यथा स्थिति में निम्नांकित विवरणानुसार अनावश्यक कार्य हेतु ठेकेदार को अधिक भुगतान का प्रकरण था।

क्र0 सं0	माप पुस्तिका कार्य क्रमांक	मद का नाम	मात्रा	दर	धनराशि
1	35	सप्लाई एण्ड लेइंग आफ 22.4–53 गेज स्टोन वैबास्ट	288	2048	589824
2	33	कन्सालिडेशन आफ 12 एम0 एम0 लूज थिक गोट आफ स्टोन वैलास्ट	288	180	51840
3	34	वाटर एलाउन्स	288	25	7200
4	36	सप्लाई एण्ड स्टैकिन्ग आफ स्क्रीनिन्ग मटेरियल	80.64	1948	157087
				योग =	805951

उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य में 360 घन मी0 विदुमिन रोड की डिस्मेंटालिन्ग एवं 1782 घन मी0 मिटटी खुदाई का कार्य किया गया था जिसके डिस्पोजल किये जाने का उल्लेख माप पुस्तिका में नही था स्पष्ट था कि उक्त मलवा का उपयोग यथा स्थान पर ही किया गया था। 250 एम0 एम0 ब्यास की पाइप भी डाली गयी थी। इसके बावजूद दो बार स्टोन वैलास्ट का कार्य कराये जाने का औचित्य प्रतीत नही होता। उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जाय अन्यथा स्थिति उक्तानुसार अनावश्यक मदों हेतु किया भुगतान रूपये 805951 की प्रतिपूति कराये जाने हेतु प्रभावी। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

2 – कार्य के फोटोग्राफ देखने से स्पष्ट था कि डिस्मेंटालिन्ग की गयी इन्टरलाकिन्ग टाइल्स ज्यादा पुरानी नही थी जिसमें कम से कम 80 प्रतिशत इन्टरलाकिन्ग टाइल्स की रिलेइंग करायी जानी चाहिए थी जबकिउक्त कार्य में मात्र 20 प्रतिशत इन्टरलाकिन्ग टाइल्स की ही रिबेइन्ग करायी अन्य कार्यो में डिस्मेटलिन्ग टाइल्स का 80 प्रतिशत रिलेइन्ग करायी गयी थी। उक्त कार्य में 100 वर्ग मी0 टाइल्स उखाडी गयी थी जिसमें मात्र 20 वर्ग मी0 ही रिलेइन्ग की गयी थी जबकि 80 वर्ग मी0 कम से कम रिलेइन्ग कराया जाना चाहिए था इस प्रकार 60 वर्ग मी0 80 – 20 पुरानी टाइल्स की रिलेइन्ग न कराये जाने से 60×635 (720–85) = 38100 का ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया था। अतएव

उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जाय अन्यथा स्थिति में अधिक भुगतान की प्रतिपूर्ति कराया जाना अपेक्षित है।

3 – कार्यादेश संख्या 08/जलकल/2020–21 दिनांक 13–5–2020 द्वारा उक्त कार्य 4 माह में पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था लेकिन ठेकेदार द्वारा माप पुस्तिका के अनुसार उक्त कार्य 2–1–2021 पूर्ण होना प्रदर्शित था। अनुबन्ध की अन्य शर्ते कमांक – 6 के अनुसार निर्धारित अवधि मे कार्य पूर्ण न होने पर रू0 100 प्रतिलाख प्रतिदिन की दर अर्थदण्ड की कटौती बिल से किये जाने का प्राविधान था। जबकि ठेकेदार के बिल से विलम्ब अवधि 111 दिवस (13–9–20 से 2–1–21 तक) हेतु कोई अर्थदण्ड की कटौती नही की गयी थी। जिससे ठेकेदार को रूपये 100×111×5449895/100000 = 604938 अधिक भुगतान हुआ था उक्त की प्रतिपूर्ति कराया जाना अपेक्षित है।

4 – शा0 सं0 622/23–12–2012 – 2 अडिट/08 टी0 सी0– 2 लोकनिर्माण अनुभाग – 12 लखनउ दिनांक 8–6–2012 के अनुसार आगणन धनराशि रू0 7334000 – 5449895 =1884105 की परफारमेन्स गारंटी एवं 10 प्रतिश सामान्य जमानत रूपये 544990 प्राप्त किये जाने के पश्चात ही कार्यादेश निर्गत किया जाना चाहिए था जबकि पत्रावली में केशव इंटर प्राइजेज की कोई जमानत धनराशि जमा होने का साक्ष्य संलग्न नही है। मात्र अनुबंध पत्र में एफ0 डी0 आर0 नम्बर – 792684 दिनांक 17–4–17 रूपये 20,00,000 उल्लिखित था अतएव उपरोक्तनुसार परफारमेन्स गारंटी रूपये 1884105 एवं सामान्य जमानत रूपये 544990 जमा प्रमाणपत्र सम्परीक्षा में आगामी अवसर पर दिखाया जाना अपेक्षित है।

5 – उपरोक्त कार्य के अनुबन्ध की अन्य शर्ते कमांक 12 के अनुसार 60 प्रतिशत कार्य सन्तोषजनक पूर्ण होने के उपरान्त ही प्रथम रनिन्ग विल प्रस्तुत किया जाये/ इस प्रकार 5449895×60/100= 3269937 का कार्य होने का पश्चात ही विल प्रस्तुत किया जाना चाहिए था जबकि फर्म द्वारा मात्र 2779896 का प्रथमरनिन्ग विल प्रस्तुत किया गया था जो उपरोक्त शर्त का उल्लंघन था।

अतएव उपरोथ्त कमियों के सम्बन्ध में प्रभावी/आवश्यक कार्य नही किये जाने हेतु नगर निगम के उच्चाधिकारियो का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

70 – डायरेक्टर सी0 एन0 डी0 एस0 (ई0/एम0) को वित्तीय वर्ष 2013–14 में भेजे गये अग्रिम रूपये 63966000 का समायोजन वर्तमान समय तक भी न किया जाना गम्भीर अनियमित एवं आपत्तिजनक :–

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा के समय असमायोजित अग्रिम की जॉच के समय प्रकाश में आया कि ब्यय प्रमाणक संख्या 451/13–3–14 द्वारा डायरेक्टर सी0 एन0 डी0 एस0 (ई0/एम0) को रूपये 63966000 का अग्रिम 90 एम0 एल0 पी0 एस0 टी0 पी0 रियेक्टर के पुनर्गठन हेतु दिया गया था परन्तु वर्तमान समय तक भी इसका समायोजन प्राप्त न होना नगर निगम की गम्भीर उदासीनता का प्रतीक था तथा दिये गये अग्रिम के दुरूपयोग की प्रबल सम्भावना थी। अतएव उक्त अग्रिम के समायोजन हेंतू अतिशीघ्र आवश्यक/प्रभावी कार्यवाही किये जाने के लिए नगर निगम के उच्चाधिकारियो का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। यदि उक्त के सम्बन्ध में कोई जॉच/कार्यवाही की गयी हो तो ततसम्बन्धी स्थिति से सम्परीक्षा को अवगत कराया जाय।

71 – वर्ष 2020–21 में नगर निगम द्वारा बनाये गये सामान्य लाइसेन्स एवं नवीनीकरण किये गये लाइसेन्सो से सम्बन्धित पत्रावली अप्रस्तुत एवं लक्ष्य के सापेक्ष अत्यधिक कम आय प्राप्त होना आपत्तिजनकः–

वर्ष 2020–21 में नगर निगम द्वारा बनाये गये लाइसेन्सो एवं नवीनीकृत लाइसेन्सो से सम्न्धित पत्रावलियां एवं लाइसेन्स पंजी सम्परीक्षा में बार बार माप किये जाने के बाद भी प्रस्तुत नही

की गयी और इससे सम्बन्धित रसीद बुके भी प्रस्तुत नही की गयी जिससे यह ज्ञात नही हो सका कि आलोच्य वर्ष में कितने सामान्य लाइसेन्स नगर निगम द्वारा जारी गये तथा इससे कितनी आय प्राप्त हुयी एवं कितने लाइसेन्सो का नवीनीकरण किया गया तथा कितने लासेन्सो का नवीनीकरण नही किया जा सका अतएव उक्त को प्रस्तुत कर आवश्यक जॉच करायी जाय।

आलोच्य अवधि 2020–21 में सामान्य लाइसेन्स हेतु प्रस्तावित आय रूपये 100,00,000 जिससे सापेक्ष मात्र रूपये 3103996 की आय प्राप्त थी। जो लक्ष्य से रूपये 6896004 कम थी जिससे स्पष्ट था कि निगम द्वारा सामान्य लाइसेन्स बनाये जाने तथा निगम की आय बढाये जाने हेतु प्रभावी प्रयास नही किया जा रहा था। यह स्थिति सन्तोषजनक नही थी अतएव नगर निगम द्वारा सामान्य लाइसेन्स बनाये जाने एवं आय बढाये जाने हेतु प्रभावी कार्यवधि करने के लिए निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाना है।

72 – अधिशाषी अभियंता विद्युत/यांत्रिक खण्ड उ0 प्र0 जल निगम मेरठ को डीपवेल नलकूप के निर्माण एवं रिवोर के कार्य हेतु दिये गये अग्रिम का समायोजन न कराया जाना रू0 25872000:–

अस्थायी अग्रिम पंजी की जॉच के समय प्रकाश में आया कि 14 वॉ वि0 आयोग निधि से जलकल विभाग के 1 नग डीपवेल नलकूप के निर्माण एवं 9 नग डीपवेल नलकूप के रिवोर के कार्य हेतु ब्यय प्रमाण संख्या दिनांक 7–12–2020 रूपये 2,58,72000 अधिशाषी अभियंता विद्युत/यांत्रिक खण्ड उ0 प्र0 जल निगम मेरठ को अग्रिम दिया गया था। उक्त कार्य हेतु कितनी धनराशि की कार्ययोजना स्वीकृति थी तथा उक्त दिये गये अग्रिम की धनराशि से कितना कार्य कराया गया से सम्बन्धित कोई अभिलेख/पत्रावली निगम द्वारा सम्परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया और नही दिये गये अग्रिम का समायोजन सम्परीक्षा समय तक किया गया था। जिससे उक्त दिये गये अग्रिम के दुरूपयोग होने की सम्भावना से इनकार नही किया जा सकता है। अतएव दिये गये अग्रिम के समायोजन कराये जाने एवं कार्य होने की पुष्टि हेतु सम्बन्धित पत्रावली/अभिलेख प्राप्त कर कार्यदायी संस्था से सम्परीक्षा तत्सम्बन्धी आवश्यक जॉच कराये जाने हेतु प्रभावी/आवश्यक कार्यवाही किये जाने के लिए निगम के उच्चाधिकारियो का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

73 – 50 नग इलेक्ट्रिक बसो के संचालन हेतु चार्जिन्ग स्टेशन बनाये जाने हेतु सी0 एण्ड0 डी0 एस0 यूनिट – 28 को दिये अग्रिम का समायोजन न कराया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक रूपये 92962619 = 00 :–

14 वॉ0 वित्त आयोग निधि से प्रकाश विभाग नगर निगम से के0 परियोजना प्रबंधक यूनिट – 28 सी0 एण्ड0 डी0 एस0 जलनिगम उत्तर प्रदेश को 50 नग इलेक्ट्रिक बसो के संचालन हेतु चार्जिन्ग स्टेशन के निर्माण कार्य हेतु वा0 सं0 402 दिनांक 9–10–20 रूपये 2,00,000,00 वा0 सं0 623 दिनांक 23–2–21 रूपये 4,21,06,619 एवं वा0 सं0 853 दिनांक 23–3–21 रूपये 3,08,56000 कुल रूपये 9,29,62619 का अग्रिम दिया गया था सम्परीक्षा समय तक उक्त अग्रिम का समायोजन नही किया गया था और नही दिये गये अग्रिम के सापेक्ष किये गये कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में कोई अभिलेख/पत्रावली सम्परीक्षा में दिखायी गयी जिससे उक्त कार्य सम्पादित होने की पुष्टि की जा सके यह गम्भीर रूप से आपत्तिजनक था। सम्परीक्षा में बताया गया कि सी0 एण्ड0 डी0 एस0 जल निगम द्वारा दिये गये अग्रिम के सापेक्ष कराये गये कार्यो से सम्बन्धित कोई अभिलेख/पत्रावली नगर निगम को प्रस्तुत/उपलब्ध नही करायी गयी/अतएव दिये गये अग्रिम के समायोजन कराये जाने हेतु प्रभावी/ आवश्यक कार्यवधि कराये जाने हेतु निगम के उच्चाधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

74 – परियोजना प्रबंधक यूनिट – 28 सी0 एण्ड0 डी0 एस0 उत्तर प्रदेश जल निगम को गतवर्ष भेजे गये अग्रिम का समायोजन वर्तमान समय तक भी न किया जाना अनियमित/आपात्तिजनक रूपये 9,43,55000 :–

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में नगर निगम द्वारा प्रस्तुत असमायोजित अग्रिम पंजी (वर्ष 2015–16 से 2021–22 तक) की सम्परीक्षा के समय प्रकाश में आया कि नगर निगम द्वारा निम्नांकित विवरणानुसार रूपये 9,43,55000 = 00 की धनराशि जलकल विभाग हेतु परियोजना प्रबंधक यूनिट – 28 सी0 एण्ड0 डी0 एस0 उ0 प्र0 जल को प्रेषित की गयी थी। अग्रिम पंजी में धनराशि प्रेषण को प्रयोजन अंकित नही था और नही सम्परीक्षा समय तक उक्त धनराशि का समायोजन कराया गया था। तथा कार्य की प्रगति से सम्बन्धित कोई अभिलेख नगर निगम द्वारा सम्परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया था। यह नगर निगम की उदासीनता का घोतक था तथा दिये गये अग्रिम के दुरूपयोग किये जाने की सम्भावना से इनकार नही किया जा सकता। यदि उक्त अग्रिम के सम्बन्ध में कोई पॉच/कार्यवाही की गयी हो तो तत्सम्बन्धी स्थिति से सम्परीक्षा को अवगत कराया जाय अन्यथा स्थिति में उक्त अग्रिम के समायोजन हेतु प्रभावी/आवश्यक कार्यवाही किये जाने के नगर 1 बीए नगर निगम के उच्चाधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्नवत है।

व्यय प्रमाणक संख्या	दिनांक	धनराशि
601	13–2–2020	6,43,55000
972	16–3–2020	1,00,00,000
973	16–3–2020	1,00,00,000
974	16–3–2020	1,00,00,000
		योग = 9,43,55,000

75 – नाले के निर्माण कार्य हेतु दिये गये अग्रिम का समायोजन न होना अनियमित एवं आपत्तिजनक रूपये 1,10,00000 = 00 :–

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में अस्थायी अग्रिम पंजी की जॉच के समय प्रकाश में आया कि निम्नांकित विवरणानुसार नाला निर्माण के कार्य हेतु परियोजना प्रबंधक यूनिट – 31 सी0 एण्ड डी0 एस0 जल निगम को कुल रूपये 1,10,00000 = 00 का अग्रिम 14 वॉ0 वि0 आयोग निधि से दिया गया था। उक्त अग्रिम को सम्परीक्षा समय तक समायोजित नही कराया गया था और नही उक्त कार्यो से सम्बन्धित कोई अभिलेख/पत्रावली सम्परीक्षा में प्रस्तुत की गयी जिससे यह स्पष्ट नही हो सका कि उक्त नालों के निर्माण हेतु कितनी धनराशि की कार्ययोजना स्वीकृति की गयी थी तथा उक्त स्वीकृति के सापेक्ष कितनी धनराशि कार्यदायी संस्था को प्रषित की गयी थी। उक्त प्रेषित धनराशि के उपयोग किये जाने अथवा कार्य कराये जाने सम्बन्धी अभिलेखो से पुष्टि नही करायी गयी और नही उक्त अग्रिम का समायोजन सम्परीक्षा तिथि तक किया गया था यह गम्भीर रूप से अनियमित एवं आपत्तिजनक था। अतएव उक्त अग्रिमों को समायोजित कराये जाने, उपयोगिता/उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने तथा उपभोग किये जाने की पुष्टि हेतु सम्बन्धी अभिलेष/साक्ष्य/विवरण/पत्रावली प्रस्तुत कर सम्परीक्षा में आगामी अवसर पर जॉच कराये जाने हेतु नगर निगम के उच्चाधिकारियो का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। अन्यथा स्थिति में उक्त धनराशि के दुरूपयोग की सम्भावना से इनकार नही किया जा सकता। विवरण निम्नवत है।

क0	ब्यय प्रमाणक संख्या	दिनांक	धनराशि	कार्य का विवरण / उददेश्य
1	383	7—10—2020	5,00,000	प्रहलाद मण्डी निलोका वैशाली कैलाल तक नाले का आर0 सी0 सी0 निर्माण कार्य
2	382	7—10—2020	5,00,000	वार्ड नं0 6 नन्द शनिमन्दिर से तक बडे नाले का निर्माण कार्य
3	587	17—3—2020	1,00,00000	—''—
			योग = 1,10,00000	

76 — जलकल सम्बन्धी कार्यो में बिलों की धनराशि में 1 प्रतिशत लेबर सेस जोडे जाने के कारण ठेकेदारों को रूपये 2,26,985 का अधिक भुगतान :—

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा जांच में देखा गया कि जलकल सम्बन्धी बिलों में 1 प्रतिशत लेबर सेस अतिरिक्त जोडने के पश्चात ही लेबर सेस की धनराशि की कटौती की गयी थी जबकि लेबर सेस से सम्बन्धित एक्ट में पूर्व भुगतान का उत्तरदायित्व ठेकेदार का था। वह भी ठेकेदारों के बिल से कटौती कर किया जाना था।

लोक निर्माण विभाग लखनउ (सामान्य वर्ग) के पत्रांक 9755 एम0 टी0/सामान्य वर्ग/40 एम0 टी0 — 45/2017 दिनांक 19—12—2017 कार्यालय ज्ञाप में अंकित भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षा का प्रतिवेदन 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सडक कार्यो में अनुबन्ध स्तर पर निष्पादन लेखा परीक्षा लेखा परीक्षा में उल्लेखित प्रस्तर 4.2 में अनुशंसा की गयी है। कि शासन द्वारा समस्त खण्डों को तत्काल यह निर्देश निर्गत किया जाना चाहिए कि कर्मकार उपकार की कटौती ठेकेदारों के बिलों से की जाए एवं समस्त समावेशी अनुबन्धों में उपकर के भुगतार का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जाये ।

बिड डाक्यूमेंट में लेबर सेस की देयता के सम्बन्ध में पूर्व व्यवस्था पूर्णतया स्पष्ट है जिसके अनुसार लेबर सेस के भुगतान का दायित्व ठेकेदार का है। उक्त के कम में एतद द्वारा आदेश दिये जाते है कि कर्मकार उपकर की कटौती ठेकेदारों के बिलों से की जाए एवं समस्त समावेशी अनुबन्धों में कर्मकार उपकर के भुगतान का भार ठेकेदारों द्वारा वहन किया जाये।

अतः संलग्न सूची के अनूसार बिलों में रूपये 2,26,985 लेबर सेस के रूप में जोडे गये थे जिनका भुगतान ठेकेदार को किया गया था अतः लेबर सेस की जोडी गयी धनराशि अंकन रूपये 2,26,985 का भुगतान अधिक था। यह अनियमित था। इसकी वसूली सम्बन्धित/उत्तरदायी से कराया जाना अपेक्षित है। सूची संलग्न परिशिष्ट 32 पर दी गयी है।

77 — रू0 65,200 = 00 ठेकेदार को अधिक भुगतान संभावित :—

जलकल विभाग की पत्रावलियों की जाँच से प्रकाश में आया कि सहायक अभियन्ता जल नगर निगम कार्यादेश सं0 — 398/ जलकल/2019—20 दिनांक 14—2—20 द्वारा मोहननगर जोन के अन्तर्गत शीलीमार गार्डन एवं मं0 7 के 4 एम0 एस0 सप्लाई लेन को गन्दे नाले के उपर कराने का कार्य को मै0 अनुज कुमार को दिया गया था। उपरोक्त कार्य हेतु अनुबन्ध ठेकेदार द्वारा दिनांक

01–2–2020 को किया गया था। तथा ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध सं0 541(3)/ 1–2–20/03 दिनांक 1–2–2020 को किया गया था एव कार्य की आगणन धनराशि रू0 68,129 = 00 थी। ठेकेदार के प्रथम एवं अन्तिम बिल का भुगतान रू0 65,200 = 00 का व्यय प्रमाणक सं0 – 381/9–11–20 द्वारा किया गया था। उपरोक्त ही कार्य मोहननगर जोन के अन्तर्गत शालीमार गार्डन एवं मं0 नं0 – 70 के 4 एम0 एस0 सप्लाई लेन को गन्दे नाले के उपर कराने का कार्य का कार्यादेश सं0 47/जलकल/2020–21 दिनांक 8–6–20 को ठेकेदार मै0 अनुज कुमार किया गया जिस हेतु अनुबन्ध सं0 – 31(12)/3–6–20/(12) दिनांक 3–6–20 किया था तथा व्यय प्रमाणक सं0 – 375/9–11–20 द्वारा रू0 64700 = 00का भुगतान मै0 अनुज कुमार ठेकेदार को किया गया था एक ही कार्य को दो बार कराये जाने का आधार स्पष्ट किया जाय अन्यथा स्थिति में दोहरो भुगतान की संभावना से इन्कार नही किया उपरोक्त दोहरे भुगतान की विभागीय जॉच कराकर कृत कार्यवाही से सम्परीक्षा को अवगत कराया जाय।

78 – जल कल विभाग द्वारा विभिन्न जोनो के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर विभिन्न जल कल कार्यो को ठेके के स्थान पर कुटेशन से कार्य कराया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक :–

जलकल विभाग की पत्रावलियों की जॉच से प्रकाश में आया कि जल कल विभाग नगर निगम के जोनो के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर विभिन्न जलकल कार्यो को 61 भागो में बॉटकर कुटेशन के आधार पर कराया गया था। जलकल विभाग द्वारा निम्नांकित कार्यो हेतु ठेकेदारों से दिनांक 10–7–20 तक कुटेशन मांगे गये थे कार्य का आबंटन विभिन्न दिनांको को किया गया था जलकल विभाग के अतिआवश्यक कार्यो का भी दो माह या अधिक समय विलम्ब से कार्यादेश दिया गया था। यदि कार्यो का सम्पूर्ण रूप में एक फर्म/ठेकेदार से कराया जाता तो कार्य कम समय में कराया जा सकता था और नगर निगम को प्रतिस्पर्धात्मक दरों का लाभ प्राप्त होता/ शासनादेश सं0 – 6736/23–7–2006 –176 (सा0)/99 दिनांक 5 जनवरी 2007 द्वारा भी कार्य को टुकडो में कराये जाने पर प्रतिबन्धित किया गया था। कार्य पत्रावलियों में माप पुस्तिका संलग्न नही था। जिससे कार्य की सम्पूर्ण लागत व कार्य का विवरण की जॉच सम्भव न हो सकी। पत्रावलियो में माप पुस्तिका संलग्न किया जाना अपेक्षित है। विवरण संलग्न परिशिष्ट 32 पर दिया गया है।

79 – सिटी जोन – 1 के वार्ड – 88 के रामनगर की विभिन्न गलियों में 250 – 3600 एम0 एम0 सीवर लाइन डालने के कार्य में पायी गयी अनियमितताएं :–

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा जॉच में देखा गया कि व्यय प्रमाणक संख्या – 363 दिनांक 16–7–20 मै0 D.S. Yadav Construction Co. को सिटी जोन – 1 के वार्ड – 88 के रामनगर की विभिन्न गलियों मे 250–3600 एम0 एम0 सीवर लाइन डालने के कार्य हेतु रू0 42,85,600 का भुगतान किया गया था।

व्यय प्रमाणक के बिल कमांक – 2 पर मिटटी खुदाई का कार्य 3512.58 घन मी0 दर 110 प्रति घन मी0 की दर से रू0 3,86,384 भुगतान किया गया था। जबकि PWD SOR – 2017 शैडुयल आईटम कमांक – 253(ए) के अनुसार मिटटी खुदाई के कार्य की दर 90 रू0 प्रति घन मी0 थी। इस प्रकार मिटटी खुदाई का कार्य 90×3512.58 = रू0 316132 भुगतान किया जाना था लेकिन नगर निगम द्वारा रू0 3,86,384 का भुगतान कर दिया गया। इस प्रकार नगर निगम द्वारा रू0 3,86,384–316132 =70252 का अधिक भुगतान कर दिया गया था। अतः मिटटी खुदाई हेतु रू0 110/– प्रति घन मी0 का आधार स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस स्थिति में 70,252 अधिक भुगतान की वापसी उत्तरदायी से कराया जाना अपेक्षित है।

(2) व्यय प्रमाणक के बिल कमांक – 20 पर अंकित पुरानी पाइप लाइन 1075.35 रनिग मी0 निकाले

जाने हेतु रू0 150 प्रति रनिंग मी0 की दर से भुगतान किया गया था किन्तु उक्त पुरानी लाइन/सामान को न तो नगर निगम में वापस जमा किया गया था न ही इस पाईप लाइन का मूल्य बिल से कम किया गया था। इस सम्बन्ध में अभिलेख द्वारा स्थिति स्पष्ट की जाये।

80 – बिना निविदा आमन्त्रण किये पूर्व स्वीकृत दरों पर कार्य कराया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक :–

जल कल विभाग की पत्रावलियों की जॉच से प्रकाश में आया कि निम्नलिखित कार्यो को बिना निविदा आमन्त्रण किये पूर्व स्वीकृत दरों पर कार्य कराया गया था पत्रावलियों में आख्या दी गयाी थी कि कार्य निरन्तर प्रकृति का है तो कार्य का नवीन निविदा आमन्त्रित करके आबंटन किया जाना चाहिए था। पत्रावलियों में कोई विवरण उपलब्ध नही था जिससे यह ज्ञात हो सके कि नगर निगम के मशीनो के संचालन हेतु कुशल श्रमिको की कमी थी। बिना निविदा आमन्त्रण किये पूर्व स्वीकृत दरों पर कार्य कराया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक था। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाय। कृत कार्यवाही से सम्प्रेक्षा को अवगत कराया जाय।

कमांक	व्यय प्रमाणक सं0/दिनांक/धनराशि	भुगतान प्राप्त कर्ता	कार्य का नाम
1	1039/24–7–20 रू0 242100 = 00	मैसर्स ट्रांस एमिया बिल्डर	नगर निगम सीमान्तर्गत सिटी जोन में एक नग बोलोरो पर अधिष्ठापित सीवर जेटिंग मशीन सीवर लाईन सफाई हेतु किराये पर दिनांक 1–7–19 से दिनांक 30–9–19 तक आपूर्ति एवं संचालन का कार्य
2	256/9–11–20 रू0 373700 = 00	मैसर्स वर्म इण्डिया लि0	सुपर शकर मशीन (कैम एविडा मेक) का संचालन हेतु आवश्यक उपकरणों एवं कुशल श्रमिको की आपूति।
3	157/9–11–20 रू0 303600 = 00	मैसर्स क्लीनवैल इन्वाईरो इन्जी0 सर्विसेज	विभागीय सुपर शकर (टी0 पी0 एस0 मेक) के मशीनों का सम्पूर्ण संचालन एवं रख रखाव का कार्य

81 – निगम द्वारा कराये गये प्रकाश व्यवस्था के कार्यो में अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी न लिये जाने के कारण आर्थिक क्षति रू0 87,70,755 = 00 एवं एल0 ई0 डी0 लाइटो की गारन्टी के सापेक्ष 5 प्रतिशत धनराशि रू0 8,73,522 = 00 जमा न किया जाना एव अन्य अनियमितताए :–

नगर निगम द्वारा कराये गये चौदहवें वित्त आयोग से कराये गये प्रकाश व्यवस्था के कार्यो की पत्रावलियों से प्रकाश में आया कि नगर निगम द्वारा प्रकाश विभाग की विभिन्न पत्रावलियों (विवरण संलग्न) में अतिरिक्त परफोर्मेन्स गारन्टी आगणन धनराशि पर 10 प्रतिशत से अधिक ब्लो न्यून पर ठेकेदार द्वारा निविदा/ टेन्डर डाले जाने की स्थिति में अतिरिक्त परफोर्मेन्स नही ली गयी थी।

शासनादेश सं0 – 622/23–12–2012 – 2 आडिट/08 टी0 सी0 दिनांक 8–6–12 के अनुसार अतिरिक्त परफोमेन्स गारन्टी आगणन धनराशि पर 10 प्रतिशत से अधिक ब्लो न्यून पर ठेकेदार द्वारा निविदा डाले जाने की स्थिति में 10 प्रतिशत से अधिक ब्लो न्यून पर 01 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त परफोमेन्स गारन्टी ली जायेगी।

इस प्रकार शासनादेश के अनुसार प्रकाश व्यवस्था कार्यो पर निगम द्वारा अतिरिक्त परफोमेन्स गारन्टी न लिये जाने से रू0 की आर्थिक क्षति हुई थी। अतिरिक्त परफोर्मेन्स गारन्टी न लिये जाने सम्बन्धी यदि कोई अन्य आदेश हो तो सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय अन्यथा स्थिति में न ली गयी अतिरिक्त परफोर्मेन्स गारन्टी ठेकेदारो से जमा करायी जाय। निम्नलिखित कार्यो में निम्न अनियमितताएँ प्रकाश में आयी –

(1) निविदा की शर्त सं0 – 6 फर्म द्वारा समस्त लाइटों की 5 वर्ष की वारन्टी देनी होगी वारन्टी अवधि में कोई भी खराबी आने पर फर्म को लाईट ठीक कराना होगा के सम्बन्ध में फर्म /कम्पनी द्वारा उक्त आख्य का वारन्टी प्रमाण पत्र प्राप्त कर सलग्न नही किया गया था, जिससे बारन्टी की पुष्टि नही हो सकी अतएवः वारन्टी प्रमाणपत्र प्राप्त कर पत्रावलियों में संलग्न किया जाना अपेक्षित है।

(2) निविदा की शर्त सं0 – 11 फर्म को एल0 ई0 डी0 लाइटों की गारन्टी के सापेक्ष घनांक का 5 प्रतिशत एफ0 डी0 आर0/एन0 एस0 सी0 जो 5 वर्षो के लिए बन्धक होगी जमा करानी होगी के सम्बन्ध में फर्म द्वारा एल0 ई0 डी0 लाइटों की गारन्टी के सापेक्ष घनांक का 5 प्रतिशत एफ0 डी0 आर0/ एन0 एस0 सी0 जमा नही किया गया था। जमा न कराये जाने का कारण स्पष्ट किया जाय अन्यथा स्थिति में रू0 873522 = 00 की धनराशि ठेकेदार द्वार एल0 ई0 डी0 लाइटों की गारन्टी के सापेक्ष घनांक का 5 प्रतिशत एफ0 डी0 आर0/एन0 एस0 सी0 के रूप में जमा करायी जाय।

क0 सं0	व्यय प्रमाणक सं0/दिनांक/धनराशि	फर्म/ठेकेदार/कार्य का नाम	आगणन धनराशि	परफोर्मेन्स गारन्टी	एल0 ई0 डी0 लाईटों की गारन्टी के सापेक्ष घनांक का 5 प्रतिशत धनराशि
1	1366/31–7–20 रू0 2961100 = 00	मै0 मार्डन इलेक्ट्रीकल्स एण्ड मैकेनिकल ट्रेडर्स ए0 एल0 टी0 गेट से विवेकानन्द नगर तक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य	5215191.80	1877469 = 00	158937 = 00
2	1343/30–7–20 रू0 1989300 = 00	मै0 मार्डन इलेक्ट्रीकल्स एण्ड मैकेनिकल ट्रेडर्स सौर उर्जा मार्ग के डिवाईडर पर सीपित 20 नग पोल पर 110 वाट से 130 वाट की एल0 डी0 लाईट लगाकर प्रकाश व्यवस्था करना	3632188	1452875	106111 = 00
3	1347/30–7–20 रू0 1352400 = 00	मै0 शंशाक इलेक्ट्रीक वर्क्स नेताजी सुभाष चन्द बोस कम्पनी बाग में पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य	2099402	566838	72373 = 00

4	1348 / 30—7—20 रू0 919400	मै0 नन्दनी इन्टरप्राइजेज के0 आर0 मंगलम के सामने व पुलिस लाइन चौकी वाले रोड पर सं0 6 वैशाली में 40 नग पोल पर 40 नग 110 से 130 वाट की एल0 डी0 लगाकर प्रकाश व्यवस्था	1645291.60	592305	53579 = 00
5	1344 / 30—7—20 रू0 782100	मै0 आर0 वी0 एसोसिएट्स लिंक रोड वसुन्धरा से ऐली वेटिड पुल तक प्रकाश व्यवस्था कार्य	1407035	506533	44526 = 00
6	1368 / 31—7—20 रू0 1312800 =00	मै0 नन्दिनी इन्टरप्राइजेज आराघना से ई0एस0 आई0 सी हास्पिटल तक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य	2598426	935433	82227 = 00
7	1342 / 30—7—20 रू0 950000	मै0 संकल्प एनर्जी वार्ड सं0 68 ब्रिज बिहार मेन रोड पर पोल व लाईट लगाकर पथ प्रकाश व्यवस्था कार्य	1826441.60	657519	58132 =00
8	1365 / 31—7—20 रू0 1758900	मै0 गर्गसन इन्फाटैक प्रा0 लि0 गाजियाबाद रेलवे स्टेशन विजयनगर साइड पर डेकोरेटिव पोल लगाकर प्रकाश व्यवस्था का कार्य	2724194	735532	94741 = 00
9	1345 / 30—7—20 रू0 1182900	मै0 आर0 बी0 ऐसोसिएटस जी0टी0 रोड टेक से लोहिया पार्क वाले रोड तक प्रकाश व्यवस्था कार्य	2129908	766767	68598 = 00
10	1367 / 31—7—20 रू0 855000	मार्डन इलेक्ट्रीकल्स एण्ड मैकेनिकल टेडर्स पुराने रेलवे स्टेशन रोड पर 20 नग पोल	1442101	38367	50283

		लगाकर प्रकाश की व्यवस्था			
11	1346/30–7–20 रू0 1572500	मै0 शशांक इलै0 वर्क्स0 भगत सिह चौक घंटाघर तक डेकोरेटिव पोल लगाकर पथ प्रकाश की व्यवस्था कार्य	2374510	641117	84015 = 00
				8770755	873522= 00

82 – कार्य को टुकडो में बॉट कर कराया जाना आपत्तिजनक एवं ठेकेदारो के बिल से रू0 22,03,680 बिलम्ब दण्ड कम काटा जाना व अन्य अनियमिताएं :–

प्रकाश विभाग की पत्रावलियो की जॉच से प्रकाश में आया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रिय परिवहन निगम द्वारा पत्र सं0 – NCRTC/DM/EDU/NNGNB – 2018 के माध्यम से नगर निगम कोष में धनराशि रू0 5.34 करोड उपलब्ध करायी गयी थी। उक्त धनराशि के अन्तर्गत मेरठ रोड पर मेरठ मोड से दुहाई तक रोड के दोनों किनारों पर पोल गलाकर पथ प्रकाश व्यवस्था करायी जानी थी। उक्त कार्य को 16 भागो में बॉट कर कराया गया था। पत्रावली में आख्यय दी गयी कि कार्य को समय पर कराया जा सके इस लिए कार्य को 16 भागो में बॉटकर कराया गया है। पत्रावलियो की जॉच में आया कि प्रत्येक भाग के कार्य को 1 माह में कराया जाना अनुबन्धित था जबकि प्रत्येक भाग का कार्य 1 वर्ष या उससे अधिक समय से विलम्ब से पूर्ण हुआ। यदि कार्य को सम्पूर्ण रूप में एक फर्म/ठेकेदार से कराया जाता था तो नगर निगम को प्रतिस्पर्धात्मक दरो का लाभ होता। शासनादेश सं0 – 6736/23–7–2006 – 176 सा0/99 दि0 5 जनवरी 2007 द्वारा भी कार्य को टुकडो में कराये जाने पर प्रतिबन्धित किया गया था।

(1) प्रत्येक भाग के कार्य को करने के लिए एक माह का समय दिया गया था जबकि प्रत्येक भाग का कार्य 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक विलम्ब समय से पूर्ण हुआ था। पत्रावली पर दिनांक 3–1–20 को आख्या दी गयी कि सभी भाग के कार्यो की फर्मो पर 50,000 = 00 आर्थिक दण्ड लगाया जाता है। यदि कार्य एक सप्ताह में पूर्ण नही होता है तो फर्मो के अनुबन्ध निस्तारित करे तथा फर्मो को काली सूची में अंकित करने की कार्यवाही करे। नगर निगम के सामान्य निर्माण कार्यो हेतु अनुबन्ध की शर्त सं0 – 2 के अनुसार कार्य में देरी के लिए ठेकेदार पर कार्य की आगणन राशि पर 01 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड लिया जाना था किन्तु अर्थदण्ड की यह धनराशि 10 प्रतिशत से अधिक नही होगी। इस प्रकार निम्न विवरणानुसार रू0 22,03,680 = 00 बिलम्ब दण्ड ठेकेदारो से वसूल किया जाय।

क्रम सं0	कार्य का नाम/ठेकेदार का नाम	व्यय प्रमाणक सं0 /दिनांक/धनराशि	अनुबन्ध पत्र/कार्यादेश के अनुसार समाप्ति तिथि	माप पुस्तिका के अनुसार कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि	विलम्ब की अवधि	अर्थदण्ड

1	दुर्गा मोटर से आई0 एम0 आर0 कालेज आई0 डी0 बी0 आई0ए0 टी0 एम0 के पास 09 मी0 जी0 आई0 डेकोरेटिव पोल पर लाईट लगाकर पथ प्रकाश की व्यवथा मै0 आर0 के0 एन्अर प्राइजेज	2958 / 31–3–21 रू0 1094800	4–10–19	29–12–20	451	(326619–50,000) = 276619
2	आई0 डी0 बी0 आई0 ए0 टी0 एम आई0एम आर0 कालेज से परिफेरल एक्सप्रेस वे रोड एन्ट्री से मेरठ रोड के दायी और 09 मी0 जी0 आई0 डेकोरेटिव पोल पर सिग्ल आर्म लगाकर प्रकाश की व्यवस्था मै0 कैपीटल कन्स्ट्रक्शन	2276 / 13–11–20 रू0 1175900	4–10–19	18–10–20	379	(298926–50000) = 248926
3	होम कॉन्सैप्ट हरवंश नगर मेरठ रोड आर्यनगर से जी0 एस0 शोरूम पेट्रोल पम्प तक प्रकाश व्यवस्था का कार्य मै0 आर0 बी0 एसोभिमेटस	858 / 21–1–21 रू0 584500	4–10–19	1–7–20	271	(299328–50,000) =249328
4	न्यू जस्सर ट्रास्पोर्ट कम्पनी मोरटा पुलिस से दुर्गा मोटर्स टाटा ऑथराईज्ड स्टेशन भारत बेंज दायी और 09 मी0 जी0 आई0 डेकोरेटिव पोल पर सिंगल आर्म लगाकर प्रकाश की व्यवस्था मै0 शर्शांक इलै0	2277 / 13–11–20 रू0 1200600	4–10–19	20–9–20	352	(325979–50,000) = 275979
5	मित्सुबीसी मोटर्स जैन टयूब फैक्ट्री राजनगर एक्सटेशन फलाई ओर से न्यू जस्सर टॉस्पोर्ट कम्पनी मोरटा पुलिस चौकी तक बायी ओर 09 मी0 जी0 आई0 डेकोरेटिव पोल पन सिंग्ल आर्म लगाकर प्रकाश व्यवस्था का कार्य मै0 शंशाक इले0 वर्क्स	2278 / 13–11–20 रू0 1272700	4–10–19	18–10–20	379	(338931–50,000) =288931
6	जी0 एस0 टी0 वी0 एस0 शोरूम पेट्रोल पम्प से जैन टयून फैक्ट्री प्रकाश व्यवस्था का कार्य मै0 आर0 जी0 एमो0	859 / 21–1–21 रू0 649600	4–10–19	20–10–20	381	(328932–50,000) = 278932

7	न्यू जस्सर ट्रॉस्पोर्ट कम्पनी मोरटा पूलिस चौकी से दुर्गा मोटर्स टाटा ऑथराईज्ड सर्विस स्टेशन भारत बैंज तक 09 मी जी0 आई डेकोरेटिव पोल पर लाईट लगाकर पथ प्रकाश व्यवस्था मै0 मॉडन इलै0 एण्ड कं0	2274 / 13–11–20 रू0 1238000	4–10–19	20–9–20	352	(353735–50,000) =303735
8	दुर्गा मोटर्स टाटा ऑथराईज्ड सर्विस स्टेशन भारत बैंज कालेज आई0 बी0 डी0 आई0एम0 टी0 एम0 के पास 09 मी0 जी0 आई0 डेकोरेटिव पोल पर लाईट लगाकर पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य मै0 मॉडन इलै0 एण्ड मैकेनिक्स	2273 / 13–11–20 रू0 1123500	4–10–19	20–9–20	352	(331230–50,000) = 281230

(3) फर्म द्वारा सप्लाई की गयी एल0 ई0 डी0 लाइटों पर गारन्टी / वारन्टी हेतु कोई प्रमाण पत्र पत्रावलियों में संलग्न नही था। अतएव गारन्टी / वारन्टी प्रमाण पत्र प्राप्त कर पत्रावली में संलग्न किया जाना अपेक्षित है।

(4) फर्म से फिलिप्स की 130 वॉट लाईट एवं केबिल हैविल्स पॉलीकेब मेक का लगवाया जाना प्रस्तावित है किन्तु पत्रावलियों व एम0 बी0 पर कही भी फिलिप्स की 130 वॉट लाईट एवं केबिल हैविल्स पॉलीकेब मेक का होना नही अंकित किया गया था अंकित न करने का कारण स्पष्ट किया जाय।

(5) पत्रावली में दी गयी आख्या के अनुसार फर्मो द्वारा बनवायी जाने वाली फाउण्डेशन की जॉच वाह्रम ऐजेन्सी से करायी जानी है। फाण्डेशन की जॉच सम्बन्धी प्रमाणपत्र पत्रावलियो में संलगन नही था। फाउण्डेशन की जॉच बाह्रम एजेन्सी से करायी जाने का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय।

<u>83 – रू0 11,00,000 = 00 परफोरमेन्स गारन्टी न लिया जाना व कार्य का आगणन तैयान न किया जाना आपत्तिजनक एव अन्य अनियमितताऐं</u> :–

व्यय प्रमाणकों की सम्परीक्षा से प्रकाश में आया कि 14 वॉ वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रकाश विभाग के अधिशासी अभियन्ता (वि0 / मॉ0) नगर निगम के कार्य आदेश पत्रांक – 67 / स्वा0 / 2019–20 दिनांक 10–3–20 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग में 100–200 टी0 पी0 डी0 टन प्रतिदिन क्षमता के सेगरीगेटर / ट्रोमल मशीन की स्थापना का कार्य का ठेका मै0 दयाचरन एण्ड कं0 को दिया गया था। उपरोक्त कार्य के प्रथम एवं अन्तिम का भुगतान सभी कटौतियों उपरान्त रू0 84,55,000 = 00 किया गया था। उक्त कार्य में निम्नलिखित अनियमितताए प्रकाश में आयी।

(1) शासनादेश सं0 – 622 / 23–12–2012 – 2 आडिट / 08 टी0 सी0 दिनांक – 8–6–12 के अनुसार अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी आगणन धनराशि पर 10 प्रतिशत से अधिक ब्लो न्यून पर ठेकेदार द्वारा निविदा डाले जाने की स्थिति में 10 प्रतिशत से अधिक ब्लो न्यून पर 01 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी रू0 11,00,000 (1,00,00,000×11 प्रतिशत) ली जानी

थी। परन्तु नगर निगम द्वारा कोई गारन्टी नही ली गयी थी। अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी न लिये जाने का आधार स्पष्ट किया जाय अन्यथा स्थिति में रू0 11,00,000 = 00 अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी ठेकेदार से नगर निगम में जमा करायी जाय।

(2) कार्य का आगणन पत्रावली में संलग्न नही था। इससे स्पष्ट होता है कि कार्य का आगणन नही बनाया गया था। कार्य का आगणन न बनाये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाय।

(3) निविदा की शर्तो के अनुसार 50 लाख से उपर के कार्यो हेतु डी0 पी0 आर0 (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार कराकर पत्रावली में संलग्न किया जाय। उपरोक्त कार्य की डी0 पी0 आर0 नही बनायी गयी थी। डी0 पी0 आर0 नही बनाये जाने का आधार स्पष्ट किया जाय।

(4) अधिशासी अभियन्ता (वि0/मॉ) नगर निगम के कार्य आदेश सं0 पत्रांक – 67/स्वा0/2019–20 दिनांक 10–3–20 द्वारा उपरोक्त कार्य की अवधि 30 दिन दी गयी थी। निविदा की शर्तो के अनुसार कार्य अनुबन्ध तिथि से दो माह में पूर्ण होगा। अधिशासी अभियन्ता वि0 मॉ नगर निगम द्वारा ठेकेदार को पत्रांक सं0 – 258/अधि0 अभि0/2020 दिनांक 14–5–20 द्वारा सूचित किया गया कि कार्यादेश दिनांक 10–3–20 को निर्गत किया गया था जिसके कम में आपको उक्त प्लांट की स्थापना करनी थी। परन्तु लगभग 2 माह का समय व्यतीत होने के उपरान्त भी उक्त प्लांट की सीपना का कार्य प्रारम्भ नही किया गया है। ठेकेदार को लाभ पहुॅचाने के उदेश्य से एक दूसरा कार्यादेश पत्रांक–67/स्वा0/2019–20 दिनांक 10–3–20 अधिशासी अभियन्ता वि0/मॉ द्वारा जारी किया था जिसमें कार्य की अवधि – 90 दिवस अंकित की गयी थी। कार्य की अवधि भिन्न – भिन्न अंकित किये जाने का कारण स्पष्ट किया जाय। उपरोक्त कार्य की माप पुस्तिका पत्रावली में संलग्न नही थी जिससे यह स्पष्ट नही हो सका कि कार्य नियत में पूर्ण हुआ था अथवा नही। जिससे कार्य के विलम्ब शुल्क की गणना सम्भव न हो सकी।

(5) कार्य की गुणवत्ता की टी0 ए0 सी0 जॉच रिपोर्ट/ अधिकारी की परीक्षण रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न नही थी। जिससे कार्य की तकनीकी जॉच की गुणवत्ता के जॉच न हो सकी। बिना तकनीकी जॉच/ गुणवत्ता जॉच के कार्य का भुगतान किया जाना आपत्तिजनक था।

84 – दायित्व के बाहर कार्य कराया जाना रू0 1,63,900 आपत्तिजनक :–

प्रकाश विभाग की पत्रावलियों की सम्परीक्षा से प्रकाश मे ं आया कि निम्नलिखित कार्यो को नगर निगम द्वारा कराया गया था जो नगर निगम के दायित्व के पर था मे कार्य उ0 प्र0 के बिजली विभाग को कराना चाहिए था। उक्त कार्यो को कराने हेतु नगर निगम द्वारा उ0 प्र0 सरकार के बिजली विभाग से अनापत्ति प्रमाण प्राप्त करना चाहिए इससे निम्न कार्यो हेतु दोहरे भुगतान की प्रबल संभावना से इंकार नही किया जा सकता है। इन कार्यो को नगर निगम गाजियाबाद द्वारा कराये जाने का आधार स्पष्ट किया जाय। अन्यथा स्थिति निम्न कार्यो हेतु किया भुगतान आपत्तिजनक एवं अमान्य था।

कम सं0	व्यय प्रमाणक सं0/दिनांक एवं धनराशि	भुगतान प्राप्त कर्ता	कार्य का विवरण
1	1645/9–11–20 रू0 41100 = 00	मै0 हैवी पावर ट्रॉसफोरमर एण्ड इक्यूपमेन्ट	मोहन नगर जोन के अन्तर्गत लोनी रोड मुख्य मार्ग पर लगा 63 के0 वी0 ए0 के खराब ट्रॉस्फार्मर की मरम्मत का कार्य
2	1646/9–11–20 रू0 41300 = 00	उपरोक्त	मोहन नगर जोन के 150 कटा शालीमार गार्डन भारत मोटर्स

			के सामने लगा 63 के0 वी0 ए0 खराब ट्रॉस्फार्मर की मरम्मत का कार्य
3	1644/9—11—20 रू0 42500 = 00	मै0 हैवी पावर ट्रांस्फार्मर एण्ड इक्वीपमेन्ट	मोहन नगर जोन के कार्यालय में लगा 63 के0 वी0 ए0 के ट्रांस्फार्मर की मरम्मत का कार्य
4	1647/9—11—20 रू0 39000 = 00	मै0 हैवी पावर ट्रांस्फार्मर एण्ड इक्वीपमेन्ट	कडकड मॉडल वसुन्धरा जोन में लगा 63 के0 वी0 का खराब ट्रांस्फार्मर की मरम्मत का कार्य
	1,63,900 = 00		

85 — ठेकेदार के बिल से रू0 2,56,855 = 00 विलम्ब दण्ड की कटौती न किया जाना व अन्य अनियमितताएं :—

व्यय प्रमाणक की सम्परीक्षा से प्रकाश में आया कि 14 वॉ वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रकाश विभाग के अधिशासी अभियन्ता (वि0 मॉ) नगर निगम के कार्य आरम्भादेश पत्रांक — 248/प्रकाश/2019 दिनांक 19—6—19 के द्वारा गोविन्दपुरम योजना के विभिन्न मार्गो पर प्रकाश व्यवस्था 75 नग पोल पर 100 नग 72 वॉट एल0 ई0 डी0 लाईट व अन्डरग्राउन्ड केबिल डालकर प्रकाश व्यवस्था कराने का कार्य का ठेका मै0 गर्गसन इन्फ्राटेक प्रा0 लि0 को दिया गया था। उपरोक्त कार्य के तृतीय एवं अन्तिम बिल का भुगतान व्यय प्रमाणक सं0 — 1331/30—7—20 रू0 2,60,800 सभी कटौतियों उपरान्त किया गया था। उक्त कार्य में निम्नलिखित अनियमितताएं प्रकाश में आयी।

(1) अनुबन्ध के अनुसार कार्य दिनांक 21—6—19 से आरम्भ होकर दिनांक 14—8—19 तक पूर्ण किया जाना था। कार्य की वास्तविक समाप्ति तिथि एम0 बी0 सं0— 10407 के पृ0 सं0 — 5 के अनुसार 4—4—20 थी। इस प्रकार कार्य 234 दिवस बिलम्ब से पूर्ण हुआ।

(2) अनुबन्ध की शर्त सं0 — 5 के अनुसार कार्य में देरी के लिए ठेकेदार पर कार्य की आगणन राशि पर 01 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड लिया जाना था किन्तु अर्थदण्ड की यह धनराशि 10 प्रतिशत से अधिक नही होगी। इस प्रकार 25,68,547×10 प्रतिशत = 256855 = 00 विलम्ब दण्ड ठेकेदार से वसूल किया जाय।

(3) अनुबन्ध की शर्त सं0 — 4 में फर्म द्वारा सप्लाई एल0 ई0 डी0 लाइट की गारन्टी /वारन्टी देनी आवश्यक होगी अंकित की गयी थी। लेकिन फर्म/कम्पनी द्वारा उक्त आख्य का गारन्टी/वारन्टी पत्र प्राप्त कर संलग्न नही किया गया था जिससे गारन्टी वारन्टी की पुष्टि नही हो सकी अतएव गारन्टी /वारन्टी प्रमाण पत्र प्राप्त कर पत्रावली में संलग्न किया जाना अपेक्षित है।

(4) उपर्युक्त लाइटों की आपूर्ति/ अधिष्ठापन के सम्पनार्थ स्टॉक पंजी जॉच हेतु प्रस्तुत नही की गयी। यह गम्भीर रूप से आपत्तिजनक था। अतएव स्टाक पंजी प्रस्तुत कर उक्त लाइटों की आपूर्ति/अधिष्ठान सम्पापित कराया जाय एवं अन्य तत्सम्बन्धी आवश्यक जॉच करायी जाय।

86 — ठेकेदार को अधिक भुगतान रू0 35,281 = 00 एवं ठेकेदार के बिल से रू0 1,48,011 =00 विलम्ब दण्ड की कटौती न किया जाना :—

प्रकाश विभाग की पत्रावलियों की जॉच से प्रकाश में आया कि नन्दग्राम एस0 पी0 एस0 से सिहानी स्थित बालिका इन्टर कालेज तक 35 नग पोल पर 35 नग 72 वॉट एल0 ई0 डी0 अण्डरग्राउण्ड के बिल डालकर प्रकाश व्यवस्था का कार्य का ठेका अधिशासी अभियन्ता वि0/मॉ0 के

कार्य आरम्भदेश सं0 – 452 / प्रकाश / 2019 दिनांक 20–12–19 के द्वारा मै0 एस0 जी0 कन्ट्रक्शन को रू0 13,35,943 = 00 में दिया गया था। एवं एक अन्य कार्य गोविन्दपुरम योजना के विभिन्न मार्गो पर प्रकाश व्यवस्था 75 नग पोल पर 100 नग 72 वाट एल0 ई0 डी0 लाईट व अन्दर ग्राउण्ड केबिल डालकर प्रकाश व्यवस्था कराने का कार्य का ठेका मै0 गर्ग सन्स इन्फोटेक प्रा0 लि0 को दिनांक 19–6–19 को दिया गया था। दोनो कार्यो की प्रकृति एक जैसी थी फिर भी कार्यो की दरों में अन्तर पाये जाने से रू0 35281 = 00 का अधिक भुगतान ठेकेदार को किया गया था। अन्तर का विवरण निम्नवत है। व्यय प्रमाणक सं0 – 1349 दिनांक 30–7–20 द्वारा रू0 412500 का भुगतान ठेकेदार के द्वितीय एवं अन्तिक बिल हेतु किया गया था।

क्रम सं0	मद	गोविन्दपुरम योजना के विभिन्न मार्गो पर प्रकाश व्यवस्था 75 नग पोल पर 100 नगर 72 वॉट एल0 ई0 डी0 लाईट व अन्डरग्राउन्ड केबिल डालकर प्रकाश व्यवस्था कराने का कार्य मै0 गर्ग संस इन्फोटेक प्रा0 लि0	नन्दग्राम एस0 पी0 एस0 से सिहानी स्थिति बालिका इन्टर कालेज तक 35 नग पोल पर 35 नग 72 वॉट एल0 ई0 डी0 लाईट अन्डरग्राउन्ड केबिल डालकर प्रकाश व्यवस्था का कार्य			
1	सप्लाई एण्ड फिक्सिंग आफ 72 वॉट एल0 ई0 डी0 लाईट	दर	दर	मात्रा	अन्तर	अधिक भुगतान
		4801.97 प्रति नग (बिना जी0 एस0 टी0)	5810.00 (बिना जी0 एस0 टी0)	35	1008.03	35281 =00
						35281 = 00

(1) पत्रावली / में संचालन एम0 बी0 सं0 – 8059 के पृष्ठ सं0 – 03 पर की गयी माप के अनुसार प्रथम बिल को भुगतान में सप्लाई एण्ड फिक्सिंग ऑफ 72 वॉट एल0 ई0 डी0 लाइट हेतु 26 नग हेतु रू0 4801=97 प्रति नग रू0 124851.22 का भुगतान किया गया था। एम0 बी0 के पृष्ठ सं0 – 12 के अनुसार द्वितीय एवं अन्तिम बिल के भुगतान हेतु की माप के अनुसार सम्लाई एण्ड फिक्सिंग ऑफ 72 एल0 ई0 डी0 लाइट हेतु रू0 4801=97 प्रति नग को बढाकर रू0 5810=00 किया गया था। दर बढाई जाने का कारण स्पष्ट किया। रू0 35281 = 00 की प्रतिपूर्ति उत्तरदायी से करायी जाने। कृत कार्यवाही से सम्परीक्षा को अवगत कराना जाय।

(2) कार्य आरम्भावेश के अनुसार कार्य दिनांक 25–12–19 से आरम्भ होकर दिनांक 25–1–20 तक पूर्ण किया जाना था। कार्य की वास्तविक समाप्ति तिथि एम0 बी0 नं0 – 8059 के पृ0 सं0 – 12 के अनुसार दिनांक 25–7–20 थी। इस प्रकार कार्य 182 दिवस विलम्ब से पूर्ण हुआ नगर निगम के सामान्य निर्माण कार्य हेतु अनुबन्ध की शर्त सं0 – 2 के अनुसार कार्य में देरी के लिए ठेकेदार पर कार्य की आगणन राशि पर 01 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड लिया जाना था किन्तु अर्थदण्ड की यह

धनराशि 10 प्रतिशत से अधिक नही होगी। इस प्रकार रू0 1480106×10 प्रतिशत =148011 = 00 विलम्ब दण्ड ठेकेदार से वसूल किया जाय।

87 – एम0 बी0 गर्ल्स महरौली साहिबाबाद सिहानी तथा गाजियाबाद के स्कूलो में प्रकाश व्यवस्था हेतु 36 वॉट एल0 ई0 डी0 लाईट की आपूर्ति का कार्य नगर निगम द्वारा कराया जाना आपत्तिजनक एवं अमान्य : –

प्रकाश विभाग की पत्रावलियों की जॉच में प्रकाश में आया कि प्रधानाचार्य एम0 वी0 गर्ल्स स्कूल गाजियाबाद द्वारा नगर निगम को पत्र लिखा कि स्कूल में परीक्षा का आयोजन किया गया है। स्कूल में उचित प्रकाश व्यवस्था नही है स्कूल में उचित प्रकाश व्यवस्था की जाय। अधिशासी अभियन्ता वि0 मॉ0 नगर निगम गाजियाबाद के पत्रांक – 500/2019 दिनांक 17–2–20 के कार्य आदेश के अनुसार उक्त कार्य को कराने का मै0 मॉडर्न इलैक्ट्री कल्स एण्ड मकैनिकल ट्रेडर्स से किया गया था। व्यय प्रमाणक सं0 1662 दिनांक 9–11–20 रू0 87450 = 00 का भुगतान मै0 मार्डन इलैक्ट्रीकल्स एण्ड मैकेनिकल ट्रेडर्स को किया गया था। उक्त कार्य को कराने का दायित्व नगर निगम गाजियाबाद नही था। यह कार्य स्कूल के प्रबन्धकीय स्तर से किया जाया जाना था। उक्त कार्य पर किया गया व्यय रू0 87450 = 00 आपत्तिजनक एवं अमान्य था। उक्त कार्य को कराने का आधार स्पष्ट किया अन्यथा स्थिति में उक्त कार्य पर किया गया व्यय सम्परीक्षा की दृष्टि से आपत्तिजनक एवं अमान्य था।

88 – अधिक दर से कार्य कराने से ठेकेदार को अधिक भुगतान रू0 5365 =44 एवं ठेकेदार के विल से रू0 317565 = 00 विलम्ब दण्ड कम काटा जाना :–

प्रकाश विभाग की पत्रावलियों की जॉच में आया कि मेरठ रोड मेरठ मोड से दुहाई तक रोड के दोनो किनारो पर पोल लगाकर पथ प्रकाश व्यवस्था के कार्यो को 16 भागो में बॉटकर कराया गया था जिसके अन्तर्गत मेरठ रोड गोल चक्कर से होम कॉन्सेप्ट 38 हरवंश नगर मेरठ रोड आर्यनगर मोड एट्री पर दायी ओर 09 मी0 जी0 आई0 डेकोरेटिव पोल पर सिंगल आर्म लगाकर मार्ग प्रकाश व्यवस्था का कार्य का ठेका मै0 शिव कन्संट्रक्शन को कार्याम्भादेश सं0 – 8/प्रकाश/2019 द्वारा दिनांक 4–9–19 को दिया गया था। पत्रावली में संलग्न एम0 बी0 नं0 – 8157 के पृष्ठ सं0 – 07 पर के अनुसार मद सं0 – 2 बी0 सप्लाई एण्ड फिक्सिंग एल0 ई0 डी0 फल्ड लाइट 8 नग प्रति 13190 रू0 105520 = 00 का भुगतान बिल मे ठेकेदार को किया गया था। जबकि इसी प्रकार के अन्य कार्यो जैसी – मेरठ रोड गोल चक्कर से होम कॉन्सेप्ट 38 हरवंश नगर मेरठ रोड आर्यनगर मोड एन्ट्री पर बायी ओर 09 मी0 जी0 आई0 डोकोटिव पोल पर सिंगल आर्म लगाकर प्रकाश व्यवस्था का कार्य होम कॉन्सेप्ट 38 हरवंश नगर मेरठ रोड आर्यनगर मोड एन्ट्री से जी0 एस0 टी0 वी0 एस0 शोरूम पेट्रोल पम्प तक बायी ओर 09 मी0 जी0 आई0 डोकोटिव पोल पर सिंगल आर्म लगाकर प्रकाश व्यवस्था का कार्य राजनगर एक्टेंशन फलाई ओवर की ओर 9 मी0 जी0 आई0 डोकोरेटिव पोल पर सिंगल आर्म लगाकर प्रकाश पक्ष व्यवस्था कार्य में सप्लाई एण्ड फिक्सिंग ऑफ 150 वॉट एल0 ई0 डी0 फल्ड लाईट मद हेतु रू0 12519 = 32 प्रति नग की दर से भुगतान किया गया था। इस प्रकार उक्त कार्य में ठेकेदार को रू0 5365.43 (13190–12519.32 = 670.68×8 =5365 = 44) का अधिक भुगतान किया गया था। रू0 5365.44 ठेकेदार से वसूल करके सम्बन्धित कोष में जमा कराया जाय। व्यय प्रमाणक सं0 2957 दिनांक 31–3–21 द्वारा रू0 859800 = 00 का भुगतान ठेकेदार को किया गया था।

(2) कार्य की प्रारम्भ की तिथि 4–9–19 व समाप्ति तिथि 4–10–19 थी। जबकि माप पुस्तिका के अनुसार कार्य की वास्तविक समाप्ति तिथि 1–1–2021 थी। इस प्रकार कार्य 453 दिवस विलंब से पूर्ण हुआ। नगर निगम के सामान्य निर्माण कार्यो हेतु अनुबन्ध की शर्त सं0 – 2 के अनुसर कार्य मे देरी के लिए ठेकेदार पर कार्य की आगणन राशि पर 01 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड लिया जाना था

किन्तु अर्थदण्ड की यह धनराशि 10 प्रतिशत से अधिक नही होगी। इस प्रकार रू0 3675648×10 प्रतिशत = 367565–50000 = 317565 = 00 विलम्ब दण्ड ठेकेदार से वसूल किया जाय।

(3) फर्म द्वारा सप्लाई की गयी एल0 ई0 डी0 लाइटो पर गारन्टी/वारन्टी हेतु कोई प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न नही था। अतएव गारन्टी/वारन्टी प्रमाण पत्र प्राप्त कर पत्रावली में संलग्न किया जाना अपेक्षित है।

(4) दिनांक 8–7–19 को पत्रावली की नोटिंग के अनुसार फर्म से फिलिप्स की 130 वॉट लाईट एवं केबिल हैविल्स पॉलीकेब मेक का लगवाया जाना प्रस्तावित है। किन्तु पत्रावली व एम0 बी0 पर की भी फिलिप्स की 130 वॉट लाइट एवं केबिल हैविल्स पॉलीकेब मेक का होना नही अंकित किया गया था अंकित न करने का कारण स्पष्ट किया जाय।

<u>89 – राजनगर एक्सटेंशन फलाई ओवर ओर 9 मी0 जी0 आई0 डेकोरेटिव पोल पर सिंगल आर्म लगाकर मार्ग प्रकाश व्यवस्था के कार्य में पायी गयी अनियमितताऍं</u> : –

प्रकाश विभाग की पत्रावलियों की जॉच में आया कि मेरठ रोड मोड से दुहाई तक 8 किमी0 रोड के दोनो किनारों पर पोल लगाकर पथ प्रकाश व्यवस्था के कार्यो को 16 भागो में बॉटकर कराया गया था जिसके अन्तर्गत राजनगर एक्सटेंशन फलाई ओवर और 9 मी0 जी0 आई0 डेकोरेटिव पोल पर सिंगल आर्म लगाकर मार्ग प्रकाश व्यवस्था का कार्य का ठेका मै0 एम0 के0 कन्स्ट्रक्शन कं0 को कार्यादेश सं0 – 20/प्रकाश/2019 दिनांक 4–4–19 को दिया गया था। कार्य की आबॅटन घनराशि रू0 2387234 = 85 थी। ठेकेदार के प्रथम एवं अन्तिम बिल का भुगतान रू0 1973300 = 00 व्यय प्रमाणक सं0 – 2960 दिनांक 31–3–21 द्वारा किया गया था उक्त कार्य में निम्नलिखित अनियमितताए प्रकाश में आयी –

(1) कार्य की प्रारम्भ की तिथि 4–9–19 व कार्य समाप्ति तिथि 4–10–19 थी। जबकि माप पुस्तिका सं0 – 11662 के पृष्ठ सं0 – 03 के अनुसार कार्य की वास्तविक समाप्ति तिथि 1–1–21 थी। इस प्रकार कार्य 453 दिवस विलम्ब से पूर्ण हुआ। नगर निगम के सामान्य निर्माण कार्यो हेतु अनुबन्ध की शर्त सं0 – 2 के अनुसार कार्य में देरी के लिए ठेकेदार पर कार्य की आगणन राशि पर 01 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड लिया जाना था किन्तु अर्थदण्ड की यह धनराशि 10 प्रतिशत से अधिक नही होगी। इस पगकार रू0 2623335×10 प्रतिशत = 262333 = 00 विलम्ब दण्ड ठेकेदार से वसूल किया जाय।

(2) दिनांक 8–7–19 को पत्रावली की नोटिंग के अनुसार फर्म से फिलिप्स की 130 वॉट लाईट एवं केबिल हैविल्स पालीकेब मेक का लगवाया जाना प्रस्तावित है। किन्तु पत्रावली वएम0 बी0 पर कही भी फिलिप्स की 130 वॉट लाइट एवं केबिल हैविल्स पॉलीकेब मेक का होना नही अंकित किया गया था। अंकित न करने का कारण स्पष्ट किया जाय।

(3) फर्म द्वारा सप्लाई की गयी एल0 ई0 डी0 लाइटों पर गारन्टी/वारन्टी हेतु कोई प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न नही था। अतः एवं गारन्टी/वारन्टी प्रमाणपत्र प्राप्त कर पत्रावली में संलग्न किया जाना अपेक्षित है।

(4) पत्रावली में दी गयी आख्या के अनुसार फर्मो द्वारा बनवायी जाने वाली फाउण्डेश्न की जॉच वाह्रय ऐजेन्सी से करायी जानी है। फाउण्डेशन की जॉच सम्बन्धि प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न नही था। फाण्डेशन की जॉच वाह्रय ऐजेन्सी से करायी जाने का प्रमाण पत्र किया जाना अपेक्षित है।

<u>90 – गाजियाबाद की विभिन्न सडको की स्ट्रीट लाइट डिवाइडर एवं रेलिन्ग के निर्माणसंचालन (बी0 ओ0 टी0) के आधार पर विज्ञापन के कार्य के साथ अन्य कार्यो हेतु दिये गये ठेको पर वर्ष 2020–21 तक भारी बकाया धनराशि रूपये 49248839 =00 की वसूली न होने के कारण आर्थिक क्षति :</u> –

नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न सडको पर डिवाइडर फुटपाथ तथा विघुत पोलो के अनुरक्षण सेन्ट्रल बर्ज का रख रखाव विघुत पोलो की सफाई रंगाई पुताई का कार्य विघुत पोलो पर रिफलेक्टिव टेप लगाना जलाने बुझाने हेतु आटोमेटिक स्विचो की व्यवस्था करना सेन्ट्रल वर्ज पर लगे ग्रीन वेल्ट को द्वरा भरा रखना तथा वर्ष में दो बार पेन्टिग का कार्य एवं विघुत पोलो पर (30×40 इंच) के साइज के विज्ञापन बोर्ड लगाना एवं उसका शुल्क नगर निगम कोष में जमा कराये जाने हेतु विभिन्न एडवर टाइजिन्ग एजेन्सियो से अनुबन्ध किये गये थे। विभिन्न ठेकेदारो पर विज्ञापन शुल्क की भारी धनराशि रूपये 49248839 = 00 31 मार्च 2021 को नगर निगम की बकाया चली आ रही थी जिससे निगम को आर्थिक क्षति हो रही थी। नगर निगम के उक्त बकाये की धनराशि में उत्तरोत्तर वृद्वि होती जा रही थी जिससे स्पष्ट था कि निगम द्वारा विज्ञापन शुल्क की वसूली हेतु प्रभावी प्रयास नही किया जा रहा था यह स्थिति निगम के आर्थिक हितो के सर्वथा प्रतिकूल थी। एतएव संलग्न परिशिष्ट 36 के अनूसार रूपये 49248839 = 00 की वसूली कराये जाने हेतु प्रभावी/ आवश्यक कार्यवाही कराये जाने हेतु संस्था के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

<u>91 – नगर निगम द्वारा विज्ञापन हेतु डी0 ए0 वी0 पी0 की दर पर भुगतान न कर अधिक दरों पर ऐजिन्सियों को भुगतान किये जाने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक अधिक भुगतान रूपया 2857412 = 00</u> : –

उप सम्परीक्षा माहों के व्यय प्रमाणको की जॉच से प्रकाश में आया कि नगर निगम द्वारा उ0 प्र0 सरकार सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग विज्ञापन विभाग के आदेश सं0 – 2840/ सू0 एवं अ0 सं0 विभाग विज्ञापन 1173/89 लखनउ दिनांक 19–2–1991 द्वारा स्वीकृत विज्ञापन नीति एवं विज्ञापन मान्यता नियमावली दिनांक 1–2–1991 से लागू की गयी थी जिसे निगम बोर्ड के प्रस्ताव संख्या – 733 से सर्वसम्मति से स्वीकार एवं अंगीकार किया गया था।

सम्परीक्षा में जॉच के दौरान प्रकाश में आया कि नगर निगम द्वारा उक्त शासनादेश एवं बोर्ड निर्देशो का पालन नही किया गया था। इस नियमावली के अनुसार विज्ञापन बिना ऐजेन्सी के माध्यम से सीधे डी0 ए0 वी0 पी0 रेट पर दिया जाना चाहिए था विज्ञापन व्यावसायिक दर पर न दिया जाय तथा डी0 ए0 वी0 पी0 दर से ही भुगतान किया जाय किन्तु नगर निगम द्वारा डी0 ए0 वी0 पी0 दरों पर भुगतान न करके एजेन्सी व्यावसायिक दरों पर भुगतान किया गया था। यह अनियमित एवं आपत्तिजनक था।

इस तरह विज्ञापन हेतु अधिक एवं अनियमित भुगतान किया गया था। गत एवं विगत वर्षो से लगातार आपत्ति उठाये जाने पर भी इसे बन्द नही किया गया था। इस प्रथा पर रोक लगायी जाय एवं तुरन्त बन्द करके नियमानुसार डी0 ए0 वी0 पी0 दरों पर भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाय। इस हेतु नगर निगम के उच्चाधिकारियों का घ्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। अधिक एवं अनियमित भुगतान का विवरण परिशिष्ट 18 पर संलग्न है। उक्त विवरण मात्र उप सम्परीक्षा माहों में दिये गये विज्ञापनों का है। पूरे वर्ष के विज्ञापनों की व्यापक जॉच कराकर आवश्यक कार्यवाही की व्यापक जॉच कराकर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण संलग्न परिशष्ट 18 पर दिया गया है।

<u>92 – मैसर्स वसुधा एडवरटाईजिंग द्वारा बी0 ओ0 टी0 के आधार पर जैन मंदिर फाटक से कालका गढी चौक तक पर प्रर्दशित किये गये विज्ञापन का विज्ञापन शुल्क ब्याज की गणना बकाया विज्ञापन शुल्क पर न करने के कारण रू0 2273811 = 00 कम आंकलित किया जाना</u> : –

विज्ञापन पत्रावलियों की सम्परीक्षा से प्रकाश में आया कि बी0 ओ0 टी के आधार पर गाजियाबाद नगर निगम क्षेत्र में जैन मन्दिर फाटक से कालका गढी चौक तक बिजली के खम्बों की

देख रेख लाईटो का मेन्टीनेन्स करना विघुत पोलो की सफाई एवं पेन्ट का कार्य तथा 03 प्रवेश द्वारा 10 यूनीपोल एवं 05 एरिया गाईठ मैप एवं ट्रैफिक बैरियर की स्थापना के कार्य के सापेक्ष विज्ञापन के लिए 10 वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 22–8–9 को मैसर्स वसुघा एडवर टाईजिग एवं नगर निगम के मध्य अनुबन्ध हुआ था। नगर आयुक्त नगर निगम गाजियाबाद के पत्रांक सं0 – 781/नं0 आ0/2016–17 दिनांक 20–4–2016 द्वारा मैसर्स वसुघा एडवर टाईजिंग को सूचित किया गया कि वर्ष 2008–09 से 31–3'–2016 तक संस्था द्वारा वैध/अवैध रूप से लगाये गये विज्ञापन और उस पर निर्घारित दर से विज्ञापन शुल्क रू0 4920385 = 00 की स्थिति निम्न प्रकार थी।

वर्ष	विज्ञापन शुल्क
2009–10	88,070
2010–11	5,81,262
2011–12	5,81,262,
2012–13	9,62,311
2013–14	9,62,311
2014–15	10,26,249
2015–16	773660 (4975127–4201467)
फर्म द्वारा जमा	49,75,125 54,742
	49,20,383

पत्र द्वारा संस्था को निर्देशित किया कि इस पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह में बकाया विज्ञापन शुल्क रू0 4920385 = 00 की राशि नगर निगम कोष में जमा कराना सुनिश्चित करे। उपरोक्त बकाया धनराशि पर किसी भी वर्ष बकाया पर ब्याज नही लगाया था जबकि अन्य कार्य बी0 ओ0 टी0 के आघार पर सौर उर्जा मार्ग पर लिंक रोड चौराहे से लेकर झण्डापुर कडकडमॉडल महाराजपुर होते हुए डा0 वर्मन रोड तक मार्ग प्रकाश व्यवस्था के अनुरक्षण के कार्य के सापेक्ष विज्ञापन प्रर्दशन कार्य मे बकाया घनराशि पर विज्ञापन शुल्क ब्याज सहित विज्ञापन शुल्क की गणना की गयी थी।

उपरोक्त कार्य मे बकाया विज्ञापन शुल्क पर ब्याज सहित विज्ञापन शुल्क की गणन न करने का आघार स्पष्ट किया जाय अन्यथा स्थिति मे निम्न विवरणानुसार बकाया विज्ञापन शुल्क ब्याज सहित नगर निगम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

वर्ष	बकाया विज्ञापन शुल्क
2008–09	—
2009–10 16प्रतिशत ब्याज धनराशि	88,070 14091
	1,02,161
2010–11	5,81,262
16प्रतिशत ब्याज धनराशि	6,83,423 1,09,348
	7,92,771 5,81,262
2011–12	13,74,033

16प्रतिशत ब्याज सहित	2,19,845
	15,93,878
2012—13	9,62,311
16प्रतिशत ब्याज सहित	25,56,189 4,08,990
2013—14	29,65,179 9,62,311
16प्रतिशत ब्याज सहित	39,27,490 6,28,398
2014—15	45,55,888 10,26,249
16प्रतिशत ब्याज सहित	55,82,137 8,93,141
2015—16	64,75,278 7,73,660
संस्था द्वारा जमा	72,48,938 54,742
	71,94,196

इस प्रकार विज्ञापन शुल्क रू0 22,73,811/— (71,94,196(ब्याज सहित)—49,20,385) कम आंकलित करने के कारण नगर निगम को रू0 22,73,811/— क्षति पहुचायी गयी थी। रू0 22,73,811/— को नगर निगम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

93. नगर निगम द्वारा विज्ञापन पट होर्डिंग यूनिपोल विज्ञापन फर्मों के साथ निर्धारित दर से अनुबन्ध करते समय स्टाम्प न लगाने से राजस्व क्षति रु0 14,62,120.00

सम्परीक्षा में उपलब्ध पत्रावलियों के आधार पर नगर निगम गाजियाबाद के क्षेत्र में विज्ञापन पट होर्डिंग, यूनिपोल, क्योसक लगाने वाली फर्मों के साथ 100.00 रु0 के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध किया था जबकि अनुबन्ध पर स्टाम्प शुल्क की दर के सम्बन्ध में संयुक्त नगर आयुक्त, गाजियाबाद के पत्रांक—2461/3/विज्ञापन/2016—17 दिनांक 30.12.16 के प्रति उत्तर में सहायक महानिरीक्षक निबन्धक, गाजियाबाद से प्रेक्षा के उत्तर में कार्यालय उप निबन्धक सदर—।। गाजियाबाद के पत्रांक—29/स.र./द्वितीय गा0बा0/2017 दिनांक 17.01.17 द्वारा अवगत कराया गया था कि उक्त विषयक पर अनुबन्ध पत्र इण्डियन स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची—1 'ख' अनुच्छेद 35 से आच्छादित होता है। प्रीमियम धनराशि व विज्ञापन शुल्क सहित 40.00 रु0 प्रति हजार की दर से स्टाम्प शुल्क देय होगा। नियमानुसार स्टाम्प शुल्क अदा न करने के कारण रु0 14,62,120.00 की राजस्व हानि निम्न विवरणानुसार हुई थी।

कार्य का नाम	फर्म का नाम	प्रीमियम धनराशि एवं अवधि	विज्ञापन शुल्क एवं अवधि	3+4	40/1000
1	2	3	4	5	6

1. बी0ओ0टी0 के आधार पर सौर उर्जा मार्ग पर लिंग रोड चौराहे से लेक झण्डापुर कडकड मॉडल महाराजपुर होते हुए डा0 बर्मन रोड तक मार्ग प्रकाश व्यवस्था के अनुरक्षण कार्य के सापेक्ष विज्ञापन प्रदर्शन कार्य।	मै0 क्लासिक कम्यूनिकेशन	—	73,39,546.00 (वर्ष 2015–16 से 2020–21 तक)	73,39,546.00	2,93,600
2. गोविन्दपुरम पुलिस चौकी से जे0 ब्लाक प्रीतम फार्म हाउस तक सैन्ट्रल वर्ज/साईड पटरी पर लगे मार्ग प्रकाश व्यवस्था एवं ग्रीनरी के साथ–साथ डिवाईडर, रेलिंग इत्यादि के अनुरक्षण के कार्य।	मै0 एम0एस0 एडवरटाईजर	—	11,53,853.00 (वर्ष 2013–14 से 2017–18 तक)	11,53,863.00	.46160.00
3. बी0ओ0टी0 के आधार पर मोहन नगर चौक से ठाकुर द्वारा चौक तक मार्ग प्रकाश व्यवस्था के अनुरक्षण के कार्य सापेक्ष विज्ञापन प्रदर्शन कार्य।	मै0 पी0पी0 पब्लिसिटी	—	40,35,116.00 (वर्ष 2009 से 2018–19 तक)	40,35,116.00	161440.00
4. बी0ओ0टी0 के आधार पर ट्रैफिक सिग्नल के संचालन व अनुरक्षण के कार्य के सापेक्ष विज्ञापन प्रदर्शन के कार्य।	मै0 शिव शक्ति ड्रीम होम्स प्रा0लि0	38,00,000	86,79,881.00	1,24,79,881	4,99,200.00
5. बी0ओ0टी0 के अन्तर्गत जैन मन्दिर (नेहरू नगर) रेलवे कासिंग से कालका गढी चौक(अम्बेडकर रोड टी0– प्वाईंट) के अनुबन्ध के सापेक्ष किये गये विज्ञापन प्रदर्शन के कार्य।	मै0 वसुधा एडवरटाईजिंग	—	70,25,326.00 (वर्ष 2015–16 से 2018–19 तक)	70,25,326.00	281040.00
6. बी0ओ0टी0 के आधार पर डायमण्ड पैलेस टी–प्वाईन्ट से एन0एच.24 तक मार्ग प्रकाश व्यवस्था	मै0 पोल एड्स एडवरटाईजिंग	—	45,16,840.00	45,16,840.00	180680.00

के अनुरक्षण के कार्य के सापेक्ष विज्ञापन प्रदर्शन कार्य।					

94. गाजियाबाद नगर निगम क्षेत्र में पूर्व स्थापित 19 ट्रैफिक सिग्नलों के अनुरक्षण व संचालन तथा सिग्नलों की स्थापना के कार्य के सापेक्ष विज्ञापन प्रदर्शन के कार्य हेतु वर्ष 2017–18 का विज्ञापन शुल्क आगामी वर्षों में समायोजित किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक रु0 12,91,717.00 :–

विज्ञापन पत्रावलियों की सम्परीक्षा से प्रकाश में आया कि बी0ओ0टी0 के आधार पर गाजियाबाद नगर निगम क्षेत्र में पूर्व स्थापित 19 ट्रैफिक सिग्नलों के अनुरक्षण व संचालन तथा 11 नये ट्रैफिक सिग्नलों की स्थापना के कार्य के सापेक्ष विज्ञापन प्रदर्शन के कार्य हेतु 12 वर्ष के अवधि के लिए प्रीमियम के आधार पर दिनांक 15.12.16 को निविदायें आमंत्रित की गयी थी। प्राप्त निविदाओं में मैसर्स शिव शक्ति ड्रीम होम्स द्वारा दी गयी अंकन धनराशि रु0 38,00,000 (प्रीमियम धनराशि) की उच्चतम निविदा की स्वीकृति के आधार पर अपर नगर आयुक्त गाजियाबाद नगर निगम के कार्यादेश सं0 729/अ0न0आ0/बी0ओ0टी0/2016–17 दिनांक 15.03.17 द्वारा कार्य आवंटित किया गया था।

निविदा की शर्त सं0–02 के अनुसार फर्म द्वारा प्रीमियम धनराशि रु0 38,00,000.00 तथा एक वर्ष का अग्रिम विज्ञापन शुल्क (वर्ष 2017–18) रु0 20,32,862.00 जमा किया गया था। संयुक्त नगर आयुक्त गाजियाबाद नगर निगम के पत्रांक–1386/सं.न.आ./बी0ओ0टी0/2018–19 दिनांक 20.09.18 द्वारा मैसर्स शिव शक्ति ड्रीम होम्स प्रा0लि0 को सूचित किया गया कि अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार वित्तिय वर्ष 2018–19 का विज्ञापन शुल्क रु0 22,00,149.00 व 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 (अतिरिक्त) के साथ नगर निगम कोष में एक सप्ताह में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। दिनांक 18.11.18 को फर्म द्वारा नगर आयुक्त नगर निगम, गाजियाबाद को प्रार्थनापत्र दिया गया कि कुछ ट्रैफिक सिग्नलों स्थलों को ट्रैफिक पुलिस द्वारा बन्द करा दिया गया है। कुछ स्थलों पर शासकीय कार्य योजना के कारण कुछ ट्रैफिक सिग्नलों को हटा दिया गया था जिस व कुछ स्थलों पर गोल चक्कर व ट्रैफिक सिग्नल फ्री किये जाने के कारण हमारी फर्म द्वारा अपने अनुबन्धित विज्ञापन पट भी स्थापित नहीं किये जा सके है। हमारी फर्म द्वारा वर्ष 2017 में जमा कराये गये विज्ञापन शुल्क रु0 20,32,862.00 का समायोजन करते हुए प्रेषित बिल 22,00,149.00 को ठीक करने का कष्ट करें। उक्त के क्रम में नगर आयुक्त गाजियाबाद नगर निगम द्वारा 04 सदस्य समिति का गठन किया गया। समिति सर्वे रिपोर्ट के आधार पर (दिनांक 11.01.18 व दिनांक 31.12.18) वर्ष 2017–18 व वर्ष 2018–19 में कार्य द्वारा कुल रु0 25,32,245.00 (741145 + 1791100) का विज्ञापन प्रदर्शन का कार्य किया है तथा फर्म द्वारा रु0 20,32,862.00 निगम कोष में जमा किया गया था, को घटाते हुए फर्म पर रु0 499383.00 (2532245–2032862) विज्ञापन शुल्क बकाया है। इस प्रकार वर्ष 2018–19 में बकाया विज्ञापन शुल्क धनराशि रु0 4,99,383.00 तथा 14 नये सिग्नलों के अग्रिम विज्ञापन शुल्क की धनराशि रु0 3,08,811.00 कुल योग 8,08,194.00 रु0 विज्ञापन शुल्क फर्म पर बकाया दर्शाया गया था। नोटिंग पृष्ठ सं0 87 के अनुसार फर्म द्वारा 2017 में जमा अग्रिम विज्ञापन शुल्क रु0 20,32,862.00 को वर्ष 2018–19 के अग्रिम विज्ञापन में समायोजित कर रु0 8,08,194.00 निगम कोष में 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 को अतिरिक्त रूप में निगम कोष में जमा कराने अवगत कराया गया था।

अनुबन्ध की शर्त सं0 8 के अनुसार ''उपरोक्त सूची में कुल 33 स्थल दर्शाये गये हैं। आवश्यकतानुसार स्थलों की सं0 घटाई/बढाई जा सकती है। व निविदा की शर्त सं0 5 के अनुसार ''विज्ञापन शुल्क आवंटित किये हुए विज्ञापन पट के साइज पर सम्पूर्ण वर्ष का एक साथ लिया जायेगा।

किसी भी दशा में फर्म का यह दावा मान्य नहीं होगा कि फर्म को विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए नहीं मिल रहे है। उपरोक्त शर्तों के अनुसार फर्म का वर्ष 2017–18 का एक वर्ष का अग्रिम विज्ञापन शुल्क रु0 12,91,717.00(20,32,862–741145) वर्ष 2018–19 में समायोजित किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक था। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा स्थिति में रु0 12,91,717.00 अग्रिम विज्ञापन शुल्क को नगर निगम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

95. विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापनों पर दिया जाने वाला 15 प्रतिशत ट्रेड डिस्काउंट का लाभ नगर निगम को न मिलने के कारण आर्थिक क्षति एवं अधिक भुगतान रु0 5,45,465.00 :–

सम्परीक्षा में नगर निगम द्वारा प्रकाशित कराये जाने वाले विज्ञापनों के व्यय प्रमाणकों की जांच से प्रकाश में आया कि नगर निगम द्वारा उप सम्परीक्षा माहों में विज्ञापन डी0ए0वी0पी0 की दर से भुगतान न करके एडवरटाइजिंग ऐजेन्सी के माध्यम से विज्ञापित कराये गये थे। उ0प्र0 सरकार सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (विज्ञापन विभाग) के आदेश सं0–2840/स0ए0वं जन0स0 विभाग विज्ञापन/1173/89 लखनऊ दिनांक 19.02.1991 द्वारा स्वीकृत विज्ञापन नीति एवं विज्ञापन मान्यता नियमावली दिनांक 01.02.1991 के अनुसार विज्ञापन बिना ऐजेन्सी के माध्यम से सीधे दिया जाना चाहिए था तथा विज्ञापन व्यावसायिक दर पर न देकर डी0ए0वी0पी0 की दर से भुगतान किया जाना चाहिए था। उक्त सम्परीक्षा माहों के विज्ञापन से सम्बन्धित व्यय प्रमाणकों की जांच से प्रकाश में आया कि सभी समाचार पत्रों द्वारा विज्ञापन मूल्य पर 15 प्रतिशत ट्रेड डिस्काउन्ट दिया जाना था किन्तु नगर निगम द्वारा ऐजेन्सी के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कराये गये थे और उनका भुगतान भी ऐजेन्सी द्वारा दिये गये बिल के अनुसार ही किया गया था। ऐजेन्सी द्वारा दिये गये किसी भी बिल में समाचार पत्रों द्वारा दिया जाने वाला 15 प्रतिशत ट्रेड डिस्काउन्ट विज्ञापन बिलों से नहीं घटाया गया था एवं नगर निगम को पूर्ण विज्ञापन मूल्य का भुगतान करना पड़ा था। ऐजेन्सी द्वारा अपने बिलों में 15 प्रतिशत ट्रेड डिस्काउन्ट न घटाये जाने से नगर निगम को संलग्न विवरणानुसार अधिक भुगतान करना पड़ा। नगर निगम द्वारा व्यय प्रमाणकों के रूप में ऐजेन्सी द्वारा दिये गये बिल ही लगा दिये गये थे। किसी भी व्यय प्रमाणक में समाचार पत्र द्वारा दिये गये बिल जिसमें ट्रेड डिस्काउन्ट दर्शित था, व्यय प्रमाणक के साथ संलग्न नहीं किये गये थे।

ऐजेन्सी के माध्यम से व्यावसायिक दरों पर विज्ञापन करना अनियमित एवं आपत्तिजनक था। इस कारण निगम को रुपया का अधिक एवं अनियमित भुगतान करना पड़ा। विवरण में मात्र उप सम्परीक्षा माहों में किये गये भुगतान का विवरण अंकित है। अतः पूरे वर्ष में विज्ञापनों की व्यापक जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

विज्ञापनों पर 15 प्रतिशत ट्रेड डिस्काउन्ट का विवरण

क0	विज्ञापन ऐजेन्सी का नाम/समाचार पत्र का नाम/विभाग का नाम	विज्ञापन की दिनांक	बिल की धनराशि	15 प्रतिशत ट्रेड डिस्काउंट	ट्रेड डिस्काउंट के पश्चात भुगतान योग्य राशि	व्यय प्रमाणक सं0/दिनांक
1	सुदर्शन एडवरटाईजिंग अमर उजाला, दैनिक हिन्ट, आवश्यक सूचना,	17.06.20	99,582	14,937	84,645	03/ 01.07.20

	टैक्स विभाग					
2	सुदर्शन एडवरटाईजिंग, हिन्दुस्तान, दैनिक हिन्द प्रकाश विभाग	06.06.20	85134	12770	72364	04 / 01.07.20
3	सुदर्शन एडवरटाईजिंग, दैनिक जागरण, उद्यान विभाग	17.06.20	105285	15793	89492	05 / 01.07.20
4	सुदर्शन एडवरटाईजिंग, अमर उजाला, स्वास्थ्य विभाग	04.06.20	80178	12027	68151	06 / 01.07.20
5	सुदर्शन एडवरटाईजिंग, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान	23.06.20	1,62,372	24356	138016	07 / 01.07.20
6	सुदर्शन एडवरटाईजिंग, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान	20.06.20 व 21.06.20	2,59,795	38969	220826	08 / 01.07.20
7	सुदर्शन एडवरटाईजिंग, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, प्रकाश विभाग	23.06.20	1,62,372	24356	138016	07 / 01.07.20
8	सुदर्शन एडवरटाईजिंग, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, निर्माण विभाग	21.06.20	2,59,795	38969	220826	08 / 01.07.20
9	सुदर्शन एडवरटाईजिंग, दैनिक जागरण,, दैनिक हिन्द, जलकल विभाग	04.07.20	327003	49050	277953	266 / 14.07.20
10	सुदर्शन एडवरटाईजिंग, अमर उजाला, दबंग	16.06.20	108813	16322	92491	267 / 14.07.20

	पुनिया, स्वास्थ्य विभाग					
11	सुदर्शन एडवरटाईजिंग, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, नजारत विभाग	07.07.20	110510	16576	93934	268 / 14.07.20
12	सुदर्शन एडवरटाईजिंग, दैनिक भास्कर, करंट क्राइम, निर्माण विभाग	01.11.20	85260	12789	72471	1932 / 10.11.20
13	सुदर्शन एडवरटाईजिंग, हिन्दुस्तान, पायोनियर, निर्माण विभाग	21.10.20	175047	26257	148790	1933 / 10.11.20
14	सुदर्शन एडवरटाईजिंग, नवभारत टाईम्स, दैनिक भास्कर, एस0बी0एम0 विभाग	24.10.20	283668	42550	241118	1934 / 10.11.20
15	सुदर्शन एडवरटाईजिंग दैनिक जागरण, अमर उजाला, युग करवट, हिन्दुस्तान हिन्दी, दैनिक भास्कर	29.10.20	485520	72828	412692	1935 / 10.11.20
16	सुदर्शन एडवरटाईजिंग, नव भारत टाईम्स, दैनिक हिन्द, एस0बी0एम0 विभाग	30.10.20	106848	16027	90821	1936 / 10.11.20
17	सुदर्शन एडवरटाईजिंग, दैनिक जागरण, अमर उजाला, स्वास्थ्य विभाग	18.10.20	235082	35262	199820	1937 / 10.11.20
18	सुदर्शन एडवरटाईजिंग,	03.11.20	140380	21057	119323	1938 / 10.11.20

	दैनिक जागरण, एस0बी0एम0 विभाग					
19	सुदर्शन एडवरटाईजिंग, दैनिक जागरण, युग करवट	13.10.20	137533	20629	116904	1939/ 10.11.20
20	नवागत मिडिया प्रा0लि0, उदय भूमि, निर्माण विभाग	15.7.20	63000	9450	53550	2228/ 13.11.20
21	नवागत मिडिया प्रा0लि0, उदय भूमि, निर्माण विभाग	25.07.20	68775	10316	58459	2229/ 13.11.20
22	नवागत मिडिया प्रा0लि0, उदय भूमि, निर्माण विभाग	30.09.20	63000	9450	53550	2230/ 13.11.20
23	नवागत मिडिया प्रा0लि0, उदय भूमि,	29.09.20	31500	4725	26775	2231/ 13.11.20
				5,45,465		

96. नगर निगम के विभिन्न जोनों के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों एवं पार्कों में उद्यान विभाग के विभिन्न कार्यों को ठेके के स्थान पर कुटेशन के आधार पर कराया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक रु0 3,43,56,641.00 :–

उद्यान विभाग की पत्रावलियों की जांच के समय प्रकाश में आया कि नगर निगम के विभिन्न जोनों के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों/पार्कों में विभिन्न कार्यों यथा पार्क का सौन्दर्यीकरण, पौधों एवं घास की आपूर्ति/लगाये जाने, पार्कों की रंगाई/पुताई व मरम्मत, सबमर्सिवल लगाने व मरम्मत, दवा, बीज, हाथ रिक्शा ठेली, घास काटने की मशीन, फावड़ा, तार फीटिंग, मिट्टी भराव, इण्टरलाकिंग टाईल्स मरम्मत कार्य, विक्टोरिया बेंच एवं झूला लगाने, वृक्षारोपण के दौरान लगायी गयी नाम पट्टिका फिविन्सिन्ग एवं सूचना पट्ट लगाये जाने आदि कार्यों हेतु विभिन्न तिथियों में विभिन्न कार्यों हेतु तथा एक ही प्रकृति के एक से अधिक कार्यों हेतु एक साथ कुटेशन आमंत्रित किये गये थे। जबकि समेकित रूप से टेण्डर आमंत्रित कर कार्य कराया जाना चाहिए था। यदि कार्यों को सम्पूर्ण रूप में टेण्डर आमंत्रित करके ठेके के माध्यम से कराया जाता तो निगम को प्रतिस्पर्धात्मक दरों का लाभ प्राप्त होता तथा कार्य कम दरों पर, कम समय में अधिक गुणवत्ता पूर्ण कराया जा सकता था। शासनादेश संख्या – 6736/23–7–2006–176 (सा)/99 दिनांक 5 जनवरी, 2007 द्वारा कार्य को टुकड़ों में कराये जाने पर प्रतिबंधित किया गया था। अतएव ठेके के स्थान पर कुटेशन पर कार्य कराया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक था। उक्त कुटेशन गत वर्षों में आमंत्रित किये गये जबकि कुटेशन की शर्त में उल्लिखित था कि अंकित रैट्स दो माह के लिए ही मान्य होंगे जबकि उक्त कुटेशनों के आधार पर कई माहों बाद कार्य कराये गये थे तथा भुगतान किया गया था। अतएव उक्त के सम्बन्ध में आवश्य/प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। आमंत्रित किये गये कुटेशनों का विवरण निम्नांकित विवरणानुसार है।

नोट– कमांक 8 पर अंकित कुटेशनों की संख्या–63 थी जबकि पत्रावली में मात्र 26 कार्यों की सूची संलग्न थी जिसकी धनराशि अंकित है–

कमांक	कुटेशन आमंत्रण की अन्तिम तिथि	एक साथ प्रकाशित कुटेशनों की संख्या	सम्पूर्ण धनराशि
1	21.05.2018	130	1,16,93,006
2	04.11.2019	28	25,28,745
3	24.09.2019	13	11,06,463
4	21.12.2018	86	74,40,815
5	21.02.2019	74	62,02,438
6	24.09.2019	46	9,36,532
7	31.12.2019	123	20,81,812
8	29.11.2018	26	23,66,830
		योग	3,43,56,641

97. नन्दी पार्क में संरक्षित गौवंशों के लिए कय किये गये भूसा एवं गेहूं के चोकर के बिल से आयकर की कटौती न किये जाने से राजकीय राजस्व की क्षति रु0 2,66,385 :–

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में नगर निगम के उद्यान विभाग द्वारा कान्हॉ गौशाला निधि से मेसर्स हाजी नूरैन गाजियाबाद से गेहूं चोकर एवं भूसा कय पत्रावली की जांच के समय प्रकाश में आया कि ठेकेदार के बिलों से आयकर की कटौती नहीं की गयी थी। उक्त कटौती न किये जाने का कोई कारण उल्लिखित नहीं था। आलोच्य अवधि में ठेकेदार को उक्त निधि से चेक सं0 961328 दिनांक 19. 03.21 रु0 4585644 एवं चेक सं0 961329 दिनांक 17.03.21 रु0 656356 के भुगतान से सम्बन्धित 6 पत्रावली सम्परीक्षा में प्रस्तुत की गयी। उक्त पत्रावली में आपूर्ति किये जाने प्रस्तुत समस्त बिलों जो 03. 05.18 से 10.05.21 तक की अवधि में भुगतानित धनराशि से आयकर की कटौती नहीं की गयी थी। पत्रावली में ठेकेदार के पंजीकरण ण्वं पैन कार्ड की प्रति भी संलग्न नहीं था जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि उक्त फर्म एकल फर्म थी या साझेदारी फर्म थी। उक्त पुष्टि के अभाव में निम्नांकित विवरणानुसार ठेकेदार के बिलों से 2 प्रतिशत आयकर की कटौती न किये जाने से रु0 266385.00 राजकीय राजस्व की क्षति हुई थी जिसकी प्रतिपूर्ति कराये जाने हेतु प्रभावी/आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कमांक	वा0सं0	दिनांक	मद का नाम	धनराशि	आयकर न काटी गयी धनराशि
1	57	03.05.18	गेहूं चोकर	977130	19543
2	40	01.08.18	—"—	972576	19452
3	148	07.09.18	—"—	977229	19545
4	396	15.02.19	—"—	976140	19523
5	143	13.03.19	—"—	976041	19521
6	450	13.08.19	—"—	974160	19483
7	449	13.08.19	—"—	983169	19663
8	26	04.02.20	—"—	934301	18686

9	546	14.08.20	—"—	178287	2566
10	695	28.09.20	—"—	983169	19663
11	1112	30.01.21	—"—	127464	2549
12	573	17.03.21	—"—	835072	16701
13	572	17.03.21	—"—	959047	19181
14	574	17.03.21	भूसा	656356	13127
15	570	17.03.21	गेहूं चोकर	955028	19101
16	569	17.03.21	भूसा	881363	17627
17	92	10.05.21	—"—	236697	4734
				योग	2,66,385

98. बिना टेण्डर प्रकिया के कार्यों को कराया जाना आपत्तिजनक रु0 7,31,900.00 :—

उद्यान विभाग की पत्रावलियों की सम्परीक्षा से प्रकाश में आया कि निम्नलिखित कार्यों को बिना टेंडर प्रक्रिया से कराया गया था जो अनियमित एवं आपत्तिजनक था। शासनादेश संख्या–ए–1–864/दस–08–15(1)/86 दिनांक 23.09.08 के अनुसार रु0 1,00,000 से ऊपर लागत के कार्यों को टेंडर प्रक्रिया के आधार पर कराया जाना चाहिए था जिससे नगर निगम को तुलनात्मक दरों का लाभ प्राप्त होता। पत्रावली में अंकित किया गया था कि कार्यों को पूर्व में आमंत्रित टेंडर की दरों के आधार पर कराया गया है। लेकिन पूर्व में आमंत्रित टेंडर प्रक्रिया के अभिलेख पत्रावली में संलग्न नहीं थे। पूर्व टेंडर प्रक्रिया की दरों पर कार्य कराये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाय। इस ओर नगर निगम के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार के प्रकरणों की पुनरावृत्ति न हो।

कमांक	व्यय प्रमाणक सं0/दिनांक	भुगतानित धनराशि/ भुगतान प्राप्तकर्ता	कार्य का विवरण
1	410/21.07.20	रु0 3,15,400.00 भारत ऐन्टरप्राइजेज	वार्ड–65 विवेकानन्द नगर पार्क में 20 नग बेन्च व 2 झूला
2	408/21.07.20	3,15,400.00 भारत ऐन्टरप्राइजेज	वार्ड–99 इन्दिरापुरम 20 बैंच व 2 झूला
3	895/24.07.20	1,01,100.00 आर्य कन्स0 कं0	वार्ड 74 सै0–3 वसुन्धरा में यू0एन0आई0 पॉकेट 1084 के सामने स्थित पार्क में 3.00 एच0पी0 का सवामर्सिबल पम्प सैट लगाए जाने का कार्य
		7,31,900.00	

99. नन्दी पार्क में संरक्षित गौवंशों के लिए कय किये गये गेहूं के चोक के बिल से आयकर की कटौती न किये जाने से राजकीय राजस्व की क्षति रु0 1,73,366.00 :—

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में नगर निगम के उद्यान विभाग द्वारा कान्हॉं गौशाला निधि से मेसर्स हाजी नूरैन गाजियाबाद से गेहूं के चोकर कय पत्रावली की जांच के समय प्रकाश में आया कि ठेकेदार के बिलों से आयकर की कटौती नहीं की गयी थी। उक्त कटौती न किये जाने का कोई कारण

पत्रावली में उल्लिखित नहीं था और न ही उक्त निविदा में ऐसी कोई शर्त थी कि उक्त फर्म से आयकर की कटौती नहीं की जायेगी। पत्रावली में उक्त फर्म ठेकेदार पंजीकरण एवं पैन कार्ड की प्रति भी संलग्न नहीं थी जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि उक्त फर्म एकल फर्म थी अथवा साझेदारी फर्म थी। उक्त पुष्टि के अभाव में उक्त पत्रावली में संलग्न 03.05.18 से 17.03.21 तक के निम्नांकित बिलों से 2 प्रतिशत आयकर की कटौती न किये जाने से रु0 1,73,366.00 राजकीय राजस्व की क्षति हुई थी। यदि उक्त आपूर्तिगत सामानों के बिलों से आयकर की कटौती न किये जाने सम्बन्धी कोई आदेश हो तो सम्परीक्षा में दिखाया जाय अन्यथा स्थिति में न काटी गयी आयकर की धनराशि की प्रतिपूर्ति कराये जाने हेतु प्रभावी/आवश्यक कार्यवाही किये जाने के लिये निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्नवत है:–

क्रमांक	वा0सं0	दिनांक	मद का नाम	धनराशि	आयकर न काटी गयी धनराशि
1	57	03.05.18	गेहूं चोकर	977130	19543
2	291	16.07.19	—"—	977526	19551
3	205	19.11.19	—"—	983070	19661
4	696	28.09.20	—"—	406872 (बोर्ड फण्ड)	8137
5	902	24.07.20	—"—	316483 (बोर्ड फण्ड)	6330
6	814	24.07.20	—"—	228289	4565
7	571	17.03.21	—"—	955134	19103
8	1419	09.11.20	—"—	953548 (बोर्ड फण्ड)	19071
9	1418	09.11.20	—"—	951115 (बोर्ड फण्ड)	19022
10	1417	09.11.20	—"—	952385 (बोर्ड फण्ड)	19048
11	1416	09.11.20	भूसा की आपूर्ति	584585 (बोर्ड फण्ड)	11692
12	513	17.10.20	—"—	382098 (रा0वि0आ0)	7642
				योग	1,73,366

100. बिना टेण्डर की कार्यवाही किये स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 (सर्वे टूलकिट) छपवाये जाने हेतु मे0 नगीस प्रकाश प्रा0लि0 को अनियमित/आपत्तिजनक भुगतान रु0 2,62,656.00 तथा बिल से 2 प्रतिशत जी0एस0टी0 की कटौती न किये जाने से राजकीय राजस्व की क्षति रु0 5253.00 :–

स्वच्छ भारत मिशन योजना से वा0सं0 1274 दिनांक 30.05.20 रु0 257403 आयकर की कटौती रु0 5253.00 किये जाने पश्चात में मे0 नगीस प्रकाश प्रा0लि0 को किया गया था। उक्त भुगतान स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 से सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्याशाला के दिनांक 26 सितम्बर 2019 को आयोजन में आये हुए

आगन्तुकों / प्रतिभागियों को दिये जाने हेतु स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 सर्वे टूलकिट की छपाई / आपूर्ति हेतु किया गया था। उक्त कार्य से सम्बनिधत प्रस्तुत पत्रावली की जांच में निम्नांकित कमियां प्रकाश में आयीं–

(1) उक्त कार्य हेतु दरों के सत्यापनार्थ आगणन / टेण्डर / कोटेशन आदि की कार्यवाही नहीं की गयी थी जबकि शा0सं0–ए–1 / 864 / दस–8–15(1) / 864 / दस–8–15(1) / 86 दिनांक 23 फरवरी 2008 द्वारा 1 लाख से ऊपर के कार्य / आपूर्ति पर टेण्डर की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। यह स्थिति भण्डार कय नियमावली के भी विपरीत थी। अतएव न्यूनतम दरों पर आपूर्ति की पुष्टि हेतु कोई साक्ष्य पत्रावली में संलग्न न होना अनियमित एवं आपत्तिजनक था।

(2) उल्लेखनीय है कि उक्त कार्यशालय दिनांक 26.09.19 को आयोजित की गयी थी तो आपूर्ति भी 26.9.19 अथवा इसके पूर्व होनी चाहिए थी। 26.09.19 अथवा इसके पूर्व आपूर्ति प्राप्त होने की पुष्टि हेतु कोई साक्ष्य संलग्न नहीं था जिससे इसके प्राप्त होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त के सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है । उक्त आपर्ति हेतु बिल –जेडब्ल्यू / 19–20 / 0492 दिनांक 03.01.20 के सापेक्ष भुगतान किया गया था जबकि बिल प्राप्ति के दिनांक का होना चाहिए था। इससे उक्त आपूर्ति संदिग्ध प्रतीत होती है।

(3) उक्त कार्यशाला स्वच्छ भारत मिशन योजना कार्यालय द्वारा आयोजित थी तो नगर निगम को सर्वे टूल किट छपवाये जाने हेतु दिये गये निदेश से सम्बन्धित कोई साक्ष्य संलग्न नहीं था।

(4) आपूर्ति सन्तोषजनक एवं गुणवत्तापूर्ण प्राप्त होने का प्रमाण पत्र बिल पर अंकित नहीं था। यह स्थिति भण्डार कय नियमावली के विपरीत थी।

(5) आपूर्ति हेतु निर्गत कार्यादेश भी पत्रावली में संलग्न नहीं था।

(6) आपूर्ति के बिल से 2 प्रतिशत जी0एस0टी0 की कटौती नहीं की गयी थी जिससे रु0 5253.00 राजकीय राजस्व की क्षति हुई थी तथा उक्त सीमा तक फर्म को अधिक भुगतान किया गया था।

अतएव उपरोक्त के संबंध में प्रभावी / आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु नगर निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

<u>101. बिना कुटेशन के कार्यों को कराया जाना आपत्तिजनक :–</u>

उद्यान विभाग की पत्रावलियों की सम्परीक्षा से प्रकाश में आया कि निम्नलिखित कार्यों को बिना कुटेशन प्राप्त किये कराया गया था जो अनियमित एवं आपत्तिजनक था। नियमानुसार 20,000 रुपये से 1,00,000 तक लागत के कार्यों को कुटेशन से प्रप्त दरों के आधार पर कराया जाना चहिए जिससे नगर निगम को तुलनात्मक दरों का लाभ प्राप्त होता। बिना कुटेशन के निम्न कार्यों को कराये जाने का आधार स्पष्ट किया जाय। इस ओर नगर निगम के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार के प्रकरणों की पुनरावृत्ति न हो।

कमांक	व्यय प्रमाणक सं0 / दिनांक	भुगतानित धनराशि / भुगतान प्राप्तकर्ता	कार्य का विवरण
1	471 / 21.07.20	23700.00 मै0 महावीर सिंह	विजयनगर भीमाबाई अम्बेडकर पार्क में लगे सवमर्सिबल पम्प के लिए पैनल व आयरन बाक्स का कार्य।
2	305 / 16.07.20	22,500.00 मै0 शैलेन्द्र कुमार सिंह	वार्ड67 के ब्लाक म0नं021 के पास स्थित पार्क में लगे 15 एच0 पी0 सवमर्सिबल पम्प के पेनल सुरक्षा हेतु झापेकी की आपूर्ति का कार्य।

3	541 / 21.07.20	24100.00 मै0 उदित एन्टप्राइजेज	रिक्श ठेली (डबल लकड़ी की वॉडी)
4	338 / 16.07.20	23,200.00 मै0 शैलेश कुमार सिंह	पार्कों की घास काटने वाली 01 नग पॉवर लॉन मोबर / डीजल लॉन मोबर मशीन / इंजन की मरम्मत कराये जाने का कार्य।
5	311 / 16.07.20	20,700.00 मै0 शैलेश कुमार सिंह	चिरंजीव बिहार स्थित पार्क की घाट काटने वाली 01 नग पॉवर लॉन बोबर / डीजल जॉन मोबर के इंजन मशीन की मरम्मत कराये जाने का कार्य।
6	306 / 16.07.20	20,500.00 मै0 शैलेश कुमार सिंह	वार्ड 47 शास्त्रीनगर डी ब्लाक म0नं0 80 के सामने स्थित पार्क के लगे 1.5 एच.पी. सबमर्सिबल पम्प का रिपेयर का कार्य।
7	467 / 21.07.20	24000.00 मै0 महावीर सिंह	सुभाष पार्क घंटाघर कम्पनी बाग में सौन्दर्यीकरण घास आपूर्ति।
		1,58,700.00	

102.मकान किराया की कम कटौती किये जाने से निगम को आर्थिक क्षति रु0 77,70,552.00:–

सम्परीक्षा माहों में वेतन देयकों की जांच के समय प्रकाश में आया कि जिन अधिकारियों / कर्मचारियों को निगम द्वारा आवास आवंटित किये गया था। उन्हें मकान किराया भत्ता का भुगतान नहीं किया गया था। वेतन देयकों की जांच के समय देखा गया कि अधिकांश अधिकारियों / कर्मचारियों से मकान किराये के रूप में बहुत कम / कुछ भी धनराशि वसूल नहीं की जा रही थी। मकान का मानक किराया निर्धारित कराकर मानक किराया वसूल किया जाय। जब तक मकान किराये हेतु मानक किराये का निर्धारण न कर दिया जाय तब तक मूल वेतन एवं ग्रेड वेतन सहित के 10 प्रतिशत की धनराशि मानक किराये के रूप में कटौती करके निगम निधि में जमा कराया जाय।

वित्तिय हस्त पुस्तिका के खण्ड–2 (भाग–2–4) के मूल नियम 45 ग(3) के अनुसार मानक किराया या मूल वेतन का 10 प्रतिशत दोनों में से कम हो की कटौती आवास किराये के रूप में वेतन से की जानी चाहिए थी। निगम द्वारा न तो मानक किराया निर्धारित कराया गया था और न ही 10 प्रतिशत वेतन की कटौती की जा रही थी। निःशुल्क / कम धनराशि वसूल किये जाने का औचित्य स्पष्ट करते हुए नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए। निगम के पास कितने आवास हैं। आवासों को किन्हें आवंटित किया गया है। आवंटन पत्रावली सम्परीक्षा में उपलब्ध करायी जाए। निगम के कितने आवास अवैध कब्जे में हैं उनसे किराया वसूल किये जाने की क्या स्थिति है। सम्परीक्षा में स्पष्ट किया जाए। निगम के आवासों में रह रहे सेवानिवृत्त अधिकारियों / कर्मचारियों से बिजली एवं पानी पर किये जा रहे व्यय के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किया जाए कि उक्त भुगतान आवंटी द्वारा किया जा रहा है अथवा निगम द्वारा किया जा रहा है। वेतन देयकों के अनुसार आवंटित मकानों से मकान

किराया नियमानुसार वसूली नहीं किये जाने से निगम को एक माह में रु0 6,47,546.00 एवं निम्न विवरणानुसार एक वर्ष में रु0 77,70,552.00 की आर्थिक क्षति हो रही थी।

वर्ष 2020–21 में कुल आर्थिक क्षति रु0 77,70,552.00 हुई थी। इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करके नियमानसुार मकान किराया वसूल किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की जांच निगम स्तर पर करायी जाए। कतिपय कर्मियों द्वारा निर्धारित किराया, जो जमा कराया गया था उसे संलग्न विवरण में अंकित किया गया है। विवरण संलग्न परिशिष्ट–19 पर दिया गया है।

<u>103. पेंशन भुगतान हेतु जीवित प्रमाणपत्र एवं पेंशन भुगतान पंजिका उपलब्ध न कराये जाने के कारण भुगतान असत्यापित रु0 3,13,00,304.00 :–</u>

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में चयनित माहों के व्यय प्रमाणकों की जांच के समय प्रकाश में आया कि निम्नांकित विवरणानुसार कुल रु0 3,13,00,304.00 का भुगतान पेंशन/पारिवारिक पेंशन हेतु मात्र चयनित सम्परीक्षा माहों में किया गया था। परन्तु पेंशन/पारिवारिक पेंशन भुगतान के सत्यापनार्थ किसी कर्मचारी का जीवित प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पेंशन भुगतान पंजिका ही सम्परीक्षार्थ प्रस्तुत की गयी। मात्र बैंकवार भुगतान लिस्ट ही व्यय प्रमाणक साथ संलग्न थी जिसमें एक मुश्त भुगतान राशि दर्शायी गयी थी। जिसमें मूल पेंशन एवं डी0ए0 का भी उल्लेख नहीं था। इस प्रकार बिना जीवित प्रमाणपत्र प्राप्त किये तथा बिना पेंशन पंजिका तैयार किये किया गया पेंशन भुगतान अनियमित एवं असत्यापित था। अतएव उपर्युक्त जीवित प्रमाणपत्र एवं पेंशन पंजिका तैयार एवं सत्यापित कराकर किये गये पेंशन/पारिवारिक पेंशन की पुष्टि सत्यापन कराया जाना अपेक्षित है। भुगतान का विवरण निम्नवत् है।

क0सं0	वा0सं0	दिनांक	धनराशि	माह	माध्यम
1	133	04.07.2020	1358973	जून 2020	पी0एफ0एम0एस0
2	134	—"—	11713549	—"—	—"—
3	135	—"—	1668975	—"—	—"—
4	136	—"—	413275	—"—	—"—
5	54	04.11.2020	1350982	अक्टूबर, 2020	—"—
6	55	—"—	12566363	—"—	—"—
7	56	—"—	1716058	—"—	—"—
8	57	—"—	512129	—"—	—"—
			3,13,00,304		

<u>104– स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता/परिवार नियोजन भत्ता का अधिक/अनियमित/आपत्तिजनक भुगतान रू0 157939.00 :–</u>

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में चयनित माहों के वेतन देयको की जॉच के समय प्रकाश में आया कि माह जून देय जुलाई के वेतन में निम्नांकित विवरणानुसार कर्मचारियों को स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता/परिवार नियोजन भत्ता का भुगतान किया गया था। जबकि वित्त सामान्य अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 2/2019/जी–1– 37/दस–2019 लखनऊ दिनांक 22 अगस्त 2019 द्वारा कर्मचारियों/अधिकारियों को देय उक्त भत्ता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया था जबकि नगर निगम गाजियाबाद द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त भत्ता भुगतान किया जा रहा था। जून देय जुलाई के वेतन में भुगतानित परिवार नियोजन भत्ता

निम्नांकित विवरणानुसार रू0 11855 था। जबकि अक्टूबर देय नवम्बर 2020 के वेतन में उक्त भत्ते का भुगतान नही किया गया था। सम्परीक्षा में बताया गया कि उक्त भत्ते का भुगतान नगर निगम द्वारा अक्टूबर देय नवम्बर 2020 के वेतन से नही किया जा रहा है। अतएव 22 अगस्त 2019 से 30 सितम्बर 2020 तक 13 माह 10 दिवस हेतु कुल रू0 157939 का अधिक भुगतान किया गया था। उक्त के अतिरिक्त अन्य किसी अधिकारी/कर्मचारी को भुगतान किया गया हो तो उसकी अद्यावधिक गणना कराकर समस्त अधिक भुगतान की प्रतिपूर्ति कराये जाने हेतु प्रभावी/आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। परिवार नियोजन भत्ता के अधिक भुगतान का विवरण निम्नवत् है।

क्र0	कर्मचारी का नाम	पदनाम	अनुभाग	परिवार नियोजन भत्ता प्रतिमाह
1	श्री बृजेश कुमार सिंह	महाप्रबन्धक	जल	800
2	श्री जय प्रकाश सिंह	सहायक लेखाधिकारी	लेखा	500
3	श्री सुनिल कुमार राय	कर निर्धारण अधिकारी	कर	550
4	श्री देवी सिंह	अवर अभियन्ता	निर्माण	650
5	श्री श्याम सिंह	सहायक अभियन्ता	निर्माण	500
6	श्री पुष्पेन्द्र	गैंगमैन	ज्लकल	210
7	श्री ओमी लाल	गैंगमैन	जलकल	210
8	श्री प्रवीन कुमार	पम्प चालक	जलकल	210
9	श्री विनोद कुमार	पम्प चालक	जलकल	210
10	श्रीमती मंजू मिश्रा	पम्प चालक	जलकल	210
11	श्री मनोज कुमार	पम्प चालक	जलकल	210
12	श्री मुनेश कुमार	पम्प चालक	जलकल	210
13	श्री यशपाल	पम्प चालक	जलकल	210
14	श्रीमती सुनीता	पम्प चालक	जलकल	210
15	श्री अशोक कुमार	पम्प चालक	जलकल	210
16	श्री कपिल स्वामी	पम्प चालक	जलकल	210
17	श्री अतुल कुमार	पम्प चालक	जलकल	210
18	श्री पवन कुमार	पम्प चालक	जलकल	210
19	श्री सुभाष चन्द्र	पम्प चालक	जलकल	210
20	श्री जयराम तिवारी	पम्प चालक	जलकल	210
21	श्री यशमवीर	पम्प चालक	जलकल	210
22	श्री श्याम सुन्दर	पम्प चालक	जलकल	210
23	श्री दिनेश कुमार	पम्प चालक	जलकल	210
24	श्री अखिलेश	पम्प चालक	जलकल	210
25	श्री प्रेम चन्द्र	माली	उद्यान	210
26	श्री रमेश चन्द्र जोशी	गैंगमैन	निर्माण	210
27	श्री विक्रम सिंह	गैंगमैन	निर्माण	210
28	श्री जीवन सिंह	अनुचर	लाइब्रेरी	210
29	श्री संजय कुमार शर्मा	द्वितीय श्रेणी लिपिक	विधि विभाग	250
30	श्री मार्तबूल	गैगमैन	प्रकाश	210

31	श्री केदार नाथ	गैगमैन	प्रकाश	210
32	श्री नरेश चन्द्र	गैगमैन	प्रकाश	210
33	श्री विनोद कुमार	अनुचर	भवनकर	210
34	श्री बब्बर बाथम	प्रथम श्रेणी लिपिक	लिपिक	250
35	श्री विनोद त्यागी	प्रथम श्रेणी लिपिक	लिपिक	250
36	श्री जयपाल पासी	प्रथम श्रेणी लिपिक	लिपिक	250
37	श्री नीरज शर्मा	लिपिक	लिपिक	400
38	श्री लाला राम	लिपिक	लिपिक	250
39	श्री अखिलेश कुमार गुप्ता	तहसीलदार	आफिसर एच0ओ0–3	275
40	श्रीमती लता रानी	तहसीलदार	आफिसर एच0ओ0–3	210
41	श्री पवन कुमार शर्मा	तहसीलदार	आफिसर एच0ओ0–3	210
42	श्री दिनेश चन्द्र शर्मा	ड्राफ्ट मैन	सामान्य विभाग	210
43	श्री राम हित	अनुचर	सामान्य विभाग	210
44	श्री वेद प्रकाश	लिपिक	लिपिक	210
45	श्री प्रवीन	सफाई नायक	सिटीजोन सफाई	210
		योग		11855

105– श्री आशुतोष गुप्ता कर अधीक्षक को त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अधिक भुगतान रू0 365606.00 :–

श्री आशुतोष गुप्ता कर अधीक्षक की सेवा पुस्तिका की जॉच के समय प्रकाश में आया कि श्री गुप्ता की नियुक्ति कर निरीक्षक श्रेणी–3 पद पर नगर पालिका परिषद मथुरा मे हुयी थी। श्री आशुतोष गुप्ता दिनांक 01.07.2012 को 10960+2800=13760 वेतन प्राप्त कर रहे थे श्री गुप्ता को निदेशक स्थानीय निकाय उ0प्र0 लखनऊ के आदेश संख्या 2/ 1729–जन0/48–विविध/पदों0रा0नि0/12 दिनांक 29.08.2012 द्वारा तत्कालीन प्रभाव से कर अधीक्षक के पद पर वेतन बैण्ड–2 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 पर पदोन्नति किया गया था। जिसके अनुपालन में दिनांक 01.09.2012 को नगर निगम अलीगढ़ में कार्यभार ग्रहण किया गया था। उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप दिनांक 01.09.2012 को 12540+4600=17140 वेतन निर्धारित किया गया था जबकि 01.07.2012 को प्राप्त हो रहे वेतन 10960+2800=13760 के वेतन वृद्धि रू0 510 प्रदान करते हुये 11470+4600=16070 निर्धारित किया जाना चाहिये था। क्योकि कर अधीक्षक का पद पदोन्नति का पद है। जो सीधी भर्ती का पद नही है। यदि इस सम्बन्ध में अन्यथा कोई आदेश/शासनादेश होतो दिखाया जाय। यद्यपि कि शासनादेश संख्या रिट 404/नौ–7–2018 (जनरल)/2019 दिनांक 30.08.2019 में भी स्पष्ट किया गया है कि पदोन्नति का पद सीधी भर्ती का पद न होने के कारण पदोन्नति पद पर वेतन निर्धारण पूर्ण पद पर प्राप्त हो रहे वेतन में एक वेतन वृद्धि प्रदान करते हुये ग्रेड वेतन का अन्तर जोड़कर वेतन निर्धारण किया जायेगा।

इस प्रकार श्री आशुतोष गुप्ता को दिनांक 01.09.2012 को ग्रेड पे रू0 4600 में न्यूनतम वेतन रू0 17140 निर्धारित किया जाना अनियमित/आपत्तिजनक अधिक भुगतान का प्रकरण था। शासनादेश संख्या वे0आ0–2– 1318/दस–59(एम)/2008 दिनांक 08.12.2008 के बिन्दु संख्या–11 के अनुसार दिनांक 01.09.2012 को रू0 16070 वेतन निर्धारित किया जाना चाहिये था इस प्रकार दिनांक 01.09.2012 से जून 2022 तक रू0 365606 मूल वेतन व मंहगाई भत्ता का अधिक भुगतान किया गया जिसका अध्यावधिक गणना कराकर प्रतिपूर्ति कराये जाने हेतु प्रभावी/आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

विवरण निम्नवत् है:–

अवधि	दत्त वेतन	देय वेतन	अन्तर×अवधि	कुल वेतन+डी0ए0	अधिक भुगतान
01.09.2012 से 31.12.2012	17140	16070	1070×4	4280+3082	7362
01.01.2013 से 30.06.2013	17140	16070	1070×6	6420+5136	11556
01.07.2013 से 31.03.2013	17660	16560	1100×6	6600+5940	12540
01.01.2014 से 30.06.2014	17660	16560	1100×6	6600+6600	13200
01.07.2014 से 31.12.2014	18190	17060	1130×6	6780+7255	14035
01.01.2015 से 30.06.2015	18190	17060	1130×6	6780+7661	14441
01.07.2015 से 31.12.2015	18740	17580	1160×6	6960+8282	15242
01.01.2016 से 30.06.2016	49000	46200	2800×6	16800+00	16800
01.07.2016 से 31.12.2016	50500	47600	2900×6	17400+348	17748
01.01.2017 से 30.06.2017	50500	47600	2900×6	17400+696	18096
01.07.2017 से 31.12.2017	52000	49000	3000×6	18000+900	18900
01.01.2018 से 30.06.2018	52000	49000	3000×6	18000+1260	19260
01.07.2018 से 31.12.2018	53600	50500	3100×6	18600+1674	20274
01.01.2019 से 30.06.2019	53600	50500	3100×6	18600+2232	20832
01.07.2019 से 31.12.2019	55200	52000	3200×6	19200+3264	22464
01.01.2020 से 30.06.2020	55200	52000	3200×6	19200+3264	22464
01.07.2020 से 31.12.2020	56900	53600	3300×6	19800+3366	23166
01.01.2021 से 30.06.2021	56900	53600	3300×6	19800+3366	23166
01.07.2021 से 31.12.2021	58600	55200	3400×6	20400+6324	26724
01.01.2022 से 30.06.2022	58600	55200	3400×6	19800+6936	27336
योग					365606

106– श्री शिव कुमार सरोज अवर अभियन्ता को अनियमित रूप से ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान किये जाने से अधिक भुगतान रू0 22260 एवं अन्य विविध अनियमिततायें :–

श्री शिव कुमार सरोज अवर अभियन्ता की सेवा पुस्तिका की जॉच के समय प्रकाश में आया कि श्री सरोज अवर अभियन्ता के पद पर नगर निगम इलाहाबाद में दिनांक 15.02.2011 को कार्यभार ग्रहण

किये थे। निदेशालय के कार्यालय आदेश संख्या 3/456–सा0/732–जे0ई0(सिविल)/2011 दिनांक 04.03.2013 द्वारा श्री सरोज निलम्बित किये गये थे। मा0 उच्च न्यायालय में योजित वाद संख्या 17690/2013 में पारित आदेश दिनांक 03.04.2013 के समादर में निदेशालय आदेश दिनांक 27.05.2013 द्वारा निलम्बन स्थागित करते हुये जॉच कार्यवाही गतिमान रहने के आदेश पारित किये गये थे। स्थानीय निकाय निदेशालय के कार्यालय आदेश संख्या 3/451/सा0/34स0नि0(आर0)/एस0टी0–वि0जा0/13 लखनऊ दिनांक 16 दिसम्बर 2013 द्वारा पारिनिन्दा का दण्ड देते हुये उक्त विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त की गयी थी। उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयत) अभियन्त्रण सेवा के अवर अभियन्ता सिविल के पद पर ए0सी0पी0 स्वीकृत करने हेतु गठित समिति के पत्रांक 3/1033/50 जे0ई0(सिविल) पार्ट–2 दिनांक 26 दिसम्बर 2021 द्वारा प्राप्त अनुमोदन के क्रम में स्वीकृत प्रथम ए0सी0पी0 के लाभ का वेतन निर्धारण किये जाने का उल्लेख सेवा पुस्तिका में किया गया था। सेवा पुस्तिका में उक्त परिनिन्दा दिनांक 16 दिसम्बर 2013 को इग्नोर करने हेतु संज्ञान में नही लिया गया अंकित नही था। उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जाय अन्यथा स्थिति दिनांक 01.07.2021 से प्रथम ए0सी0पी0 प्रदान करने (विकल्प के आधार पर) से निर्धारित वेतन रू0 49000 के स्थान पर बिना ए0सी0पी0 के 47600 किया जाना चाहिये था जिससे श्री सरोज को दिनांक 01.07.2021 से 31.12.2021 तक रू0 8400+2604=11004 दिनांक 01.01.2022 से 30.06.2022 तक रू0 8400+2856=11256 कुल रू0 22260 दिनांक 01.07.2021 से 30.06.2022 तक किये गये अधिक भुगतान के सम्बन्ध में प्रभावी/आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

2– अवकाश लेखा अद्यावधिक पूर्ण एवं सत्यापित नही था इसे पूर्ण एवं सत्यापित कराकर दिखाया जाय।

3– परिवार का विवरण अंकित नही था इसे अंकित कराकर सत्यापनोपरान्त सम्परीक्षा में दिखाया जाय।

4– नामिनेशन प्रपत्र नही भरा गया था नामिनेशन प्रपत्र भरकर सत्यापित कराकर दिखाया जाय।

5– श्री सरोज की सेवाएँ दिनांक 15.02.2011 से 16.07.2019 तक नगर अभियंता नगर निगम इलाहाबाद द्वारा दिनांक 16.07.2019 को सत्यापित की गयी थी उक्त के बाद की सेवायें सत्यापित नही की गयी इसे सत्यापित कराकर सम्परीक्षा में आगामी अवसर पर दिखाया जाय।

6– फोटोग्राफ सेवापुस्तिका में संलग्न नही था इसे संलग्न कर सत्यापित कराकर दिखाया जाय।

107– रामभूल पुत्र अमीचन्द सेवानिवृत्त सफाई नायक को शहरी आजीविका केन्द्र से अनियमित/आपत्तिजनक भुगतान रू0 100510 :–

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में चयनित सम्परीक्षा माहों के व्यय प्रमाणकों की जॉच के समय प्रकाश में आया श्री रामभूल पुत्र अमीचन्द को सामुदायिक केन्द्र (होली चाइल्ड स्कूल के पास स्थित) पर सामुदायिक रसोई के संचालन हेतु 01 श्रमिक की आवश्यकता को दृष्टिगत दिनांक 01 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक शहरी आजीविका केन्द्र से वेतन आहरण हेतु नगर आयुक्त के आदेश दिनांक 30.03.2020 के क्रम में वा0सं0 262 चेक संख्या 000452 दिनांक 13.07.2020 रू0 26893 आयकर कटौती रू0 9 सहित कुल रू0 26902 शहरी आजीविका केन्द्र को भुगतान किया गया था। सेवानिवृत्त कर्मचारी को शहरी आजीविका केन्द्र के माध्यम से आउटसोर्सिंग पर सेवा नियोजित करने हेतु कोई शासन का आदेश हो तो सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय अन्यथा स्थिति में उक्त किया गया भुगतान अनियमित एवं आपत्तिजनक था। उक्त भुगतान के सत्यापनार्थ उपस्थिति चार्ट 03 माह हेतु पत्रावली में संलग्न थी। उक्त के अतिरिक्त आलोच्य अवधि हेतु अन्य भुगतानों के सत्यापनार्थ उपस्थिति पत्रक पत्रावली में संलग्न नही था।

आलोच्य अवधि हेतु निम्नांकित विवरणानुसार श्री रामभूत पुत्र श्री अमीचन्द सेवानिवृत्त सफाई नायक को कुल रू0 100510 में से आयकर रू0 120 की कटौती पश्चात् रू0 100390 का भुगतान

किया गया था। जो अनियमित एवं आपत्तिजनक था। पत्रावली में वा0सं0 सी0एल0सी0 353ए/20–21 दिनांक 07.01.2021 रू0 27198 एवं वा0सं0 सी0एल0सी0 418ए/20–21 दिनांक 03.04.2021 रू0 26606 के सापेक्ष क्रमशः आयकर सहित कुल रू0 23460 एवं 22950 का भुगतान किया गया। उक्त कम भुगतान किये जाने का कोई कारण पत्रवाली में उल्लिखित नही था।

अतएव उपरोक्त कमियों के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है। आलोच्य अवधि हेतु भुगतानित धनराशि का विवरण निम्नवत् है।

क्र0	फर्म के वा0सं0 व दिनांक	रोकड़ बही का वा0सं0	चेक संख्या	दिनांक	भुगतानित धनराशि	आयकर	कुल	बिल की धनराशि
1	सी0एस0ए0/227ए/20–21 दिनांक 01.07.2020	262	000452	13.07. 2020	26893	9	26902	26902
2	सी0एस0ए0/289ए/20–21 दिनांक 07.10.2020	614	000024	15.10. 2020	27188	10	27198	27198
3	सी0एस0ए0/353ए/20–21 दिनांक 07.01.2021	620	00121131 10108	12.01. 2021	23368	92	23460	27198
4	सी0एस0ए0/418ए/20–21 दिनांक 03.04.2021	233	000008	22.04. 2021	22941	+9	22950	26606
	योग						100510	

108– श्री वेद प्रकाश लिपिक को मूल वेतन रू0 1800 एवं मंहगाई भत्ता रू0 1904 कुल रू0 3704 का अधिक भुगतान एवं अन्य अनियमितताऐं :–

श्री वेद प्रकाश लिपिक की सेवापुस्तिका एवं व्यक्तिगत पत्रावली की जॉच में प्रकाश में आया कि इनकी नियुक्ति मृतक आश्रित के रूप में दिनांक 16.11.2000 को वेतनमान 2550–3200 में अनुचर पद पर की गयी थी। तत्पश्चात् अपर नगर आयुक्त नगर निगम गाजियाबाद के पत्रांक अधिष्ठान/32/2010 दिनांक 01.04.2010 द्वारा इनकी पदोन्नति द्वितीय श्रेणी लिपिक वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 1900 में की गई थी जिसके क्रम में दिनांक 01.07.2013 को सेवापुस्तिका के अनुसार रू0 7440+1900= कुल रू0 9340 था।

शासनादेश संख्या 861/9–1–2015–309सा/2013 नगर विकास अनुभाग–1 दिनांक 27 फरवरी 2015 के क्रम में अपर नगर आयुक्त के आदेश दिनांक 30.01.2016 के द्वारा ग्रेड वेतन रू0 2000 स्वीकृत किया गया था। उक्त का वेतन निर्धारण निम्नवत् दर्शाया गया–

दिनांक 01.07.2013 मूल वेतन रू0 7500+ग्रेड वेतन रू0 2000 =9500 यहॉ पर मूल वेतन किस आधार पर रू0 7440 के स्थान पर रू0 7500 किया गया था, स्पष्ट नही किया गया था। उपरोक्त परिवर्तन किये जाने के कारण अभिलेखों के आधार पर स्पष्ट किया जाय अन्यथा की स्थिति में अधिक भुगतान किया गया था। इसकी वापसी कराया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है–

अवधि	मूल वेतन भुगतान	मूल वेतन देय	अन्तर माह	योग+मंहगाई भत्ता	अधिक भुगतान
01.07.2013 से 31.12.2013	7500	7440	60×6	360+324(90%)	684
01.01.2014 से	7500	7440	60×6	360+360(100%)	720

30.06.2014					
01.07.2014 से 31.12.2014	7790	7730	60×6	360+385(107%)	745
01.01.2015 से 30.06.2015	7790	7730	60×6	360+407(113%)	767
01.07.2015 से 31.12.2015	8090	8030	60×6	360+428(119%)	788
	योग			1800+1904	3704

पत्रावली में संलग्न इनके अवकाश प्रार्थना पत्र दिनांक 17.04.2006 के अनुसार अपनी बहन की शादी हेतु इनके द्वारा दिनांक 01.05.2006 से 10.05.2006 तक उपार्जित अवकाश 10 दिन का लिया गया था, जो कि अनकी सेवा पुस्तिका में भी अंकित था। किन्तु यह अवकाश इनके उपार्जित अवकाश लेखे से नही घटाया गया था और न ही उपार्जित अवकाश उपभोग के उपरान्त इनके द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया था। जिसके अभाव में इनकी पदोन्नित व द्वितीय ए0सी0पी0 दिया जाना अनियमित था। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है।

<u>109– सेवानिवृत्त के पूर्व ही श्री बृजेश कुमार सिंह महाप्रबन्धक (जल) करे 300 दिवसों हेतु उपार्जित अवकाश नकदीकरण का भुगतान किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक रू0 1879020 :–</u>

आलोच्य अवधिकी सम्परीक्षा में चयनीत सम्परीक्षा माहों के व्यय प्रमाणकों की जॉच के समय प्रकाश में आया कि व्यय प्रमाणक संख्या 2454 दिनांक 28.11.2020 पी0एस0एम0एस0 इनवायस नं0 C1120393016140 द्वारा रू0 1879020 का भुगतान श्री बृजेश कुमार सिंह महाप्रबन्धक (जल) 30.11.2020 को सेवानिवृत्त होने वाले थे तो सेवानिवृत्ति के पूर्व सेवानिवृत्तिक लाभ का भुगतान किन शासनादेश/नियमों के परिप्रेक्ष्य में किया गया था स्पष्ट नही किया गया था। अतएव सेवानिवृत्ति के पूर्व सेवानिवृत्तिक लाभ (अवकाश नकदीकरण) का भुगतान किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक था। उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाय अन्यथा स्थिति में उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध आवश्यक/प्रभावी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। उक्त के अतिरिक्त 300 दिवसों के उपार्जित अवकाश जमा होने की पुष्टि सेवापुस्तिका/अवकाश लेखा प्रस्तुत कर जॉच करायी जाय जिससे अवकाश नकदीकरण भुगतान की पुष्टि की जा सके।

<u>110– रूम हीटर क्रय हेतु मेसर्स नन्दिनी इन्टरप्राइजेज गाजियाबाद को अनौचित्यपूर्ण भुगतान रू0 96658 :–</u>

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में चयनित माहों के व्यय प्रमाणकों की जॉच के समय प्रकाश में आया कि व्यय प्रमाणक संख्या 2412 दिनांक 27.11.2020 द्वारा रू0 96658 का भुगतान मेसर्स नन्दिनी इन्टरप्राइजेज गाजियाबाद को 58 रूम हीटर पारस कम्पनी एवं 11 रूम हीटर महाराजा कम्पनी के क्रय हेतु फर्म के इनवायस नं0–247 दिनांक 17.03.2020 धनराशि रू0 96658 के सापेक्ष किया गया था। 17 मार्च को ठण्डक नही रहती है अथवा न के बराबर रहती है तो रूम हीटर खरीदे जाने का क्या औचित्य था तथा 15 फरवरी से 15 दिसम्बर (10 माह) तक बिना आवश्यकता/कार्य के रूम हीटर खरीद कर रखे जाने से उक्त की गॉरटी/वारन्टी अवधि भी बिना उपभोग किये ही उक्त सीमा तक समाप्त हुई तथा बिना उपभोग/कार्य किये उक्त के खराब होने की सम्भावना भी अधिक थी। आपूर्तिगत रूम हीटर स्टाक बुक के पृष्ठ संख्या 174 पर अंकित होने का उल्लेख बिल पर किया गया था। लेकिन सामान की आपूर्ति सन्तोषजनक एवं गुणवत्तापूर्ण होने का उल्लेख बिल में नही था और न ही बिल के साथ कोटेशन/टेण्डर की कार्यवाही संलग्न थी यह आपत्तिजनक था। अतएव ग्रीष्मकाल में रूम हीटर क्रय

हेतु किया गया भुगतान अनौचित्यपूर्ण था। उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाय। अन्यथा स्थिति में उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध आवश्यक/प्रभावी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

111– श्रीमती शान्ति पत्नी श्री राम चन्द्र सफाई कर्मचारी को वेतन के सापेक्ष एडवांस हेतु अनियमित/अमान्य भुगतान रू0 107700 :–

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में चयनित सम्परीक्षा माहों के व्यय प्रमाणकों की जॉच के समय प्रकाश में आया कि वा0सं0–261 चेक नं0– 092154 दिनांक 13.07.2020 रू0 107700 का भुगतान श्रीमती शान्ति पत्नी श्री रामचन्द्र सफाई कर्माचरी को वेतन के सापेक्ष एडवांस हेतु भुगतान किया गया था। व्यय प्रमाणक में श्रीमती शान्ति द्वारा अपने लड़के की शादी हेतु वेतन के सापेक्ष एडवांस की मॉग की गई थी। जिस पर नगर आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 16.05.2020 को अनुमोदन दिया गया था, का उल्लेख नगर स्वास्थ्य अधिकारी गाजियाबाद नगर निगम द्वारा किया गया था लेकिन व्यय प्रमाणक के मॉग पत्र, शादी कार्ड, नगर आयुक्त महोदय के अनुमोदन का साक्ष्य संलग्न नहीं था और नही दिये गये एडवांस की वसूली कब कितनी और कैसे की जानी है से सम्बन्धित साक्ष्य संलग्न था। वेतन के सापेक्ष एडवांस दिये जाने की नियमों में क्या व्यवस्था है, से सम्बन्धित साक्ष्य भी व्यय प्रमाणक के साक्ष्य संलग्न नही था। अतएव उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्परीक्षा में आगामी अवसर पर स्थिति स्पष्ट करायी जाय। अन्यथा स्थिति में किये गये उक्त अनियमित/अमान्य भुगतान के सम्बन्ध में उत्तरदायी के विरूद्ध आवश्यक/प्रभावी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

112– बबीता पत्नी श्री प्रीतम सिंह को सहायता राशि हेतु भुगतान रू0 500000 से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक गार्ड फाईल में संलग्न न होना अनियमित एवं आपत्तिजनक तथा असत्यापित व्यय :–

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में चयनित सम्परीक्षा माहो के व्यय प्रमाणकों की जॉच के समय प्रकाश में आया कि वा0सं0–2299 चेक संख्या 000544 दिनांक 19.11.2020 रू0 500000 का भुगतान बबीता पत्नी श्री प्रीतम सिंह को किया जाता रोकड़ बही में अंकित था किन्तु उक्त व्यय प्रमाणक गार्ड फाइल में संलग्न नही था जिससे उसकी सम्यक जॉच नही की जा सकी कि उक्त सहायता राशि किस उद्देश्य से प्रदान की गयी थी। रोकड़ बही में बबीता पत्नी प्रीतम सिंह को प्रीतम सिंह पुत्र नत्थू सिंह ठेका माली खतम सुधार होने के कारण परिवार में सहायता राशि हेतु भुगतान अंकित था। उक्त भुगतान रू0 500000 के सत्यापनार्थ से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक तथा तत्सम्बन्धी समस्त अभिलेख सम्परीक्षा में आगामी अवसर पर प्रस्तुत कर तत्सम्बन्धी जॉच करायी जाय। अतएव उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक/प्रभावी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

113– श्री ब्रहम पाल सिंह लिपिक को त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अधिक भुगतान रू0 1500 :–

श्री ब्रहम पाल सिंह पुत्र श्री रामफूल सिंह लिपिक की सेवापुस्तिका की जॉच के समय प्रकाश में आयाकि श्री सिंह दिनांक 01.07.2007 को रू0 (6450+1900)=8350 मूलवेतन प्राप्त कर रहे थे जिन्हें दिनांक 01.07.2008 को 6710+1900=8610 मूलवेतन निर्धारित किया गया था जबकि 6700+1900=8600 निर्धारित किया जाना चाहिए था इस प्रकार दिनांक 01.07.2008 को रू0 10 (8610–8600) अधिक निर्धारित किया गया था जो दिनांक 01.07.2008 से दिनांक 31.12.2015 तक किया जाता रहा था। सातवें वेतनमान में दिनांक 01.01.2016 को रू0 29600 वेतन निर्धारित किया गया था जो सही था। अतएव निम्नांकित विवरणनुसार श्री सिंह को दिनांक 01.07.2008 से 31.12.2015 तक मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ता सहित कुल रू0 1500 का अधिक भुगतान किया गया था। जिसकी प्रतिपूर्ति कराये जाने हेतु प्रभावी/आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। किये गये अधिक भुगतान का विवरण निम्नवत् है।

अवधि	दत्त वेतन	देय वेतन	अन्तर	मूल वेतन+मंहगाई भत्ता	अधिक भुगतान
01.07.2008 से 31.12.2008	8610	8600	10×6	60+10	70
01.01.2009 से 30.06.2009	8610	8600	10×6	60+13	73
01.07.2009 से 31.12.2009	8870	8860	10×6	60+16	76
01.01.2010 से 30.06.2010	8870	8860	10×6	60+21	81
01.07.2010 से 31.12.2010	9140	9130	10×6	60+27	87
01.01.2011 से 30.06.2011	9140	9130	10×6	60+31	91
01.07.2011 से 31.12.2011	9420	9410	10×6	60+35	95
01.01.2012 से 30.06.2012	9420	9410	10×6	60+39	99
01.07.2012 से 31.12.2012	9710	9700	10×6	60+43	103
01.01.2013 से 30.06.2013	9710	9700	10×6	60+48	108
01.07.2013 से 31.12.2013	10410	10400	10×6	60+54	114
01.01.2014 से 30.06.2014	10410	10400	10×6	60+60	120
01.07.2014 से 31.12.2014	10730	10720	10×6	60+64	124
01.01.2015 से 30.06.2015	10730	1720	10×6	60+68	128
01.07.2015 से 31.12.2015	11060	11050	10×6	60+71	131
योग					1500

114– मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त 09 कर्मचारियों की अनियमित नियुक्तियॉं :–

शासनादेश संख्या 307/9–1–2011–133सा0/2003 दिनांक 13.05.2011 द्वारा दिनांक 26.09.1991 से पूर्व दैनिक वेतन पर कार्यरत तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के विनियमितीकरण हेतु अधिसंख्य पदों के सृजन के सम्बन्ध में स्पष्ट आदेश दिया गया था कि अधिसंख्य पद के धारकों के सेवानिवृत्त या मृत्यु या पद छोड़ने की दशा में पद धारकों के पद समाप्त हो जायेगें। सम्परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि दैनिक वेतन पर कार्यरत निम्नलिखित तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की मृत्यु के पश्चात् 09 मृतक आश्रित के रूप में नियुक्तियॉं की गयी थी जो अनियमित था। गत–विगत वर्षों में भी आपत्ति उठाये जाने के बावजूद निगम द्वारा उक्त के सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नही की गयी थी। अतएव उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक/प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्नवत् है–

क्र0	नाम	पिता/पति का नाम
1	श्रीमती सुनीता	स्व0 मनोज कुमार
2	श्री मो0 कामिल	स्व0 इरफान खान
3	श्री अभय कुमार	स्व0 देवेन्द्र दत्त
4	श्रीमती इन्दू	स्व0 श्याम बाबू
5	श्रीमती रेनू वर्मा	स्व0 मुकेश कुमार
6	श्रीमती मधु शर्मा	स्व0 मुकेश कुमार

7	श्री अनुराग नागर	स्व0 विनोद कुमार
8	कु0 भावना राजपूत	स्व0 ओम प्रकाश
9	श्री प्रदीप कुमार	स्व0 कमवदेश प्रसाद

115– नगर निगम में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों से उनके मूल पद से उच्च पद का कार्य लिया जाना अनियमित :–

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में जॉच के दौरान प्रकाश में आया कि नगर निगम में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा उनके मूलपद से उच्च पद का कार्य लिया जा रहा था। जबकि निदेशक स्थानीय निकाय उ0प्र0 लखनऊ के आदेश संख्या–2/7462/39 विविध/टैक्स कलेक्शन/11 दिनांक 16 जनवरी 2019 द्वारा समस्त नगर आयुक्त नगर निगमों को यह स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नगर निकायों में कार्यरत कर्मचारियों से उनके मूलपद से उच्च पद का कार्य न लिया जाय।

अतएव उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किया जाय अन्यथा स्थिति में उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक/प्रभावी कार्यवाही कर सम्परीक्षा को अवगत कराया जाय। ऐसे कर्मचारियों की सूची निम्नवत् है। यदि अन्य कोई कर्मचारी भी हो तो उन्हें भी उक्त सूची में सम्मिलित कर आवश्यक कार्यवाही की जाय।

क्र0	कर्मचारी का नाम	मूल पद	कार्यरत पद
1	श्री प्रदीप राठी	चौकीदार	कर निरीक्षक द्वितीय कवि नगर
2	श्री धीर सिंह सैनी	चपरासी	कर निरीक्षक द्वितीय कवि नगर
3	श्री राहुल कुमार	चतुर्थ श्रेणी	कर निरीक्षक/जन्म मृत्यु लिपिक
4	श्री संजय शर्मा	टनुचर	कर निरीक्षक द्वितीय कवि नगर
5	श्री रविन्द्र पाल	टनुचर	कर निरीक्षक द्वितीय कवि नगर
6	श्री रोगन नगर	टनुचर	कर निरीक्षक द्वितीय मोहन नगर
7	श्री सुनील भाटी	टनुचर	कर निरीक्षक द्वितीय मोहन नगर
8	श्री उमेश भड़ाना	टनुचर	कर निरीक्षक द्वितीय विजय नगर
9	श्री लोकेश कुमार	क्लीनर	कर निरीक्षक द्वितीय विजय नगर
10	श्री प्रमोद प्रजापति	टनुचर	कर निरीक्षक द्वितीय श्रेणी वसुन्धरा
11	श्री विनोद वर्मा	टनुचर	कर निरीक्षक द्वितीय श्रेणी सिटी जोन
12	श्री राजवीर सिंह	कर निर्धारण अधिकारी	जोनल आफिसर मोहन नगर
13	श्री सुधीर शर्मा	कर अधीक्षक	जोनल आफिसर सिटी जोन
14	श्री हरिकृष्ण गुप्ता	कर अधीक्षक	जोनल आफिसर कवि नगर
15	श्री बनारसी दास	कर अधीक्षक	जोनल आफिसर विजय नगर
16	श्री सुनील राय	कर निर्धारण अधिकारी	जोनल आफिसर वसुन्धरा
17	श्री विशम्भर दयाल शर्मा	गैंग मैन	प्रकाश निरीक्षक
18	श्री दिनेश चन्द्र शर्मा	द्वितीय श्रेणी लिपिक/ड्राफ्ट मैन	अवर अभियन्ता
19	श्री रमेश कुमार	पम्प चालक बैकलाग	द्वितीय श्रेणी लिपिक
20	श्री राजकुमार	पम्प चालक बैकलाग	द्वितीय श्रेणी लिपिक

116— नगर निगम में स्वीकृत/सृजित पदों से अधिक पदों पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन का अनियमित भुगतान :—

नगर निगम के अधिष्ठान विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी निगम के स्वीकृत एवं कार्यरत पद से सम्बन्धित सूचना से प्रकाश में आया कि निगम में स्वीकृत पदों से अधिक पदों पर अधिकारी/कर्मचारी तैनात थे एवं कुछ पद सृजित ही नही थे फिर भी अधिकारी कार्यरत थे। जिससे स्पष्ट था कि पद स्वीकृत न होने के कारण इन्हें वेतन का अनियमित भुगतान किया जा रहा था। इस सम्बन्ध में निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि सृजित/स्वीकृत पदों से अधिक पदों पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रभावी/आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। नगर निगम में स्वीकृत/सृजित पदों के सापेक्ष कार्यरत अधिक पदों का विवरण निम्नवत् है।

क्र0	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	अधिक
1	अपर नगर आयुक्त	2	3	1
2	अधिशासी अभियंता जल	0	1	1
3	नगर स्वास्थ्य अधिकारी	0	1	1
4	सहायक अभियन्ता जल	1	2	1
5	सहायक अभियन्ता निर्माण	3	5	2
6	सफाई एवं खाद्य निरीक्षक	4	5	1
7	अधीक्षक	8	9	1
8	हेल्पर	1	4	3

117— सेवापुस्तिकाओं की जॉच में पायी गयी अनियमिततायें :—

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में नगर निगम द्वारा प्रस्तुत निम्नांकित केन्द्रीयत सेवा के कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं की जॉच की गयी जिसमें निम्नांकित कमियॉं प्रकाश में आयी।

(1) अवकाश लेखा अद्यावधिक पूर्ण नहीं था इसे पूर्ण एवं सत्यापित कराकर दिखाया जाय।

(2) सेवापुस्तिका में परिवार का विवरण अंकित नही था। इसे अंकित कराकर सत्यापनोपरान्त दिखाया जाय।

(3) सेवापुस्तिकाओं में नामिनेशन प्रपत्र तैयार नही किया गया था इसे तैयार कर सत्यापनोपरान्त दिखाया जाय।

(4) कर्मचारियों के शैक्षणिक योग्यता का विवरण अंकित नही इसे अंकित कराकर सत्यापनोपरान्त दिखाया जाय।

(5) सेवायें सत्यापित नही की गयी थी इसे अद्यावधिक सत्यापित कराकर सम्परीक्षा में आगामी अवसर पर दिखाया जाय।

(6) उक्त सेवापुस्ताकओं के साथ व्यक्तिगत पत्रावलियॉं प्रस्तुत नही की गयी थी जिससे तत्सम्बन्धी आवश्यक जॉच नही की गयी अतएव व्यक्तिगत पत्रावलियॉं प्रस्तुत कर तत्सम्बन्धी आवश्यक जॉच करायी जाय।

(7) श्रीमती निशा राजस्व निरीक्षक की नियुक्ति दिनांक 23.03.2017 को हुयी थी। दिनांक 01.07.2018 को वेतन वृद्धि के बाद दिनांक 01.01.2019 एवं 01.01.2020 को वेतन वृद्धि दी गयी थी। इसी प्रकार श्री सतीश चन्द्र राजस्व निरीक्षक की नियुक्ति तिथि 10.03.2017 इन्हें 01.01.2018 को वेतन वृद्धि दी गयी थी जबकि श्री सुनील कुमार की नियुक्ति तिथि भी 10.03.2019 की लेकिन इनकी वेतन वृद्धि दिनांक

01.07.2018 को अंकित/दी गयी थी। श्री प्रमोद कुमार राजस्व निरीक्षक की नियुक्ति तिथि 01.07.2017 थी इन्हें वेतन वृद्धि दिनांक 01.07.2018 के 01.01.2019 को दी गयी थी तथा श्री अजय कुमार अवर अभियन्ता (जल) की नियुक्ति तिथि दिनांक 01.07.2017 थी इन्हें वेतन वृद्धि दिनांक 01.07.2018 के दिनांक 01.01.2019 को दी गई थी तथा अजय कुमार अवर अभियन्ता (जल) की नियुक्ति तिथि दिनांक 17.06.2017 थी जबकि इन्हें दिनांक 01.07.2018 को वेतन वृद्धि दी गयी थी। इस प्रकार एक ही तिथि अथवा एक ही छः मास में नियुक्ति होने के बावजूद भिन्न तिथियों को वेतन वृद्धि प्रदान की जा रही थी यह दोहरा मापदण्ड था अतएव कर्मचारियों की वेतन वृद्धि तिथियों में एक रूपता न होने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जाय तथा कर्मचारियों के वेतन वृद्धि तिथि में एक रूपता लाये जाने हेतु प्रभावी/आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। कर्मचारियों का विवरण निम्नवत् है–

क्र0	कर्मचारी का नाम	पदनाम
1	श्री राजूपाल	राजस्व निरीक्षक
2	श्री अशोक कुमार सिंह	राजस्व निरीक्षक
3	श्री अशोक कुमार	सफाई एवं खाद्य निरीक्षक
4	श्री नरेन्द्र कुमार	सफाई एवं खाद्य निरीक्षक
5	श्री अनुज कुमार	राजस्व निरीक्षक
6	श्री कौशल	राजस्व निरीक्षक
7	श्री सुनील कुमार	राजस्व निरीक्षक
8	श्री सतीश कुमार	राजस्व निरीक्षक
9	श्री सतीश चन्द्र	राजस्व निरीक्षक
10	सुश्री रोशनी यादव	राजस्व निरीक्षक
11	श्री प्रकाश सिंह गब्योल	राजस्व निरीक्षक
12	श्रीमती निशा	राजस्व निरीक्षक
13	श्री विजय सिंह	राजस्व निरीक्षक
14	श्रीमती रजिया बेगम	लेखा परीक्षक
15	श्री अजय कुमार	अवर अभियन्ता

अतएव उक्तानुसार आपत्तियों के सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट करते हुये प्रभावी/आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

118– गैंग मैनों की सेवापुस्तिका/व्यक्तिगत पत्रावली में दैनिक वेतन पर तदर्थ नियुक्ति होने सम्बन्धी/विवरण अंकित/संलग्न न होना अनियमित एवं आपत्तिजनक तथा अन्य पायी गयी विभिन्न अनियमिततायें :–

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में प्रस्तुत निम्नलिखित 8 गैंगमैनों की सेवापुस्तिकाओं/व्यक्तिगत पत्रावलियों की जॉच में प्रकाश में आया कि निम्नांकित विवरणानुसार विभिन्न तिथियों में गैंगमैनों को विनियमित किये जाने सम्बन्धी आदेश सेवापुस्तिका/व्यक्तिगत पत्रावली में अंकित/संलग्न था। लेकिन इन कर्मचारियों के दैनिक वेतन पर तदर्थ नियुक्ति समबन्धी साक्ष्य/विवरण सेवापुस्तिका/व्यक्तिगत पत्रावली में अंकित/संलग्न नही था। जिससे यह स्पष्ट नही था कि उक्त कर्मचारियों को दैनिक वेतन पर तदर्थ कब नियुक्ति किया गया था तथा कितनी तदर्थ सेवा के पश्चात् इन्हें विनियमित किया गया था। इनके विनियमितीकरण शासन की शर्तों के अनुरूप थे अथवा नहीं। जिससे इनके अनियमित रूप से विनियमितीकरण के नाम नियुक्ति होने की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता। यह गम्भीर

रूप से आपत्तिजनक था। अतएव सम्परीक्षा में आगामी अवसर पर इनके दैनिक वेतन पर तदर्थ नियुक्त होने सम्बन्धी अभिलेख/साक्ष्य सम्परीक्षा में आगामी अवसर पर प्रस्तुत कर विनियमितीकरण होने की पुष्टि करायी जाय अन्यथा स्थिति में उक्त विनियमितीकरण अनियमित एवं आपत्तिजनक था।

(2) उक्त सेवापुस्तिकाओं में शैक्षणिक योग्यता का विवरण अंकित नही था न ही शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की जॉच करायी गयी थी।

(3) पत्रावली में शासनादेश संख्या 1076/9–1–92–95–सा0/91 दिनांक 03.02.1992 के द्वारा सिटी बोर्ड गाजियाबाद में 632 पद चतुर्थ श्रेणी के तथा 27 पद तृतीय श्रेणी के क्रमशः 750–12–870–EB–14–940 एवं 950–20–1150–EB–25–1500 के वेतनमान विनियमित होकर शासन से प्राप्त होने का उल्लेख किया गया है। लेकिन सम्बन्धित शासनादेश संलग्न नही है जिससे इन नियुक्तियों/विनियमितीकरण की पुष्टि नही की जा सकी।

अतएव उपरोक्त कर्मियों के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कराये जाने हेतु प्रभावी/आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। देखी गयी सेवापुस्तिकाओं का विवरण निम्नवत् है–

क्र0	नाम	पदनाम	विनियमितीकरण तिथि
1	श्री मोमीन पुत्र स्व0 ननवा	गैंगमैन	01.06.1993
2	श्री दीपक पुत्र श्री मामचन्द्र	गैंगमैन	01.06.1993
3	श्री उदयवीर पुत्र श्री जगदीश	गैंगमैन	01.06.1993
4	श्री हरिश शंकर पुत्र श्री केशर शंकर	गैंगमैन	05.06.1993
5	श्री यामीन पुत्र श्री ननवा	गैंगमैन	05.06.1993
6	श्री देवेन्द्र पुत्र श्री धनपाल	गैंगमैन	05.06.1993
7	श्री नागेश्वर प्रसाद पुत्र श्री जीतन सिंह	गैंगमैन	24.07.2004
8	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री चरण दास	गैंगमैन	05.06.2003

119– सेवापुस्तिकाओं की जॉच में पायी गयी अनियमिततायें :–

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में नगर निगम द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित 08 सेवापुस्तिकाओं/व्यतिगत पत्रावलियों की जॉच में निम्नांकित कमियॉ प्रकाश में आयी।

(1) अवकाश लेखा पूर्ण एवं सत्यापित नही था इसे पूर्ण कर सत्यापनोपरान्त दिखाया जाय।

(2) परिवार का विवरण अंकित नही था इसे अंकित कराया जाय।

(3) नामिनेशन प्रपत्र नही भरा गया था नामिनेशन प्रपत्र भरकर सत्यापित कराकर दिखाया जाय।

(4) शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्रों की जॉच कराये जाने सम्बन्धी साक्ष्य/विवरण, सेवापुस्तिका/व्यक्तिगत पत्रावली में अंकित/संलग्न नही था यह गम्भीर रूप से आपत्तिजनक था।

(5) पुलिस वैरिफिकेशन किये जाने सम्बन्धी साक्ष्य मात्र रमेश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री स्व0 गुलाब सिंह की पत्रावली में संलग्न था अन्य कर्मचारियों के पुलिस वैरिफिकेशन होने सम्बन्धी साक्ष्य संलग्न नही था। यह आपत्तिजनक था।

(6) लिपिको के टंकण परीक्षण प्रभाव पत्र संलग्न नही थे जिससे टंकण ज्ञान होने की पुष्टि नही होती तथा बिना टंकण ज्ञान के लिपिक पद पर नियुक्ति अनियमित/आपत्तिजनक थी।

(7) श्री रमेश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री स्व0 गुलाब चन्द्र लिपिक को दिनांक 01.04.2010 को विनियमित किया गया था। यह विनियमितीकरण नगर आयुक्त के आदेश दिनांक 31.03.2010 के अनुपालन में अपर नगर आयुक्त के पत्रांक 22/2010 दिनांक 01.04.2010 द्वारा किया गया था। दैनिक वेतन पर नियुक्ति सम्बन्धी कोई साक्ष्य/विवरण संलग्न नही था और न ही 2010 में विनियमितीकरण किये जाने सम्बन्धी

कोई सक्षम आदेश/शासनादेश पत्रावली में संलग्न था जिससे उक्त विनियमिततीकरण अनियमित प्रतीत होता है। अतएव विनियमितीकरण की पुष्टि हेतु सक्षम आदेश/शासनादेश तथा दैनिक वेतन पर नियुक्ति होने सम्बन्धी प्रमाण/साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

(8) इसी प्रकार श्री ब्रहमपाल लिपिक का विनियमितीकरण दिनांक 06.06.2003 को अंकित था जबकि दैनिक वेतन पर तदर्थ नियुक्ति सम्बन्धी साक्ष्य/विवरण संलग्न नही था। इसे प्रस्तुत कर आवश्यक जॉच करायी जाय।

अतएव उपरोक्त कमियों के सुधार/पुष्टि हेतु प्रभावी/आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। कर्मचारियों का विवरण निम्नवत् है।

क्र0	नाम कर्मचारी	पदनाम
1	श्री सोहन वीर सिंह	द्वितीय श्रेणी लिपिक
2	श्री ब्रहम पाल सिंह	द्वितीय श्रेणी लिपिक
3	श्री रमेश चन्द्र शर्मा	द्वितीय श्रेणी लिपिक
4	श्री प्रवीन कुमार	अनुचर
5	श्री देवेन्द्र कुमार	लिपिक
6	श्री पवन कुमार शर्मा	लिपिक
7	श्री विनोद कुमार त्यागी	लिपिक
8	श्री उदल सिंह	अनुचर

120– सेवापुस्तिकाओं की जॉच में पायी गयी अनियमिततायें :–

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में स्वास्थ्य विभाग के सफाई कर्मचारियों की निम्नांकित विवरणानुसार 10 सेवापुस्तिकायें सम्परीक्षा हेतु प्रस्तुत की गयी जिनकी जॉच में निम्नांकित कमियॉ प्रकाश में आयी–

(1) उक्त सभी कर्मचारियों को शासनादेश संख्या 307/9–1–2011–133सा/2008 दिनांक 13.05.2011 के क्रम में 29 जून 1991 से पूर्व दैनिक वेतन पर कार्यरत तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के विनियमितीकरण हेतु अधिसंख्य पदों का सृजन किया गया। नगर आयुक्त के आदेश दिनांक 17.06. 2011 के अनुपालन में दिनांक 13.05.2011 से विनियमितीकरण स0क0 के अधिसंख्य पद पर वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 1800 मं किया गया। 29 जून 1991 के पूर्व दैनिक वेतन पर नियुक्त होने का साक्ष्य पत्रावली में संलग्न नही था और न ही सेवा पुस्तिका में अंकित किया गया था। जो अनियमित एवं आपत्तिजनक था।

(2) विनियमितीकरण हेतु वरिष्ठनगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा कर्मचारी से क्रमांक–6 पर अंकित पूर्व नौकरी का प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो दे की मॉग से 29 जून 1991 से पूर्व से तदर्थ सेवा में कार्यरत होना संदिग्ध प्रतीत होता। 1991 से पूर्व से सेवारत होने का मतलब 20 वर्ष से अधिक की नगर निगम की सेवा में होना था तो पूर्व नौकरी का प्रमाण–पत्र मॉगे जाने का औचित्य नही था।

(3) अवकाश लेखा अद्यावधिक पूर्ण एवं सत्यापित नही था। अतएव इसे पूर्ण एवं सत्यापित कराकर दिखाया जाय।

(4) परिवार का विवरण संलग्न नही इसे अंकित कराकर सत्यापन कराये जाने के पश्चात् सम्परीक्षा में दिखाया जाय।

(5) नामिनेशन प्रपत्र नही भरागया था इसे भरकर एवं सत्यापित कराकर दिखाय जाय।

(6) सेवायें सत्यापित नही थी इसे सत्यापित कराकर दिखाई जाय।
(7) शैक्षिक योग्यता का विवरण अंकित नही था।

अतएव उपरोक्त कमियों को पूरा करके सम्परीक्षा में आगामी अवसर पर दिखाया जाय। सेवापुस्तिकाओं का विवरण निम्नवत् है।

क्र0	नाम कर्मचारी	पदनाम
1	श्रीमती उर्मिला पत्नी श्री ईश्वर	सफाई कर्मचारी
2	श्रीमती आशा पत्नी श्री नरेन्द्र	सफाई कर्मचारी
3	श्रीमती फूलवती पत्नी श्री रोहतांश	सफाई कर्मचारी
4	श्री शशिपाल पुत्र श्री बाल चन्द्र	सफाई कर्मचारी
5	श्री रमेश पुत्र श्री रामदास	सफाई कर्मचारी
6	श्री बिजन्दर पुत्र श्री रामनाथ	सफाई कर्मचारी
7	श्रीमती प्रकाशी पत्नी श्री रिषिपाल	सफाई कर्मचारी
8	श्रीमती माला पत्नी श्री जगपाल	सफाई कर्मचारी
9	श्रीमती बीना पत्नी श्री महेश	सफाई कर्मचारी
10	श्रीमती बीना पत्नी श्री विजेन्द्र	सफाई कर्मचारी

121– सेवापुस्तिकाओं की जॉच में पायी गयी अनियमिततायें :–

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में संस्था द्वारा प्रस्तुत की गयी निम्नांकित सेवा पुस्तिकाओं की जॉच की गयी जिसमें निम्न अनियमितताएँ प्रकाश में आयी।

(1) उपरोक्त सेवापुस्तिकाओं में परिवार का विवरण अंकित नही किया गया था इसे अंकित कराया जाना अपेक्षित है।

(2) नामिनेशन प्रपत्र नही भरा गया था। इसे भरकर एवं सत्यापित कराकर दिखाया जाय।

(3) श्रीमती मंजू शर्मा पत्नी स्व0 श्री राजीव शर्मा लिपिक एवं श्री उमेश कुमार शर्मा पुत्र टुक्की राम लिपिक की सेवापुस्तिकाओं में फोटो ग्राफ संलग्न नही था। फोटोग्राफ संलग्न कर सत्यापनोंपरान्त सम्परीक्षा में आगामी अवसर पर दिखाया जाय।

(4) श्री सत्येन्द्र कुमार पुत्र श्री मांगे राम की सेवापुस्तिका में दिनांक 01.07.2020 को वेतन वृद्धि सहित मूल वेतन 34300 अंकित था जबकि दिनांक 01.07.2021 को मूलवेतन 33300 एवं दिनांक 01.07.2022 को मूल वेतन 34300 अंकित किया गया था वेतन कम अंकित किये जाने का कोई कारण पत्रावली/सेवापुस्तिका में अंकित नही था इसे स्पष्ट किया जाय एवं वेतन वृद्धि त्रुटिपूर्ण अंकन का सुधार किया जाना अपेक्षित है।

(5) उपर्युक्त सेवापुस्तिकाओं/व्यक्तिगत पत्रावलियों की जॉच के समय प्रकाश में आया कि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की जॉच/सत्यापन निगम द्वारा नही कराया गया था यह अनियमित/आपत्तिजनक था। अतएव उक्त के सम्बन्ध में प्रभावी/आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। प्रस्तुत की गयी एवं जॉची गयी सेवापुस्तिकाओं का विवरण निम्नवत् है–

क्र0	नाम कर्मचारी	पदनाम
1	श्रीमती मंजू शर्मा पत्नी स्व0 राजीव शर्मा	लिपिक
2	श्री नितिन भारद्वाज पुत्र स्व0 हरजीवन लाल	लिपिक
3	श्री प्रदीप कुमार शर्मा पुत्र स्व0 दाऊदयाल	लिपिक
4	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री बाबू राम	लिपिक

5	श्री उमेश कुमार शर्मा पुत्र श्री टुक्की राम	लिपिक
6	श्री हेमराज सिंह पुत्र श्री हरपाल	लिपिक
7	श्री वेद प्रकाश भड़ाना पुत्र श्री अतर सिंह	लिपिक
8	श्री सत्येन्द्र कुमार पुत्र श्री मांगेराम	लिपिक
9	श्री पूरन शर्मा पुत्र श्री शिरोमणी	लिपिक

उपर्युक्त कमियों का सुधार किये जाने हेतु प्रभावी/आवश्यक कार्यवाही करने के लिये निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

122. नगर पा लका इन्टर कालेज में कार्यरत शक्षक/शक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन हेतु कया गया भुगतान सेवापुस्तिका एवं नियुक्ति पत्रावली के अभाव में असत्या पत रूपये 7813938=00 :-

आलोच्य अव ध की सम्परीक्षा में चयनित सम्परीक्षा माहों के व्यय प्रमाणकों की जांच के समय प्रकाश में निम्नां कत ववरणानुसार रूपये 7813938=00 का भुगतान नगर पा लका इन्टर कालेज गाजियाबाद के 6 वद्यालयों में कार्यरत शक्षक/शक्षणेत्तर कर्मचारियों हेतु कया गया था। कन्तु इनके वेतन भुगतान की पुष्टि सत्यापनार्थ इन शक्षकों शक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति पत्रावली, सेवापुस्तिका, उपस्थिति पंजिका आदि अ भलेख सम्परीक्षार्थ प्रस्तुत नही कये गये जिससे उक्त वेतन भुगतान का सत्यापन/पुष्टि नही की जा सकी। अतएव सम्परीक्षा में आगामी अवसर पर उक्त सम्बन्धितम समस्त अ भलेख प्रस्तुत कर तत्सम्बधी आवश्यक जांच करायी जाय। उपसम्परीक्षा माहों में कये गये वेतन भुगतान का ववरण निम्नवत है।

क्रमांक		दिनांक	धनरा श	ववरण
1	1317	30-07-20	722692	नगर निगम बा लका इन्टर कालेज कैला भट्टा के 20 शक्षक/शक्षणेत्तर कर्मचारियों हेतु वेतन अप्रैल, एवं मई 2020 का भुगतान
2	1318	30-07-20	864512	नगर निगम बा लका इन्टर कालेज सहानी के 25 शक्षक/शक्षणेत्तर कर्मचारियों हेतु वेतन अप्रैल, एवं मई 2020 का भुगतान
3	1319	30-07-20	527924	नगर निगम बा लका इन्टर कालेज मनकपुर के 19 शक्षक/शक्षणेत्तर कर्मचारियों हेतु वेतन अप्रैल, एवं मई 2020 का भुगतान
4	1320	30-07-20	582466	नगर निगम बा लका इन्टर कालेज गाजियाबाद के 20 शक्षक/शक्षणेत्तर कर्मचारियों हेतु वेतन अप्रैल, एवं मई 2020 का भुगतान

5	1321	30-07-20	935832	नगर निगम बा लका इन्टर कालेज साहिबाबाद के 26 शक्षक/शक्षणेत्तर कर्मचारियों हेतु वेतन अप्रैल, एवं मई 2020 का भुगतान
6	1322	30-07-20	341774	नगर निगम बा लका इन्टर कालेज महरौली के 13 शक्षक/शक्षणेत्तर कर्मचारियों हेतु वेतन अप्रैल, एवं मई 2020 का भुगतान
7	2384	25-11-20	519774	नगर निगम बा लका इन्टर कालेज गाजियाबाद के 20 शक्षक/शक्षणेत्तर कर्मचारियों हेतु वेतन सतम्बर, एवं अक्टूबर 2020 का भुगतान
8	2385	25-11-20	722692	नगर निगम बा लका इन्टर कालेज कैला भट्टा के 20 शक्षक/शक्षणेत्तर कर्मचारियों हेतु वेतन सतम्बर, एवं अक्टूबर 2020 का भुगतान
9	2386	25-11-20	319768	नगर निगम बा लका इन्टर कालेज महरौली के 13 शक्षक/शक्षणेत्तर कर्मचारियों हेतु वेतन सतम्बर, एवं अक्टूबर 2020 का भुगतान
10	2387	25-11-20	904656	नगर निगम बा लका इन्टर कालेज साहिबाबाद के 26 शक्षक/शक्षणेत्तर कर्मचारियों हेतु वेतन सतम्बर, एवं अक्टूबर 2020 का भुगतान
11	2388	25-11-20	507336	नगर निगम बा लका इन्टर कालेज मनकपुर के 19 शक्षक/शक्षणेत्तर कर्मचारियों हेतु वेतन सतम्बर, एवं अक्टूबर 2020 का भुगतान
12	2389	25-11-20	864512	नगर निगम बा लका इन्टर कालेज सहानी के 25 शक्षक/शक्षणेत्तर कर्मचारियों हेतु वेतन सतम्बर, एवं अक्टूबर 2020 का भुगतान
योग-			7813938	

123. <u>नगर निगम बा लका इंटर कालेज(मुख्य वद्यालय व शाखओं) में अध्ययनरत कक्षा 9 से 12 तक के निर्धन छात्राओं की फीस माफ करने हेतु अनिय मत भुगतान रूपये 6,52,900=00 :-</u>

आलोच्य अव ध की सम्परीक्षा में चयनित सम्परीक्षा माहों के व्यय प्रमाणको की जांच के समय प्रकाश में आया क व्यय प्रमाणक संख्या 1212 चेक संख्या 000456 दिनांक 29-07-20

रूपये 652900 का भुगतान निम्नां कत ववरणानुसार नगर निगम बा लका इंटर कालेज में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत निर्धन छात्राओं को को वड-19 महामारी के चलते सत्र 2020-21 की फीस माफ कये जाने हेतु कया गया था। ववरण निम्नवत है-

क्र0सं0	वद्यालय का नाम	छात्राओं की संख्या	धनरा श
1	नगर पा लका बा लका इंटर कालेज,चन्द्रपुरी,गाजियाबाद	219	151360
2	नगर पा लका बा लका इंटर कालेज, सहानी, गाजियाबाद	167	95670
3	नगर पा लका बा लका इंटर कालेज,कैलाभट्टा,गाजियाबाद	273	140208
4	नगर पा लका बा लका इंटर कालेज,साहिबाबाद,गाजियाबाद	176	93567
5	नगर पा लका बा लका इंटर कालेज,मनकपुर,गाजियाबाद	232	124853
6	नगर पा लका बा लका इंटर कालेज,महरौली,गाजियाबाद	86	47242
	योग-		652900

उक्त भुगतान को वड-19 महामारी के चलते सत्र 2020-21 के निर्धन छात्राओं (कक्षा-9 से 12 तक) फीस माफी हेतु कया गया था ले कन वद्यालयों द्वारा छात्राओं के निर्धन होने सम्बन्धी साक्ष्य यथा आय प्रमाण पत्र बी0पी0एल0 कार्ड आदि नही प्राप्त कये गये थे। मनमाने ढंग से जिन छात्राओं द्वारा फीस नही जमा की गयी थी उनकी फीस माफ कये जानेहेतु नगर निगम से धनरा श प्राप्त की गयी थी। बिना सक्षम आय प्रमाण पत्र के फीस माफी हेतु भुगतान प्राप्त कया जाना अनिय मत एवं आप त्तजनक था।

उल्लेखनीय है क नगर पा लका बा लका इंटर कालेज चन्द्रपुरी के अतिरिक्त अन्य 5 कालेज (अनएडेड) की फीस नगर निगम में ही जमा की जाती है तो फीस माफी हेतु वद्यालय को प्राप्त कराकर फीस के रूप में पुनः नगर निगम नि ध में जमा कराया जाना औ चत्यहीन था। नगर निगम बा लका इन्टर कालेज महरौली को नगर निगम द्वारा रू0 47242 फीस माफी हेतु प्रदान की गयी थी ले कन वद्यालय द्वारा मात्र 29964 का ही हिसाब अं कत था रुपये 17278 की फीस कन छात्रो हेतु प्राप्त एवं जमा की गयी थी रजिस्टर में अं कत नही था। इसे अं कत कराकर दिखाया जाय।

अतएव उपरोक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कया जाना अपे क्षत है।

124. अस्थायी अ ग्रमों के समायोजन न कराये जाने से नगर निगम को आ र्थक क्षति रूपये 35,95,23,666=00 :-

आलोच्य अव ध की सम्परीक्षा में नगर निगम द्वारा दिनांक 03-09-2015 से अद्याव धक प्रस्तुत की अस्थायी अ ग्रम की जाँच के समय प्रकाश में आया क अस्थायी अ ग्रम पंजी की

प्रत्येक प्रवृष्टि सक्षम अ धकारी से सत्या पत नही थी। दिनांक 03-09-2015 से पूर्व की अस्थायी अ ग्रम पंजी सम्परीक्षा में प्रस्तुत नही की गयी जिससे अ ग्रम के समायोजन की स्थिति अज्ञात रही। अस्थायी अ ग्रम पंजी का अनुरक्षण त्रुटिपूर्ण ढंग से कया गया था प्रत्येक वर्ष अस्थायी अ ग्रम पंजी पृथक-पृथक अनुर क्षत की जानी चाहिए थी। लगातार एक ही अस्थायी पंजी अनुर क्षत कये जाने से अ ग्रमों के समायोजन की स्थिति अज्ञात रहती थी। नियमानुसार अद्यतन अस्थायी अ ग्रम पंजी बनाकर पूर्व के असमायोजित अ ग्रमों की प्रवृष्टि करके अस्थायी अ ग्रमों की कुल धनरा श रुपये 35,95,23,666=00 का सत्यापन कराया जाय। तथा समस्त असमायोजित अ ग्रमों की शीघ्र समायोजित कराये जाने की कार्यवाही कये जाने हेतु निगम के उच्चा धकारियों का ध्यान आकृष्ट कया जाता है।

अ ग्रम पंजिका में दिनांक 03-09-2015 से प्रवृष्टि कये गये अ ग्रमों से यह स्पष्ट नही था क उन अ ग्रमों को पूर्व में दिये गये अ ग्रमों के साथ समायोजित कया गया है। अतः यह स्पष्ट कया जाय क अ ग्रम पंजिका में प्रवृष्टि पीछे से फारवर्ड करके लाये गये है या नही। अ ग्रमों का समायोजन इतनी लम्बी अव ध से न कराया जाना अनिय मत एवं आप त्तजनक था तथा निगम को आ र्थक क्षति हो रही थी। संलग्न परि शष्ट "20" के अनुसार रूपये 35,95,23,666=00 के अस्थायी अ ग्रमों के बहुत लम्बी अव ध से समायोजित न कये जाने के कारण उक्त धनरा श के दुरूपयोग/दु र्वनियोग कये जाने की पूर्ण सम्भावना थी।

अतएव उक्त असमायोजित अ ग्रमों के समायोजन कराये जाने हेतु नगर निगम के उच्चा धकारियो का ध्यान वशेष रुप से आकृष्ट कया जाता है।

125. अनुदान धनरा शयों से प्राप्त ब्याज को शासन के निर्धारित लेखा शीर्षक में वापस न कया जाना अनिय मत रू 7,70,27,968=00 :-

सम्परीक्षा में प्रकाश में आया क निकाय को सम्परीक्षा अव ध में व भन्न शासकीय योजनायों हेतु अनुदान प्राप्त हुए थे। जिनसे बैंक द्वारा निर्धारित दर से वर्ष में ब्याज की प्राप्ति हुई थी। इस ब्याज के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1564/दस-7/97 दिनांक 02 मार्च, 1998 के क्रम में शासनादेश संख्या-ए-1 22/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 31 मार्च,2012 एवं शासनादेश संख्या-10-20/ए-1-52/दस-2015-10(33)/2010 दिनांक 29 मई,2015 के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये थे क योजनान्तर्गत स्वीकृत मूल धनरा श को ही व्यय कया गया जाए। उस पर बैंक से प्राप्त ब्याज को शासन के निर्धारित लेखा शीर्षक में वापस कया जाए। कन्तु सम्परीक्षा अव ध तक अनुदानों से प्राप्त उक्त ब्याज की धनरा श को वापस नही कया गया था। इसे शासन को वापस कया जाना अपे क्षत है अन्यथा की स्थिति में यह राजस्व क्षति का प्रकरण था। प्राप्त ब्याज का ववरण निम्नवत है-

क्र0	अनुदान का मद	प्राप्त ब्याज की धनरा श
1	14वां वत्त आयोग	5,46,41,049=00
2	15वां वत्त आयोग	1,05,53,558=00
3	2% अवस्थापना नि ध	93,60,979=00
4	स्वच्छ भारत मशन	14,91,596=00
5	स्मार्ट सटी मशन	5,36,147=00
6	अमृत योजना	2,52,575=00
7	अमृत योजना	1,00,983=00
8	कान्हा गौशाला	91,081=00
	योग-	7,70,27,968=00

126. 2% स्टाम्प शुल्क की वसूली न कये जाने से निगम को आ र्थक क्षति रूपये 3,88,97,39,431=00 :-

आलोच्य अव ध की सम्परीक्षा में 2% स्टाम्प शुल्क की पत्रावली की जांच से प्रकाश में आया क आलोच्य अव ध में उक्त मद से रूपये 729085429=00 प्राप्त होने थे ले कन कोई भी धनरा श प्राप्त नही थी। आलोच्य अव ध तक निम्नां कत ववरणानुसार 2% स्टाम्प शुल्क की धनरा श रूपये 3889739431=00 की वसूली हेतु शेष थी जिससे नगर निगम को आ र्थक क्षति हो रही थी। अतएव 2% स्टाम्प शुल्क की वसूली हेतु बकाया धनरा श रूपये 3889739431=00 की वसूली कराये जाने हेतु निगम के उच्चा धकारियों का ध्यान वशेष रूप से आकृष्ट कया जाता है। वसूली हेतु बकाया धनरा श का ववरण निम्नवत है।

क्र0सं0	अव ध	प्राप्त होने वाली धनरा श	प्राप्त धनरा श	अवशेष धनरा श
1	2010-11	456680688	349663915	107016773
2	2011-12	679633562	617217611	62415951
3	2012-13	518911042	0	518911042
4	2013-14	515507730	53602154	461905576
5	2014-15	695123783	407572439	287551344
6	2015-16	632142610	459796577	172346033
7	2016-17	633656344	596965201	36691143

8	2017-18	740057145	684124973	55932172
9	2018-19	873654686	245765328	627889358
10	2019-20	829994610	0	829994610
11	2020-21	729085429	0	729085429
योग-				3889739431

127. राजस्व अनुभाग से प्राप्त अनुदान की धनरा श का उपभोग/सम्बन्धित वभाग को वापस न कया जाना अनिय मत रूपये 371574=00 :-

आलोच्य अव ध की सम्परीक्षा में अप्रयुक्त अनुदान लेखे की जांच के समय प्रकाश में आया क वगत कई वर्षों से राजस्व अनुभाग से प्राप्त अनुदान जो राजाज्ञा संख्या 2021/01-10-2011/12(34)/2011 दिनांक 23-12-11 को धनरा श रूपये 1,10,22000=00 बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्प त्तयों की मरम्मत हेतु प्राप्त हुई थी। इसमें से रूपये 371574=00 की धनरा श वगत कई वर्षों से अप्रयुक्त चली आ रही थी। यह अनिय मत एवं आप त्त जनक था। इसकी समयाव ध वृद् ध शासन से प्राप्त कर उपभोग कया जाय अन्यथा स्थिति में सम्बन्धित वभाग को वापस कया जाना सुनिश्चित कया जाए।

128. स्मार्ट सटी मशन के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान की धनरा श का उपभोग न कया जाना अनिय मत रूपये 1,29,06,480=00 :-

स्मार्ट सटी मशन के अन्तर्गत निगम को वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 में प्राप्त अनुदान ब्याज सहित 31 मार्च 2021 को रूपये 1,65,98,503=00 अप्रयुक्त थी। गत एवं वगत सम्परीक्षा आख्याओं में भी इसके उपभोग कये जाने एवं उपभोग न होने की स्थिति में सम्बन्धित वभाग को वापस कये जाने हेतु टिप्पणी अं कत की गयी थी। कन्तु अभी तक उक्त धनरा श का न तो उपभोग कया गया था और न ही सम्बन्धित वभाग को वापस कया गया था जिससे उक्त सीमा तक धनरा श अवरूद्ध रही। यह गम्भीर रूप से अनिय मत एवं आप त्तजनक था। अतएव उक्त नि ध खाते में 31 मार्च 2021 को अवशेष धनरा श (ब्याज सहित) रूपये 1,65,98,503=00 को उपभोग कये जाने अथवा सम्बन्धित वभाग को वापस कये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक एवं प्रभावी कार्यवाही कया जाना अपे क्षत है।

129. रोकड़ बही एवं बैंक पासबुको के शेष के मध्य नगर नि ध खाते एवं यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 खाते में क्रमशः रूपये 318738773=82 एवं 186=90 के अन्तर को बैंक समाधान ववरण के माध्यम से स्पष्ट न कया जाना अनिय मत एवं आप त्तजनक :-

आलोच्य अव ध की सम्परीक्षा के समय नगर निगम की रोकड़ बही एवं बैंक खातो की जांच के समय प्रकाश में आया क नगर निगम नि ध की रोकड़ बही एवं उनके बैंक खातों के 31-03-

2021 के इति शेष की धनरा श के मध्य काफी अन्तर था। रोकड़ बही के अनुसार 31 मार्च 2021 का इति शेष रूपये 3,72,46,78,949=76 था जब क बैंक खातों का 31 मार्च 2021 का इति शेष कुल रूपये 31,87,38,773=82 (4043417723.58-3724678949.76) का अन्तर था। इस प्रकार रोकड़ बही एवं बैंक खातो के मध्य अन्तर के समाधान हेतु बैंक समाधान ववरण बनाकर सम्परीक्षा में प्रस्तुत नही कया गया। यह अनिय मत एवं आप त्तजनक था।

इसी प्रकारयू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 खाते की रोकड़ बही का 31 मार्च 2021 का शेष रूपये 8,82,48,973=00 था जब क उक्त हेतु अनुर क्षत बैंक खातो का शेष रू 8,82,48,786=10 था इस प्रकार 31 मार्च 2021 को रोकड़ बही शेष से बैंक खातों का शेष रुपये 186=10 कम था उक्त अन्तर हेतु बैंक समाधान ववरण बनाकर प्रस्तुत नही कया गया था। यह अनिय मत एवं आप त्तजनक था।

अतएव उक्तानुसार रोकड़ बही एवं बैंक खातों के इति शेष के मध्य अन्तर को स्पष्ट कये जाने हेतु बैंक समाधान ववरण बनाकर प्रस्तुत कये जाने हेतु निगम के उच्चा धकारियों का ध्यान वशेष रुप से आकृष्ट कया जाता है।

<u>130. प्रेक्षाकर की वसूली हेतु प्रभावी कार्यवाही न करने से लक्ष्य से कम आय प्राप्त होने निगम को आ र्थक क्षति 1462580=00 :-</u>

सम्परीक्षा में बार-बार मांग कये जाने के बावजूद प्रेक्षाकर से सम्बन्धित पत्रावली एवं सम्बन्धित अन्य अ भलेख अप्रस्तुत रहे जिससे इनकी सम्यक जांच न हो सकी नगर निगम के बजट के अनुसार आलोच्य अव ध की प्रस्ता वत आय (प्रेक्षाकर से) रूपये 2000000=00 थी कन्तु इस लक्ष्य के सापेक्ष मात्र रूपये 5,37,420=00 की आय प्रेक्षाकर के रूप में प्रद र्शत थी जो लक्ष्य से रुपये 1462580=00 कम थी। जब क गत वर्ष की उक्त मद की प्रस्ता वत आय रू 2000000=00 तथा प्राप्त रूपये 11,60,320=00 उक्त से स्पष्ट था क नगर निगम द्वारा लक्ष्य प्राप्ति हेतु सार्थक प्रयास नही कये जा रहे थे। जिससे नगर निगम को लक्ष्य से रूपये 1462580=00 की आय कम प्राप्त हुयी थी। यह आप त्तजनक था। अतएव प्रेक्षाकर से आय बढाये जाने हेतु प्रभावी/आवश्यक कार्यवाही कये जाने हेतु निगम के उच्चा धकारियों का ध्यान आकृष्ट कया जाता है।

<u>131. सांसद/वधायक नि ध से प्राप्त अनुदान की धनरा श का उपभोग/शासन को वापस न कया अनिय मत रूपये 720854=00 :-</u>

आलोच्य अव ध की सम्परीक्षा अप्रयुक्त अनुदान लेखे की जांच से प्रकाश में आया क वगत कई वर्षों से सांसद/वधायक से प्राप्त अनुदान की धनरा श निम्न ल खत ववरणानुसार अप्रयुक्त चली आ रही थी। इसे अभी तक उपभोग न कये जाने अथवा सम्बन्धित वभाग को वापस न कये जाने के सम्बन्ध स्थित सम्परीक्षा में स्पष्ट नही की गयी। अतएव उक्त अप्रयुक्त

धनरा शक शासन के सम्बन्धित वभाग को वापस कर सम्परीक्षा में आगामी अवसर पर अवगत कराया जाय। ववरण निम्नवत है-

क्र0 स0	ववरण	प्राप्त धनरा श	दिनांक	अप्रयुक्त रा श
1	सांसद/वधायक नि ध से प्राप्त	376200	29-05-09	376200
2	सांसद नि ध से चेक सं0 82801 दिनांक 17-02-04 द्वारा सूर्यनगर पार्क के सौन्दर्यीकरण हेतु प्राप्त	150000	18-05-04	150000
3	सांसद नि ध से सबम र्सबल पम्प लगाने हेतु प्राप्त	720381	11-12-14	194654
			योग	720854=00

132. 12वें वत्त आयोग की संस्तियों से प्राप्त अनुदान की अप्रयुक्त धनरा श शासन को वापस न कया जाना अनिय मत रूपये 1,54,73,720=00 :-

अप्रयुक्त अनुदान लेखे की जांच के समय प्रकाश में आया क वगत कई वर्षों से पूर्व 12वें वत्त आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त अनुदान की धनरा श में से रूपये 15473720=00 अभी तक उपयोग नही की गई थी एवं लगातार अभी तक अप्रयुक्त चली आ रही है। यह अनिय मत था। सम्परीक्षा में स्पष्ट कया जाय क अप्रयुक्त अनुदान की धनरा श कस बैंक खाते/कोषागार में जमा है। इसे अभी तक उपभोग न कये जाने अथवा शासन के सम्बन्धित वभाग को वापस न कये जाने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए जमा धनरा श शासन के सम्बन्धित वभाग को वापस कर सम्परीक्षा में आगामी अवसर पर सत्यापन कराया जाय।

133. नगर निगम द्वारा बैंक के बचत खातों के स्थान पर चालू खातों में धनरा श जमा कराये जाने के कारण ब्जाय की आ र्थक क्षति रूपये 1026754=00 :-

नगर निगम की वर्ष 2020-21 की वत्तीय स्थिति की समीक्षा के समय प्रकाश में आया क नगर निगम द्वारा यूनियन बैंक आफ इं डया एवं पंजाब नेशनल बैंक में निम्नां कत ववरणानुसार कुल 6 चालू खाते रखे गये थे। जब क उत्तर प्रदेश शासन के ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 वत्त लेखा अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 21-03-2012 के अनुसार कसी संस्था, संगठन,निकाय को कसी भी प्रकार की धनरा श को बैंक के चालू खाते में नही रखना है। बैंको में नि धयों का संचालन करना है तो बचत खाता खोलकर धनरा श जमा की जायेगी।

उक्त शासनादेश के अनुपालन में यदि निगम द्वारा धनरा श को चालू खाते के स्थान पर बचत खाते में रखा जाता तो न्युनतम 3% की दर से ब्याज की प्राप्ति होती जो रुपये 1026754=00 थी जिससे निगम को आ र्थक क्षति हुयी।

क्र.	बैंक का नाम	खाता संख्या	खाते का प्रकार	अवशेष धनरा श
1	यूनियन बैंक आफ इं डया(निगम परिसर)	555201010024002	चालू	22408096=68
2	यूनियन बैंक आफ इं डया(निगम परिसर)	555201010024001	चालू	6523393=08
3	यूनियन बैंक आफ इं डया(वसुन्धरा)	617501010050081	चालू	152453=50
4	पंजाब नेशनल बैंक(वसुन्धरा)	3946002100082579	चालू	1496339=58
5	पंजाब नेशनल बैंक(सूर्यनगर)	1443002100416501	चालू	2776087=61
6	पंजाब नेशनल बैंक(वजयनगर)	3946002100005512	चालू	868753=40
			योग	3,42,25123=85

इस प्रकार स्पष्ट था क यदि नगर निगम द्वारा उपरोक्त धनरा श रुपये 34225123=85 को बैंक के चालू खाते के स्थान पर बचत खाते में रखा जाता तो न्युनतम 3% की दर से रूपये 1026754 ब्याज की प्राप्ति होती तथा उक्त सीमा तक नगर निगम को आ र्थक क्षति से बचाया जा सकता था। गत-वगत वर्षो की सम्परीक्षा में लगातार आप त्त उठाये जाने के बावजूद नगर निगम के उच्चा धकारियों द्वारा उक्त चालू खातों को बचत खातो में परिवर्तित कये जाने हेतु कोई कार्यवाही नही की गयी जिससे नगर निगम को वर्ष प्रतिवर्ष आ र्थक क्षति उठानी पड़ रही है। अतएव उक्त के सम्बन्ध में प्रभावी/आवश्यक कार्यवाही कये जाने हेतु संस्था के उच्चा धकारियों का ध्यान वशेष रूप से आकृष्ट कया जाता है।

<u>134. यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 योजना खाते में भारी धनरा श अवरूद्ध रखा जाना अनिय मत एवं आप त्तजनक रूपये 5,47,20,78,456=00 :-</u>

आलोच्य अव ध की सम्परीक्षा में यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 की रोकड़ बही की जांच के समय प्रकाश में आया क 31 मार्च 2021 को उक्त खाते के रुपये 5472078456=00 रुपये अवशेष था। इतनी भारी धनरा श खाते में अवशेष रखा जाना अनिय मत एवं आप त्तजनक था। उक्त धनरा श हेतु कार्ययोजना की स्वीकृति शासन से प्राप्त कर उक्त धनरा श का उपभोग कया

जाय अन्यथा स्थिति सम्बन्धित वभाग को वापस कये जाने हेतु प्रभावी/आवश्यक कार्यवाही कया जाना अपे क्षत है। उल्लेखनीय है क उक्त योजना वगत कई वर्षो से बन्द है। जिससे इतनी भारी धनरा श उक्त नि ध में अवरूद्ध रखी गई है। जिससे वकास कार्य उक्त धनरा श की सीमा तक प्रभा वत हो रहा है। अतएव उक्त के सम्बन्ध में प्रभावी/आवश्यक कार्यवाही कया जाना अपे क्षत है।

135. गत वर्ष में कराये गये निगम फण्ड के अनुरक्षण कार्यो के अवशेष भुगतान के सत्यापनार्थ वभागवार गत वर्ष में कराये गये कार्यो की सूची जिसका भुगतान गत वर्ष में नही हो सकने से सम्बन्धित अ भलेखों के अभाव में कया गया भुगतान अनिय मत रूपये 1,23,32,68140=00 :-

बजट समीक्षा के समय प्रकाश में आया क नगर निगम के व भन्न वभागों में गत वर्ष में निगम फण्ड के अनुरक्षण कार्यो के अवशेष का भुगतान वर्ष 2020-21 में निम्नां कत ववरणानुसार कया गया था। कन्तु गत वर्ष में कराये गये कार्य से सम्बन्धित कार्यो की सूची/बकाया का ववरण सम्परीक्षा में प्रस्तुत नही कया गया। जिससे कये गये भुगतानों का सत्यापन नही हो सका क गत वर्ष की ही बकाया धनरा श का भुगतान कया गया था। गत वर्ष की बैलेन्स शीट एवं वभागवार भुगतानों हेतु बकाया जिलों का ववरण प्रस्तुत करके सत्यापन कराया जाय अन्यथा कया गया भुगतान अनिय मत था।

क्र0	वभाग का नाम	धनरा श
1	सार्वजनिक निर्माण	889233555
2	जल सम्भरण एवं निस्तारण	171542854
3	पथ प्रकाश वभाग	46624522
4	स्वास्थ्य वभाग व नगरीय ठोस अप शष्ट प्रबंधन	74952429
5	उद्यान वभाग	50914780
	योग	123,32,68,140

136. नगर निगम द्वारा जल मूल्य लागू कर वसूली न कराये जाने से निगम को आ र्थक क्षति रुपये 311903160=00 :-

शासनादेश संख्या 1810-नौ-2-96-57(2)/96 नगर वकास अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 08-01-1997 के अनुसार जलापूर्ति ब्ययों में हो रही वृद् ध को दृष्टिगत रखते हुए निगम द्वारा उपनि ध बनाकर रुपये 75=00 प्रतिमाह प्रतिसंयोजन घरेलू एवं रुपये 300=00 प्रति माह प्रतिसंयोजन गैर घरेलू (व्यवसायिक) संयोजनों पर लागू कया जाना चाहिए था। कन्तुशासनादेशानुसार नगर निगम द्वारा कोई कार्यवाही नही की गयी थी। जिससे जलमूल्य की धनरा श आरो पत करके वसूल नही की जा रही थी। निगम द्वारा जलमूल्य आरो पत न कये जाने

के कारण निगम को लगातार आ र्थक क्षति हो रही थी। गत एवं वगत वर्षों से लगातार आप त्त उठाये जाने के बावजूद नगर निगम के उच्चा धकारियों द्वारा जलमूल्य आरो पत कर वसूली कये जाने हेतु कोई कार्यवाही नही की गयी थी। जिससे नगर निगम को लगातार आ र्थक क्षति हो रही थी। निगम में जल कनेक्शनों से सम्बन्धित कोई अ भलेख अनुर क्षत नही कये गये थे जब क जल कनेक्शनों की पंजी अनुर क्षत करके नम्बर आवंटित कया जाना चाहिए था। निगम द्वार जल संयोजनो की पंजी अनुर क्षत नही की गयी थी। जिससे यह स्पष्ट नही हो सका क नगरम अथवा जल निगम द्वारा कतने जल संयोजन कहां-कहां कये गये थे। बार-बार मौ खक एवं अ धयाचन संख्या 13 दिनांक 4-2-22, 37 दिनांक 25-4-22, 42 दिनांक 9-5-22 एवं 52 दिनांक 18-6-2022 निर्गत कये जाने के बावजूद निगम द्वारा जल संयोजन पंजी सम्परीक्षार्थ प्रस्तुत नही की गयी थी। मात्र कम्प्यूटर द्वार सादे पेपर पर टं कत सूचना प्रस्तुत की गयी जिसमें मार्च 2021 में जल संयोजित भवनो की संख्या 2,66,670 प्रद र्शत थी कन्तु इसमें यह स्पष्ट नही था क कतने संयोजन घरेलू थे अथवा कतने संयोजन गैर घरेलू(व्यावसायिक) थे। यदि उक्त प्रस्तुत सूचना को आधार मानकर कुल जल कनेक्शनों की संख्या 266670 में से 10% गैर घरेलू कनेक्शन तथा 90% घरेलू कनेक्शन मान लया जाय तो आलोच्य अव ध में गैर घरेलू(व्यवसायिक) कनेक्शनों से 26667×300×12=9600120O एवं घरेलू कनेक्शनों से 240003×12×75=216002700 कुल रूपये 312003900=00 जल मूल्य आरो पत कर वसूल कया जाना चाहिये थे।

<u>137. शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य से कम वसूली कया जाना अनिय मत एवं आप त्तजनक रुपये 3883.22 लाख :-</u>

आलोच्य अव ध की सम्परीक्षा में नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये सम्प त्तकर वसूली के ववरण के अनुसार व त्तय वर्ष 2020-21 में शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष जोनवार निम्नां कत ववरणानुसार रुपये 3883.22 लाख कम वसूली की गयी थी जो अनिय मत एवं आप त्तजनक था तथा नगर निगम को आ र्थक क्षति हो रही थी। उक्त ववरण से स्पष्ट था क निगम द्वारा शासन द्वारा सम्प त्त कर की वसूली हेतु व भन्न जोनो हेतु निर्धारित कुल लक्ष्य रुपये 18358.98 लाख के सापेक्ष कुल वसूली वर्षान्तर्गत रुपये 14520.76 लाख थी। जो रुपये 3883.22(18358.98-14520.76) लाख कम थी। जिसमें स्पष्ट था क निगम द्वारा शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सार्थक प्रयास नही कये गये थे। यह स्थिति निगम की वसूली हेतु उदा सनता का द्योतक है। अतएव समप्ति कर वसूली हेतु शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त न कये जाने के सम्बन्ध में सम्परीक्षा के स्थिति स्पष्ट कराया जाना अपे क्षत है। निगम द्वारा प्रस्तुत की गयी सम्प त्त कर शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य एवं वसूली का जोनवार ववरण निम्नवत है।

क्रम	जोन का नाम	वत्तीय वर्ष 2020-21 में शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य(लाख रु0 में)	वत्तीय वर्ष 2020-21 में 1-4-20 से 31-3-21 तक कुल वसूली का ववरण
1	वजयनगर जोन	1348.08	1037.48
2	मोहननगर जोन	2616.34	2048.49
3	कबीरनगर जोन	3190.81	3154.89
4	सटी जोन	3614.56	2513.66
5	वसुन्धरा जोन	7589.19	5766.24
	योग	18358.98	14520.76

138. 31 मार्च 2020 को गृहकर, जलकर एवं सीवर कर की प्रद र्शत वास्त वक बकाया की धनरा श को 1 अप्रैल 2021 को कम करके प्रद र्शत कये जाने से नगर निगम को आ र्थक क्षति रुपये 856372101=00 :-

आलोच्य अव ध की सम्परीक्षा में बार-बार मौ खक एवं अ धयाचन संख्या-13 दिनांक 4-2-22, 37 दिनांक 25-4-22, 42 दिनांक 9-5-22, 52 दिनांक 18-6-22, 64 दिनांक 3-8-22 एवं 72 दिनांक 29-8-22 द्वारा मांग कये जाने के बावजूद निगम द्वारा गृहकर, जलकर एवं सीवर कर इत्यादि समस्त कर/करेत्तर आय की मांग समाहरण पंजी सम्परीक्षार्थ प्रस्तुत नही की गयी। निगम द्वारा मात्र गृहकर, जलकर एवं सीवरकर की वर्ष 2019-20, वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-21 (सतम्बर इक्कीस तक) के कम्प्यूटरीकृत आकड़ो की छायाप्रति सम्परीक्षा में प्रस्तुत की गयी(संलग्न परि शष्ट-2) प्रस्तुत आकड़ो की समीक्षा से प्रकाश में आया क नगर निगम द्वारा दिनांक 31 मार्च 2020 को प्रद र्शत वास्त वक इतिशेष की धनरा श को दिनांक 1 अप्रैल 2020 को प्रारम्भिक शेष के रुप में कम करके अं कत कये जाने से निम्नां कत ववरणानुसार रुपये 85,63,72101=00 की आ र्थक क्षति नगर निगम को हुई थी। वास्त वक बकाया की धनरा श को कम अग्रेनीत कये जाने का कोई आधार सम्परीक्षा में स्पष्ट नही कया गया था जिससे उक्त धनरा श के दुरूपयोग कये जाने की प्रबल सम्भावना थी। ववरण निम्नवत है।

क्र0सं0	मद का नाम	31 मार्च 2020 को अं कत धनरा श	1 अप्रैल 2020 को अं कत धनरा श	अन्तर की धनरा श
1	गृहकर	728647997	326898756	401749241
2	जलकर	431021128	30777222	400243906
3	सीवर कर	60501368	6122414	54378954

				योग	85,63,72101

अतएव इतनी अ धक धनरा श कम अग्रेनीत कये जाने के सम्बन्ध में सम्परीक्षा में स्थिति स्पष्ट कराये जाने हेतु उक्त मदों की मांग समाहरण पंजी अद्याव धक तैयार एवं सत्या पत कराकर सम्परीक्षा में प्रस्तुत की जाए अन्यथा स्थिति में उक्तानुसार निगम को पहुचायी गयी क्षति के लए उत्तरदायी कर्मचारी/अ धकारी के वरूद्ध कार्यवाही कये जाने के सम्बन्ध में निगम के उच्चा धकारियों का ध्यान आकृष्ट कया जाता है।

139. ववादित एवं न वसूली योग्य मांग के रूप में अत्या धक भारी अं कत कर मांग एवं बकाया को घटाया जाना अनिय मत एवं आप त्तजनक तथा निगम को आ र्थक क्षति रूपये 51,6620034=00 :-

आलोच्य अव ध की सम्परीक्षा में बार-बार मौ खक एवं अ धयाचन संख्या-13 दिनांक 4-2-22, 37 दिनांक 25-4-22, 42 दिनांक 9-5-22, 52 दिनांक 18-6-22, 64 दिनांक 3-8-22 एवं 72 दिनांक 29-8-22 द्वारा मांग कये जाने के बावजूद निगम द्वारा कर/करेत्तर राजस्व की मांग-समाहरण पंजिया सम्परीक्षा प्रस्तुत नही की गयी। निगम द्वारा मात्र गृहकर, जलकर एवं सीवर कर की वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 (सतम्बर-21 तक) तक की मांग समाहरण की कम्प्यूटरीकृत ऑकड़ो की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी। प्रस्तुत छायाप्रतिऑकड़ो (संलग्न परि शष्ट) की समीक्षा के समय प्रकाश में आया क निगम द्वारा निम्नां कत ववरणानुसार भारी धनरा श रुपये 51,66,20,034=00 ववादित एवं न वसूली योग्य प्रद र्शत कर मांग एवं बकाया से घटायी गयी थी। यह गम्भीर रुप से अनिय मत एवं आप त्तजनक था तथा निगम को आ र्थक क्षति का प्रकरण था। उक्त धनरा श के दुरुपयोग होने की सम्भावना से इनकार नही कया जा सकता। अतएव उक्त ऑकड़ो की पुष्टि अद्यावा धक मांग-समाहरण पंजी तैयार एवं सत्या पत कराकर करायी जाय अन्यथा स्थिति में उक्त हेतु उत्तरदायी अ धकारी/कर्मचारी के वरूद्ध कार्यवाही कये जाने हेतु संस्था के उच्चा धकारियो का ध्यान आकृष्ट कया जाता है। ववरण निम्न ल खत है-

क्रम	मद का नाम	1 अप्रैल 2020 को प्रद र्शत ववादित एवं न वसूली योग्य धनरा श	वर्ष 20-21 की मांग में ववादित एवं न वसूली योग्य धनरा श	31 मार्च 2021 को प्रद र्शत ववादित एवं न वसूली योग्य धनरा श
1	गृहकर	244017881	67243822	311261703
2	जलकर	97818746	19037490	116856236

3	सीवरकर	68958691	19543404	88502095
			योग	516620034

उक्त से स्पष्ट होता है क भारी धनरा श पहले मांग में सम्मि लत की जाती है एवं बाद में उसे ववादित एवं न वसूली योग्य दिखाकर बकाया एवं मांग से घटाया जाता है। अतएव उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जाए।

140. निगम की दुकानो मकानो से सम्बन्धित वार्ड लाज एवं कराया पंजी सम्परीक्षा में अप्रस्तुत रहनो अनिय मत तथा दुकान करायो की भारी धनरा श बकाया रहने से निगम को आ र्थक क्षति रुपये 1,33,44216=00 :-

आलोच्य अव ध की सम्परीक्षा में बार-बार मौ खक एवं अ धयाचन संख्या 94/2021 दिनांक 14-09-2022 एवं 132/20-21 दिनांक 17-10-2022 निर्गत कर मांग कये जाने के बावजूद निगम द्वारा दुकान/मकान कराया पंजी एवं तत्सम्बन्धी बाइलाज/नियमावली आदि अ भलेख सम्परीक्षार्थ प्रस्तुत नही कये गये सम्परीक्षा में अवगत कराया गया क उक्त से सम्बन्धित कोई बाइलाज निगम द्वारा नही बनाया गया है। बाइलाज के अभाव में दुकानों के कराये का निर्धारण एवं वृद् ध कया जाना कैसे सम्भव हो पा रहा था सम्परीक्षा में स्पष्ट कया जाय। जोनो में स्थित दुकानों के कराये से सम्बन्धित निगम एवं करायेदार के मध्य हुए अनुबन्ध पत्र नियम एवं शर्तें मांगे जाने पर उपलब्ध नही कराये गये। स्टाम्प पेपर पर अनुबंध न होने की दशा में राजस्व के क्षति की पूर्ण सम्भावना थी यह स्थित नगर निगम के वतीय एवं व धक हितो के सर्वथा प्रतिकूल थी। अतएव नगर निगम के उच्चा धकारियों का ध्यान वशेष रूप से इस ओर आकृष्ट कया जाता है क दुकान/मकान कराया से सम्बन्धित कराया पंजी, सम्प त्त पंजी, अनुबंध पत्र आदि अ भलेख सम्परीक्षा में आगामी अवसर पर प्रस्तुत कर आवश्यक जांच करायी जाय।

बार-बार मांग कये जाने पर सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा दुकान कराये से सम्बन्धित वर्ष 2020-21 की मांग वसूली एवं बकाया का वा र्षक समे कत ववरण (संलग्न परि शष्ट-) कम्प्यूटर से तैयार कर उपलब्ध कराया गया जिसके अनुसार 31 मार्च 2021 को दुकान कराये की भारी धनरा श रुपये 1,33,44216=00 वसूली हेतु बकाया थी जिससे नगर निगम को आ र्थक क्षति हो रही थी अतएव बकाया वसूली कराये जाने हेतु आवश्यक/प्रभावी कार्यवाही कये जाने के लए निगम के उच्चा धकारियों का ध्यान वशेष रुप से आकृष्ट कया जाता है।

दुकान कराये में वृद् ध से सम्बन्धित जानकारी मांगे जाने पर बताया गया क वगत कई वर्षों में दुकान कराये में वृद् ध नही की गयी है। जिससे निगम को क्षति सम्भा वत थी। अतएव बाजार दर पर सर्वेक्षण कराकर दुकान कराये में वृद् ध कराये जाने हेतु नगर निगम के उच्चा धकारियों का ध्यान वशेष रुप से आकृष्ट कया जाता है।

गाजियाबाद नगर निगम सीमान्तर्गत दुकानों की वसूली का ववरण

मांग (2020-21)	बकाया दिनांक- 31.03.2020	कुल योग	वसूली दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 31.03.2021	बकाया दिनांक 31.03.2021 को
1	2	3 (1+2)	4	5 (3-4)
7775392	17384552	25159944	11815728	13344216

141- नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत शासनादेशानुसार लाइसेन्स न बनाये जाने के कारण आ र्थक क्षति रुपया 1,03,96000=00 :-

नगर निगम अ धनियम की धारा-452 के अधीन एवं समय-समय पर बनायी गयी व धयों के अन्तर्गत व्यवसायिक गति व धयों हेतु लाइसेन्स शुल्क लगाने एवं वसूल करने हेतु प्रावधान कये गये थे। उत्तर प्रदेश शासन के वा णज्य लाइसेन्स के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या-161-सी0एम0/ नौ-9-9-97-23 ज/97 दिनांक 16 दिसम्बर 1997 नगर वकास अनुभाग-9 लखनऊ द्वारा लाइसेन्स शुल्क की दरें निर्धारित की गयी थी।

नगर निगम की सम्परीक्षा के समय प्रकाश में आया क नगर आयुक्त द्वारा लाइसेन्स बनाने का कार्य सम्बन्धित जोन कार्यालयों को दिया गया था क कर निरीक्षक निर्धारित लाइसेन्स शुल्क प्राप्त कर लाइसेन्स प्रदान करने एवं पुराने लाइसेन्सों का नवीनीकरण का कार्य करने के उपरान्त निर्धारित 39 मदों पर लये गये लाइसेन्स शुल्क, नवीनीकरण शुल्क तथा वलम्ब शुल्क प्राप्त करके सम्बन्धित लेखा शीर्षक में जमा कराये तथा उसकी सूचना मुख्यालय प्रे षत करेंगे। सम्परीक्षा के समय प्रकाश में आया क सम्बन्धित जोन कार्यालयो द्वारा या तो लाइसेन्स बनाये ही नही गये थे अथवा नाम मात्र के बनाये गये थे।

जिस कारण नगर निगम को निम्न ल खत ववरणानुसार भारी आ र्थक क्षति हुयी थी। सभी निर्धारित 39 मदों के लाइसेन्स न बनाया जाना एक गम्भीर प्रकरण है। तथा नगर निगम के वत्तीय हितो के सर्वथा प्रतिकूल है। शासन द्वारा समय-समय पर स्थानीय निकायों से अपनी स्वयं के श्रोतो से आय बढ़ाये जाने की दिशा में नगर निगम द्वारा कोई प्रयास परिल क्षत नही होता।

वर्ष 2020-21 में नगर निगम की व भन्न जोनो के बनाये गये लाइसेन्सो की सूचना से स्पष्ट था क निगम द्वारा कुछ मदो के लाइसेन्स बनाये ही नही गये थे एवं कुछ मदों हेतु उपलब्ध संख्या से बहुत कम लाइसेन्स बनाये गये थे। यह स्थिति असन्तोष जनक थी। सभी 39 मदों हेतु उपलब्ध

क्रम	मद का नाम	उपलब्ध व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की संख्या	बनाये गये लाइसेन्सों की संख्या	न बनाये गये लाइसेन्सों की संख्या	शासनादेशानुसार लाइसेन्स फीस की दर	आर्थिक क्षति

व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लाइसेन्स बनाकर निगम की आय में वृद्धि कया जाना अपेक्षित है। नगर निगम की सीमा में स्थित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की संख्या जो वर्ष 2017-18 में थी, में 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि की जाय एवं नगर निगम द्वारा दिये गये नोटिसो के आधार पर उपलब्ध संस्थानो/प्रतिष्ठानो का आगणन कया जाय तो निम्नवत आर्थिक क्षति हुई थी।

1	बीयर शॉप,देशी शराब	289	73	216	6000	1296000
2	वदेशी शराब	93	35	58	12000	696000
3	प्राइवेट अस्पताल(20 बेड तक)	197	0	197	5000	985000
4	प्राइवेट अस्पताल(20 बेड से 50 बेड तक)	115	0	115	5000	575000
5	प्राइवेट अस्पताल(50 बेड से ऊपर)	46	0	46	5000	230000
6	न र्संग होम (20 बेड तक)	98	50	48	2000	96000
7	न र्संग होम (20 से 50 बेड तक)	15	6	9	5000	45000
8	न र्संग होम (50 से अ धक बेड)	96	8	88	5000	440000
9	प्राइवेट क्लीनिक,डेन्टल	1521	83	1438	3000	4314000
10	पैथालॉजी	244	14	230	1000	230000
11	एक्सरे,अल्ट्रासाउण्ड,डाईग्नोस्टिक सेन्टर,ब्लडबैंक	726	10	716	2000	1432000
12	यूनानी,आयुर्वेदिक,होम्योपै थक	24	5	19	3000	57000
					योग	1,03,96000

यहां यह भी उल्लेखनीय है क उक्त शासनादेश में उल्लि खत अन्य मदों यथा आटो रिक्शा, मनी बस, बस, रिक्शा ठेला, ठेली, हाथ ठेला, ट्राली फाइनेन्स कम्पनी, चटफण्ड कम्पनी, इंश्योरेंश कम्पनी, आइस फैक्ट्री, बिल्डर्स, मांस की दुकाने, पशुबन्धशाला, हड्डी खाल गोदाम, पशुपालन आदि बहुत भारी मात्रा में नगर निगम सीमान्तर्गत दुकाने थी कन्तु नगर निगम द्वारा न तो कभी इनकी गणना करायी गयी और न ही लाइसेन्स बनाये जाने हेतु कोई सार्थक प्रयास कये गये यहां तक नगर निगम द्वारा जिन व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कये गये थे उनके भी

लाइसेन्स नही बनाये गये थे। उक्त स्थिति असन्तोषजनक एवं उदा सनता की द्योतक थी तथा नगर निगम के आ र्थक हितो के सर्वथा प्रतिकूल थी। अतएव नगर निगम द्वारा ब्यापक सर्वेक्षण कराकर शासनादेश में उल्लि खत मदों के लाइसेन्स बनाये जाने की प्र क्रया अपनाये जाने हेतु प्रयास वांछित है।

नगर निगम के सभी जोनो द्वारा शासनादेश के अनुपालन में सभी व्यवसायिक संस्थानो पर लाइसेन्स शुल्क आरो पत न कराये जाने के कारण नगर निगम को आ र्थक क्षति हो रही थी। तथा उक्त स्थिति नगर निगम के आ र्थक हितो के नितान्त/सर्वथा प्रतिकूकॉल थी। उक्त क्षति की गणना मात्र नगर निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओ के आधार पर आग णत की गयी है। यदि निगम द्वारा ब्यापक सर्वेक्षण कराया जाय तो नगर निगम की लाइसेन्स मद की आय में कई गुना वृद् ध हो सकती है। अतएव नगर निगम के उच्चा धकारियों का ध्यान इस ओर वशेष रुप से आकृष्ट कया जाता है क नगर निगम की सीमान्तर्गतअवस्थित व्यवसायिक संस्थानो हेतु शासनादेश में व र्णत 39 मदों का सर्वे कराकर इन पर लाइसेन्स शुल्क आरो पत कर वसूली कराये जाने हेतु प्रभावी/आवश्यक कार्यवाही कया जाय।

<u>142. नगर निगम के व भन्न जोनो में करो एवं राजस्व की आउटडोर कलेक्शन न कया जाना अनिय मत एवं वत्तीय हितो के प्रतिकूल :-</u>

नगर निगम के समस्त जोनो में करो एवं राजस्व की वसूली से सम्बन्धित सम्परीक्षा कये जाने पर प्रकाश में आया क जोनो में मात्र आनलाइन एवं काउन्टर पर ही कर दाताओं द्वारा स्वयं आकर करो को जमा कया जाता था। जोन में स्थित क र्मयों द्वारा आउटडोर कलेक्शन या तो वल्कुल नही था या नाम मात्र का था यह स्थिति नगर निगम की राजस्व वसूली के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रतिकूल थी। इससे क ओर जहाँ निगम की राजस्व की वसूली कम हो रही थी वही दूसरी ओर आउटडोर कलेक्शन न होने के कारण करदाताओं में करो को समय से जमा न करने की प्रवृ त्त को भी बल मल रहा था। अतएव व भन्न जोनों में आउटडोर कलेक्शन बढ़ाये जाने हेतु नगर निगम के उच्चा धकारियों का ध्यान वशेष रुप से आकृष्ट कया जाता है।

<u>143. आलोच्य अव ध में पा र्कंग शुल्क एवं वज्ञापन शुल्क/कर से कम आय प्राप्त होने नगर निगम को आ र्थक क्षति क्रमशः रुपये 27371759 एवं रुपये 38173698 कुल रुपये 65545457=00 :-</u>

आलोच्य अव ध की सम्परीक्षा में बार-बार मौ खक एवं अ धयाचन संख्या 94/2020-21 एवं 132/20-21 दिनांक 17-10-2022 निर्गत कये जाने के बावजूद निगम द्वारा पा र्कंग शुल्क एवं वज्ञापन कर/शुल्क के ठेके से सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नही की गयी जिससे यह ज्ञात नही हो सका क उक्त मदो से आलोच्य अव ध में नगर निगम को कतनी आय प्राप्त की जानी चाहिए थी। आलोच्य अव ध में वज्ञापन कर/शुल्क के रुप में रुपये 8089487 एवं वज्ञापन शुल्क के रुप

में रुपये 2296694 कुल रुपये 1,03,86181 की आय रोकड़ बही एवं क्ला सफायड रजिस्टर तथा बजट के अनुसार प्राप्त थी। जब क गत- वगत वर्षो की सम्परीक्षा आख्या की समीक्षा के समय प्रकाश में आया क वर्ष 2018-19 में पा कंग शुल्क के रुप में रुपये 2,24,33613 एवं वज्ञापन कर/शुल्क के रुप में रुपये 3,49,81,614 की आय प्राप्त की गयी थी। शासनादेश संख्या343/नौ-99-78ज-97 दिनांक 15-04-1997 के अनुसार नगर निकायो का अपनी आय में वृद् ध हेतु ठेक की मद में 15% प्रतिवर्ष की वृद् ध करते हुए ठेका उठाया जाना चाहिए था जिसके अनुरुप यदि 15% की उत्तरोत्तर वृद् ध करते हुए वर्ष 2018-19 में प्राप्त आय पर गणना की जाय तो वर्ष 2020-21 में पा कंग शुल्क के रुप में रूपये 46263185=00 की न्यूनतम आय आलोच्य अव ध वर्ष 2020-21 हेतु प्राप्त की जानी चाहिए थी। जब क आलोच्य अव ध में मात्र पा कंग शुल्क के रूप में रुपये 2296694 एवं वज्ञापन कर/शुल्क के रुप में रूपये 8089487 की आय प्राप्त की गयी थी। उक्त से स्पष्ट था क आलोच्य अव ध में पा कंग शुल्क के रूप में रूपये 27371759 (29668453 - 2296694) एवं वज्ञापन कर/शुल्क के रूप में रूपये 38173698 (46263185 - 8089487) कुल रूपये 65545457 (27371759 + 38173698) की आय कम प्राप्त की गयी थी जिससे नगर निगम को आ र्थक क्षति हुयी थी।

अतएव उक्त के सम्बन्ध में सम्परीक्षा में स्थिति स्पष्ट करायी जाय अन्यथा स्थिति में उत्तरदायी अ धकारियों/कर्मचारियों के वरूद्ध प्रभावी/आवश्यक कार्यवाही कये जाने हेतु नगर निगम के उच्चा धकारियों का ध्यान वशेष रूप से आकृष्ट कया जाता है।

144. <u>रू 202514.**00** सम्प त कर कम निर्धारित कया जाना आप त्तजनकः-</u>

क व नगर जोन की निर्धारण पत्रावली की जाँच में आया क सी0 पी0 की मेसन ली बाय चन्दर मोहन तिलकराक भवन सं0 आर-9/179 राजनगर सं0- 9 को दिनांक 20-04-2019 को सम्प त कर बिल सं0 1920 KN17679 वर्ष 2019-20 तक का रु 95439.00 क व नगर जोन द्वारा वल भेजा गया था। दिनांक 20-03-2020 को भवन स्वामी द्वारा जोन कार्यालय क वनगर को प्रार्थना पत्र दिया गया क मेरे मकान पर वर्ष 2019-20 में रु 15886.00 सम्प त्त कर लगाया गया है। जो अ धक है। मेरे भवन में दो कमरे और एक कचन है जिसका क्षेत्रफल 900 वर्ग फीट है।

दिनांक 20-03-2020 को कर अ धक्षक द्वारा आर0 आई0 टी0 आई0 को निर्दे शत कया क स्थलीय निरीक्षण कर आख्या दे। निरीक्षण रिपोर्ट (दिनांक अं कत नही) में दिया गया क भवन में एक कमरा, एक कचन व टायलेट है जिसका कवर्ड एरिया 700 वर्ग फुट है। (शेष प्लाट खाली है) के आधार पर दिनांक 24-02-2021 की गयी गणना के अनुसार रु0 19169.00 का सम्प त्त कर वर्ष 2020-21 तक न्न प्रकार आक लत कया गया था।

700 वर्ग फीटX1.14X1.2=9576(9600)

9600×24% =2304.00

वर्ष	सम्प त कर
2014-15	2304.00
2015-16	2304.00
2016-17	2304.00
2017-18	2304.00
2018-19	2304.00
योग	11520.00
2019-20	2304+13824 (बकाया व्याज सहित)= 16128
2020-21	2304+16865 (बकाया व्याज सहित)=19169.00

दिनांक 23-2-2021 को भवन स्वामी द्वारा रसीद सं0 - KNIF/0226102148499 द्वारा रु 19168.00 जमा कया गया था पत्रावली में संलगन लेख के अनुसार भवन पर निम्न प्रकार सम्प त कर लगाया गया थाः-

2014-15	12504.00
2015-16	13754.40
2016-17	14442.24
2017-18	14442.24
2018-19	15886.32
2019-20	24409.32
2020-21	26316.19
योग	121755.21

दिनांक 19-1-2012 को भवन स्वामी पक्ष में की गयी रजिस्ट्री के अनुसार भवन सं0- आर0 9/179 क्षेत्रपल 1050 वर्ग यानि 877.905 वर्ग मी0 है। जिसमें ग्राउन्ड फ्लोर पर एक ड्राईगं रुम, 6 बैडरूम, एक कचन, चार टायलेट, दो स्टोर, एक ड्रेस रुम व जीना बना है जिसका कवर्ड एरिया 448.24 वर्ग मी है व फस्ट फ्लोर पर एक ड्राइंग रुम कम डायनिंग रुम, चार बैड रुम, एक कचन, दो स्टोर, एक ड्रेस रुम,एक जीना बना है जिसका कवर्ड एरिया 413.45 वर्ग मी है व सेकन्ड फ्लोर पर एक कमरा व गुमटी बनी है जिसका कवर्ड एरिया 34.8 वर्ग मी है। कुल कवर्ड एरिया 896.49

वर्ग मी0 आप त 9646 वर्ग फीट है दिखाया गयी था। रजिस्ट्री में अंकत कुल कवर्ड एरिया 9646 वर्ग फीट के अनुसार सम्पनिन कर की गणना-

9646X1.14X12=131957 ए0 आर0 वी0

131957X24%= 31669.00 वार्षक

वर्ष 2014-15 से 2020-21 तक 7 वर्षों हेतचु रु0 221683.00 ब्याज रहित सम्प त कर भी गणना कया जाना था। वर्ष 2014-15 से 2020-21 तक रु0 19169.00 सम्प त की कर गणना कया जाना सम्परीक्षा की दृष्टि से उचत नही था। इसकी वभागीय जाँच कराकर स्ति थ स्पष्ट की जाय। और रु0 202514.00 (221683-19169) सम्प त कर कम आकलत कये जाने का औ चत्य स्पष्ट कया जाय।

145. <u>138933.00+18617.00=120316.00 कम कर निर्धारण कया जाना आप त्तजनकः</u>

मोहन नगर जोन की कर निर्धारण पत्रावली की जाँच से प्रकाश में आया क श्री भारत संघल पु0 श्री0 डी0 के गुप्ता, 3/34 साईट-2 लोनी रोड इन्डस्ट्रीयल एरिया मोहन नगर गाजियाबाद, भू म का कुल क्षेत्रफल 392.22 वर्ग मी0 (4220 वर्ग फुट) या सम्प त 40 फीट रोड पर स्था पत थी। भवन का आच्छादित क्षेत्रफल= बेसमेंट + ग्राउन्ड फ्लोर + प्रथम तल + द् वतीय तल 1/2 आर0 सी0 सी0 = 9500 वर्ग फुट, खुली भू म का क्षेत्रफल = 1820 वर्ग फीट प्रपत्र- 'घ' अनावासीय भवनों के सम्बन्ध में सम्प त कर निर्धारण प्रपत्र में अंकत कया गया था। जिसके अनुसार सम्प त कर निम्नानुसार निर्धारित कया गया था।-

आर0 सी0 सी0 नि र्मत	9500X.76X12X3	259920.00
खुली भू म	1820X.25X12X3	16380.00
योग		276300.00

दिनांक 01.04.2020 से 276300 ए0 आर0 वी0 पर रू0 66312 (2,76,300X24%) सम्प त कर निर्धारित कया गया था।

दिनांक 01-04-2018 से प्रभावी स्वःकर निर्धारण की स्वीकृत दरों के नियमानुसार सम्प त कर का निर्धारण=

आर0 सी0 सी0 नि र्मत	9500X.96X12X3 =328320.00
खुली भू म	1820X.39X12X3 =353873X24%
योग	84929.00

सम्प त्त कर रू 84929.00 वा र्षक आक लत कया जाना चाहिए था। सम्प त्त को 12 मी0 से कम चौडी सड़क पर स्थित दिया गया था। जब क रजिस्ट्री के अनुसार सम्प त्त 40 फीट अर्थात 12 मी0 चौड़ी सड़क पर स्थित थी इस प्रकार रू 18617 (84929-66312) सम्प त्त कर कम निर्धारित कया गया था। रू 18617.00 सम्प त्त कर कम निर्धारित करने का आधार स्पष्ट कया जाय। पत्रावली में अनुर क्षत अ भलेखो से यह ज्ञान नही हो सका क भवन स्वामी को कतनी धनरा श का सम्प त्त कर बिल जारी कया गया था व भवन स्वामी द्वारा कतना सम्प त्त कर जमा कया गया था पत्रावली में निम्न ल खत अनिय मतताएं प्रकाश में आयी।

(1) पत्रावली में सम्प त्त कर की गणना दिनांक 01-04-02020 से की गयी थी। जब क सम्प त्त की रजिस्ट्री दिनांक 05-11-2018 से 31-03-2020 तक का सम्प त्त कर की गणना न कये जाने का आचार स्पष्ट कया जाय। दिनांक 01-04-2020 से पूर्ण सम्प त्त कर की गणना की कार्यवाही की आख्या व जमा का ववरण पत्रावली में नही था। दिनांक05-11-2018 से 31-03-2020 तक सम्प त्त कर रु 120316.00 (84929+35387(84929X5/12) की गणना कर भवन स्वामी से जमा न कराये जाने का आधार कया जाया अन्यथा स्थिति मे रु 120316.00 सम्प त्त कर भवन स्वामी से जमा कराया जाना अपे क्षत है।

146. <u>रु 2131.00 सम्प त्त कर कम निर्धारित कया जाना आप त्तजनकः</u>

क वनगर जोन की कर निर्धारण पत्रावली की जाँच से प्रकाश मे आया क श्रीमती शालू पत्नी श्री आशीष गुप्ता भवन सं0 -TDC-C-18B/SF-10A मोहल्ला- आ0 डी0 सी0 काम र्शयल(राजनगर) दुकान का कारपोरेट एरिया= 389.46 वर्ग फीट दर्शाया गया था सम्प त्त 24 मी0 से अ धक चौ0 वाले मार्ग पर अं कत की गयी थी, के अनुसार सम्प त्त कर की गणना निम्न प्रकार की गयी थी-

389.46 वर्ग फीटX1.14X5X12=26640

सम्प त्त कर = 6394.00 वा र्षक

सम्प त्त कर की गणना सम्प त्त के कवर्ड एरिया पर की गयी थी जब सम्प त्त का कवर्ड एरिया= 389.46 वर्ग फीट न होकर कारपोरेट एरिया =389.46 वर्ग फीट अं कत था। सम्प त्त कर कारपोरे एरिया के स्थान पर कवर्ड एरिया दर्शाकर लगाये जाने से रु 4260.00 कम सम्प त्त कर लगाया गया था-

389.46X1.90X5X12=44399 ए0 आर0 वी0 X80%=35519

2131.00=(8525-6394) कम सम्प त्त कर निर्धारित कये जाने का आधार स्पष्ट कया जाय अन्यथा स्थिति मे रु 2131.00 सम्प त्त कर भवन स्वामी से वसूल कया जाना अपे क्षत है।

147. सम्प त कर की गणना 01-04-2017 के स्थान पर 01-04-2020 से कये जाने से नगर निगम को आ थक क्षति रुपये 58587.00:

आलोच्य अव ध की सम्परीक्षा कें प्रस्तुत वसुन्धरा जोन की सम्प त कर निर्धारण पत्रावली की जाँच के समय प्रकाश में आया क श्रीमती वर्षा अग्रवाल के नाम से 100 फीट रोड पर 66 वर्ग मी0 भवन/फ्लैट नं0 332/ UGF-4 नीति खण्ड-2 इंदिरा पुरम की रजिस्ट्री दिनांक 22 दिसम्बर 2017 को आवासीय भवन के रूप में की गयी थी जब क उक्त भवन पर सम्प त कर की गणना व्यवसायिक दर से दिनांक 01-04-2020 से की गयी थी जो निम्नवत थीः-

710 F2X1.91X12X5=81366 ए0 आर0 वी0

गृहकर	81366X10% =	8137
जलकर	81366X10% =	8137
सीवर कर	81366X4% =	3255
योग		19529

इस प्रकार सम्प त कर की गणना 01-04-2020 से प्रभावी कये जाने के सम्बन्ध में पत्रावली में स्थिति स्पष्ट नही की गयी थी उक्त गणना 01-04-2020 से व्यवसायिक दर से क्यों की गयी थी से सम्बन्धित टिप्पणी/अ भलेख पत्रावली के संलग्न नही था जिससे स्पष्ट था क उक्त गणना दिनांक 01-04-2017 से प्रभावी की जानी चाहिए थी। इस प्रकार 01-04-2017 से 31-03-2020 तक की सम्प त कर की गणना न कये जाने निगम को रु 19529*3=58587 की क्षति हुयी थी। अतएव 01-04-2017 के स्थाप पर 01-04-2020 से सम्प त कर की गणना कये जाने के सम्बन्ध के सम्परीक्षा में आगामी अवसर पर स्थिति स्पष्ट करायी जाय अन्यथा स्थिति के उक्तानुसार निगम को हुयी आ थक क्षति रुपये 58587 की प्रतिपूर्ती कराये जाने हेतु प्रभानी/आवश्यक कार्यवाही कये जाने के लए निगम के उच्चा धकारियों का ध्यान वशेष रूप से आकृष्ट कया जाता है।

148. सम्प त कर की गणना कम दर से कये जाने के कारण निगम को आ थक क्षति रुपये 6900.00 प्रतिवर्षः

आलोच्य अव ध की सम्परीक्षा में वसुन्धरा जोन में प्रस्तुत की गयी व्यवसायिक सम्प तयों के कर निर्धारण पत्रावली की जाँच के समय प्रकाश में आया क भवन संख्या 1081 नीति खण्ड-1 इन्दिरा पुरम की रजिस्ट्री 04-03-2020 को श्री रितेश, मोहित, जयवीर, मुकेश एवं चन्दकर त्यागी

के नाम से की गयी थी उक्त भवन 120 फीट रोड पर अवस्थित था जिसको एरिया 347.69 वर्गमीटर थी। उक्त भवन की सम्प त कर की गणना निम्नवत की गयी थी।

गाटर पटिया	1872X1.02X12X5=	114566
टिन शेड	1872X.64X12X3	43131
योग		157697 ए0 आर0 वी0

भवन कर 10%	15770
जलकर 10%	15770
सीवर कर 4%	6308
योग	37848

जव क टिन शेड पर भी 5 गुणा की गणना कर ए0 आर0 वी0 निकाली जाना चाहिए थी जो निम्नवत होगी।

गाटर पटिया	1872X1.02X12X5=114566	114566
टिन शेड	1872X.64X12X5	71885
योग		186451 ए0 आर0 वी0

गृहकर	186451X10%	18645
जलकर	186451X10%	18645
सीवर कर	186451X4%	7458
योग		44748

इस प्रकार टिन शेड हेतु 5 गुणा की दर से गणना न कये जाने के कारण उपर्युक्तानुसार नगर निगम रुपये 6900 (44748-37848) की आ र्थक क्षति प्रतिवर्ष पहुँचायी जा रही थी।

अतयव उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जाय अन्यथा स्ति थ में अद्दाव धक हुयी आ र्थक क्षति की गणना कराकर प्रतिपर्ति कराये जाने हेतु प्रभावी/आवश्यक कार्यवाही कये जाने के लए निगम के उच्चा धकारियों का ध्यान वशेष रूप से आकृष्ट कया जाता है।

149. <u>सम्प त कर कम निर्धारित कया जाने से आ र्थक क्षति रुपये 31347.00</u>

आलोच्य अव ध की सम्परीक्षा में क वनगर जोन के भवन संख्या 58 गंगापुरम मेन रोड गाजियाबाद वार्ड-56 राम संह यादव पुत्र श्री खलाड़ी संह 228 वर्ग भूखण्ड निम्नवत सम्प त कर अग णत कया गया।

भवन का आच्छादित क्षेत्रफल	4905 वर्गफुट	4905X12X1.14	67100
दुकान	225 वर्गफुट	225X12X5X1.14	15390
योग			82490

मात्र भवनकर लगाया गया था 8249 रुपये

पत्रावली में उक्त भवन का निर्माण वर्ष 1-4-2019 द र्शत था ले कन भवन कर की गणना वत्तीय वर्ष 2020-21 हेतु की गयी थी। वर्ष 2019-20 हेतु गणना न कये जाने के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी अं कत नही की गयी थी। अतएव वर्ष 2019-20 में सम्प त कर की गणना न कये जाने से रुपये 8249 की नगर निगम को आ र्थक क्षति हुयी थी।

उक्त के सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है क निगम द्वारा उक्त सम्प त पर जलकर एवं सीवर कर की गणना नही की गयी थी और जलकर सीवर कर उपे क्षत न कये जाने सम्बन्धी कोई टिप्पणी की अं कत नही की गयी थी जिससे यह स्पष्ट होता है क उक्त क्षे0 में नगर निगम द्वारा बाहर सप्लाई एवं सीवर निस्तारण की सु वधा प्रदान नही की गयी है। अतएव जल आपूर्ति एवं सीवर निस्तारण की व्यवस्था उक्त क्षेत्र में न कये जाने सम्बन्धी अ भलेख/प्रकरण संलग्न/प्रस्तुत एवं अं कत कया जाय अन्यथा स्ति थ में जलकर एवं सीवर कर आरो पत न कये जाने से क्रमशः रुपये 8249 एवं रुपये 3300 नगर निगम की आ र्थक क्षति हुई थी।

इस प्रकार वर्ष 2019-20 हेतु कुल रुपये 19748 (84249+8249+3300) एवं वर्ष 2020-21 रुपये 11549 (8249+3300) कुल रुपये 31347 की आ र्थक क्षति हुई थी।

अतएव उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्परीक्षा स्थिति स्पष्ट करायी जाय अन्यथा स्थिति में उक्त क्षति रुपये 31347 की प्रतिपूर्ति कराये जाने हेतु प्रभावी एवं आवश्यक कार्यवाही कये जाने के लए निगम के उच्चा धकारियों का ध्यान आकृष्ट कया जाते है।

150. <u>सम्प त कर कम निर्धारित कये जाने के कारण निगम को आ र्थक क्षति रुपये 3610</u>

आलोच्च अव ध की सम्परीक्षा में मोहन नगर जोन के व्यावसायिक भवनो पर सम्प त कर निर्धारण सम्बन्धी प्रस्तुत की गयी पत्राव लयों की जाँच के समय प्रका श में आया क श्याम पार्क एक्शटेंशन भवन संख्या- A/95 शाप न0 -4 श्री मोतीलाल मश्र पुत्र श्री कैलाश चन्द्र मश्र एरिया 18.58 वर्ग मीटर 200 वर्ग फीट की रजिस्ट्री दिनाँक 18-11-2019 को की गयी थी जो 40 फुट 12 मीटर रोड पर अवस्थित थी जिस हेतु 12 मीटर से कम चौडी सड़क की दकर से निम्नवत ए0आर0वी0/सम्प त कर की गणना की गयसी थी जो 1-4-2020 से प्रभावी की गयी थी।

200×.77×12×5= 8000

सम्प त कर की गणना गृहकर- 8000×10/100	800
जलकर -8000×10/100	800
सीवर कर - 8000×10/100	320
योग	1920

जव क 12 मीटर से 24 मीटर की सड़क की दर पर गणना की जानी चाहिए

200×.96×12×5 =11520

गृहकर	1152
जलकर	1152
सवर कर	461
योग	2765

इस प्रकार रुपये 845 (2765-1920) सम्प त कम आग णत की गयी जिससे रु 845 प्रतिवर्ष की आ र्थक क्षति हो रखी थी।

उक्त भवन की रजिस्ट्री 18-11-2019 में होने के कारण वत्तीय वर्ष 2019-20 हेतु भी सम्प त्त कर की गणना की जानी चाहिए थी ले कन निगम द्वारा न तो वर्ष 2019-20 हेतु सम्प त आग णत न कये जाने के कारण रुपये 2765 की आ र्थक क्षति हुयी थी।

इस प्रकार वर्ष 2019-20 हेतु आगणन कये जाने के कारण रुपये 2765 एवं 12 मी से कम की दजर पर आग णत कये जाने से रु 845 कुल रुपये 3610 की आ र्थक क्षति हुयी थी।

अतएव उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्परीक्षा में स्थिति स्पष्ट करायी जाय अन्यथा स्थिति स्पष्ट करायी जाये अन्यथा स्थिति क 3610 एवं अद्दाव धक गणना कराकर हुयी क्षति की प्रतिपूर्ति कराये जाने हेतु नगर निगम के उच्चा धकारियों का ध्यान आकृष्ट कया जाता है।

151. <u>नगर निगम सीमान्तर्गत वद्दुत वभाग के ट्रान्सफार्मर एवं सब-स्टेशनों का उपयुक्त कराया निर्धारित करके वसूल न कया जाना नगर निगम के आ र्थक हितो के वपरित-</u>

निदेशक स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या -8/931-140 उ0प्र0 पावर कारपोरेशन/2017-18 दिनांक 17-7-2017 द्वारा ट्रान्सफार्मर एवं सब स्टेशनों का उपयुक्त कराया निर्धारित करके वद्दुत वभाग से वसूल कये जाने हेतु शा0सं406/नौ-9-1997-5-95/जनरल/96 दिनांक 10-2-1997 के प्रस्तर-6 में निम्न ल खत व्यवस्था अं कत है। इसका उल्लेख करते हुए, निर्दे शत कया गया था। शासन के अनुसार वद्दुत वभाग के ट्रान्सफार्मर्स और सब स्टेशनों का कराया स्थानीय निकायों को प्राप्त नही हो पा रहा है। यद्द प इण्डियन इलेक्ट्री सटी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार वद्दुत वभाग कसी भी स्थान वद्दुत खम्भा निःशुल्क लगाने का अ धकार रखता है, कन्तु ट्रान्सफार्मर और सब स्टेशनों के लए उनको एसी छूट अनुमन्य नही है। अतः आवश्यक है क स्थानीय निकाय अपनी सीमा में लगे समस्त वद्दुत ट्रान्सफार्मरों और सब स्टेशनों का उपयुक्त कराया निर्धारित करके वद्दुत वभाग से वसूल करे।

निदेशक के उपरोक्त निर्देशों के क्रम में नगर निगम द्वारा क्या कार्यवाही की गयी सम्परीक्षा में अस्पष्ट रहा। इस सम्बन्ध में कार्यवाही न कया जाना नगर निगम के आ र्थक हितो के सवर्था वपरीत था।

अतएव शासन एवं निदेशक स्थानीय निकाय के उपरोक्त निर्देशों के क्रम में नगर निगम गाजियाबाद द्वारा निगम समान्तर्गत स्था पत समस्त ट्रान्सफार्मरो सबस्टेशनों का उपयुक्त कराया निर्धारित कर वसूल कये जाने हेतु प्रभावी/आवश्यक कार्यवारी कये जाने के लए निगम के उच्चा धकारियों का ध्यान वशेष रुप से आकृष्ट कया जाता है।

152.<u>निगम में आन लाइन जमा कया गया गृहकर, जलकर एवं सीवर कर की धनरा श रुपये 1231656421.00 असत्या पत:</u>

न नगर निगम के बजट एवं रोकड़ वही तथा बनाये गये क्ला सफाइड रजिस्टर के अनुसार गृहकर रुपये 580932922.00, जलकर रुपये 445766431 एवं सीवर कर रुपये 204958068 कुल पुरये 1231656421.00 आनलाइन/मैनुअल प्राप्त हुए थे। कन्तु आनलाइन जमा धनरा श से सम्बन्धित निगम के पास कोई लेखा जोखा नही था। निगम के खातों आनलाइन सीधे धानरा श जमा की गयी थी कन्तु कस मद की कतनी धनरा श जमा की गयी थी का ववरण नही बना गया था. जमा योग्य सम्पूर्णधनरा श जमा की गयी अथवा नही स्पष्ट नही हो सका/ नगर निगम के समस्त जोनों द्वारा मांग वसूली पंजी पूर्ण नही की जा रही थी जिससे प्राप्त धनरा श की स्थिति अस्पष्ट थी।

आनलाइन जमा धनरा श का ववरण भवन स्वामी एवं मदवार बनाकर मांग वसूली पंजी में प्रवृष्टि करके सत्यापन कराया जाय। जिससे यह सुनिश्चित कया जा सके क जमा योग्य समस्त धनरा श जमा हो गयी थी अथवा नही। निगम द्वारा ऐसा अ भलेख अनुर क्षत नही रखा गया था जिससे यह सुनिश्चित कया जा सके क आनलाइन ट्रान्जैक्शन की समस्त धनरा श निगम को प्राप्त हो गयी थी। आनलाइन प्राप्त धनरा श की मांग वसूली पंजी में प्रवृष्टि कराकर भवन स्वा मयों पर बकाया धनरा श की नोटिस जारी करने के उपरान्त ही सुनिश्चित कया जा सकता है क आनलाइन की समस्त धनरा श निगम को प्राप्त हो गयी थी एवं कसी भी धनरा श का व्यहरण/लोप नही कया गया था।

अतएव आनलाइन जमा धनरा श को मांग वसूली पंजी में मदवार अं कत कराकर आनलाइन जमा धनरा श का सत्यापन कराये जाने एवं बकाया की गणना कये जाने हेतु नगर निगम के उच्चा धकारियों का ध्यान वशेष रुप से आकृष्ट कया जाता है।

153. <u>पा कंग शुल्क, वज्ञापन कर एवं तरणताल कराया मद से प्राप्त आय क्रमशः 2296694, 8089487 एवं 6110000 कुल रुपये 16496181 असत्या पत तथा तत्सम्बधी आलोच्च अव ध के ठेके की पत्रावली अप्रस्तुतः</u>

आलोच्च अव ध की सम्परीक्षा में रोकड़वही, वर्गीकृत सार पंजी एवं बजट की समीक्षा के समय प्रकाश में आया क वत्तीय वर्ष 2020-21 में पा कंन्ग शुल्क ठेके से रुपये 2296694, वज्ञापन कर ठेके से रुपये 8089487 एवं तरण ताल कराये की मद में रुपये 6110000 कुल रुपये 16496181 की आय प्राप्त दर्शायी गयी थी उक्त आय के सत्यापनार्थ आलोच्च अव ध में उठाये गये पा कंग ठेके से सम्बन्धित पत्रावली, वज्ञापन कर के ठेके से सम्बन्धित पत्रावली एवं तरणताल कराया मद के ठेके अथवा कराया अनुबन्ध से सम्बन्धित पत्रावली जाँच हेतु प्रस्तुत नही की गयी जिससे उपरोक्तानुसार उक्त मदों में प्राप्त कुल आय रुपये 16496181.00 का सत्यापन नही कया जा सका अतएव तत्सम्बन्धी समस्त पत्राव लयाँ/अ भलेख सम्परीक्षा आगामी अवसर पर प्रस्तुत कर तत्सम्बन्धी आवश्यक जाँच करायी जाय एवं उक्त आय का सत्यापन कराया जाय/

सम्परीक्षा में बार-बार मौ खक एवं व भन्न अझ धयाचको यथा पत्रांक 132/20-21 दिनांक 17-10-2020 एवं 94/20-21 शुल्क के ठेके एवं तरणताल के कराये से सम्बन्धित ठेके की नि वदाओं से सम्बन्धित पत्राव लया उपलब्ध नही कराया गयी। मात्र वज्ञापन कर के ठेके की कुछ पत्राव लयाँ जाँच हेतु प्रस्तुत की गयी जो वगत कई वर्ष पूर्व उठाये गये ठेके सम्बन्धित थी। उपरोक्त ठेके की पत्राव लयाँ प्रस्तुत न कये जाने से यह स्पष्ट नही हो सका क आलोच्च अव ध में नगर निगम के पास कतने पा कंग स्थल उपलब्ध थे एवं कतने तरण ताल थे तथा कतने वज्ञापन शुल्क/कर वसूल कये जाने हेतु स्थल चयनित कये गये थे। उक्त हेतु नि वदायें आमंत्रित

की गयी थी अथवा नही। तथा आमंत्रित नि वदाओ हेतु सरकारी बोली का निर्धारण कस प्रकार कया गया था। बोली के फलस्वरुप कतनी नि वदाये स्वीकृत की गयी थी उन स्थलो पर पा र्केन्ग वज्ञापन शुल्क एवं तरणताल कराया की वसूली हेतु क्या प्र क्रया अपनायी गयी थी। सम्परीक्षा में तत्सम्बन्धी ठेका पत्रावली प्रस्तुत न कया जाना अनिय मत एवं आप त्तजनक था उक्त स्थिति सन्तोषजनक नही थी एवं लेखा परीक्षा के प्रति लापरवाही की द्दोत्तक थी, अतएव इस सम्बन्ध में नगर निगम के उच्चा धकारियों का ध्यान वशेष रुप से आकृष्ट कया जाता है।

154. <u>नगर निगम द्वारा वर्ष 2020-21 में व भन्न फर्मों/ठेकेदारों/सप्लायरों एवं अ धकारीयों/कर्मचारियों से काटे गये आयकर टी0डी0एस0, जी0एस0टी0 एवं रायल्टी तथा लेबर सेंस से सम्बन्धित पंजी, जमा के चालान तथा उनको निर्गत फार्म-16 ए तथा 16 की प्रति अप्रस्तुतः</u>

आलोच्च अव ध की सम्परीक्षा में बार-बार मौखक एवं अ धयाचन संख्या 94/20-21 दिनांक 14-9-2022 एवं संख्या 132/20-21 दिनांक 17-10-2022 निर्गत कर मांग कये जाने के बावजूद नगर निगम द्वारा वर्ष 2020-21 में व भन्न फर्मों/ठेकेदारों/सप्लायरों से काटे गये आयकर टी0डी0एस0, जी0एस0टी0 एवं सेवर सेस से सम्बन्धित पंजी जमा के चालान एवं उनकों निर्गत फार्म 16 ए की प्रति सम्परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नही की गयी। जिस कारण काटे गये आयकर टी0डी0एस0, जी0एस0टी0 रायल्टी एवं लेबर सेस की उनके सम्बन्धित वभाग में जमा की पुष्टि न हो सकी तथा यह भी ज्ञात न हो सका क नगर निगम द्वारा उक्त को फार्म 16-ए निर्गत कये गये थे अथवा नही। उक्त के अभाव में आयकर टी0डी0एस0 जी0एस0टी0, रायल्टी एवं लेबर सेस की उनके सम्बन्धित वभाग में जमा की पुष्टि न हो सकी तथा यह भी यात न हो सका क नगर निगम द्वारा उक्त को फार्म 13-ए निर्गत कये गये थे अथवा नही। उक्त के अभाव में आयकर टी0डी0एस0, जी0एस0टी0,रायल्टी एवं लेबर सेस की कटौती तथा इनके सम्बन्धित वभाग में जमा एवं फर्मों को निर्गत फार्म-16ए की स्थिति अज्ञात रही/ जिससे तत्सम्बन्धी आवश्यक जाँच नही की जा सकी।

2. नगर निगम में वर्ष 2020-21 में कार्यरत समस्त अ धकारियों कर्मचारियों के वेतन से काटे गये आयकर टी0डी0एस0 की गणना की जाँचत हेतु आयकर टी0डी0एस0 पंजी अ धकारियों/कर्मचारियों की आय का ववरण, आयकर की गणना सम्बन्धी प्रपत्र, अ धकारियों/कर्मचारियों द्वारा आयकर अ धनियम की धारा 80 सी एवं अन्य धारा के अन्तर्गत मांगी गयी छूट से सम्बन्धित प्रपत्र तथा अ धकारियों/कर्मचारियों को जारी कये फार्म-16 की प्रतियाँ आदि अ भलेख सम्परीक्षार्थ प्रस्तुत नही कये गये जिससे इनकी तत्सम्बन्धी सम्यक जाँच नही की जा सकी।

अतएव उपरोक्त अ भलेखों को सम्परीक्षा में आगामी अवसर पर प्रस्तुत कराये जाने हेतु संस्था के उच्चा धकारियों का ध्यान वशेष रुप से आकृष्ट कया जाता है।

155. <u>अन्य आय मद की धनरा श की स्थिति अस्पष्ट एवं असत्या पत रुपये 22,977,199.00</u>

आलोच्च अव ध की सम्परीक्षा में बजट की समीक्षा के समय प्रकाश में आया क आलोच्च वर्ष अन्य आय की मद के रुप मे निगम को रुपये 22977199.00 की आय दर्शायी गयी थी। इस आय के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नही की गयी क उक्त आय कस्त-2 मदों से प्राप्त थी तथा कस प्रकार की आय थी। जिससे उक्त आय असत्या पत तथा सपष्ट थी। अतएव उक्त आय से सम्बन्धित समस्त अ भलेख सम्परीक्षा में आगामी अवसर पर प्रस्तुत कर उक्त आय का सत्यापन कराया जाय एवं स्थिति स्पष्ट करायी जाए। असत्या पत/अस्पष्ट अन्य आय का ववरण निम्नवत है।

क्रम	ववरण	धनरा श
1	1.6 अन्य कर	13377191
2	5.3अन्य(ठेका)	125935
3	6.11 शुल्क(अन्य)	9474073
	योग=	22977199.00

की जानी चाहिए थी। परन्तु आलोच्च अव ध में आय के मदवार ववरण के अनुसार जलमूल्य (जल वक्री से आय) रुपये 100740.00 प्राप्त प्रद र्शत थी। इस प्रकार आलोच्च अव ध में जल मूल्य आरो पत कर वसूली जाने योग्य धनरा श रुपये 312003900 में से मात्र रुपये 100740 वसूली की गयी थी जिससे आलोच्च अब ध में रुपये 312003900-100740=311903160 की आ र्थक नगर निगम को हुयी थी।

अतएव जलमूल्य आरो पत कर वसूली कये जाने एवं जल संयोजन पंजी अनुर क्षत कर सत्यापनोपरान्त सम्परीक्षा में आगामी अवसर पर प्रस्तुत कये जाने हेतु नगर निगम के उच्चा धकारियों का ध्यान वशेष रुप से आकृष्ट कया जाता है।

156. <u>मृतक पशु शव निस्तारण का ठेका वर्ष 2020-21 न छोडे जाने से निगम को आ र्थक क्षतिः</u>

सम्परीक्षा के समय प्रकाश में आया क आलोच्च वर्ष 2020-21 में मृतक पशु-शव निस्तारण से कोई आय दर्शायी नही गयी थी इससे प्रतीत होता है क आलोच्च वर्ष में मृतक पशु-शव निस्तारण का ठेका नही छोड़ा गया था इसको न छोड़े जाने से निगम को आ र्थक क्षति हुयी थी। गत- वगत वर्षों में आप त्त उठाये जाने के बावजूद मृतक पशु-शव निस्तारण का ठेका न उठाये जाने से नगर निगम को लगातार आ र्थक क्षति हो रही थी। यह स्थिति अनिय मत-आप त्तजनक तथा संस्था के आ र्थक हितो के सर्वथा प्रतिकूल थी।

अतएव उक्त के सम्बन्ध में प्रभावी/आवश्यक कार्यवाही कये जाने हेतु नगर निगम के उच्चा धकारों का ध्यान वशेष रुप से आकृष्ट कया जाता है।

157. <u>साफ सफाई प्रबन्धक योजनाः</u>

आलोच्च अव ध की सम्परीक्षा में नगर निगम द्वारा ठोस अप शष्ट प्रबन्धन योजना, सीवर ट्रीटमेन्ट पलान्ट, डम्पिंग की प्रबन्धन स्थिति से सम्बन्धित अ भलेख सम्परीक्षा बार-बार मौजिक एवं अ धयाचन संख्या 94/20-21 दिनांक 14-09-2022 एवं 132/20-21 दिनांक 17-10-2022 निर्गत कये गये यह स्थिति आप त्तजनक थी। उक्त योजनाओं से सम्बन्धित अ भलेख सम्परीक्षा प्रस्तुत न कये जाने के कारण इनकी तत्सम्बन्धी आवश्यक जाँच नही की जा सकी।

अतएव उपर्युक्त योजनाओं से सम्बन्धित अ भलेख/पत्राव लयाँ सम्परीक्षा में आगामी अवसर पर प्रस्तुत कर तत्सम्बन्धी आवश्यक जाँच कराये जाने हेतु नगर निगम के उच्चा धकारीयों का ध्यान वशेष रुप से आकृष्ट कया जाता है।

158. <u>शाहनी बंसल एण्ड एसो सएट्स को अनौ चत्यपूर्ण एवं अमान्य भुगतान रुपये 755743.00</u>

आलोच्च अव ध की सम्परीक्षा में चयनित माहों के ब्यय प्रमाणकों की जाँच के समय प्रकाश में आया क ब्यय प्रमाणक संख्या 1615 दिनांक 9-11-2020 रुपये 439226 एवं ब्यय प्रमाणक संख्या 1616 दिनांक 9-11-2020 रुपये 225800 कुल रुपये 665026 चेक संख्या 450361 दिनांक 9-11-2020 द्वारा शाहनी बंसल एण्ड एसो सएट्स चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को भुगतान कया गया था। उक्त भुगतान फर्म के बिल संख्या 052 दिनांक 1-10-2020 रुपये 499140 जो प्रोफेशनल चार्जेज फार मेन्टीनेन्स आफ प्रापर्टी टैक्स रिकार्ड्स आफ द जोन्स एण्ड हैड आ फस एवं वल संख्या0 055 दिनांक 1-10-2020 रुपये 256603 जो प्रोफेशन चार्जेज फार डाटा इन्ट्री आप डबल इन्ट्री सस्टम के वर्ष 2018-19 (1-4-2018 से 31-3-19) के फाइनलाइजेशन एवं वर्ष 2015-16 से 2018-19 हेतु प्रोफेशनल जार्जेज फाइनलाइजेशन आफ एनुअल एकाउन्ट हेतु कुल रुपये 755743 में से टी0डी0एस0 आयकर रुपये 75575, जी0एस0टी0 15116 अन्य रुपये 26 कुल रुपये 90717 की कटौती के पश्चात रुपये 665026 का भुगतान उक्त फर्म को कया दगया था। जब क प्रापर्टी टैक्स रिकार्ड्स बनाने का कार्य नगर निगम के कर वभाग के तैनात अ धकारियो/कर्मचारियो का था। इसी प्रकार वा र्षक लेखा एवं बैलेन्स शीट बनाये जाने का उत्तर दायित्व नगर निगम तैनात लेखा वभाग के अ धकारियो एवं कर्मचारियों का था। ले कन नगर निगम द्वारा उक्त कार्य निगम के अ धकारयों/कर्मचारियों से न कराकर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स से कराया गया था जिससे उक्त कार्य हेतु कया गया भुगतान अनौ चत्यपूर्ण एवं अमान्य था। गत-बिगत वर्षो के आप त कये जाने के बावजूद उक्त कार्य हेतु प्रतिवर्ष भुगतान कया जा रहा था.

यह गम्भीर रुप से आप त जनक था। अतएव उक्त के सम्बन्ध में प्रभावी/आवश्यक कार्यवाही कये जाने हेतु निगम के उच्चा धकारियों का ध्यान वश ष रुप से आकृष्ट कया जाता है।

159. <u>अन्तर्राष्ट्रीय पर्वतारोही श्री सागर कसाना एवं अन्तर्राष्ट्रीय शूटिन्ग खलाड़ी श्री शवम त्यागी, प्रत्येक को रुपये 250000.00 प्रोत्साहन रा श का अनिय मत/अमान्य भुगतान कुल रुपये 500000.00-</u>

आलोच्च अव ध की सम्परीक्षा चयनित सम्परीक्षा माहों के व्यय प्रमाणकों की जाँच के समय प्रकाश मे आया क व्यय प्रमाणक संख्या 67 दिनांक 5-11-2020 चेक संख्या 000121 रु 2500000.00 श्री सागर कसाना अन्तर्राष्ट्रीय पर्वतारोही एवं व्यय प्रमाणक संख्या 89, चेक संख्या 000536 दिनां 6-11-2020 रुपये 250000.00 श्री शवम त्यागी अन्तर्राष्ट्रीय शूटिन्ग खलाड़ी को प्रोत्साहन रा श का भुगतान कया गया था। उक्त प्रोत्साहन रा श का भुगतान माननीय सदन नगर निगम गाजियाबाद की बोर्ड बैठक दिनांक 10-9-2019 में पारित प्रस्ताव के क्रम में कया गया था। क्या शासन द्वारा उक्त प्रोत्साहन रा श प्रदान कये जाने हेतु नगर निगम को अ धकार प्रदान कया गया है। यदि प्रोत्साहन रा श प्रदान कये जाने हेतु नगर निगम को शासन द्वारा अ धकार प्रदत्त कये गये है। अथवा उक्त हेतु शासन से स्वीकृति प्राप्त की गयी है, तो सम्परीक्षा में आगामी अवसर पर दिखाया जाय अन्यथा स्थिति में भुगतानित उक्त प्रोत्साहन रा श कुल रुपये 500000.00 अनिय मत एवं अमान्य था।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है क श्री शवम त्यागी अन्तर्राष्ट्रीय शूटिन्ग खलाड़ी को अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की ट्रेनिंग के लए रू 1000000.00 प्रदान कर स्पान्सर करने का प्रस्ताव क्रमांक-7 पर प्रस्ता वत था जिसेक क्रम में उक्त प्रोत्साहन रा श स्वीकृत की गयी था। ले कन शवम त्यागी के अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेन्ट की ट्रेनिंग से सम्बन्धित साक्ष्य व्यय प्रमाणक के साथ संलग्न नही थे।

अतएव उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाय अन्यथा उक्त भुगतान अनिय मत एवं अमान्य था।

160. <u>नगर निगम द्वारा व भन्न जोनो में नलकूपो के संचालन एवं अनुरक्षण की पत्रावली में पायी गयी अनिय मततायें-</u>

नगर निगम द्वारा व भन्न जोनों में नलकूपों का संचालन एवं अनुरक्षण प्राइवेट फर्मो/कम्पनियों द्वारा कया जा रहा था पत्राव लयों की जाँच से निम्नां कत क मयां प्रकाश में आयी-

सम्बन्धित पत्रावलीयों में आलोच्च अव ध से सम्बन्धित संचालन एवं अनुरक्षण हेतु नगर निगम द्वारा कोई नि वदा/टेण्डर की न्युनतम स्वीकृत दरों पर ही कार्यादेश दिया गया था। कसी

की पत्रावली में इस प्रकार का कोई ववरण संलग्न नही था क नगर निगम के पास निम्न नलकूपों के संचालन हेतु स्टाफ का अभाव था उक्त के अभाव में प्राइवेट फर्मों द्वारा नलकूपों को संचा लत कराये जाने का औ चत्य स्पष्ट कया जाए। पत्राव लयों में सम्बन्धित नि वदायें, तुलनात्मक, ववरण तथा सक्षम अ धकारी की स्वीकृति संलग्न नही थी केवल नोटिंग साइड में नि वदाये आमंत्रित कये जाने एवं नगर आयुक्त द्वारा स्वीकृत कये जाने का उल्लेख कया गया था। यह आप त्तजनक था।

अतएव पत्राव लयों के कार्य की आवश्यकता अं कत कये जाने एवं नि वदायें, तुलनात्मक ववरण तथा सक्षम अ धकारी की स्वीकृति संलग्न कराये जाने हेतु नगर निगम के उच्चा धकारियों का ध्यान वशेष रुप से आकृष्ट कया जाता है।

161. <u>जल संयोजन पंजी/पत्रावली सम्परीक्षा में अप्रयुक्तः</u>

आलोच्च अव ध की सम्परीक्षा में बार-बार मौ खक एवं अ धयाचन संख्या 64 दिनांक 3-8-2022 एवं 72 दिनांक 29-8-2022 द्वारा मांग कये जाने के बावजूद जल संयोजन पंजी सम्परीक्षा में प्रस्तुत नही की गयी जिससे तत्सम्बन्धी आवश्यक जाँच नही की जा सकी। अतएव जल संयोजन पंजी/पत्रावली सम्परीक्षा में आगामी अवसर पर उपलब्ध कराकर आवश्यक जाँच कराये जाने हेतु निगम के उच्चा धकारियों का ध्यान वशेष रुप से आकृष्ट कया जाता है।

162. <u>आउट सो सैंग एवं डोर टू डोर कूडा कलेक्शन के ठेके की पत्रावली सम्परीक्षा अप्रस्तुतः</u>

आलोच्च अव ध की सम्परीक्षा में बार-बार मौ खक एवं अधीयाचन संख्या 94 दिनांक 14-9-2022 एवं 132 दिनांक 17-10-2022 द्वारा मांग कये जाने के बाद की निजी फर्मों से आउट सो र्सन्ग पर रखे गये कर्मचारियों से सम्बन्धित ठेके की पत्रावली एवं डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के ठेके की पत्रावली सम्परीक्षा में प्रस्तुत नही की गयी जिससे तत्सम्बन्धी आवश्यक जाँच नही की जा सकी यह गम्भीर रुप से अनिय मत एवं आप त्तजनक था।

अतएव आउट सो सैंग पर रखे गये कर्मचारियों से सम्बन्धित ठेके की पत्रावली एवं डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन से सम्बन्धित ठेक की पत्रावली सम्परीक्षा में आगामी अवसर पर प्रस्तुत कर उपर्युक्त ठेको में निर्धारित नियमों का पालन कये जाने एवं ठेके की शर्तो के अनुरुप नगर निगम एवं ठेकेदार द्वारा कार्यवाही कये जाने सम्बन्धी आवश्यक जाँच करायी जाय।

अतएव उक्त के सम्बन्ध में प्रभावी एवं आवश्यक कार्यवाही कये जाने हेतु नगर निगम के उच्चा धकारियों का ध्यान वशेष रुप से आकृष्ट कया जाता है।

टोकन लीजरेन्ट पर वा र्षक आधार पर उपलब्ध कराये जाने का प्रा वधान कया गया था तथा नगर निगम गाजियाबाद द्वारा यदि कसी को उपलब्ध करायी गयी भू म से कसी प्रकार का टोकन लीजरेन्ट प्राप्त हुआ था, भू म दी गयी थी तो सम्परीक्षा को अवगत कराया जाए, ऐसी स्थिति में

उपरोक्त शासनादेशों के प्रस्तरों में वर्णित एवं दर्शायी गयी स्थितियों के आधार पर स्पष्ट था कि भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंध एवं संचालय नियमावली–2006 के प्राविधानों को लागू और क्रियान्वित करने का दायित्व नगरीय निकायों में निहित था। इसके अतिरिक्त निकायों के द्वारा वर्णित दायित्वों को भलीभाँति पूर्ण/सम्पन्न/क्रियान्वित करने के आशय से नियमावली के बिन्दु संख्या 25(1) में प्राइवेट सैक्टर को भी इस योजना में शामिल करने के निर्देश है।

उ0 प्र0 शासन द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में उपर्युक्त प्रस्तरों में वर्णित आदेशों/निर्देशों एवं शहरी निकाय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2000 से संबंधित जारी निदशा–निर्देशों परामर्श के दृष्टिकोण से निम्न बिन्दुओं विचारणीय है –

(1) जैसे कि उपरोक्त प्रस्तरों में वर्णित है कि उत्तर प्रदेश शासन के आदेश क्रमशः दिनाँक 06.03.1995, दिनाँक 03.07.2001, दिनाँक 04.06.2002 द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था को नगरीय निकायों को दायित्व बोध सहित लागू करने हेतु पूर्व में दिशा–निर्देश दिये गये थे जबकि नगर निगम, गाजियाबाद उक्त योजना के क्रियान्वयन के संबंध में किसी संस्था से अनुबन्ध नही किया जा सका, बताया गया था। स्पष्ट था कि यह स्थिति जन स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पर्यावरण के बेहतर स्तर को प्राप्त करने के उद्देश्य से उचित नही थी। दिनाँक 28.02.1997 तथा योजना के अध्याय–25 के बिन्दु 253(17) में भी स्वच्छता संबंधी विधि/नियमों के प्राविधानों एवं उनके प्रभावी किये जाने का उल्लेख किया गया था जबकि सम्परीक्षा में ऐसे किसी भी प्रकार की उपविधियों/नियमों को बनाये जाने वाली स्थिति से अवगत नही कराया गया था। उल्लेखनीय है कि अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित योजनाओं के नियमो/उप नियमों आदि का समावेश किये जाने पर उक्त योजना के और बेहतर ढंग से प्रभावी/क्रियान्वित किये जाने की संभावनायें संबंधित थी। अतएव इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही सहित वाँछनीय स्थिति से आगामी अवसर पर स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है।

(2) उक्त योजना के अध्याय–25 के बिन्दु संख्या 2:4, 2:5 में ठोस अपषिष्ट के उपचार एवं निस्तारण हेतु लैण्ड फिल साइट/भूमि प्राइवेट सैक्टर को 15 से 30 वर्ष की अवधि हेतु उचित

164–<u>नगर निगम समस्त जोन में कम्प्यूटर से निर्गत रसीदों की द्वितीय प्रति नियमानुसार प्रत्येक तिथिवार सुरक्षित न रखा जाना अनियमित</u> :–

नगर निगमों की समस्त जोनों की सम्परीक्षा माहों की आय की जाँच में प्रकाश में आया कि जोनों में कम्प्यूटर से भवन स्वामियों को निर्गत रसीदों की द्वितीय प्रति निगम द्वारा सुरक्षित नही रखी जाती थी जिससे उसकी जाँच सम्भव न हो सकी। सम्परीक्षा के समय मात्र तिथिवार वसूल की गई धनराशि का विवरण ही उपलब्ध कराया गया था। उक्त विवरण को नगर निगम द्वारा जोन की कैशबुक में 10 प्रतिषत गृहकर, 10 प्रतिषत जलकर तथा 04 प्रतिषत सीवर कर के रूप में अंकित कर दिया जाता था। जोन में माँग–वसूली पंजी अनुरक्षित नही की जा रही थी जिससे स्पष्ट नही हो सका कि किन–किन भवन स्वामियों द्वारा कितनी धनराशि जमा की गई थी तथा कितनी जमा किया जाना था । निगम द्वारा अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न किये जाने से सम्परीक्षा माहों में प्राप्त आय की जाँच किया जाना सम्भव नही हो सका तथा माँग वसूली पंजी अनुरक्षित नही किये जाने से जमा की स्थिति अज्ञात रही। निगम द्वारा जोन की आय कितनी दिखायी गयी थी, उसकी जाँच न हो सकी। नियमानुसार निर्गत रसीदों में गृहकर, जलकर व सीवर कर की धनराषि पृथक–पृथक अंकित होनी चाहिये थी। रसीदों के आधार पर माँग वसूली पंजी पूर्ण एवं सत्यापित कराकर रसीदों को तिथिवार सुरक्षित रखा जाना चाहिये जिससे माँग–वसूली पंजी, गृहकर, जलकर एवं सीवर कर निर्धारण आदि की जाँच हो सके।

नगर निगम को प्रतिवर्ष आ र्थक क्षति होना परिल क्षत हुआ। जिसके सम्बन्ध में आगामी अवसर पर स्थिति स्पष्ट कराया जाना वांछित रहा।

अतएव नगरीय ठोस अप शष्ट प्रवंधन योजना एवं निस्तारण योजना के सम्बन्ध में नगर निगम गाजियाबाद द्वारा की गयी अद्दाव धक कार्यवाही एवं प्रगति के सम्बन्ध सम्परीक्षा में आगामी अवसर स्थिति स्पष्ट कराये जाने हेतु निगम के उच्चा धकारियों का ध्यान वशेष रुप से आकृष्ट कया जाता है।

163–नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना एवं निस्तारण योजना संबंधी टिप्पणियाँ :–

शासनादेश संख्या–19 जी0 आई0 ए0/नौ–7–95–3ज/95 नगर विकास अनुभाग–7 दिनाँक 06.03.1995 के माध्यम से प्रदेश के समस्त स्थानीय निकायों का ध्यान इस ओर आकर्शित किया गया है कि स्वच्छता एवं सफाई बनाये रखना स्थानीय निकाय का मौलिक कर्तव्य है। इसके अतिरिक्त नगरों में संचित कूडे–कचरे को जन प्रसार सामुदायिक सहभागिता तथा निजी सैक्टर के सहयोग से इसके समुचित संचयन, परिवहन, शीघ्र निस्तारण एवं अपशिष्ट पदार्थ के वैज्ञानिक ढंग से उपयोग में लाये जाने हेतु उसे जन–सामान्य के लिए सार्थक एवं उपादेय बनाये जाने का प्रयास करने हेतु भी आकर्शित किया गया था। पुनः शासनादेश संख्या–745 ए/9–9–97–4 रिट/97 टी0 सी0 नगर विकास अनुभाग दिनाँक 28.02.1997 के माध्यम से प्रदेश के समस्त नगर निगमों को उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 114(3) तथा उप धारा–18 के प्राविधानों का स्मरण दिलाते हुए निम्न विषयों पर उप विधियाँ बनाकर भी उपर्युक्त विषयगत को उक्त राजाज्ञा के प्रस्तर–2(1)(2)(3)(4) में क्रियान्वित करने हेतु अनुदेश दिये गये थे जिसमें निम्नांकित विषय मुख्य रूप से थे –

(1) नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रह तथा निस्तारण हेतु स्थल का अभिज्ञापन।

(2) ठोस अपशिष्ट उत्पाद का अभिज्ञापित स्थल को छोड़कर अन्य किसी भी स्थल पर संग्रहीत न किया जाना।

(3) ठोस अपशिष्ट उत्पाद के संग्रहण, परिवहन, स्वास्थ्यप्रद निस्तारण, पुर्न चक्रानुक्रम के लिये यथोचित व्यवस्था।

(4) चिकित्सालयों एवं नर्सिंग होम्स के अपशिष्ट उत्पाद के निस्तारण की व्यवस्था।

ठोस अपशिष्ट प्रबंध को सबल बनाये जाने के निमित्त जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करने के आयशय से शासन द्वारा शासनादेश संख्या–2734(1)/नौ–7–2002–4 रिट/97 दिनाँक 27.07.2002 के माध्यम से माननीय उच्चतम प्यायालय की अधिदेशात्मक संस्तुतियाँ संलग्न कर प्रेषित की गयी थी, साथ ही शासन द्वारा शासनादेश सं0–2252(1)/नौ–7–2002–4रिट/97 दिनाँक 04.06.2002 के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं0–888/96 एल0 मिश्रा, एच0 पटेल बनाम राज्य के क्रम में नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के लिये उपर्युक्त **"लैण्ड फिल साइड"** के निर्धारण हेतु निर्देष दिये गये थे।

शासनादेश/अर्द्धशासकीय पत्र सं0–3563/9–7–2001–04 रिट/97 दिनाँक 30.07.2007 के माध्यम से उर्पयुक्त जनहित याचिका के अनुपालनार्थ प्रसार में निम्न निर्देष दिये गये थे। भारत सरकार द्वारा नगरीय अपशिष्टों के निस्तारण हेतु नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबंध एवं संचालन नियमावली 2000 प्रख्यापित की गयी है। उक्त नियमावली के नियम–4 में नगर पालिका, प्राधिकरण के दायित्व निर्धारण किये गये है तथा शासनादेश संख्या–6203/9–7–2007–04 रिट/ दिनाँक 05.03.2001 के द्वारा भारत सरकार द्वारा लागू की गयी। उक्त नियमावली के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देष दिये गये है।

165—बिना बिलों के भुगतान किया जाना अनियमित रू 1410955/— :—

स्वास्थ्य विभाग के व्यय प्रमाणकों की जाँच में पाया गया कि संबंधित गार्ड फाइलों में निम्नांकित भुगतान बाउचरों के साथ संबंधित बिल संलग्न नही थे जिनके कारण न तो इनकी जाँच सम्भव हो सकी और भुगतान का औचित्य स्पष्ट न हो सका। अतः संबंधित सम्परीक्षा में प्रस्तुत कर इसका सत्यापन कराया जाय अन्यथा की स्थिति में उक्त भुगतान सम्परीक्षा में अमान्य/अनियमित थे। विवरण निम्नवत् है —

क्रम सं0	वा0 सं0	दिनाँक	धनराशि	फर्म का नाम	विवरण
1.	879	24.07.2020	500000	मै0 सुवीश कुमार त्यागी	बिल अनुपलब्ध
2.	1281	09.11.2020	309000	मै0 सुवीश कमुार त्यागी	बिल अनुपलब्ध
3.	1393	09.11.2020	601955	नार्थ इण्डिया डवलपर्स	चूना डस्ट सप्लाई
		योग	1410955		

166—पत्रावलियाँ अप्रस्तुत रू 35709803/— :—

वर्ष 2020—21 की सम्परीक्षा में चयनित माह जुलाई व नवंबर 2020 एवं अनुदानों से कराये गये स्वास्थ्य विभाग के कार्यो की निम्नलिखित पत्रावलियों की माँग मौखिक रूप से अनेक बार किये जाने एवं अधियाचन सं0—आडिट/95 दिनाँक 16.09.2022 एवं अधियाचन सं0—आडिट/105 दिनाँक 29.09.2022 द्वारा माँग किये जाने पर उपरान्त भी अप्रस्तुत रही। अब इन्हें आगामी सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

क्रम सं0	वा0 सं0	दिनाँक	धनराशि	फर्म का नाम	विवरण
1.	692	18.07.2020	1000000	मै0 समाजोत्थान सेवा संस्थान, कानपुर	डाक्टर एवं स्वास्थ्य कर्मियों की आपूर्ति गौशाला हेतु
2.	773	22.07.2020	206055	श्री राम ट्रेडर्स, मेरठ	किंग फोग दवाई सप्लाई
3.	818	24.07.2020	862000	मै0 तिरूपति ट्रेवलर्स, गाजियाबाद	किराये पर वाहन सप्लाई
4.	1718	09.11.2020	309632	मै0 कमर एकजीम प्रा0 लि0	सोडियम क्लोराइड की आपूर्ति
5.	1413	09.11.2020	300000	मै0 देवाज्ञा इन्टरप्राइजेज	कार्टेज की आपूर्ति
6.	265	18.07.2020	33031116	मै0 एम0 के0 टैक इण्डस्ट्रीज	वाहन क्रय (सी0 एन0 जी0)
		योग	35709803		

167—निर्माण विभाग की पत्रावलियाँ अप्रस्तुत रू 293915200/— :—

सम्परीक्षा में बार—बार मौखिक रूप से अनुरोध किये जाने एवं सम्परीक्षा अधियाचन सं0—आडिट/96 दिनाँक 16.09.2022 तथा आडिट/102 दिनाँक 27.09.2022 निग्रत किये जाने के उपरान्त भी परिशिष्ट में संलग्न पत्रावलियाँ सम्परीक्षा में प्रस्तुत नही की गई जिसके कारण इनकी जाँच सम्भव नही हो सकी। अतः इन्हें आगामी सम्परीक्षा में प्रस्तुत कर इनकी जाँच कराया जाना अपेक्षित है। सूची संलग्न परिशिष्ट '34' पर दी गई है।

168—पत्रावलियाँ अप्रस्तुत रू 46719565/— :—

वर्ष 2020—21 की सम्परीक्षा में चयनित में माह—जुलाई व नवंबर 2020 एवं अनुदानों से कराये गये जलकल विभाग के कार्यो की निम्नलिखित पत्रावलियों की माँग मौखिक रूप से अनेक बार किये जाने एवं अधियाचन सं0—आडिट/98 दिनाँक 16.09.2022 एवं अधियाचन सं0—आडिट/106 दिनाँक 29.09.2022 द्वारा माँग किये जाने के उपरान्त भी अप्रस्तुत रही। अब इन्हें आगामी सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाये। सूची संलग्न परिषिष्ट '35' पर दी गयी है।

169—नगर निगम की नाम परिवर्तन पत्रावलियों में पायी गयी अनियमिततायें :—

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में नगर निगम के समस्त जोनो उप—सम्परीक्षा हेतु चयनित माहो की नाम परिवर्तन पत्रावलियों की जाँच के समय निम्नलिखित कमियाँ प्रकाश में आयी —

(1) उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम के अनुसार नाम परिवर्तन से संबंधित जो भी पक्ष/व्यक्ति प्रभावित होते है, उन सभी को नोटिस दिया जाना/रिसीव कराया जाना आवष्यक था किन्तु नगर निगम द्वारा विक्रेता को नोटिस रिसीव नही कराया गया था और न ही रजिस्ट्री द्वारा भेजी गयी थी। यह अनियमित एवं आपत्तिजनक था जबकि पत्रावली में संलग्न रजिस्ट्री पत्र की छायाप्रति में विक्रेता का नाम एवं पता अंकित था। फिर भी विक्रेता को नोटिस नही भेजे जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाय।

(2) क्रय—विक्रय से संबंधित समस्त पक्षों की जानकारी हेतु समाचार पत्र विज्ञापन प्रकाशित कराया जाना आवश्यक था लेकिन नगर निगम द्वारा ऐसा नही किया गया था। यह स्थिति निगम के विधिक हितों के प्रतिकूल थी तथा न्यायालयों में अनावश्यक वाद बढ़ाने वाली थी।

(3) नाम परिवर्तन से संबंधित समस्त पक्षों को नोटिस रजिस्ट्री द्वारा भेजने पर यदि डाक वापस आती है या उक्त पते पर रिसीव नही हो पाती है तो नोटिस की प्रति संबंधित पक्षों के पते पर चस्पा कराया जाना चाहिये।

(4) समस्त पत्रावलियों में जोनल अधिकारी से हस्ताक्षरित म्यूटेशन आर्डर की प्रति संलग्न की जानी चाहिये थी लेकिन नगर निगम द्वारा अधिकतर पत्रावलियों में ऐसा नही किया गया था।

अतएव उक्त के संबंध में नाम परिवर्तन से संबंधित क्रेता—विक्रेता समस्त पक्षों को नोटिस प्राप्त कराये जाने, समाचार पत्र के विज्ञापन प्रकाषित कराये जाने एवं जोनल अधिकारी द्वारा निर्गत हस्ताक्षरित प्रति समस्त पत्रावलियों में संलग्न किये जाने हेतु नगर निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

170—चल—अचल सम्पत्ति का स्टाक लेखा :—

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में बार—बार मौखिक एवं अधियाचन सं0—64/20—21 दिनाँक 03.08.2022 एवं संख्या—72/20—21 दिनाँक 29.08.2022 निर्गत कर माँग किये जाने के बावजूद संस्था द्वारा चल—अचल सम्पत्तियों का स्टाक लेखा सम्परीक्षार्थ प्रस्तुत नही किया गया जिसके कारण सभी खण्डों की नगर सीमान्तर्गत शहर एवं ग्रामों में स्थित सम्पत्तियों की समीक्षा के उपरान्त आवश्यक

टिप्पणियाँ किया जाना संभव नही नही हो सका। अतएव निगम की सम्पत्ति, इनके उपभोग, अतिक्रमण आदि की जाँच एवं सत्यापन नही किया जा सका।

उपरोक्त के अतिरिक्त नगर निगम की भूमि, भवन, भूखण्ड, तालाब, सड़क, पार्क, नाले इत्यादि अचल सम्पत्ति एवं यंत्र, संयंत्र, फर्नीचर, उपकरण आदि स्थायी सम्पत्तियों की भण्डार की शासनादेश संख्या–1027/नौ–6–2022–65/मिस0/2000 नगर विकास अनुभाग–6 लखनऊ दिनाँक 04.05.2000 के अनुपालन में न्यूनतम वार्षिक अन्तराल पर कराये गये भौतिक सत्यापन की आख्या सम्परीक्षा में प्रस्तुत नही की गयी जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि गत एवं विगत वर्षो में की गई प्रतिकूल टिप्पणी के बावजूद नगर निगम द्वारा उक्त वाँछित अभिलेख अनुरक्षित नही किये गये थे। यह स्थिति संतोशजनक नही थी। इस संबंध में प्रभावी/आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु नगर निगम, गाजियाबाद के उच्चाधिकारियों का ध्यान सम्परीक्षा में विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

171–आन्तरिक नियंत्रण का अभाव :–

किसी विभाग/कार्यालय के क्रियाकलापों पर प्रभावी आन्तरिक नियंत्रण होने के लिए आवष्यक था कि आदेशों, नियमों, विनिमयों का अनुपालन सुनियिश्त किया जाय एवं नियमानुसार आवश्यक रिपोर्ट/रिर्टन संबंधित उच्चाधिकारियों को प्रेशित किया जाये जिससे अनियमितता आदि पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। नगर निगम, गाजियाबाद की आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में पाया गया कि निम्नांकित स्तर पर आन्तरित लेखा परीक्षा का अभाव था –

(1) प्राविधानों के अनुसार प्रत्येक इकाई को आगामी वर्ष हेतु कार्य योजना बनायी जानी चाहिए थी लेकिन नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा उक्त प्राविधान का अनुपालन नही किया जा रहा था।

(2) उ0 प्र0 लोक निर्माण विभाग के प्राविधानों के अनुसार प्रत्येक इकाई संगठन को अपने क्षेत्राधिकार की सड़कों के लिए सड़क रजिस्टर का रख–रखाव करना चाहिए था। नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा उक्त रजिस्टर का रख–रखाव नही किया गया था।

(3) कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्वालिटी एश्योरेन्स रजिस्टर का रख–रखाव नही किया गया था जबकि क्वालिटर एश्योरेन्स का रख–रखाव करना चाहिये था।

(4) नगर निगम के पथ प्रकाश विभाग द्वारा निश्प्रयोज्य साममग्री रजिस्टर रख–रखाव नही किया गया था।

(5) विद्युत विभाग में प्राविधान है कि डेली डायरी विद्युत रजिस्टर का रख–रखाव नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा नही किया गया था जबकि डेली डायरी विद्युत रजिस्टर का रख–रखाव किया जाना चाहिये था।

(6) क्रय की गई सामग्रियों की प्राप्ति से पूर्व उसकी गुणवत्ता का सत्यापन किया जाना अपेक्षित था लेकिन नगर निगम द्वारा उक्त व्यवस्था का अनुपालन नही किया गया था।

(7) वित्तीय प्राविधानों के अनुसार प्रत्येक इकाई के जनरल खाते का रख–रखाव किया जाना चाहिये था परन्तु नगर निगम द्वारा उक्त अभिलेखों का रख–रखाव नही किया गया था।

(8) निर्माण कार्यो को करने में हो रहे विलम्ब को नियंत्रित करने के लिए हिन्डरेन्स रजिस्टर का रख–रखाव किया जाना चाहिये था। नगर निगम के निर्माण विभाग द्वारा उक्त रजिस्टर का रख–रखाव नही किया गया था।

(9) वित्तीय प्राविधानों के अनुसार भुगतान बिल की सकल राशि अथवा निर्बल राशि से यदि कम भुगतान करना है तो जितनी कम राशि का भुगतान किया जाता है, उसका उल्लेख स्पष्ट रूप से भुगतान बिल बाउचर्स में किया जाना चाहिये था। नगर निगम द्वारा एसका पालन नही किया गया था।

उपरोक्त बिन्दुओं पर आववश्यक/प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु नगर निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृश्ट किया जाता है।

172–नगर निगम के कर्मचारी आवासों में विद्युत संयोजन की स्थिति अज्ञात एवं आवास पंजी अप्रस्तुत :–

सम्परीक्षा में बार–बार मौखिक एवं अधियाचन संख्या–81 दिनाँक 07.09.2022 निर्गत किये जाने के बावजूद संस्था द्वारा नगर निगम कर्मचारी आवासों की विद्युत संयोजनों की स्थिति/विद्युत आपूर्ति संबंधी अभिलेख जाँच हेतु प्रस्तुत नही किये गये जिससे यह स्पष्ट नही हो सका कि संबंधित आवासों में विद्युत संयोजन नगर निगम के नाम से था या आवंटित कर्मचारी के नाम से तथा आवास विद्युत बिल का भुगतान नगर निगम द्वारा किया जा रहा था अथवा संबंधित कर्मचारी द्वारा। अतएव उपरोक्त के संबंध में सम्परीक्षा में स्थिति स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है। आवास आवंटन पत्रावली बार–बार माँगे जाने पर भी प्रस्तुत नही की गई जिसके अभाव में यह ज्ञात नही हो सका कि नगर निगम के पास कितने आवास है और कितने आवासों का आवंटन किन–किन अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम किया गया है और किन शर्तो पर किया गया है है। मकान किराया, बिजली, पानी, सीवर आदि से निगम को कितनी आय प्राप्त हुई है तथा आवासों के अनुरक्षण पर कितना व्यय किया गया है ? अतएव आवास पंजी प्रस्तुत कर उपरोक्त तथ्यों की जाँच कराये जाने हेतु निगम के उचाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। के अनुसार उपरोक्त प्रकार से गठित महानगर विकास समिति के द्वारा विकास योजनाओं की सिफारिश को राज्य सरकार के पास भेजा जाता था जिसके क्रम में निगम द्वारा किसी विकास योजना/परियोजना की सिफारिश को राज्य सरकार के पास भेजा गया या नही, इस स्थिति को सम्परीक्षा में स्पष्ट नही कराया गया। नगर निगम अधिनियम–1959 के अध्याय–14 में वर्णित धारा–343 से 370 के अन्तर्गत वर्णित व्यवस्थानुसार विकास योजनाओं/परियोजनाओं को तैयार किये जाने व उनके क्रियान्वयन के संबंध में अभिलेखों से स्थिति स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित रहा।

173–विकास योजनाओं/परियोजनाओं संबंधी अनियमिततायें :–

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में विकास योजनाओं/परियोजनाओं संबंधी निम्नांकित अनियमिततायें प्रकाया में आयी –

(1) नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा कोई योजना पंजी अनुरक्षित नही की गई थी। यदि अनुरक्षित किया गया था तो इसे वर्तमान सम्परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया था।

(2) आलोच्य अवधि के पूर्व क्रियान्वित/हस्तगत/पूर्ण हो चुकी योजनाओं/परियोजनाओं के संबंध में कोई जानकारी सम्परीक्षा में नही दी गई थी। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कराया जाना वांछित था।

(3) निगम क्षेत्र के समेकित एवं सुनियोजित विकास हेतु नगर निगम द्वारा कोई प्लान/नेटवर्क तैयार किया गया था अथवा नही इस संबंध में भी वर्तमान सम्परीक्षा में स्थिति अस्पष्ट रही।

(4) आलोच्य अवधि के पूर्व में भिन्न–भिन्न योजनाओं से संबंधित मदवार कितनी–कितनी राशियाँ अवशेष के रूप में विद्यमान थी, के बारे में वर्तमान सम्परीक्षा में स्थिति अस्पष्ट रही।

(5) उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 57 (क) की उप–धारा (2) (3) (क) (ख) (1 से 16) (4) (5) (6) के अनुसार महानगर योजना समिति के गठन का प्राविधान किया गया था जिसके दायित्व में अधिनियम की धारा 57 (क) के दृष्टिगत सम्पूर्ण महानगर फेज के लिए विकास योजना के प्रारूप को तैयार किया जाना था। अधिनियम की धारा 57 (क) की उप धारा–7 में निर्दिष्ट निम्न विषयों की योजनाओं का प्रारूप तैयार किये जाने हेतु संज्ञान में लिया जाना था–

(1) नगरीय निकाओं द्वारा तैयार की गई योजना में।

(2) निकाय के मध्य सामान्य हित के मामले जिसके अन्तर्गत उप क्षेत्र की सम्भावित स्थानीय योजना जल एवं अन्य प्राकृतिक साधनों में हिस्सा उप संरचना का स्वीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण।

(3) भारत और राज्य सरकार के द्वारा निश्चित समस्त उद्देश्य और प्राथमिकताये।

(4) इन विनियमों की सीमा और प्रकृति जो भारत सरकार और राज्य सरकार के अभिकरणों द्वारा महानगर क्षेत्र में किया जाना सम्भाव्य हो तथा अन्य उपलब्ध साधान चाहें वे वित्तीय हो या अन्य।

(5) अन्य संस्थाओं तथा संगठनों में परामर्श लेना जिन्हें राज्यपाल आदेश और विनिर्दिष्ट करे। अधिनियम की धारा 57(क) की उप धारा (6)

174–सार्वजनिक सम्पत्तियों पर अनाधिकृत कब्जा/निर्माण न होने पर विषयक प्रमाण–पत्र वांछित :–

नगर निगम द्वारा अनुरक्षित सम्पत्तियों की स्थिति पूर्ण रूप से अधिनियमान्तर्गत स्पष्ट नही थी। नगर क्षेत्र में अनाधिकृत कब्जे/अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण हटाये जाने संबंधी राजाज्ञा संख्या–4030/नौ–1–92 न0 वि0 अनुभाग–2 दिनाँक 27.04.1992, षा0 सं0–7539/वि0 स0 नि0 वि0/13 दिनाँक 20.05.2013 तथा षा0 सं0–3079/नौ–12–16 (ज)/2012 दिनाँक 14.12.2012 के परिप्रेक्ष्य में सम्परीक्षा की स्थिति स्पष्ट नही की गयी थी। इसके अतिरिक्त षा0 सं0–646/नौ–9–2012–102 (ज)/2013 दिनाँक 03.04.2013 एवं तद्विषयक निदेषक, स्थानीय निकाय, लखनऊ के पत्र सं0–03/1456–सा/154 सा0/13 दिनाँक 25.04.2013 (सम्पत्तियों के संरक्षण एवं अनाधिकृत कब्जा विषयक) के अनुपालन में निर्धारित प्रारूप पर निदेषालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये जाने की स्थिति से सम्परीक्षा में अवगत नही कराया गया जिससे सम्पत्तियों की क्षति एवं दुर्विनियोग आदि से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा नही की जा सकी।

175–जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंध :–

उ0 प्र0 शासन के अर्द्धशासकीय पत्र सं0–120 सी0 एम0 (1) 9–7–2001–29 (ज)/2001/न0 वि0 अनुभाग–07 दिनाँक 22.11.2001 के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन और हैण्डलिंग नियम 1988 के राजपत्र में दिनाँक 22 जुलाई, 1988 से प्रवृत्त होनें एवं उक्त प्राविधानों के तहत जीव चिकित्सा अपशिष्ट के निर्धारण हेतु निर्देश दिये गये थे। इसके अतिरिक्त नगरीय क्षेत्रों में बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण विशयक शासनादेश संख्या–5911/नौ–5–2009–324 सा/09 न0 वि0 अनुभाग–5 दिनाँक 13.08.2009 एवुं उक्त के क्रम में निर्गत शा0 सं0–2163/नौ–5–2011–324 सा/09 न0 वि0 अनुभाग–5 20 अप्रैल, 2011 द्वारा गठित कमेटी के माध्यम से बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण एवं अनुश्रवण हेतु निर्देश दिये गये थे।

उपरोक्त के अतिरिक्त ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2010 के अध्याय–7 में भी बायो मेडिकल वेस्ट (जो बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट एण्ड हैयढलिंग रूल्स 1988 पर आधारित है) से संबंधित योजना एवं प्रबंधन में विस्तृत प्राविधान दिये गये है।

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा की गयी कृत कार्यवाही से सम्परीक्षा को अवगत कराया जाये।

176–विकास प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृति पूर्व निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त न करना अनियमित एवं आपत्तिजनक :–

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में अनापत्ति प्रमाण पत्र पत्रावली की माँग करने पर नगर निगम द्वारा बताया गया कि विकास प्राधिकरण गाजियाबाद द्वारा बिना नगर निगम, गाजियाबाद से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये ही भवनों के मानचित्र स्वीकृत किये जा रहे थे जबकि शासनादेश

सं0–3310 / नौ–7–04 33 ई / 03 दिनाँक 06 सितंबर, 2004 में निर्देशित किया गया था कि विकास प्राधिकरणों द्वारा नक्शें (मानचित्र) पास करते वक्त नगर निगम तथा जल संस्थान से सीवर लाईन, जल निकासी एवं पानी कनेक्शन की स्थिति ज्ञात की जानी चाहिये थी। उपरोक्त शासनादेश के अतिरिक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के शाासनादेश सं0–00107 / नौ–आ–3– मानचित्र स्वीकृति / 2004 दिनाँक 06 जुलाई, 2004 में भी स्पष्ट निर्देशित किया गया था कि पुराने निर्मित क्षेत्र जिसकी अवस्थापना सुविधाओं के सृदृढीकरण एवं रख रखाव का दायित्व इस नगर की स्थानीय निकाय का होता है, के भवन / भू–विन्यास / मानचित्र स्वीकृति करते समय प्राधिकरणों के द्वारा नगर की स्थानीय निकाय के सीवर लाइन, जलापूर्ति की पाइप लाइन एव जल निकासी की स्थिति जाने बगैर मानचित्र स्वीकृत कर दिये जाते है जिससे बाद में अनेक समस्यायें उत्पन्न होती है।

उपरोक्त शासनादेश का विकास प्राधिकरण द्वारा अनुपालन न करने से नगर निगम के उपरोक्त शासनादेश में वर्णित सम्पत्तियों पर अतिक्रमण या उन सुविधाओं के विस्तार हेतु पूँजीगत व्यय किये जाने की सम्भावनाओं से इंकार नही किया जा सकता था तथा अतिक्रमण की स्थिति में नगर निगम को भविष्य में न्यायालय की प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ सकता था।

अतएव इस संबंध में नगर निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि नगर निगम द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के साथ–साथ अनापत्ति प्रमाण हेतु शुल्क निर्धारण की कार्यवाही भी अमल में लायी जाये जिससे नगर निगम की आय में वृद्धि हो सके और निगम को आर्थिक क्षति होने से बचाया जा सके।

177–नगर निगम द्वारा एक्रुअल आधारित दोहरी लेखा प्रणाली के अनुसार लेखा–भिलेख अनुरक्षित न किया जाना शासकीय निर्देशों के प्रतिकूल एवं आपत्तिजनक :–

नगर निगम की आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में लेखाभिलेखों के अवलोकन / जाँच से प्रकाश में आया कि नगर निगम द्वारा एक्रुअल आधारित दोहरी लेखा प्रणाली के अनुसार लेखा भिलेखों का अनुरक्षण किया जा रहा था। उल्लेखनीय है कि शासनादेश सं0–4094 / 9–5–2008–119 सा / 07 दिनाँक 02.06.2008 एवं शासनादेश सं0–1552 / नौ–5–2011–119 सा0 / 2007 दिनाँक 18.03.2011 तथा निदेशक स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक–8 / 2939 / 2012–13 दिनाँक 01.04.2011 के लेखाभिलेखों का अनुरक्षण एक्रुअल आधारित दोहरी लेखा प्रणाली के अनुसार अनुरक्षित किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे। इस संबंध में उ0 प्र0 शासन नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊ के आदेश सं0–912 / न0 वि0–5–19–404 एम0 ए0 / 2017 दिनाँक 08 मार्च, 2019 द्वारा उ0 प्र0 नगर महापालिका लेखा (प्रथम संशोधन) नियमावली–2019 प्रख्यापित की गई थी, के द्वारा भी ननगर निगम से प्रोदभवन आधारित दोहरी लेखा प्रणाली के अनुसार लेखाभिलेखों के अनुरक्षण करने संबंधी निर्देष दिये गये थे। इस प्रकार षासकीय निर्देशों की नगर निगम द्वारा अवहेलना किये जाने की स्थिति परिलक्षित हुई जो अनियमित एवं आपत्तिजनक था। अतएव इस संबंध में शासकीय निर्देशों के अनुपालन में लेखाभिलेखों का अनुरक्षण एक्रुअल आधारित दोहरी लेखा प्रणाली के आधार पर सुनिश्चित कराये जाने हेतु नगर निगम प्रशासनिक / उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

178–बजट समीक्षा :–

नगर निगम की वर्ष 2020–21 की बजट समीक्षा के समय प्रकाश में आया कि नगर निगम की निम्नलिखित मदों में गत वर्ष की तुलना में काफी कम आय प्राप्त हुई थी, इससे नगर निगम को आर्थिक क्षति सम्भावित थी।

क्रम सं0	मद का नाम	वर्ष 2019–20 की आय	वर्ष 2020–21 की आय	कम आय
1.	विज्ञापन कर	51631565	8089487	43542078
2.	प्रेक्षाकर	1160320	537420	622900
3.	सामान्य लाइसेन्स	9683523	3103996	6579527
4.	स्थायी प्रयोग भूमि	3223632	3064870	158762
5.	पार्किंग	11724823	2296694	9428129
6.	अन्य (ठेका)	243490	125935	117555
7.	रोड कन्टिग से आय	46230455	17881354	28349101
8.	सीवर संयोजन	7978422	1045664	6932758
9.	जल संयोजन	3479074	943815	2535259
10.	जन्म–मृत्यु पंजीकरण शुल्क	18745	12865	5880
11.	अर्थदण्ड	8701192	3274450	5426742
12.	प्रतिलिपि शुल्क	20655	16559	4096
13.	अन्य षुल्क	10918614	9474093	1444541
14.	सांई मन्दिर के दान पात्र से आय	322583	125527	197056
15.	स्टाम्प शुल्क से आय	23494630	15914381	7580249
16.	ब्याज	15369325	13780169	1589156

वित्तीय वर्ष 2020–21 में निम्नाकित मदों में वर्ष 2020–21 के बजट में प्राविधानित आय से वास्तविक आय काफी कम प्रान्त हुई थी। विवरण निम्नवत् है –

क्रम सं0	मद का नाम	वर्ष 2020–21 की प्राविधानित आय	वर्ष 2020–21 की वास्तविक आय	कम आय
1.	गृहकर	750000000	580932922	169067078
2.	जलकर	450000000	445765431	4234569
3.	सीवर कर	250000000	204958068	45041932
4.	विज्ञापन कर	10000000	8089487	1910513
5.	प्रेक्षा कर	2000000	537420	1662580
6.	अन्य	20000000	13377191	6622809
7.	सामान्य लाइसेन्स	15000000	3103996	11896004
8.	भवन एवं भूखण्ड	2000000	शून्य	2000000
9.	दुकान प्रीमियम	4000000	शून्य	4000000

10.	निष्प्रयोज्य सामग्री	5000000	2754909	2245091
11.	जल बिक्री (जलमूल्य) से आय	1500000	100740	1399260
12.	अन्य	700000	शून्य	700000
13.	भवन एवं दुकान	70000000	20988697	49011303
14.	अस्थाई प्रयोग भूमि	4500000	3064870	1435130
15.	पार्किंग	50000000	2296694	47703306
16.	अन्य	1000000	125935	874065
17.	मलबा शुष्क (जी0 डी0 ए0)	5000000	शून्य	5000000
18.	रोड कटिन्ग	50000000	17881354	32118646
19.	सीवर संयोजन	10000000	1045664	8954336
20.	जल संयोजन	5000000	943815	4056185
21.	जन्म–मृत्यु पंजीकरण शुल्क	300000	12865	287135
22.	वधशाला	100000	शून्य	100000
23.	अर्थदण्ड	1000000	3274450	6725550
24.	प्रतिलिपि शुल्क	50000	16559	33441
25.	काँजी हाउस	100000	शून्य	100000
26.	मेले, हाट प्रदर्शनी से आय	100000	शून्य	100000
27.	अन्य	10000000	9474073	525927
28.	साँई मन्दिर के दानपात्र से आय	1500000	125527	1374473
29.	यूजर चार्जेज	100000000	16865562	83134438
30.	स्टाम्प शुल्क से आय	1820000000	15914381	1804085619
31.	ब्याज	20000000	13780169	6219831
32.	शिक्षण संस्थाओं से आय	2000000	1877553	122447
33.	ठेकेदारों की प्रतिभूतियाँ	2000000	शून्य	2000000
34.	बीमा आदि	200000	शून्य	200000
35.	कर्मचारी कल्याण निधि	50000000	शून्य	50000000

उपरोक्त स्थितियों से स्पष्ट था कि निगम की आय गत वर्ष की तुलना में कम थी तथा बजट के प्राविधानित आय से कम आय प्राप्त की गई थी। अतएव नगर निगम की आय बढ़ाये जाने हेतु प्रभावी एवं आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु नगर निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

व्यय बजट में प्राविधान की सीमान्तर्गत ही किया गया था। कतिपय मदों में बजट प्राविधान के सापेक्ष कोई धनराशि व्यय नही की गई थी जिससे स्पष्ट था कि व्यय बजट प्राविधान से वास्तविक व्यय काफी कम किया गया था। अतएव बजट प्राविधान करते समय सटीक अनुमान किये जाने की

आवयश्कता थी। अतएव उक्त के संबंध में निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

179–पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन योजना :–

नगर को प्रदूशण रहित करने तथा पर्यावरण में सुधार लाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा–30 में उल्लिखित कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एक वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम/अभियान अमल में लाये जाने के उद्देश्य से स्थानीय निकायों को शासनादेश सं0–1697/नौ–8–98–55(26)/92 दिनाँक 27.07.1998 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये थे।

शासन के उपरोक्त निर्देशों के दृष्टिगत नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा वृक्षारोपण हेतु एक वृहद योजना बनायी जानी थी। इसके अतिरिक्त निकाय में एक वन भी विकसित किये जाने का प्राविधान था तथा निगम द्वारा पोशित/संचालित पार्को में से एक पार्क को स्मृति पार्क के रूप में परिवर्तित करने का निर्देश उक्त शासनादेश में दिया गया था। शासनादेश के प्रस्तर–3(4) में वार्षिक बजट में एक निश्चित प्रतिशत पेड लगाने/पेड़ों की संरचना के मद में प्रावधान कियो जाने का उल्लेख किया गया था। नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा वार्षिक आय–व्यय लेखा के अनुसार वर्ष 2020–21 में इस मद में निम्नलिखित विवरणानुसार बजट प्रापिधान एंव व्यय किया गया था –

क्रम सं0	मद का नाम	बजट/प्रस्तावित वर्ष 2020–21	वास्तविक व्यय वर्ष 2020–21
1.	पार्को की क्षतिग्रस्त बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य	20000000	700000
2.	ठेके पर पार्को का अनुरक्षण कार्य	110000000	80058501

उपरोक्त बजट प्राविधान एवं व्यय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि नगर निगम उक्त शासनादेश के प्रति उदासीन था। उपराक्त वर्णित शासनादेश के क्रम में कोई वृहद योजना बनायी गयी थी अथवा नही, के विषय में सम्परीक्षा में कोई जानकारी उनलब्ध नही करायी गयी थी। इसके अतिरिक्त नगर निगम द्वारा नगरीय एवं वन स्मृति पार्क विकसित किया गया था अथवा नही, के बारे में यथावश्यक जानकारी संबंधित अभिलेखों सहित सम्परीक्षा में उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

180–नगर निगम की सम्पत्तियों का वार्षिक सत्यापन न होना :–

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा के समय प्रकाश में आया कि नगर निगम की सम्पत्तियों का वार्षिक सत्यापन नही किया गया था जबकि शासनादेश सं0–1027/9–6–2002–65 मिस/2000 दिनाँक 04.05.2000 द्वारा निर्देशित किया गया था कि स्थानीय निकायों द्वारा समय–समय पर उनके द्वारा बाण्डों का नवीनीकरण आहरण परिपक्वता अवधि के उपरान्त न किये जाने के कारण वह कालातीत हो जाते है और उस पर ब्याज की हानि होती है। भरत सरकार के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा भी आडिट के समय इस पर गम्भीर आपत्ति उठायी गई थी। उपर्युक्त विशयक के संबंध में यह भी निर्देशित किया गया था कि निकायों के कार्यालयों की चल–अचल सम्पत्तियों के विवरण का वार्षिक सत्यापन मुख्य नगर अधिकारियों द्वारा किया जाय तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व इस आषय का प्रमाण पत्र निदेषक, निकाय उत्तर प्रदेश लखनऊ को उपलब्ध कराया जाय परन्तु नगर निगम द्वारा उक्त षासनादेष का पालन नही किया गया था जो आपत्तिजनक था।

181–पुराने सामान का लेखा स्टॉक रजिस्टर में न किया जाना आपत्तिजनक :–

व्यय प्रमाणकों की सम्परीक्षा से प्रकाश में आया कि निम्नलिखित गाड़ियों हेतु नयी बैटरियों का क्रय मै0 एस0 के मोटर्स (मै0 बैटरी पाईण्ट ट्रेडर्स) से किया गया था। फर्म द्वारा कुछ धनराषि पुरानी बैटरी की की कीमत हेतु बिल में घटायी गयी थी जबकि भण्डार क्रय नियमावली के अनुसार पुरानी बैटरियों को डैड स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि करके सार्वजनिक नीलामी द्वारा उनका निस्तारण किया जाना चाहिये था। पुरानी बैटरी को डैड रजिस्टर में प्रविष्टि न करने का कारण स्पष्ट किया जाये।

क्रम सं0	व0 सा0/ दिनॉक/धनराशि	फर्म का नाम	नयी बैटरी की कीमत (रू)	पुरानी बैटरी की धनराशि जो बिल में से घटायी गयी (रू)
1.	623/21.07.2020 रू 16500	मै0 एस0 के0 मोटर्स	14175	1000
2.	624/21.07.2020 रू 12000	मै0 एस0 के0 मोटर्स	10525	900
3.	625/21.07.2020 रू 14000	मै0 एस0 के0 मोटर्स	12150	900
4.	626/21.07.2020 रू 12000	मै0 एस0 के0 मोटर्स	10525	900
5.	627/21.07.2020 रू 14000	मै0 एस0 के0 मोटर्स	12150	900
6.	628/21.07.2020 रू 12000	मै0 एस0 के0 मोटर्स	10525	900
7.	629/21.07.2020 रू 11100	मै0 एस0 के0 मोटर्स	9750	800
8.	630/21.07.2020 रू 14400	मै0 एस0 के0 मोटर्स	12150	900
9.	631/21.07.2020 रू 14000	मै0 एस0 के0 मोटर्स	12150	900
10.	544/09.11.2020 रू 12000	मै0 बैटरी पाईण्ट ट्रेडर्स	10525	900
11.	545/09.11.2020 रू 11200	मै0 बैटरी पाईण्ट ट्रेडर्स	9750	800
12.	546/09.11.2020 रू 12000	मै0 बैटरी पाईण्ट ट्रेडर्स	10525	900
13.	547/09.11.2020 रू 12000	मै0 बैटरी पाईण्ट ट्रेडर्स	10525	900
14.	548/09.11.2020 रू 12000	मै0 बैटरी पाईण्ट ट्रेडर्स	10525	900

15.	549 / 09.11.2020 रू 24100	मै0 बैटरी पाईण्ट ट्रेडर्स	21050	1800
16.	550 / 09.11.2020 रू 11200	मै0 बैटरी पाईण्ट ट्रेडर्स	9750	800
17.	551 / 09.11.2020 रू 12000	मै0 बैटरी पाईण्ट ट्रेडर्स	10525	900
	226500			

182–कर निर्धारण से संबंधित पत्रावलियाँ अप्रस्तुत सिटी जोन व विजयनगर जोन :–

सम्परीक्षा में बार–बार मौखिक रूप से माँग किये जाने एवं सम्परीक्षा अधियाचन सं0–14 / 2020–21 दिनाँक 05.02.2022, 51 / 2020–21 दिनाँक 18.06.2022 एवं 152 / 2020–21 दिनाँक 29.10.2022 किये जाने के बावजूद भी कर निर्धारण से संबंधित कोई भी पत्रावली सम्परीक्षा में उपलब्ध नही करायी गयी। मात्र नाम परिवर्तन से संबंधित ही कुछ पत्रावलियाँ सिटी जोन व विजयनगर जोन द्वारा उपलब्ध करायी गयी थी जिससे कर निर्धारण से संबंधित पत्रावलियों की जाँच सम्भव नही हो सकी। अतः आलोच्य वर्ष की सम्परीक्षा अवधि की पत्रावलियों को आगामी सम्परीक्षा में प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तुत कर इनकी जाँच कराया जाना अपेक्षित है।

183–सम्परीक्षा में विभिन्न पंजियों को प्रस्तुत न किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक :–

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में बार–बार मौखिक एवं अधियाचन सं0–72 / 20–21 दिनाँक 29.08.2022, सं00–94 / 20–21 दिनाँक 14.09.2022 एवं सं0–132 / 20–21 दिनाँक 17.10.2022 एवं अन्य विभिन्न अधियाचनों द्वारा माँग किये जाने के बावजूद कर / करेत्तर आय की माँग समाहरण पंजियाँ, लाइसेंस पंजी, सामान्य एवं स्वास्थ्य, ऋण पंजी, अनुदान पंजी, पेंशन पंजी, चेक पंजी, आवास पंजी, कार्य / सड़क पंजी, वाहन पंजी, लागबुक, वाद पंजी, पोल पंजी, वृक्ष पंजी, ठेकेदार रजिस्ट्रेशन पंजी आदि जाँच हेतु प्रस्तुत नही की गई। उक्त से यह स्पष्ट नही हो रहा था कि उक्त पंजियाँ नगर निगम द्वारा अनुरक्षित की गई थी अथवा नही। उपरोक्त पंजियों को जाँच हेतु प्रस्तुत न किये जाने से आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में उक्त से संबंधित जाँच सम्भव नही की जा सकी। यह अनियमित एवं आपत्तिजनक था तथा संस्था के आर्थिक हितों के सर्वथा प्रतिकूल था। यदि उक्त पंजियाँ अनुरक्षित नही की गई थी तो यह स्थिति नगर निगम को दिये गये अभिलेखों के अनुरक्षण हेतु नियमों के विपरीत था जिससे स्पष्ट होता है कि नगर निगम द्वारा उक्त अभिलेखों / पंजियों का अनुरक्षण न किया जाना पशासकीय कार्यकुशलता के विपरीत था तथा इससे वित्तीय अनियमितता होने से भी इंकार नही किया जा सकता। अतएव उक्त पंजियों को अनुरक्षित कर / प्रस्तुत कर तत्संबंधी आवश्यक जाँच करायी जाये।

184–पत्रावलियाँ अप्रस्तुतत रू 4605800 / – :–

वर्ष 2020–21 की सम्परीक्षा में चयनित माह जुलाई व नवंबर 2020 एवं अनुदानों से कराये गये प्रकाष विभाग के कार्यो की निम्नलिखित पत्रावलियों की माँग मौखिक रूप से अनेक बार किये जाने एवं अधियाचन सं0–97 / दिनाँक 16.09.2022 द्वारा माँग किये जाने के उपरान्त भी अप्रस्तुत रही। अब इन्हें आगामी सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जायें।

क्रम सं0	वाउचर सं0 / दिनाँक / धनराषि	ठेकेदार का नाम / कार्य का नाम
1.	259 / 13.07.2020 / रू 1019500	मै0 लाइवहुड कान्ट्रे0 ठेका माह मार्च 20,

		116 ठेका श्रमिकों की आपूर्ति
2.	186 / 10.07.2020 / रू 85800	नन्दनी इण्टरप्राइजेज नये रेलवे स्टेशन पर 14 पोलों पर लाईट प्रकाश
3.	695 / 21.07.2020 / रू 500000	शताब्दी ट्रेडिंग कंपनी नि0 के0 अन्तर्गत एल0 ई0 डी0 का बदलना
4.	704 / 21.07.2020 / रू 500000	एम0 के कन्स0 कं0 वार्ड 67, 84 के 90 वाट एल0 ई0 डी0 लाईट लगाकर प्रकाश व्यवस्था
5.	712 / 21.07.2020 / रू 69800	नन्दनी इण्टरप्राइजेज वार्ड 77 में मेन रोड, ए ब्लाक हाई मास्क लाईट
6.	1661 / 09.11.2020 / रू 200000	शताब्दी ट्रेडिंग कंपनी न0 नि0 सीमा अन्तर्गत एल0 ई0 डी0 65 वाट ड्राईवर आपूर्ति
7.	1618 / 09.11.2020 / रू 200000	मै0 शि0 कन्स0 एल0 ई0 डी0 लाईट लगाकर पोल पर कार्य
8.	1619 / 09.11.2020 / रू 425600	मै0 केपीटल कन्स0 वार्ड 37, 44, 50 में एल0 ई0 डी0 लाईट लगाकर प्रकाश व्यवस्था
9.	1659 / 09.11.2020 / रू 93700	मै0 एम0 जी0 कन्स0 सिटी जोन में शुष्क शौचालय पर प्रकाश व्यवस्था
10.	1658 / 09.11.2020 / रू 94600	मै0 एम0 जी0 कन्स0 सिटी जोन में शुल्क शौचालय पर प्रकाश व्यवस्था
11.	1624 / 09.11.2020 / रू 538300	मै0 आर0 के एण्टरप्राइजेज 72 वाट एल0 ई0 डी0 प्रकाश व्यवस्था
12.	1956 / 09.11.2020 / रू 650800	मै0 एस0 सी0 कन्स0 हिण्डन नदी पर प्रकाश व्यवस्था
13.	1950 / 10.11.2020 / रू 227700	मै0 आर0 वी0 एसोसिएट्स वार्ड 41, 60, 82 में एल0 ई0 डी0 लाईट लगाना

स्थान : मेरठ
दिनाँक : 13.03.2023

(देवेन्द्र)
उप निदेशक
मेरठ मण्डल, मेरठ

भाग 'ख'
वर्तमान लेखा परीक्षा

(1) गत सम्परीक्षा आख्या की समीक्षा :– आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा के समय तक गत वर्ष की सम्परीक्षा आख्या संस्था कार्यालय में अप्राप्त थी। संस्था द्वारा गत–विगत वर्षो के अनिस्तारित आपत्तियों के निस्तारणार्थ अनुपालन आख्या तैयार कर सम्परीक्षा में प्रस्तुत नही की गई थी जिससे इसकी समीक्षा नही की जा सकी। गत एवं विगत वर्षो की अत्यधिक आपत्तियाँ 3143 वर्ष 2018–19 तक निस्तारण हेतु शेष थी। इतनी भारी मात्रा में अनिस्तारित आपत्तियों का शेष रहना आपत्तियों के निस्तारण हेतु निगम के उच्चाधिकारियों की उदासीनता का द्योतक है। अतएव संलग्न परिशिष्ट '1' में सन्दर्भित आपत्तियों के निस्तारणार्थ नगर आयुक्त एवं लेखाधिकारी का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

(2) वित्तीय स्थिति :– सम्परीक्षा में उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर जहाँ तक सुनिश्चित किया जा सका, आलोच्य अवधि में निगम की वित्तीय स्थिति संलग्न परिशिष्ट '2' के अनुसार थी।

टिप्पणी :– (1) उपर्युक्त आँकड़ों की पुष्टि की जाय एवं यह भी कि उक्त आय–व्यय में कोई धनराशि सम्मिलित किये जाने हेतु शेष नही थी।

(2) आय–व्यय का विवरण/संकलन वाहय गणना पर आधारित है जो अनन्तिम एवं परिवर्तननीय है।

(3) बजट में उल्लिखित प्रारम्भिक शेष रू 3539094157/– तथा दोनो रोकडबही (नगर निगम निधि खाता एवं यू0 आई0 डी0 एस0 एस0 एम0 टी0 खाता) में उल्लिखित प्रारम्भिक शेष रू 3542421710.19 में रू 3327553.19 का अन्तर था। इसी प्रकार बजट में अन्तिम शेष में रू 3809600368/– तथा दोनो रोकडबहियों में अन्तिम शेष रू 3812927922.76 में रू 3327554.76 का अन्तर था। अतएव उक्त अन्तर का कारण स्पष्ट करते हुए इसे सही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(4) बजट में उल्लिखित वर्ष 2020–21 की वास्तविक आय रू 574284667/– एवं रोकडबही में (दोनों) उल्लिखित आय रू 574284668.57 में रू 1.57 का अन्तर था जो नगर निगम निधि की रोकडबही में विभिन्न मदों की आय पैसे में अंकित होने के कारण थी।

(5) नगर निगम निधि एवं यू0 आई0 डी0 एस0 एस0 एम0 टी0 की पृथक रोकडबही अनुरक्षित होने के कारण वित्तीय स्थिति भी पृथक–पृथक अंकित की गई है।

(6) सम्परीक्षा में प्रमाणित किया जाय कि वित्तीय स्थिति में उल्लिखित बैंक खातो के अतिरिक्त निगम के पास अन्य कोई बैंक खाते अनुरक्षित नही थे।

(7) दिनाँक 31.03.2021 को स्थायी अग्रिम का विवरण प्रस्तुत करके सत्यापन कराया जाय।

(8) परिशिष्ट '2' के अनुसार नगर निगम निधि के बैंक खातो के शेष एवं रोकडबही शेष में काफी अन्तर था। यह अन्तर गत–विगत वर्षो से चला आ रहा था। गत–विगत वर्षो से लगातार आपत्ति उठाये जाने पर भी निगम द्वारा बैंक समाधान विवरण बनाकर सम्परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। यह आपत्तिजनक एवं निगम के आर्थिक हितों के प्रतिकूल था। बैंक समाधान विवरण न बनाये जाने के कारण लेखे में गम्भीर वित्तीय अनियमितताये एवं व्यपहरण जैसी सम्भावनाओं से इंकार नही किया जा सकता हैं। अतः बैंक समाधान विवरण बनाकर अन्तर का कारण सम्परीक्षा में स्पष्ट कराये जाने हेतु एवं बिना भुने चैको की धनराशि स्पष्ट किये जाने हेतु निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

(9) निगम द्वारा अत्यधिक बैंक खाते कुल 59 खाते संचालित किये गये थे। इसमें कई बैंक खातो में कोई लेन–देन नही हो रहा था तथा कई बैंक खाते डारमेन्ट हो गये थे। अत्यधिक बैंक खाते संचालित

किये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाय अन्यथा स्थिति में जिन बैंक खातों में कोई लेन–देन नही किया जा रहा था, उन्हें बन्द किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(10) निगम द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों के अतिरिक्त अन्य बैंकों में भी खाते संचालित किये जा रहे थे। यह अनियमित था। इन बैंक खातो को बन्द कराकर जमा धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंको में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाय। इस संबंध में गत–विगत वर्षो से आपत्ति उठायी जा रही थी, फिर भी राष्ट्रीयकृत बैंको के अतिरिक्त अन्य बैंको में खाते संचालित किये जा रहे थे। राष्ट्रीयकृत बैंको के अतिरिक्त अन्य बैंको में खाते संचालित किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक था। सम्परीक्षा में लगातार आपत्ति उठाये जाने के बावजूद इस पर कोई ध्यान नही दिया जा रहा था। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाय कि किन स्थितियों में राष्ट्रीयकृत बैंको के अतिरिक्त अन्य बैंको में बैंक खाते संचालित किये जा रहे थे ?

(11) परिशिष्ट '2' में दर्शाये गये बैंक खातो में कई बैंक खाते बन्द हो चुके थे। इन खातो में जमा धनराशि को किन बैंक खातो में जमा किया गया था ? स्पष्ट किया जाय।

(12) परिशिष्ट '2' में दर्शाये गये बैंक खातों में से कई बैंक खाते चालू खाता के रूप में अनुरक्षित थे जिस पर एक ओर जहाँ ब्याज प्राप्त न होने से निगम को क्षति हो रही थी तो दूसरी ओर एकांउट कीपिंग चार्ज की कटौती किये जाने से भी निगम को आर्थिक क्षति हो रही थी और यह शासन के निर्देशों के विपरीत, अनियमित एवं आपत्तिजनक था। अतएव अनुरक्षित चालू खातो को बचत खातो में परिवर्तित कराया जाना अपेक्षित है।

(13) निगम निधि एवं यू0 आई0 डी0 एस0 एस0 एम0 टी0 की आय एवं व्यय का संहत विवरण संलग्न परिशिष्ट '3' पर भी दिया गया है।

(3) <u>राजकीय अनुदान</u> :– प्रमाणित किया जाता है कि आलोच्य अवधि में निगम को प्राप्त निम्नलिखित राजकीय अनुदानों का उपभोग उन्हीं शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया गया था जिनके लिये वे प्राप्त हुए थे। यदि कहीं कोई विचलन किया गया था तो उसका उल्लेख इस आख्या में यथास्थान कर दिया गया है। आलोच्य अवधि में सम्परीक्षा में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित विवरणानुसार नगर निगम को आवर्तक/अनावर्तक अनुदान प्राप्त हुए थे –

(क) आवर्तक अनुदान

क्रमॉक	अनुदान का विवरण	प्राप्त धनराशि	प्राप्ति तिथि
	चतुर्थ राज्य वित आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त अनुदान निदेशक, स्थानीय निकाय उ0 प्र0 लखनऊ के पत्र सं0–		
1.	8/2696/317/पंचम/रा0 वि0 आ0/2020–21 दिनॉक 24.04.2020	226521126/–	29.04.2020
2.	8/2851/317/पंचम/रा0 वि0 आ0/2020–21 दिनॉक 17.07.2020	229192108/–	24.07.2020
3.	8/2920/317/पंचम/रा0 वि0 आ0/2020–21 दिनॉक 21.08.2020	154147600/–	29.08.2020
4.	8/2984/317/पंचम/रा0 वि0	210395310/–	01.10.2020

	आ0 / 2020–21 दिनाँक 29.09.2020		
5.	8 / 3098 / 317 / पंचम / रा0 वि0 आ0 / 2020–21 दिनाँक 23.10.2020	15895750 / –	29.10.2020
6.	8 / 3051 / 317 / पंचम / रा0 वि0 आ0 / 2020–21 दिनाँक 28.10.2020	229192108 / –	04.11.2020
7.	8 / 4024 / 317 / पंचम / रा0 वि0 आ0 / 2020–21 दिनाँक 04.12.2020	229192108 / –	07.12.2020
8.	8 / 4117 / 317 / पंचम / रा0 वि0 आ0 / 2020–21 दिनाँक 04.01.2021	227530851 / –	08.01.2021
9.	8 / 1046 / 317 / पंचम / रा0 वि0 आ0 / 2020–21 दिनाँक 01.02.2021	227530851 / –	05.02.2021
10.	8 / 1200 / 317 / पंचम / रा0 वि0 आ0 / 2020–21 दिनाँक 12.03.2021	176360851 / –	07.03.2021
11.	8 / 1255 / 317 / पंचम / रा0 वि0 आ0 / 2020–21 दिनाँक 25.03.2021	264453315 / –	30.03.2021
12.	8 / 1269 / 317 / पंचम / रा0 वि0 आ0 / 2020–21 दिनाँक 26.03.2021	247838752 / –	30.03.2021
	योग–	**2438250730 / –**	

(ख) अनावर्तक अनुदान

क्रमाँक	अनुदान का विवरण	प्राप्त धनराशि	प्राप्ति तिथि
(क)	**15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त अनुदान निदेशक, स्थानीय निकाय उ0 प्र0 लखनऊ के पत्र सं0–**		
1.	8 / 3077 / 320 / 15वाँ वि0 आ0 / 2020–21 दिनाँक 10.11.2020	605000000 / –	13.11.2020
2.	8 / 3082 / 320 / 15वाँ वि0 आ0 / 2020–21 दिनाँक 12.11.2020	605000000 / –	19.11.2020
3.	8 / 1288 / 320 / 15वाँ वि0 आ0 / 2020–21 दिनाँक 30.03.2021	605000000 / –	31.03.2021

	योग	1815000000/—	
(ख)	अमृत योजना के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान शा0 सं0		
1.	एस0 एम0 एम0 यू0/3423/974/2020—21 दिनाँक 11.02.2021	317401/—	17.02.2021
2.	एस0 एम0 एम0 यू0/3422/974/2020—21 दिनाँक 11.02.2021	1286000/—	17.02.2021
	योग	1603401/—	
(ग)	कान्हा गौशाला गौ सेवा आयोग, लखनऊ उ0 प्र0 के पत्रांक—		
1.	1570/नौ—8—20—06 के0 पी0 ए0 (बजट) 2018 दिनाँक 02.12.2020	5242000/—	02.01.2021
	योग	5242000	
(घ)	स्वच्छ भारम मिशन, निदेशक/मिशन निदेशक (एस0 बी0 एम0) नगरीय विकास, उ0 प्र0 लखनऊ के पत्रांक		
1.	पी0 एम0 यू0/3799/427 (9)/2019 दिनाँक 01.07.2020	250000/—	24.08.2020
2.	पी0 एम0 यू0/479/427 (3)/2017 दिनाँक 22.12.2017	392000/—	17.09.2020
3.	पी0 एम0 यू0/45/427 (9)/2019 दिनाँक 04.01.2021	1000000/—	06.01.2021
	योग	1642000/—	

<u>टिप्पणी</u> :— (1) प्रमाणित किया जाय कि नगर निगम को वर्ष 2019—20 में उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई आवर्तक/अनावर्तक अनुदान प्राप्त नही हुआ था।

(2) निगम द्वारा अनावर्तक अनुदान पंजी अनुरक्षित नही की गई थी। अनुदान पंजी के अभाव में अनुदानवार उपभोग की गयी धनराशि का संकलन वाहय गणना पर आधारित है जो अनन्तिम एवं परिवर्तनीय है। अनावर्तक अनुदान पंजी अनुरक्षित करके अनुदान की प्राप्त धनराशि एवं उपभोग की गई धनराशि अंकित करके दिनाँक 31.03.2021 को उपभोग हेतु शेष धनराशि का सत्यापन कराया जाय।

(3) आवर्तक अनुदान पंजी अनुरक्षित नही की गई थी। वाहय आगणन/रोकडबही के आधार पर संकलित चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त अनुदान, उपभोग एवं शेष अनुदान का विवरण निम्नवत् है —

विवरण	धनराशि
01.04.2020 को प्रारम्भिक शेष —	477403779.00
वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान—	2438250730.00
योग—	2915654509.00
वर्षान्तर्गत उपभोग—	2481829076.00
31.03.2021 को उपभोग हेतु शेष अनुदान—	433825433.00

अनुदान पंजी अनुरक्षित कर इसका सत्यापन कराया जाय।

(4) अप्रयुक्त अनुदानों के विवरण के क्रमाँक (1) व (2) विगत कई वर्षो से अप्रयुक्त चले आ रहे है। उक्त अनुदानों की धनराशि रू 162995/– का उपभोग न किये जाने का कारण उक्त सीमा तक अनुदान की धनराशि अवरूद्ध पड़ी रही। अतएव उक्त के उपभोग न किये जाने का कारण स्पष्ट करते हुए अप्रयुक्त अनुदानों की धनराशि ब्याज सहित शासन के संबंधित विभाग को वापिस किया जाना अपेक्षित है।

(5) अप्रयुक्त अनुदानों के विवरण क्रमाँक (3) (4) एवं (6) पर अंकित सांसद एवं विधायक निधि से प्राप्त अनुदानों की धनराशि रू 720854/– विगत कई वर्षो से अप्रयुक्त चले आ रहे है। उनके उपभोग न किये जाने का कारण स्पष्ट करते हुए अप्रयुक्त अनुदानों की धनराशि को संबंधित विभाग को वापिस किया जाना अपेक्षित है।

(6) अप्रयुक्त अनुदानों के विवरण में क्रमाँक 5 के (1) से (12) तक पर अंकित अनुदान 12वें वित्त आयोग से प्राप्त थे जिनमें रू 15473720/– अभी भी उपयोग हेतु शेष था। इसे उपभोग करने हेतु यदि शासन से अनुमति ली गयी हो तो दिखाया जाय अन्यथा स्थिति में इस धनराशि को निगम खातो में अवरूद्ध रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए उसे शासन को ब्याज सहित वापस करते हुए सम्परीक्षा को अवगत कराया जाय।

(7) अप्रयुक्त अनुदानों के विवरण के क्रमाँक 7 पर अंकित राजस्व विभाग से प्राप्त अनुदान की अवशेष धनराशि रू 371574/– का उपभोग न किये जाने का कारण स्पष्ट करते हुए इसे वापस किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(8) अप्रयुक्त अनुदानों के विवरण में क्रमाँक 8 के (1) से (16) तक पर अंकित 14वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान की अप्रयुक्त धनराशि रू 732833147/– दिनाँक 31 मार्च, 2021 को अप्रयुक्त थी। इसे उपभोग किया जाय अन्यथा स्थिति में शासन को वापस किया जाना अपेक्षित है।

(9) स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष में कोई अनुदान प्राप्त नही हुआ था। वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त अनुदानों में से दिनाँक 31.03.2021 को रू 12906480/– अप्रयुक्त थी। इसका उपभोग सुनिश्चित किया जाय। स्मार्ट सिटी मिशन की अवशेष अनुदान की धनराशि को विगत कई वर्षो से अवरूद्ध रखा गया था। यह अनियमित एवं आपत्तिजनक था। उक्त धनराशि के उपभोग किये जाने अथवा संबंधित विभाग को वापस किये जाने की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(10) यू0 आई0 डी0 एस0 एस0 एम0 टी0 योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में प्राप्त अनुदान में से रू 244070/– अप्रयुक्त थे। इनके उपभोग/वापसी की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(11) अप्रयुक्त अनुदान के क्रमाँक 12 के 1 से 7 तक अंकित अमृत योजना हेतु प्राप्त अनुदान में से 31मार्च, 2021 को रू 3982000/– की धनराशि अप्रयुक्त थी। इसका उपभोग सुनिश्चित किया जाय अन्यथा इसकी वापसी सुनिश्चित की जाय

(12) आलोच्य अवधि में 15वाँ वित्त आयोग निधि से रू 1815000000/– की धनराशि प्राप्त थी जिसमें से कोई धनराशि आलोच्य अवधि में व्यय नही की गयी थी। अतएव उक्त योजना की अप्रयुक्त धनराशि रू 1815000000/– के उपभोग किये जाने की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(13) वर्ष 2018–19 में कान्हा गौशाला हेतु प्राप्त अनुदान रू 15950000/– था जिसमें से वर्ष 2019–20 में रू 15048416/– का व्यय दर्शाया गया था। शेष धनराशि रू 901584/– थी किन्तु वर्ष 2018–19 की सम्परीक्षा आख्या के फार्म–66 प्रपत्र में उक्त आय–व्यय दर्शित नही हुआ था। इसका उपभोग दिखाया जाय।

(14) नगरीय जल निकासी योजना हेतु नगर निगम को वर्ष 2018–19 में रू 10000000/– अनुदान प्राप्त हुआ था जिसे नगर निगम द्वारा दिनाँक 30 मई, 2019 को चैक सं0 030212 व्यय प्रमाणक संख्या 714 द्वारा जल निगम को हस्तान्तरित (अस्थाई अग्रिम) किया गया था।। इसमें से कितनी धनराशि व्यय हो चुकी थी, इसका उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था अथवा नही, स्पष्ट किया जाय और उपभोग का सत्यापन कराया जाय। वर्ष 2018–19 की सम्परीक्षा आख्या में इसे फार्म–66 प्रपत्र में अंकित नही किया गया था।

(15) अप्रयुक्त अनुदान के क्रमाँक 12 के (1) से (7) पर अंकित स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान में से 31 मार्च, 2021 को रू 15509678/– अप्रयुक्त था। अप्रयुक्त धनराशि का उपभोग सुनिश्चित किया जाय अन्यथा स्थिति में इसे वापस किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(16) अनुदानों का सहंत विवरण संलग्न परिशिष्ट '4' पर दिया गया है।

(17) अप्रयुक्त अनुदानों का सहंत विवरण संलग्न परिशिष्ट '5' प्रपत्र–66 में दिया गया है।

(18) निर्माण कार्यो का विवरण संलग्न परिशिष्ट '6' पर दिया गया है।

(4) <u>राजकीय ऋण एवं उनके प्रतिदान की स्थिति</u> :– सम्परीक्षा में उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर जहाँ तक सुनिश्चित किया जा सका, आलोच्य अवधि में निगम को न तो कोई राजकीय ऋण प्राप्त हुआ था और न ही कोई धनराशि प्रतिदान की गयी थी।

<u>टिप्पणी</u> :– (1) नगर निगम द्वारा राजकीय ऋण पंजी अनुरक्षित नही की गयी थी। इसे निर्धारित प्रोफार्मा पर अनुरक्षित कराकर सत्यापनोपरान्त सम्परीक्षा में आगामी अवसर पर उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

(2) गत सम्परीक्षा आख्या के अनुसार दिनाँक 31.03.2019 को कुल मूलधन रू 186828600/– तथा एन0 सी0 आर0 से प्राप्त ऋण पर देय ब्याज सहित समस्त धनराशि प्रतिदान किये जाने हेतु बकाया थी। एन0 सी0 आर0 से गत ऋण से संबंधित अभिलेख शासनादेश जिनसे ऋण अनुमन्य हुआ था, को प्रस्तुत करके सत्यापन कराया जाय तथा स्पष्ट किया जाय कि दिनाँक 31.03.2021 को ऋणों के ब्याज सहित बकाया की क्या स्थिति थी ?

(3) महालेखाकार उ0 प्र0, प्रयागराज से प्राप्त लेखा पर्ची प्रस्तुत करके दिनाँक 31.03.2021 को अवशेष मूलधन एवं इस पर देय ब्याज का सत्यापन कराया जाय।

(4) वर्ष 2020–21 के बजट में किसी भी ऋण एवं उस पर देय ब्याज के प्रतिदान हेतु कोई प्राविधान नही किया गया था। इसका कारण स्पष्ट किया जाय।

(5) वर्ष 2020–21 में दिनांक 31.03.2021 को प्राप्त प्रतिदान एवं प्रतिदान हेतु अवशेष ऋणों का विवरण संलग्न परिशिष्ट '7' में दिया गया है।

(6) प्रमाणित किया जाय कि उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई ऋण प्राप्त प्रतिदान हेतु शेष नही था।

(5) <u>विनियोजन</u> :– आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में निगम द्वारा विनियोजन से संबंधित उपलब्ध कराये गये अभिलेख/सूचना/ विवरण तथा गत सम्परीक्षा आख्या में अंकित विवरण के अनुसार निगम द्वारा निम्न विवरणानुसार धनराशि विनियोजित की गई थी । उक्त विवरण में दर्शित सभी सावधि जमा रसीदों को दिनाक 05.04.2021 में नकदीकरण करने के पश्चात् एच0 डी0 एफ0 सी0 बैंक के खाता सं0 50200056920639 में रू 83000000 एवं पंजाब नेशनल बैंक के खाता सं0 3703000102210072 में रू 5853220/– जमा कर दिया गया था। सावधि जमा रसीदों का विवरण निम्नवत् था –

क्रमांक	विनियोजन का विवरण खाता संख्या/दिनांक	विनियोजित धनराशि	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता धनराशि	प्राप्त ब्याज की धनराशि
1.	यूनियन बैंक आफ इण्डिया शाखा नगर निगम परिसर, गाजियाबाद में सावधि जमा रसीद संख्या एवं दिनांक				
(i)	सं0 1991567 खाता सं0 55503030000284 दिनांक 07.02.2007	3033000/—	05.04.2021	8592420/—	5559420/—
(ii)	सं0 ई0 एम0/सी0 ओ0 एम0 /ई0 113307 खातासं0 555203030381667 दिनांक 11.03.2013	7335070/—	05.04.2021	13928909/—	6593839/—
(iii)	सं0 1991568 खातासं0 555203280020007 दिनांक 07.02.2007	2500000/—	05.04.2021	7446088/—	4946088/—
(iv)	सं0 ई0 एम0/टी0 डी0 एस0 /041595 खातासं0 555203030000353 दिनांक 24.04.2007	1019032/—	05.04.2021	2946905/—	1927873/—
(v)	सं0 1991566 खातासं0 555203030040272 दिनांक 07.02.2007	2500000/—	05.04.2021	6436410/—	3936410/—
(vi)	स0 1991583 खातासं0 555203280000007 दिनांक 07.02.2007	2500000/—	05.04.2021	7446079/—	4946079/—

2.	पंजाब नेशनल बैंक, अम्बेडकर रोड, गा0 बाद में विनियोजित खा0 सं0 370300 जी0 आर0 00000307 दि0 05.03.2013 प्रभावी तिथि 24.12.2012	22045992/—	05.04.2021	36559469/—	14513477/—
3.	पंजाब नेशनल बैंक, शास्त्री नगर रोड, गाजियाबाद खातासं0 2051003105295018 दिनांक 07.03.2013 प्रभावी तिथि 23.03.2012	3019450/—	05.04.2021	5496940/—	2477490/—
	योग—	**43952544/—**		**88853220/—**	**44900676/—**

टिप्पणी :— (1) विनियोजन पंजी अनुरक्षित नही की गयी थी। इसे अनुरक्षित कर सत्यापनोपरान्त सम्परीक्षा में आगामी अवसर पर दिखाया जाय।

(2) मूल विनियोजन/छायाप्रति सम्परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। इन्हे प्रस्तुत कर सत्यापन कराया जाना अपेक्षित हैं।

(3) समस्त विनियोजनों को दिनांक 05.04.2021 को भुनाकर बैंक में जमा कर दिया गया था।

(4) प्रमाणित किया जाय कि निगम द्वारा उक्त विवरण में अंकित 8 सावधि जमा रसीदों के अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि विनियोजित नही की गई थी।

(6) सम्परीक्षा शुल्क के आरोपण एवं देयता की स्थिति :— सम्परीक्षा शुल्क के आरोपण के संबंध में उ0 प्र0 शासन के वित लेखा परीक्षा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–आडिट–2–695/दस–2018–355 (ii) 2017 दिनांक 01.10.2018 के अनुसार शासन ने स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0 प्र0 द्वारा सम्परीक्षित संस्थाओं से सम्परीक्षा शुल्क समाप्त किये जाने के आदेश निर्गत किये गये है। अतः उक्त शासनादेश के अनुपालन में वर्ष 2020–21 की सम्परीक्षा हेतु कोई सम्परीक्षा शुल्क आरोपित नही किया गया।

शासनादेश सं0–1/2019/आडिट–2–1155/दस–2019–355 (ii)/2017 दिनांक 27.09.2019 के अनुसार स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0 प्र0 एवं मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0 प्र0 द्वारा सम्परीक्षित संस्थाओं पर बकाया सम्परीक्षा शुल्क का अपलेखन किया गया।

(7) परिसम्पत्ति एवं दायित्व का विवरण तैयार न किया जाना अनियमित :— आलोच्य अवधि हेतु निगम द्वारा नकद परिसम्पत्ति एवं दायित्व का विवरण नही बनाया गया था। नकद परिसम्पत्ति एवं दायित्व का विवरण नही बनाये जाने से निगम की आर्थिक स्थिति स्पष्ट नही हो सकी। नकद परिसम्पत्ति एवं दायित्व का विवरण बनाकर सम्परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

(8) <u>नजूल</u> :– गत एवं विगत वर्षो की सम्परीक्षा आख्या के अनुसार नगर निगम के पास कोई नजूल सम्पत्ति नही थी। इसकी पुष्टि कार्यालय, जिलाधिकारी, गाजियाबाद से प्रमाण पत्र प्राप्त कर कराया जाना अपेक्षित हैं।

(9) <u>सफाई कर्मचारी कल्याण निधि की स्थापना न किया जाना अनियमित</u> :– सफाई कर्मचारी कल्याण निधि की स्थापना एवं प्रावधानों से संबंधित नियमावली नगर पालिका विज्ञप्ति सं0–204 एच/ग्यारह–ए–63–49 दिनांक 09.02.1956 द्वारा बनायी गयी थी किन्तु नगर निगम द्वारा सफाई कर्मचारी कल्याण निधि की स्थापना नही की गई थी। नगर निगम में भारी संख्या में नियमित सफाई कर्मचारी एवं दैनिक वेतन तथा संविदा पर थे। इसके बावजूद भी सफाई कर्मचारी कल्याण निधि की स्थापना न किया जाना सफाई कर्मचारियों के हित में नही था तथा शासनादेश के प्रतिकूल था। अतः इस निधि की स्थापना करके सम्परीक्षा में जांच कराया जाना अपेक्षित हैं

(10) <u>विविध करों एवं राजस्व की मांग समाहरण की स्थिति</u> :– गृहकर, जलकर एवं सीवर कर की मांग समाहरण पंजी जोनवार बनायी गयी थी परन्तु आलोच्य वर्ष की मांग एवं समाहरण पंजी अपूर्ण थी तथा इस पर मांग एवं वसूली की धनराशि अंकित नही की गई थी। गत एवं विगत वर्षो की सम्परीक्षा में भी मांग एवं समाहरण पंजी अपूर्ण रहने संबंधी आपत्ति अंकित की गई थी। जोनल कार्यालयों में कम्प्यूटर से रसीदे निर्गत की गई थी परन्तु इसकी कार्यालय प्रति अनुरक्षित न कर केवल प्रतिदिन कुल जमा का विवरण अंकित था, इसके अभाव में इनकी जांच सम्भव न हो सकी। यह अनियमित एवं आपत्तिजनक था। गृहकर, जलकर एवं सीवर की मांग एवं समाहरण पंजी पूर्ण एवं सत्यापित कराकर सम्परीक्षा में आगामी अवसर पर प्रस्तुत किया जाय।

उपर्युक्तानुसार ही दुकान किराया, भवन किराया, जलमूल्य तथा अस्थायी प्रयोग भूमि हेतु मांग समाहरण पंजिकाओं को अधावधिक पूर्ण करके लेखाबन्दी नही की गयी थी। इन्हें पूर्ण एवं लेखाबन्दी कराकर सक्षम अधिकारी से सत्यापनोपरान्त सम्परीक्षा में आगामी अवसर पर प्रस्तुत किया जाय।

कर निर्धारण सूची नही बनायी गयी थी। आलोच्य अवधि में निगम के अन्तर्गत स्व कर निर्धारण प्रणाली लागू थी, इसके बाद भी आलोच्य अवधि में निर्धारित किये गये करों की सूची नही बनायी गयी थी। अतएव वर्ष 2020–21 में प्रत्येक वार्डवार, जोनवार निर्धारित किये गये करों की कर सूची बनाकर सक्षम अधिकारियों से सत्यापित कराकर सम्परीक्षा में आगामी अवसर पर प्रस्तुत किया जाय।

इसी प्रकार विभिन्न ठेकेजातों यथा पार्किंग, विज्ञापन शुल्क, प्रेक्षा कर, तरणताल आदि ठेकेजातों आदि से संबंधित मांग समाहरण पंजी में भी अधावधिक पूर्ण एवं लेखाबन्दी बनाकर सत्यापनोपरान्त सम्परीक्षा में नही दिखायी गयी जिससे उक्त मदों के बकाया की स्थिति अज्ञात रही। अतएव उसे पूर्ण एवं लेखाबन्दी कराकर सत्यापनोपरान्त सम्परीक्षा में आगामी अवसर पर दिखाया जाय।

उपरोक्त स्थिति में विविध करों एवं राजस्व की मांग समाहरण की स्थिति/विवरण तैयार किया जाना सम्भव नही था और न ही एल0 ए0 ओ0 106 ही तैयार किया जाना सम्भव था। वर्गीकृत सार पंजिकाओं एवं बजट के अनुसार आलोच्य अवधि में विभिन्न मदों से निम्न विवरणानुसार आय प्राप्त हुयी थी –

क्रमांक	मद का नाम	प्राप्त आय
1.	गृहकर	580932922/–
2.	जलकर	445765431/–
3.	सीवर कर	204958068/–
4.	विज्ञापन कर/शुल्क	8089487/–

5.	प्रेक्षा कर	537420 / —
6.	भवन एवं दुकान किराया	20988697 / —
7.	अस्थायी प्रयोग भूमि	3064870 / —
8.	पानी का टैंकर	878900 / —
9.	पार्किंग	2296694 / —
10.	तरणताल	6110000 / —
	योग	**1273622489 / —**

<u>टिप्पणी</u> :— उक्त का विवरण संलग्न परिशिष्ट '8' में भी दिया गया है।

(11) <u>निष्कर्ष</u> :— आख्या में वर्णित उर्पयुक्त अभ्युक्तियों के अतिरिक्त लेखे का रख रखाव संतोषजनक था। सम्परीक्षा में निर्गत मूल आपत्ति पत्र उत्तर सहित वापस नही किया गया। इसे अब अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को वापस किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

स्वच्छ आपत्ति पत्रावली में अब कोई पद शेष नही है।

स्थान : मेरठ
दिनांक : 13.03.2023

(देवेन्द्र)
उप निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,
उ0 प्र0, मेरठ मण्डल, मेरठ

<u>सम्परीक्षा टोली के सदस्यों के नाम</u> :—

1. श्री बृजनाथ तिवारी, वरिष्ठ लेखा परीक्षक।
2. श्री मीर सिंह हरित, वरिष्ठ लेखा परीक्षक।
3. श्री देवेन्द्र कुमार, वरिष्ठ लेखा परीक्षक।
4. श्री अनिल कुमार, वरिष्ठ लेखा परीक्षक।
5. श्री सतीश कुमार निगम, वरिष्ठ लेखा परीक्षक।

सा0 आ0 भाग 'ख' के प्रस्तर–1 में सन्दर्भित परिशिष्ट '1'
लेखे का नाम – नगर निगम, गाजियाबाद
अवधि –वित्तीय वर्ष 2020–21

अनिस्तारित आपत्तियों का विवरण

अवधि	सम्परीक्षा आख्या के अनुच्छेद	पद	योग
1981–82	3 टि0 (1) (2) (3) (4) (अ) 4 टि0 (2) (3) 5, 6 (2) (3) 7 (1) (2) 9, 11 टि0 (अ) (ब) (स) (द) 12 टि0, 13 टि0 (1) (2), 14, 15, 16, 17, 18 (अ) (ब) (स) 19 (1) (2), 39, 40 (1) (2) (3) 41 (1) (2) (3) (4) 42, 43, 44, 45 (1) (2) 46, 47, 48, 49 (2), 50, 51 (2) 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 61, 62, 63, 64, 65, 66 (1) 67 (क) (ख) (ग) (घ) 68, 69, 70 (1) (2) (3) (4), 71, 72 (2) (3) 73 टि0 (1) (2) (3) (4), 74, 75, 76 (1) (2) 77	—	89
1982–83	17 (ख) (घ) 18 (1) (2) (3) (4) (5) (ख) (1) (2) (3) (4) (5) (6), 19 (क) (4)	—	14
1983–84	3 टि0 (1) (2) (3) (4), 4 टि0, 6 टि0 (1) (2) (3), 7 टि0 (1) (2) (3) (4),8 टि0 (1) (2), 10, 11 टि0 (1) (2), 12, 13 टि0 (1) (2) (3) (4) (5), 14, 17, 18 (1) (2) (3) (4), 19, 20, 21 (2) 22, 23, 24, 25 (1) (2), 26 (1) (2), 27, 28 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3), 27 (1) (2) (3), 30 (1) (2), 31, 32, 33, 34 (1) (2), 35 (1) (2)	—	65
1984–85	3 टि0 (1) (2) (3) 4 टि0 (2) 5 टि0 (1) (2) (3) (4) 7 टि0 (1) (2) (3) (4) 8 टि0 (1) (2) 10, 11 टि0 (1) (2) (3),12, 13 टि0 (1) (2) (3) (4) (5) 14, 15 (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3), 16 (क) 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 25 (क) (1) (2) (4) (5) (ख) (1) (2) (3)	—	61
1985–86	3 टि0 (1) (2) (3) 4 टि0 (1) (2) (3) (4) 5 टि0 (1) (2) (3) (4) 6 टि0 (1) (2) (3) (4) 8 टि0 (1) (2) (3) (4) (5) 9 टि0 (1) (2) (3) (4) 10, 11 टि0 (1) (2) 14 टि0 (1) 14 (ख) 15 (1) (2) 16 (1) (2) 17, 18, 19 (क) (1) (2) ख 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	—	46
1986–87	3 टि0 (1) (2) (3), 4 टि0 (1) (2) (3) (4) 5, 6 (1) (2) (3) (4) 12, 14 टि0 (1) (2) 15 (2) (3) 16 (क) (ख) 17, 18, 19, 20 नोट (1) (2) 21, 22, 23, 24 (1) (2) 25 (2) 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 (क) (ख) (ग) (घ) (ड) (च) (छ) (ज) (झ), 34, 35	—	64

	(1) (2) (3) 36, 37, 38 (1) (2) 39 (1) (2) (3) 40 (1) (2) (4) 41, 42, 43, 44, 45, 46		
1988–89	3 टि0 (1) (2) 4 टि0 (1) (2) (3) 5 (1) (2) (3) 5 (क) (1) (2) (3) (4) (5) टि0 6 (1) (2) 14, 15 टि0 (1) (2) (ग) (घ) (ङ) (च) 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 टि0 25 टि0, 26, 27, 28, 29, 30 (क) (ख) (ग) (घ) (1) (2) (3) (4) 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43	—	56
1989–90	3 टि0 (1) (2) (3) (4) 4 टि0 (1) (2) (3) (4) 4 टि0, 5 टि0 (1) (2) 8, 9, 10, 11, 12 टि0, 13 टि0 नोट 14 (1) (2) (क) नोट 16 (1) (2) (3) 17, 18, 19, 20 (ख) (1) (2) (3) (ग) (1) (2) (3) (ङ) (च) (छ) (ज) 22 (1) (2) 23 नोट, 24, 25 (1) (2) (3) (4) 26, 27 (1) (2) 28, 29 (1) (2) 30, 31 (क) (ख) 32 (1) (2) (3), 33, 34, 35, 36 (1) (2) 37 नोट (1) (2) 38, 39	—	71
1990–91	3 टि0 (1) (2) (3) (4) (6) 4 टि0 (1) (2) (3) 5 टि0 (1) (2) (3) 6, 7 टि0 (1) (2) (3) , 8, 10, 11	—	21
1991–92	12 नोट 13 टि0 (1) (2) 14, 15 टि0 (1) (2), 16 (क) (ख) (ग) (घ) (ङ),(1) (2) (3) (4) (च) (1) (2) (छ) (ज) 17 (1) (2) 18, 19 (1) (2) 20, 21 नोट (1) (2) (3) 22, 23 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) 11 नोट 24 (ख) (ग) (ङ) (च) (छ) (ज) (झ) (ञ) 25 नोट 26 नोट 27, 28, 31, 32 (1) (2) (3) 35	—	54
1992–93	1, 3 टि0 (1) (4) 4 टि0 (1) (2) 5 टि0 (1) (2) (3) 6 टि0 (1) (2) टि0 (1) (2) 11, 12, 13 टि0, 14 टि0 (1) (2) 15, 16 टि0 (1) (2) 17 (1) (2) 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 (1) (2) 34, 35, 36 (1) (2) 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56	—	63
1993–94	3 टि0 (1) (2) 4 टि0 (1) (2) (3) 5 टि0 (1) (2) (3) (4) (5) 6 टि0 (1) (2) (3) 10, 11, 12 टि0 (1) (2) (3) (4) (5) 13, 14, 15 टि0 (1) (2) (3) 16 (1) (2) 17 (क) (ख) (ग) (1) (2) (घ) 19 (क) टि0 (1) (2) 20 (1) (2) (3) 21 (4) 22, 23 टि0 25 (क) (ख) (ग) 26, 27, 28, 29 (क) (ख) 30 (1) (2) (3) 31 (क) (ख) 32 (क) (ख) 33 (2) 35 (क) (ख) 36 (1) (2) (3) (4) (5) 37	—	77
1994–95 (प्रथम छमाही)	3 टि0 (1) (2) (3) 4 टि0, 5 टि0 (1) (2) (3) 6 टि0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 8, 9 (1) (2) (3) (4) (5) 10, 11 टि0 (1) (2) 12 (1) (2) 13 टि0, 14 (1) (2) 15 (1) (2) 16 (1) (2), 17 (1) (2), 18 टि0, 19, 20 (1) (2) (3) (4) 21 (1) (2) (3) 24 (1) (2) (3) 25 (1) (2) 26, 27 (1) (2) (3) (4) 28(1) (2) (3) 29, 30, 31 (1) (2) (1) (2) 32 (1) (2) 33 (1) (2) (3) (4) (5)	—	79

	34 (1) (2) (3) 35 (1) (2) (3)		
1994—95 (द्वितीय छमाही)	3 टि0 (1) (2) 4 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 6 (1) (2) टि0 (1) 7 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (क) (ख) (2) 9, 10 (1) (2) (3) (4) 11 (1) (2) (3) 12, 13, 14, 15 (1) (2) (3) (4) (5) 16 (1) (2) 17 (1) (2) 18 (1) (2) (3) (4) 19 (1) (2) 20	—	52
1995—96	1 (क) (ख) 2, 3 4 (1) (2) (3) (4) (5) 6, 7 (ख) (1) (2) (3) (ग) (घ) (ड) (च) (छ) (ज)	—	19
1996—97	1 (अ) 2, 3, 4 टि0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10), 7, 9 (1) (ब), 2 (क) (ख) 3 टि0, 4 टि0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 10, 11, 15, 6, 7, 8 (2) (3) (4) (7)	—	36
1997—98 से 1998—99	1, 2, 3 टि0 (1) (2) (3) (क) (ख) 4 टि0 (1) (2) (3) (4) 4 (अ) (क) (ख) (ग) (घ) 4 (ब) (क) (ख) (ग) (घ) (ड) (च) 2 (क) (ख) 1, 3, 4, 5 (ग) (घ) 2 (क) (ख) (ग) (घ) 4 (क) (ख) (ग) (घ) (ड), 5 (क) (ख) (ग) (घ) प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम किस्त 7 (1) (2) (3), 3 (क) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (1) (2) (3) (4) (5) 9 (क) (ख) (ग) (घ) (ड) 11 (क) (ख) (ग) (घ) 12 (1) (2) (3) (4) (5) 15 (1) (2) (3) (4) (5) 16 (क) (ख) (ग) (घ) (ड) (च) (छ) (ज) (झ) (ञ) 19 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 20 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 21, 22, 23 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 27 (1), 28 (क) (ख) (ग) (घ) (ड) (च) (छ) (ज) 29, 30 (क) (ख) (ग) टि0 (1) (2)	—	133
1999—2000	(क) (ग) (घ) (ड) (छ) (ज) (ण) (त) (थ) (ध) (न) (प) (फ) (ब) 2, 3 टि0, 4 (1) (2) (5) (6)	—	22
2000—01 (प्रथम छमाही)	1 (ए) (बी) (1) (2) (3) (4) (सी) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (डी) (1) (2) (3) (4) (5) (ई) (1) (2) (3) (4) (एफ) (1) (2) (जी) (एच) (आई) (जे) (के) (एल) (एम) (ओ) (पी) (क्यू) (आर) (एस) 2, 3 टि0 (1) (2) (3) (4) (5) 6, 7, 8	—	46
2000—01 (द्वितीय छमाही)	1 (ए) (बी) (सी) (डी) (इ) (एफ) (जी) (एच) (आई) (जे) (के) (एल) (एम) (ओ) (पी) (क्यू) (आर) (एस) (टी) (यू) (वी) (डब्ल्यू) (एक्स) (वाई) (क) (ख) (ग) (घ) (ड) (च) (छ) (ज) (झ) (ञ) (ट) (ठ) (ड) 2, 3 टि0, 2 टि0, 1, 2, 3, 4 टि0 (1) 5, 6, 7 (2) (3) (4) 7, 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)	—	58
2001—02	1 (क) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (1) (2) 2 (ग) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (घ) (1) (2) (3) (4) (5) (च) (1) (2) (3) (4) (छ) (ज) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (झ) 2 (अ) ट (ठ) (1) (2) (3) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)	—	93

	(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)		
2002–03	1 (क) 2 (क) 2 (ग) (2) (3) 2 (घ) 2 (3) (4) टिप्पणी 5 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (ख) (ग) (घ) (1) (2) (3) (च) (छ) (2) (3) (4) (5) (6) (ज) (झ) (1) (2) (3) (ट) (ठ) (ड) (ढ) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (i) (ii) (iii) (ढ) (ण) (त) (थ) (1) (2) (3) (द) (2) (3) (ध) (1) (2) (3) (4) (5) (7) (9) (1) (2) 11, 13, 14, 15 ग (1) (2) (3) (4) 16 (7) (प) (फ) (ब) (भ) (म) (य) (र) (ल) (व) (श) (ष) (स) (ह) (क्ष) (त्र) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (ज) (1) (2) (i) (iii) (i) (ii) (iii) (1/5) (1/6) वर्ष 2001–02 के आपत्तियां (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9), 2, 3, 4, 5, 6 टिप्पणी सम्पूर्ण 7		122
2003–2004	1 (क) (1) (2) (1) (2) (ख) (ग) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (1) (घ) (i) (ii) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (1) (घ) (1) (2) 1 (घ) (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (1) (घ) (1) (2) (1) (घ) (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (1) (2) (3) (15) (1) (2) (3) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2) (3) (21) (22) (ड0) (1) (2) (3) (1) (2) (4) (5) (1) (2) (6) (7) (8) (9) (1) (2) (3) (4) (10) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (1) (च) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (7) 3 टि0 (1) (2) (4) (1) (3) (4) (5) (6) 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)	1 से 10	143
2004–05	1 (क) (1) (2) (3) (ख) (1) (2) (3) (ग) (घ) (1) (2) (ड0) (च) (छ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (ज) (1) (2) (झ) (ञ) (क) (ख) (ग) (घ) (ड) (ट) (ठ) (क) (ख) (ग) (घ) (ड) (1) (2) (3) (ढ) (1) (2) (ण) (1) (2) (त) (थ) (द) (ध) (न) (य) (र) (1) (2) (3) (ल) (1) (2) (व) (स) (1) (2) (ष) (1) (2) (21) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (ह) (1) (2) (3) 3 टि0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 4 टि0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 5, 6 टि0 (1) (2) (3) 7, 8 (क) (ख) (1) (अ) (ब) 9 (क) (ख) (ग)	1 से 37	122
2005–06	1 (क) (1) (2) (3) (4) (5) (ख) (ग) (घ) (ड) (च) (छ) (ज) (झ) (ञ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (ट) (ठ) (ड) (ढ) (ण) (त) (थ) (द) (1) (2) (ध) (1) (2) (3) (न) (य) (र) (ल) (व) (श) (ष) (स) (ह) (अ) (1) (2) (3) (क) (ख) (ग) (आ) (क) (ख) (ग) (ई) (उ) (ऊ) 2, 3 टि0 (1) (2) (3) 4 टि0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 5 टि0 (1) (2) 7, 8, 9 (क) (ख)	3,4,5,6, 11,12,13, 14,15	73

2006–07	1 (क) (1) (2) (3) (अ) (ब) (ii) (iii) (i) (ii) (iii) (vi) (ख) (1) (2) (3) टि0 (ग) (1) (2) (3) (4) टि0 (घ) (1) (2) (ii) (क) (ड) (च) (छ) (ज) (झ) (i) (ii) (iii) (ख) टि0 (i) (ii) (iii) (त्र) (i) (ii) (iii) ट (i) (ii) (iii) (iv) (ड) (i) (ii) (iii) (iv) (ढ) (त) (थ) (द) (ध) (न) (प) (i) (ii) (iii) (फ) (ब) (भ) (म) (1) (2) (य) (र) (1) (2) (ल) (व) (श) (ष) 3 टि0 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) 4 टि0 (क) (ख) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) 5 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) 7 (1) (2) 8, 9 (क) (ख) (i) (ii) (iii) (iv) 10 (क) (ख) (i) (ii) (ख) (ग) (घ)	1 से 42	140
2007–08	1 (क) (1) (2) (3) (ख) (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (ग) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (ग) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (घ) (1) (अ) (ब) (स) (द) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 3 टि0 (1) (2) (3) (4) 3 (क) 3 (ख) 4 टि0 (1) (2) (3) (4) 5, 6 टि0 (1) (2) (3) 7 टि0 (1) (2) (3) (4) 8, 9 (क) (ख) (ग) (घ) (ड) (च)	1 से 32	91
2008–09	**भाग–क** : 1 (क) (ख) (ग) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (घ) (1) (2) (3) (ड) (च) (1) (2) (छ) (ज) (झ) (1) (2) (ञ) (2) (क) (ख) (ग) (घ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (ड) 3 (क) (ख) (1) (2) (ग) (घ) (ड) (च) (छ) (ज) (झ) (ञ) (ट) (ठ) (ड) (ढ) (ण) (त) 4, 5, 6, 7 (क) (ख) (ग) (घ) (ड) (च) (छ) **भाग–ख** : 1, 2 टि0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 3, 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 5 टि0 (1) (2) (3) 6, 7 टि0 (1) (2) (3) (4) 8, 9, 10 टि0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)	1 से 10	104
2009–10	**भाग–क** : 1, 2, 3, 4, 5, 6 (i) (ii) (iii) (iv) (v) 7 (1) (2) 8, 9, 10 (i) (ii) 11, 12, 12 (i) (ii) 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (i) (ii) 21 टि0 (i) (ii) 22 (क) (ख) (ग) टि0 23 (क) (ख) 24, 25, 26 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (क) (ख) **भाग–ख** : (एक) (दो) (i) (ii) (तीन) (चार) टि0 (1) (2) (3) (4) (5) (पाच) टि0 (i) (ii) (iii) (iv) (छः) (सात) (तीन) (आठ) (नौ) टि0 (1) (2) (3) (4) (5) (6)	1 से 53	123
2010–11	**भाग–क** : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 (ख) 8 (1) (2) (3) (4), 9, 10 (i) (ii) (iii) (v) 11 (i) (ii) (iii) 12 (i) (ii) 13, 14, 15 टि0 (i) (ii) 16 **भाग–ख** : 5 (क) (ख) (ग) 9 (i) (ii) (iii) (iv) टि0	2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 15, 16,	61

		17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 34	
2011–12	**भाग–क :** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (a), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (i) (ii) (iii) (iv) (v) 21 (1) (2) (3) (4) टि0 (i) (ii), 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 (1) (2) (3) (4) (5) (6), 29, 30 **भाग–ख :** 2 टि0 (i) (ii) (iii) (iv) (v) 3 टि0 ख (1) (6) (7) (8) (9) (10) (ग) टि0 (1) (2) 4 टि0 (ii) (iii) (iv), 6, 7, 8, 9, 10 (i) (ii) (iii)	1 से 25	67
2012–13	**भाग–क :** 1 (क) (1) (2) (3) (4) (क) (ख) (i) (ii) (iii) (5) 1 (ख) (1) (2) (ग) (1) (2) (1) (2) (3) (4) (5) (3) 1 (घ) (1) (2) (3) (4) 1 (ड) 1 (च) 1 (छ) (1) (2) (3) (4) 1 (ज) टि0 (1) (2) 1 (झ) **भाग–ख :** 9 टि0 (4) 10 (1) (2) (3) (4) (5)	18, 19	37
2013–14	**भाग–क :** 1, 2 (1) (2) (3) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 **भाग–ख :** 1, 2 टि0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 3 टि0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 4, 5 टि0 (1) (2) 6, 7, 8, 9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 10	1 से 56	117
2014–15	**भाग–क :** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (क) (ख) (ग) (घ) (ड) (च) (छ) (ज) (झ) 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 **भाग–ख :** 1, 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12), 3 टि0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 4, 5 टि0 (1) (2) 6, 7, 8, 9 टि0 (1) (2) (3) (4) 10	1 से 37	95
2015–16	**भाग–क :** 1 (क) (ख) (ग) (घ) (क) (ख) (ड) (क) (ख) (च) (क) (ख) (छ) (ज) (क) (ख) (ग) (घ) (ड) (च) (झ) (ञ) (क) (ख) (ग) (ट) (ठ) (ड) (ढ) (ण) (त) (थ) (द) (ध) (न) 2,, 3, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 29, 50, 51, 52, 53, 54, 55	1 से 67 तक	183

	भाग–ख : 2 टि0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 3 टि0 (1) (2) (3) 4, 5 टि0 (1) (2) 6, 7, 8, 9 (1) (2) (3) (4) 10		
2016–17	**भाग–क** : 1, 2, 3, 4 (1) (2), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 (1) (2) (3), 30 (1) (2), 31 (1) (2), 32 **भाग–ख** : 2 टि0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10), 3 टि0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12), 4, 5 टि0 (1) (2) (3) (4), 6 टि0 (1) (2) (3) (4), 7, 8, 9, 10, 11 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)	1 से 47 तक	131
2017–18	**भाग–क** : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 (1) (2) (3) (4), 24 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9), 25 (1) (2) (3), 26, 27 (1) (2) 28, 29, 30, 31, 32 (1) (2) (3), 33, 34, 35, 36 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 37, 38 (क) (ख) (ग) 39, 40, 41, 42, 43 (1) (2), 44 (1), 45, 46, 47, 48 (1) (2) (3), 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 (1) (2) (3), 63, 64 **भाग–ख** : 2 टि0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11), 3 टि0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (11) (12) (13) (14) (15) 4, 5 टि0 (1) (2) (3) (4) 6 टि0 (1) (2) (3) (4) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1 से 11 तक	151
2018–19	**भाग–क** : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (1) (2) (3) (4) (5) (6), 10 (1) (2) (3) (4) (5), 11 (1) (2), 13 (1) (2) (3) (4) (5) (6), 14 (1) (2) (3) (4), 15 (1) (2) (3) (4) (5), 16 (1) (2) (3) (4), 17 (1) (2), 18 (1) (2), 19 (1) (2) (3), 20 (1) (2), 21 (1) (2), 22, 23 (1) (2) (3), 24 (1) (2), 25 (1), 26 (1) (2) (3), 27 (1) (2) (3), 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 (1) (2), 40, 41 (1) (2), 42, 43, 44, 45 (1) (2), 46, 47 (1) (2), 48, 49, 50 (1) (2), 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 **भाग–ख** : 2 टि0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9), 3 टि0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12), 4 टि0 (1) (2) (3) (4), 5 टि0 (1) (2) (3) (4) (5), 6, 7, 8, 9, 10 टि0	1 से 11	164
2019–20	**भाग–क** : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (1) (2) (3) 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 (1) (2) (3), 20 (1) (2) (3) (4)		309

	(5) (6) (7), 21 (1) (2) (3), 22 (1) (2), 23 (1) (2) (3) (4), 24 (1) (2), 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7), 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 (1) (2) (3) (4) (5), 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 (1), 65, 66 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7), 67 (क) (1) (2) (3) (4) (5) (ख) (2) (3) (4) (5) (6) (ग) (2) (3) (4) (5) (6) (घ) (2) (3) (4) (5) (6), 68 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7), 69 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13), 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9), 84 (1) (2) (3) (4), 85, 86, 87 (1) (2) (3) (4) (5), 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 (1) (2) (3) (4), 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 (1) (2) (3), 140, 141, 142, 143, 144 (क) (1) (2) (3), (2) (3) (4) (5) (6), वसुन्धरा जोन (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24), मोहन नगर जोन (1) (2) (3) (4) (5) (6) **भाग–ख :** 2 टि0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12), 3 टि0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15), 4 टि0 (1) (2) (3) (4), 5 टि0 (1) (2) (4), 7, 8, 9, 10		
				3452

सा0 आ0 भाग 'ख' के प्रस्तर–2 में सन्दर्भित परिशिष्ट '2'
लेखे का नाम– नगर निगम, गाजियाबाद
अवधि –वित्तीय वर्ष 2020–21

विवरण	नगर निगम निधि खाता	यू. आई. डी. एस. एस. एम. टी. खाता
01 अप्रैल 2020 को प्रा0 शेष	3457018035.19	85403675.00
वर्ष की आय	5739739370.57	2845298.00
योग	9196757406.76	88248973.00
वर्ष का व्यय	5472078456.00	शून्य
31.03.2021 को इतिशेष	3724678949.76	88248973.00
31032021 को रोकडबही के अनुसार शेष	3724678949.76 (क)	88248973.00 (क)
31.03.2021 को बैंक शेष	4043417723.58 (ख)	88248786.10 (ख)
अन्तर (कम) (क–ख)	318738773.82	186.90

बैंक शेष का विवरण

क्रमाक	बैंक का नाम/शाखा	खाता संख्या	खाते का प्रकार	31.03.2021 को अवशेष धनराशि	
1.	**एस. बी. आई.**				
	(1) वेतन, नवयुग मार्केट	34869682084	बचत	563382912.00	—
	(2) सी. पी. बी. पी.	34679226106	बचत	45388.00	—
2.	**यूनियन बैंक आफ इंडिया**				
	(1) सामान्य निगम परिसर	555201010024002	बचत	22408096.68	—
	(2) सामान्य, नया गंज	428502010270493	बचत	1278.00	—
	(3) सामान्य, कविनगर	448402010092154		729911.87	—
	(4) सामान्य, माडल आउन	368602010869357		2032.00	—
	(5) सामान्य, निगम परिसर	555202010509405		1748560.82	—
	(6) दुकान प्रीमियम निगम परिसर	555202010509916		7680570.92	—
	(7) सामान्य, वसुन्धरा	617501010050081		152453.50	—
	(8) वेतन निगम परिसर	555201010024001		6523393.08	—
3.	**कोषागार, गाजियाबाद** (अवस्थापना निधि)	8448002 हैड कोड सं0 844800102000000		17525914.00	—

4.	**कैनरा बैंक** सामान्य, मालीवाड़ा	11490101027894		3925409.00	—
5.	**एक्सिस बैंक** सामान्य, नवयुग मार्केट	916020021612420		29816127.00	—
6.	**कोटक महिन्द्रा बैंक** सामान्य, राजनगर	0211530525		733271.00	—
7.	**इलाहाबाद बैंक** रोड कन्टिंग, नवयुग मार्केट	50203004752		5450948.36	—
8.	**ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स** सामान्य, शास्त्रीनगर	00762191048192		6742094.60	—
9.	**आई. डी. बी. आई. बैंक**				—
10.	**इंडसइंड बैंक** सामान्य राजनगर	100008671278		2616459.93	—
11.	**सिडिकेंट बैंक** विद्यालय नवयुग मार्केट	85562200001327		6062398.39	—
12.	**सैन्ट्रल बैंक, सिहानी** विद्यालय सिहानी	1391830856		3272055.00	—
13.	**आन्ध्रा बैंक** सामान्य, गाजियाबाद	016010100000539		खाता बन्द	—
14.	**आई. सी. आई. सी. आई. बैंक**				
	(1) ई टेण्डरिंग राजनगर	628601041088		4942486.00	—
	(2) सामान्य, राजनगर	628605013722		25808911.48	—
	(3) सामान्य, राजनगर	628605013723		967668.58	—
	(4) सामान्य, नवयुग मार्केट	628601044011		576113.00	—
15.	**एच. डी. एफ. सी. बैंक**				
	(1) सामान्य, राजनगर	01531110000014		209105.74	—
	(2) सामान्य, आर. डी. सी. राजनगर	50100264496541		1486753.13	—
	(3) औद्योगिक क्षेत्र, मोहननगर	50100056181475.		15468750.71	—
	(4) सामान्य, मोहननगर, राजनगर	50100056181488		13503732.92	—
	(5) औद्योगिक क्षेत्र, वसुन्धरा राजनगर	50100056181491		58396357.97	—
	(6) सामान्य, वसुन्धरा, राजनगर	50100056180498		37514631.55	—
	(7) सामान्य, आर. डी. सी. राजनगर	50100290416233		5804425.46	—
	(8) आर.डी.सी.राजनगर सामान्य	50100103586052		12899418.00	—
	(9) सामान्य, कविनगर, राजनगर				

	(10) सामान्य, सिटीजोन, राजनगर	50100056181653		52708358.53	—
	(11) औद्योगिक क्षेत्र, कविनगर	50100056181525		16062566.13	—
	राजनगर	50100056181541		8832375.67	—
	(12) औद्योगिक क्षेत्र, विजयनगर राजनगर	50100056181577		1929117.79	—
	(13) सामान्य, विजयनगर राजनगर	50100056181601		3882282.88	—
	(14) औद्योगिक क्षेत्र, सिटीजोन राजनगर	50100056181627		3708953.25	—
16.	**पंजाब नेशनल बैंक**				
	(1) औ0 क्षेत्र, विजयनगर 08.01.2017 के बाद खाता डारमेट	3946002100005512		868753.40	—
	(2) सामान्य, सूर्यनगर 06.01.2019 के बाद No record were feteched अंकित, खाता डारमेट	1443002100416501		2776087.61	—
	(3) सामान्य, विजयनगर 09.10.2016 के बाद खाता डारमेट	3946002100002579		1496339.58	—
	(4) सामान्य, अंबेडकर रोड	3703000102232010		1020845.00	—
	(5) सामान्य, जी0 टी0 रोड	0180000103033784		3937.24	—
	(6) सामान्य, अंबेडकर रोड	3703000102237927		51063.24	—
	(7) 14वां वित्त आयोग अंबेडकर रोड	3703000102211257		1005463955.54	—
	(8) 15वां वित्त आयोग अंबेडकर रोड	4483000100059729		1825553558.00	—
	(9) अमृत योजना नवयुग मार्केट	0294000110120710		3242677.80	—
	(10) कान्हा गौशाला, कौशाम्बी	3000000100247438		355661.50	—
	(11) अमृत योजना, नवयुग मार्केट	0294001100000368		7316512.10	—
	(12) स्मार्ट सिटी, नवयुग मार्केट	0294001100000890		16598503.00	—
	(13)	4483000100037301		36709406.05	—
	(14) सामान्य, अंबेडकर रोड	3703000102283874		957978.84	—
	(15) सामान्य, वसुन्धरा 09.04.2017 के बाद No record were feteched अंकित खाता डारमेट	4718000100022533		शून्य	—
	(16) अवस्थापना निधि अंबेडकर रोड	3703000102210072		183771099.50	—

	(17) विद्यालय मकनपुर				
	(18) औ0 क्षेत्र, वसुन्धरा	4052000100024286		2738888.05	—
	(19) यू. आई. डी. एस. एस. एम. टी. अंबेडकर रोड	4718000100003095		10742042.29 ——	
	(20) यू. आई. डी. एस. एस. एम. टी. नवयुग मार्केट	37030001002224127		——	4174685.10
	(21) यू. आई. डी. एस. एस. एम. टी. नेहरूनगर	0674000102125976		——	10210310.00
		1116000100202347			73863791.00
	योग	4043417723.58			88248786.10

परिशिष्ट–2(1)

नगर निगम गाजियाबाद, वर्ष 2020–21 आय–व्यय का विवरण				
Income			**Expenditure**	
April	235431092		April	401342343
May	82684342		May	332993347
June	157214506		June	269141321
July	377046646		July	735777575
August	408586701		August	242175384
September	132183033		September	332807803
October	356634634		October	453574210
November	1482137626		November	687478875
December	284849569		December	508194476
January	304608022		January	367554427
Febuary	334865570		Febuary	312718271
March	1583496628		March	828320424
Total (A)	**5739739369**		**Total (A)**	**5472078456**

Imcome From UIDSSMT	
Total (B)	2845298
G. Total (A + B)	5742584667

Expenditure From UIDSSMT	
Total (B)	0
G. Total (A + B)	5472078456

गाजियाबाद नगर निगम

परिशिष्ट '2'

आय का विवरण (2020–21)

(यू. आई. डी. एस. एस. एम. टी. सहित)

क्रमांक	मद	2020–21 (वास्तविक)
01	02	03
1.	**राजस्व आय**	
	1.1 गृहकर	580932922.00
	1.2 जलकर	445765431.00
	1.3 सीवर कर	204958068.00
	1.4 विज्ञापन कर	8089487.00
	1.5 प्रेक्षाकर	5374.00
	1.6 अन्य कर	13377191.00
2.	**लाइसेंस**	
	2.1 सामान्य लाइसेंस	3103996.00
	2.2 स्वास्थ्य लाइसेंस	2241946.00
3.	**विक्रय**	
	3.3 निष्प्रयोज्य सामग्री	2754909.00
	3.4 जल बिक्री से आय (जलमूल्य)	100740.00
4.	**किराया**	
	4.1 भवन एवं दुकान	20988697.00
	4.2 अस्थायी प्रयोग भूमि	3064870.00
	4.3 तरणताल	6110000.00
	4.4 पानी का टैंकर	878900.00
5.	**ठेका**	
	5.2 पार्किंग	2296694.00
	5.3 अन्य	125935.00
6.	**शुल्क**	
	6.2 रोड कटिंग	17881354.00
	6.3 सीवर संयोजन	1045664.00
	6.4 जल संयोजन	943815.00
	6.5 जन्म–मृत्यु पंजीकरण शुल्क	12865.00
	6.7 अर्थदण्ड	3274450.00
	6.8 प्रतिलिपि शुल्क	16559.00
	6.11 अन्य	9474073.00
	6.12 साई मंदिर दानपात्र से	125527.00

	6.13 यूजर चार्जेज	16865562.00
7.	**शासकीय अनुदान एवं अन्य मदों से आय**	
	7.1 स्टाम्प शुल्क से आय	
	7.2 राज्य वित्त आयोग	15914381.00
	7.9 जी0 डी0 ए0	2438250730.00
	7.10 अन्य	5000000.00
	पूंजीगत आय	28795070.00
	7.7 यू. आई. डी. एस. एस. एम. टी.	2845298.00
	7.14 14वां वित्त आयोग (प्राप्त आय ब्याज सहित)	54641049.00 3133596.00
	7.15 स्वच्छ भारत मिशन	536147.00
	7.16 स्मार्ट सिटी मिशन	1956959.00
	7.17 अमृत योजना	5333081.00
	7.18 कान्हा गऊशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना	1825553558.00
	7.19 15वां वित आयोग (प्राप्त आय ब्याज सहित)	
8.	**विविध आय**	
	8.1 ब्याज	13780169.00
	8.2 शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त	1877553.00

गाजियाबाद नगर निगम
व्यय का विवरण (2020—21)

क्रमांक	मद	2020—21 (वास्तविक)
01	02	03
1.	**सार्वजनिक निर्माण**	
	1. अधिष्ठान	37659804.00
	2. गत वर्ष में कराये गये निगम फण्ड के अनुरक्षण कार्यो के अवशेष	889233555.00
	3. वार्डो के अनुरक्षण कार्य, मार्ग एवं सड़क निर्माण कार्य	32935254.00
	4. भवन निर्माण एवं मरम्मत कार्य	956400.00
	5. पैच वर्क	1882800.00
2.	**जल सम्भरण एवं निस्तारण**	
	1. अधिष्ठान	122154774.00
	2. गत वर्ष में कराये गये निगम फण्ड के अनुरक्षण कार्यो के अवशेष	171542854.00
	3A. हैण्डपम्प स्थापना	7504810.00
	3B. नयी पाईप लाईन	19253500.00
	3C. नलकूप रिबोर एवं स्थापना	38483719.00
	4A. नलकूपों का ठेके पर संचालन एवं अनुरक्षण कार्य	72584993.00
	4B. पाईप लाईन मरम्मत	23625900.00
	4C. हैण्ड पम्प मरम्मत	8222200.00
	4D. सीवरेज पंम्पिंग प्लान्ट का संचालन एवं अनुरक्षण कार्य, डी जी एवं डीजल रहित	1734000.00
	6. गंगाजल पेय योजना	15000000.00
	7. सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट का संचालन	7897000.00
	8A. सीवर व्यवस्था	7464284.00
	8B. मैनहॉल मरम्मत	499400.00
	9. स्टोर	12461684.00
	10. शहरी मलिन बस्ती / शहरी गरीब क्षेत्र / शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजना हेतु	272200.00
	11. विद्युत विभाग हेतु टयूबैलो के विद्युत संयोजन एवं ट्रांसफार्मर सुपरविजन आदि	1968887.00
3.	**पथ प्रकाश विभाग**	
	1. अधिष्ठान	21958034.00
	2. गत वर्ष के कराय गये निगम फण्ड के अनुरक्षण	466245222.00
	3. अनुरक्षण	49984231.00

	4. ठेके पर अनुरक्षण कार्य	12313472.00
	5. विद्युत बिलों का भुगतान	7763367.00
	6. शहरी मलिन बस्ती/शहरी गरीब क्षेत्र/शहरी ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु	1275943.00
	7. पार्को के अन्दर प्रकाश व्यवस्था हेतु	711900.00
	8. अन्य (पोल शिफ्टिंग इत्यादि)	23753658.00
4.	**स्वास्थ्य विभाग व नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन**	
	1. अधिष्ठान	
	1(1) सफाई कर्मचारी	428841467.00
	1(2) सामान्य कर्मचारी	4656741.00
	2. गत वर्ष में कराये गये निगम फण्ड के अनुरक्षण कार्यो के अवशेष भुगतान	74952429.00
	3. अनुरक्षण (सफाई सामग्री उपकरण)	30655468.00
	4. ठेका/अस्थाई श्रमिकों से सफाई कार्य	391470039.00
	4A रात्रिकालीन सफाई कार्य	16464400.00
	5. नालों की सफाई का कार्य एंव मिल्ट उठाना	1575250.00
	6. संक्रामक रोगों के रोकथाम व अन्य आकस्मिक कार्यो हेतु	7778907.00
	7. शहरी मलिन बस्ती/शहरी गरीब क्षेत्र/शहरी ग्रामीण क्षेत्र का सफाई कार्य	114532620.00
5.	**उद्यान विभाग**	
	1. अधिष्ठान	30625717.00
	2. गत वर्ष में कराये गये निगम फंड के अनुरक्षण कार्यो का अवशेष भुगतान	50914780.00
	3. ठेके पर पार्को का अनुरक्षण कार्य	80058501.00
	4. विद्युत बिलों का भुगतान	1000000.00
	5. अनुरक्षण उपकरण मरम्मत, भण्डार आदि	25744449.00
	7. पार्को की क्षतिग्रस्त बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य	700000.00
6.	**शिक्षा, खेलकूद, समाज कल्याण एवं पुस्तकालय**	
	1. अधिष्ठान	1166096.00
	3. पुस्तकालय, भवन मरम्मत आदि	151787.00
	4. ठेके पर अध्यापन कार्य	19180905.00
7.	**सम्पत्ति एवं प्रवर्तन विभाग**	
	1. अधिष्ठान	948750.00
	2. ठेके एवं जमा धन की वापसी प्रवर्तन कार्य आदि	241848.00
8.	**विधि विभाग**	
	1. अधिष्ठान	3045667.00

	2.	अधिवक्ता फीस	5195932.00
	3.	विविध व्यय (कोर्ट फीस आदि)	31850.00
9.		**सामान्य प्रशासन कार्मिक नजारत लेखा आदि अधिष्ठान**	
	1(1)	प्रधान कार्यालय	60034111.00
	1(2)	आडिट विभाग	1432475.00
	1(3)	लेखा विभाग	3475470.00
	1(4)	कर विभाग	46240827.00
	1(5)	पथकर चुंगी	2947769.00
	1(6)	पेंशन	221355667.00
	1(7)	सामूहिक बीमा	1683400.00
	2.	सामान्य स्टोर के गत वर्ष के अवशेष भुगतान	25455495.00
	3.	सामान्य स्टोर	29636004.00
	4.	टेलीफोन	1665875.00
	8.	सार्वजनिक संस्थाओं को अनुदान एवं अनुगृह राशि	2732900.00
	9.	विविध ठेके पर कार्य तीटिंग समारोह विज्ञापन	14838693.00
	10.	कम्प्यूटरीकरण (मॉडयूलर) आफिस, फर्नीचर व अन्य	3842287.00
	11.	कन्सलटैन्सी फीस	4927354.00
	12..	विविध व्यय	34702148.00
	13..	ठेके पर रखे गये तकनीकी कर्मियों पर व्यय	34979859.00
	14..	डीजल व पेट्रोल	380185023.00
10.		**शासकीय अनुदान एवं अन्य मदों से कार्य**	
	1.	औद्योगिक क्षेत्रों में कराये गये विकास कार्य	1342600.00
	4A	अवस्थापना विकास निधि	554939829.00
	10.	अन्य	6915100.00
11.		**पूजीगत व्यय**	
	3.	13वां वित्त आयोग व्यय	14041308.00
	13.	14वां वित आयोग	1061791551.00
	14.	स्वच्छ भारत मिशन	19976355.00
	16.	अमृत योजना	4136114.00
	17.	कान्हा गऊशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना	11143494.00

परिशिष्ट–2(3)

दिनांक 01.04.2020 से 31.03.221 तक की वित्तीय स्थिति का विवरण						
वर्ष	मद	प्रा0 अवशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अवशेष
2020–21	राज्य वित्त आयोग	485967257	2438250730	2924217987	2481829076	442388911
	13वां वित्त आयोग	37523559	0	37523559	14041308	23482251
	14वां वित्त आयोग	1980205163	54641049	2034846212	1061791551	973054661
	15वां वित्त आयोग	0	1825553558	1825553558	0	1825553558
	रिवाल्विंग	3553602	0	3553602	0	3553602
	यू. आई. डी. एस. एस. एम. टी.	85403675	2845298	88248973	0	88248973
	नगरीय सड़क सुधार योजना	0	0	0	0	0
	नगरीय जल निकासी	0	0	0	0	0
	स्वच्छ भारत मिशन	47557627	3133596	50691223	19976355	30714868
	स्मार्ट सिटी	16062356	536147	16598503	0	16598503
	अमृत योजना	11935929	1956959	13892888	4136114	9756774
	कान्हा गऊशाला	6166694	5333081	11499775	11143494	356281
	जी. डी. ए.	42084914	5000000	47084914	0	47084914
	निजी स्रोत	822633380	1405334250	2227967630	1879160558	348807072
	कुल योग	**3539094156**	**5742584668**	**9281678824**	**5472078456**	**3809600368**

(194) - 5 - भाग-२४ के प्रपत्र '२' के क्रमांक '13' पर अभिलिखित परिशिष्ट-'3'

स्था0 नि0 ले0—104

वर्ष 2020-21 में

नगरपालिका/जिला परिषद्/ अधिसूचित क्षेत्र समिति/नगर क्षेत्र समिति नगर निगम, के आय और व्यय की तालिका

(अंक पूर्ण रुपयों में) गाजियाबाद।

क्रम-संख्या	स्थानीय निकाय का नाम	1 अप्रैल 2020 को प्रारम्भिक अवशेष	2020-21 वर्ष की आय					प्रारम्भिक अवशेष सहित योग 3+4 (च)	वर्ष में हुआ व्यय	31 मार्च 2021 को अंतिम अवशेष	मन्तव्य
			राजकीय अनुदानों और ऋणों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से आय	अनाव0 राजकीय अनुदान	आवर्तक राजकीय अनुदान	राजकीय ऋण	वर्ष की सम्पूर्ण आय (क+ख+ग+घ)				
1	2	3	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(च)	5	6	7	8
1	नगर निगम मुख्यालय	3,45,70,18,035	1,47,80,01,240	1,82,34,87,401-	2,43,82,50,730-	—	5,73,97,39,371	9,19,67,57,406	5,47,20,78,456	3,72,46,78,950/=	
2	यू० आर० डी० एस० एस० एम टी० खाता -	8,54,03,675	28,45,298	—	—	—	28,45,298	8,82,48,973	शून्य	8,82,48,973/-	
योग	योग -	3,54,24,21,710	1,48,08,46,538	1,82,34,87,401=	2,43,82,50,730=	—	5,74,25,84,669	9,28,50,06,379	5,47,20,78,456=	3,81,29,27,923=	

-504-

[illegible] के [illegible] में सम्मिलित (195) परिशिष्ट '14'

2020-21

एस० -105

नगरपालिका परिषद/जिला/ क्षेत्रीय/नगर पंचायत/क्षेत्र पंचायत नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा प्राप्त अनुदानों तथा ऋणों का विवरण

(अंक पूर्ण रुपयों में)

क्रमांक	आय का शीर्षक	वर्ष का वास्तविक	क्रमांक 1 के उनके स्तम्भ 3 में प्रदर्शित अनुदानों की स्पष्ट स्थिति: कुल आवर्तक अनुदान	क्रमांक 1 के उनके स्तम्भ 3 में प्रदर्शित अनुदानों की स्पष्ट स्थिति: कुल अनावर्तक अनुदान	मन्तव्य
1	2	3			5
1	शासन से प्राप्त अनुदान के प्रयोजन :—				
	(क) शिक्षा (1) चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त आयोग	2,43,82,50,730	2,43,82,50,730	—	
	(ख) चिकित्सा (2) 15वां वित्त आयोग				
	(ग) जन-स्वास्थ्य	1,81,50,00,000	—	1,81,50,00,000	
	(घ) सड़क (3) अमृत योजना के अन्तर्गत				
	(ङ) अन्य विशिष्ट प्रयोजन (4) कान्हा गौशाला के अन्तर्गत	16,03,401	—	16,03,401	
	(च) सामान्य प्रयोजन (5) [illegible]	52,42,000	—	52,42,000	
	(छ) नगरपालिका परिषद/जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायतों के अतिरिक्त शासन को अर्थ-दण्ड के बदले	16,42,000	—	16,42,000	
	(ज) नगरपालिका परिषद/जिला पंचायत/नगर पंचायत/क्षेत्र पंचायत द्वारा प्रशासित नौका घाटों से प्राप्त आय के समतुल्य				
	(झ) अन्य प्रयोजन				
	(ञ) जिला पंचायतों के सम्बन्ध में स्थानीय उप-शुल्कों के समतुल्य				
	(ट)				
2	शासन से प्राप्त ऋण				
3	खुले बाजार से लिये गये ऋण				
	योग	4,26,17,38,131	2,43,82,50,730	1,82,34,87,401/=	

मुख्य लेखा परीक्षक

-505-

सं० आ० भाग - ख के प्रस्तर - 3 में सन्दर्भित (196)

परिशिष्ट - 5

सम्परीक्षा आख्या - भाग - ख के प्रस्तर - 3 में सन्दर्भित

स्था० नि० ले० सं०—66

वर्ष 2020 - 21 के अन्तर्गत नगर निगम गाजियाबाद द्वारा अप्रयुक्त अनुदानों की तालिका

क्रम संख्या	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षान्त में अन्तिम अवशेष	मन्तव्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	शा० सं०-1087/नौ-1-5-2000-174(4) दिनांक 30.6.2000	दैवी आपदा के अन्तर्गत कार्यों की मरम्मत	2.00.000	31.3.2000	703	—	703	—	703	
2	शा० सं०-149/नौ-1-98 दिनांक 30.3.1998	डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी पार्क की व्यवस्था हेतु।	12,73,000	अज्ञात	1.62,292	—	162,292	—	1.62,292	
				योग =	1.62,995	—	162,995	—	162,995	
3	सांसद/विधायक निधि से प्राप्त अनुदान	अज्ञात	3,76,200	29.05.09	3,76,200	—	376,200	—	376,200	

राजाज्ञा संख्या ———— दिनांक ———— के सन्दर्भ में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, ———— विभाग को प्रेषित।

पृ०

दिनांक

निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा,
उत्तर प्रदेश।

-509- (197)

स्था० नि० ले० सं०—66.

वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत नगर निगम गाजियाबाद द्वारा अप्रयुक्त अनुदानों की तालिका

क्रम संख्या	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षान्त में अन्तिम अवशेष	मन्तव्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	सांसद निधि से प्राप्त अनुदान चैक संख्या-82801 दिनांक 17.2.04 द्वारा प्राप्त अनुदान	सूर्य नगर पार्क का सौन्दर्यीकरण	150,000	18.5.2004	150,000	—	150,000	—	150,000	
5.	बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त अनुदान-									
(i)	शा0सं0-156/नौ-9-2006-247 स/2005	सड़क विशिष्ट 50% जलापूर्ति 25% मार्ग प्रकाश 10% कम्प्यूटराइजेशन 5% अन्य 10%	1,52,95,000	03.03.2006	159,499	—	159,499	—	159,499	

राजाज्ञा संख्या ——— दिनांक ——— के सन्दर्भ में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, ——— विभाग को प्रेषित।

पृ0 ———

दिनांक ———

निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा,
उत्तर प्रदेश।

— 50 — (198)

स्था0 नि0 ले0 सं0—66

वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत नगर निगम गाजियाबाद द्वारा अप्रयुक्त अनुदानों की तालिका

क्रमांक	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षान्त में अन्तिम अवशेष	मन्तव्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(ii)	शा0 सं0- 8/4268(2) शा0/49/12 वि0 आ0 द्वितीय किस्त/2005-06 दिनांक 16.09.2006	—"—	1,5295,000	28.11.06	21,16,307	—	21,16,307	—	21,16,307	
(iii)	शा0 सं0- 8/4268(1) 2110/49/12 वि0 आ0 क्षतिपूर्ति-2005-06 दि0- 16.09.2006	प्रथम किस्त की क्षतिपूर्ति	77,000	28.11.06	77,000	—	77,000	—	77,000	
(iv)	शा0 सं0- 8/4439/ नौ-9-2006-07/ 205/2006 दिनांक 23.10.2006	सड़क, मार्ग प्रकाश आदि	1,5295,000	31-01-2007	1,76,546	—	176,546	—	1,76546	

राजाज्ञा संख्या———— दिनांक———— के सन्दर्भ में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, ———— विभाग को प्रेषित।

पृ0————

दिनांक————

8

निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा,
उत्तर प्रदेश।

पी0 एस0 यू0 पी0—9 स्था0 नि0 ले0—3-8-'99—100,000 (जाब)।

—508 (199)

स्था० नि० ले० सं०—66

वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत नगर निगम गाजियाबाद द्वारा अप्रयुक्त अनुदानों की तालिका

क्रमांक	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षोपरान्त प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षान्त में अन्तिम अवशेष	मन्तव्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(v)	शा०सं०- 8/177/9- 12वां वि० आ० द्वितीय किस्त 2006-07 दिनांक 28.05.2007	—"—	1,2995,000	05.07.07	4951,995	—	4951,995	—	4951,995	
(vi)	शा०सं०- 8/1592/92/ 12वां वि० आ० प्रथम किस्त- 2007-08 दिनांक 20.08.2007	सड़क मार्ग प्रकाश आदि।	15309,880	31.03.08	3,06,197	—	306,197	—	306,197	
(vii)	शा०सं०- 8/172/9/ 12वां वि० आ० द्वितीय किस्त- 2007-08 दिनांक 11.02.08	—"—	15309,880	31.03.08	19,29,785	—	1929,785	—	1929,785	

———— के सन्दर्भ में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, ———— विभाग को प्रेषित।

राजाज्ञा संख्या ———— दिनांक ————

सं० ————

दिनांक ————

निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा,
उत्तर प्रदेश।

-509- (200)

वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत नगर निगम गाजियाबाद द्वारा अप्रयुक्त अनुदानों की तालिका

क्रमांक	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गयी धनराशि	वर्षान्त में अन्तिम अवशेष	मन्तव्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(viii)	शा०सं०-08/867/92/12वां वि० आ० द्वितीय किस्त 2007-08 दिनांक 11.02-08	सड़क, मार्ग प्रकाश व्यवस्था	14.880	31.03.08	14.880	—	14880	—	14,880	
(ix)	शा०सं०-8/1592/12वां वि० आ० प्रथम किस्त/2008-09	—"—	1530.9.880	25.11.08	1990.661	—	1990.661	—	1990.661	
(x)	शा० सं०-8/3027/92/12वां वि० आ० द्वितीय किस्त 2008-09 दिनांक 21.0[illegible].2009	—"—	1530.9.880	31.03.09	2626.236	—	2626236	—	2626236	

संख्या ——— दिनांक ——— के सन्दर्भ में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, ——— विभाग को प्रेषित।

संख्या

दिनांक

निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा,
उत्तर प्रदेश।

-510- (201)

स्था0 नि0 के0 सं0—66

वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत नगर निगम गाजियाबाद द्वारा अप्रयुक्त अनुदानों की तालिका

क्रमांक	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि,जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षान्त में अन्तिम अवशेष	मन्तव्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						–	562307	–	5,62307	
(xi)	शा0से0- 8/670/92/ 12का कि आ0 प्रथम किस्त 2008-09 दिनांक 01.01.2010	जलापूर्ति, प्रकाश कम्पूटर व नगरीय सुविधा	1,4833350	6.01.10	5.62307					
(xii)	शासनादेश अप्राप्त रोकड़ बही प्रविष्टि के आधार पर।	—"—	1,48,33,350	31.03.10	562,307	–	5,62307	–	5,62,307	
		क्र0 5 के (i) से (xii) तक का योग।	–	–	154,73,720	–	1,54,73,720	–	1,54,73,720	

———————— के पत्रों में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, ———————— विभाग को प्रेषित।

राजाज्ञा संख्या ———— दिनांक ————

पृ0 ————

दिनांक ————

निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा,
उत्तर प्रदेश।

स्था0 नि0 ले0 सं0—66

वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत नगर निगम गाजियाबाद द्वारा अप्रयुक्त अनुदानों की तालिका

क्रमांक	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षान्त में अन्तिम अवशेष	मन्तव्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	सांसद निधि से प्राप्त अनुदान स्वीकृत पत्र अज्ञात	समरसिबल पम्प लगवाने हेतु।	780,382	11.12.14	194,654	—	194,654	—	194,654	
7	राजस्व अनुभाग से प्राप्त अनुदान शा0सं0-2021/1-10-2011/12(34)2011 दिनांक 11.04.2011	बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत।	1,10,22,000	23.12.11	371,574	—	371,574	—	371,574	

————————— के सन्दर्भ में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, ————————— विभाग को प्रेषित।

राजाज्ञा संख्या ————— दिनांक —————

पृ0 —————

दिनांक —————

निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा,
उत्तर प्रदेश।

पी0 एस0 यू0 पी0—9 स्था0 नि0 ले0—3-8-'99—100,000 (जाब)।

-5/2- (203)

स्था० नि० ले० सं०—66

वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा अप्रयुक्त अनुदानों की तालिका

क्रम संख्या	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षान्त में अन्तिम अवशेष	मन्तव्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त अनुदान									
(i)	शासनादेश-8/8780/171/14वें सी०एफ०सी० 2015-16 दि० 4.9.2016	विकास कार्यों हेतु।	18,76,41,372	30.6.2016	82,29,332	—	82,29,332	—	82,29,332	
(ii)	8/1154/171/14वें वि०आ०/2015-16 दि० 23.12.16	—"—	25,77,77,161	28.2.2017	25,77,77,161	—	25,77,77,161	25,77,77,161	शून्य	
(iii)	8/441/171/14वें वि०आ०/2016-17 दि० 28.3.17	—"—	15,21,60,022	28.4.17	2,57,11,156	—	2,57,11,156	30,74,053	2,26,37,103	
(iv)	8/1322/171(11)/14वें वि० आ०/2017-18 दिनांक 18.10.2017	—"—	29,73,69,300	31.10.17	5,65,25,150	—	5,65,25,150	5,65,25,150	शून्य	

के सन्दर्भ में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, ———— विभाग को प्रेषित।

राजाज्ञा संख्या ———— दिनांक ————

सं० ————

दिनांक ————

निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा,
उत्तर प्रदेश।

-513- (204)

स्था० नि० ले० सं०—66

वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत नगर निगम गाजियाबाद द्वारा अप्रयुक्त अनुदानों की तालिका

क्रम संख्या	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षान्त में अन्तिम अवशेष	मन्तव्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(V)	8/808/171/III/14वें वि० आ० 2018-19 दि० 09.10.2018	विकास कार्यों हेतु।	31,95,34,348	22-10-18	31,95,34,348	—	31,95,34,348	10,14,19,851	21,81,14,497	
(vi)	8/1204/171/III/14वें वि० आ० ?2018-19 दिनांक 31.01.2019	—"—	31,95,34,348	20.02.19	31,95,34,348	—	31,95,34,348	41,64,896	31,53,69,452	
(vii)	8/528/171/14वें वि० आ० / 2018-19 दिनांक 16.7.2018	—"—	14,384	20.2.19	14,384	—	14384	14384	शून्य	
(viii)	8/708/171/14वें वि० आ० / 2019-20 दिनांक 19.7.2019	—"—	42,35,01,609	27.7.19	42,35,01,609	—	42,35,01,609	42,35,01,609	—	

————विभाग को प्रेषित।

राजाज्ञा संख्या ______ दिनांक ______ के सन्दर्भ में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,

पृ०

दिनांक

निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी०—9 स्था० नि० ले०—3-8-'99—100,000 (जाब)।

-514 (205)

स्था० नि० ले० सं०—66

वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत नगर निगम गाजियाबाद। द्वारा अप्रयुक्त अनुदानों की तालिका

क्रम संख्या	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षान्त में अन्तिम अवशेष	मन्तव्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(ix)	8/2096/171/(iv)/ 1.ए.वे. वि० आ०	विकास कार्य हेतु।	42,3500,609	14.1.2020	38,44,65,829	—	38,44,65,829	21,59,83,066	16,84,82,763	
		क्र० 8 के (i) से (ix) तक का योग-			1,79,52,93,317	—	1,79,52,93,317	1,06,24,01,170	73,28,33,147	

राजाज्ञा संख्या ———— दिनांक ———— के सन्दर्भ में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, ———— विभाग को प्रेषित।

पृ० ————

दिनांक ————

निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी०—9 स्था० नि० ले०—3-8-'99—100,000 (जाब)।

206

स्था० नि० ले० सं०—66

वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा अप्रयुक्त अनुदानों की तालिका

क्रम संख्या	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षान्त में अन्तिम अवशेष	मन्तव्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान									
(i)	निदेशक, नगरीय निकाय उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक- पी०एम०यू०/215/41/ स्मार्ट सिटी मिशन/ 2015-16 दिनांक 18.03.2016	प्रस्ताव एवं प्रचार-प्रसार	20000000	17.6.2016	2906480	—	2906480	—	2906480	
(ii)	पी०एम०यू०/231/41 स्मार्ट सिटी मिशन/ 2015-16 दिनांक 27.04.2016	—"—	2,00,00,000	17.6.2016	100.00.000	—	1,0000000	—	1.00.00.000	
		क्रमांक-9 के (i) व (ii) का योग			1,29,06,480	—	1,29,06,480	—	1,29,06,480	

के सन्दर्भ में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, ———— विभाग को प्रेषित।

राजाज्ञा संख्या ———— दिनांक ————

पृ० ————

दिनांक ————

निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी०—9 स्था० नि० ले०—3-8-'99—100,000 (जाब)।

- 516 - (207)

स्था० नि० ले० सं०—66

वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा अप्रयुक्त अनुदानों की तालिका

क्रम संख्या	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षान्त में अन्तिम अवशेष	मन्तव्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	यू. आई. डी. एस. एस. एम. के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान									
(i)	अज्ञात	जलापूर्ति	206.000	14.3.13	2,06.000	—	206000	—	206.000	
(ii)	अज्ञात	सड़क निर्माण	454.38070	23.11.13	38070	—	38070	—	38070	
		क्र० 10 के (i) व (ii) का योग	—		244.070	—	244.070	—	244.070	
11	अमृत योजना के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान -									
(i)	निदेशक/मिशन निदेशक (अमृत) नगरीय निकाय निदेशालय, उ० प्र० के पत्रांक एस. एम. एम. यू./742/ अमृत - 36/2016 दिनांक 17.10.2016	पार्क एवं ग्रीन स्पेस परियोजना	37.27.000	24.01.17	57.000	—	57000	—	57.000	
(ii)	एस. एम. एम. यू./1956/8(7)/2017 दिनांक 20.10.2017	पार्कों की मरम्मत	4657.100	30.05.17	30.75.000	—	30.75.000	20.75.000	10.00000	

राजाज्ञा संख्या ——— दिनांक ——— के अन्तर्गत में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, ——— विभाग को प्रेषित।

सं० ———

दिनांक ———

निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी०—9 स्था० नि० ले०—3-8-'99—100,000 (जाब)।

- 517 - (208)

स्था० नि० ले० सं०—66

वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा अप्रयुक्त अनुदानों की तालिका

क्रम संख्या	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षान्त में अन्तिम अवशेष	मन्तव्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(iii)	एस.एम.एम.यू./1562/628/2018 दिनांक 31.7.2018	—"—	30,40,981	4.8.2018	21.67.481	—	21.67.481	—	21.67.481	
(iv)	अनुपलब्ध	विकास कार्य हेतु	5,40,000	23.03.20	5,40,000	—	5,40,000	99,000	4,41,000	
		क्रमांक-11 के (i) से (iv) तक का योग			58,39,481	—	58,39,481	21,74,000	36,65,481	
12	स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान									
	निदेशक/मिशन निदेशक (एस.बी.एम.)-नगरीय निकाय 30.5 के पत्रांक-									
(i)	पी.एम.यू./1437/427(4)/2018 दि० 17.12.18	आई.एच.एच.एल.	70,76,000	19.12.18	11.76000	—	11.76.000	—	11.76.000	
(ii)	बी.एम.यू./2394/427(4)/2019 दिनांक 01.07.2019	सामुदायिक शौचालय	1,38,93,400	27.7.19	1,20,93,400	—	1,20,93,400	34,54,400	86,39,000	

राजाज्ञा संख्या ——— दिनांक ——— के सन्दर्भ में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, ——— विभाग को प्रेषित।

पृ० ———

दिनांक ———

निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा,
उत्तर प्रदेश।

- 518 - (209)

स्था० नि० ले० सं०—66

वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत नगर निगम, गाजियाबाद। द्वारा अप्रयुक्त अनुदानों की तालिका

क्रमांक	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षान्त में अन्तिम अवशेष	मन्तव्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(iii)	सी.एम.यू./2568/427(6)/2019 दिनांक 14.8.2019	सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट	87,50,000	22.8.2019	4061633	—	4061633	—	40,61,633	
(iv)	सी.एम.यू./2561/427(6)/2019 दिनांक 14.8.2019	—"— (एम० आर० एफ०)	33,67,000	22.8.2019	3367000	—	3367000	—	3367000	
(v)	सी.एम.यू./3031/427(8)/2019 दिनांक 4.12.2019	आर.डी.सी.	9858000	27.12.2019	8288000	—	8288000	7751000	537000	
(vi)	सी.एम.यू./3098/427(8)/2019 दिनांक 31.01.2019	—"—	50,00,000	7.1.2020	50,00,000	—	50,00,000	—	5000,000	
(vii)	सी.एम.यू./3693/427(8)/2019 दिनांक 17.3.2020	—"—	250000	23.03.2020	250000	—	250000	—	250000	
		क्रमांक-12 के (i) से (vii) का योग =			34236033	—	34236033	1,205,400	23030633	

—— के सन्दर्भ में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, —— विभाग को प्रेषित।

राजाज्ञा संख्या —— दिनांक ——

पृ० ——

दिनांक ——

निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा,
उत्तर प्रदेश।

सी० एस० यू० पी०—9 स्था० नि० ले०—3-8-'99—100,000 (जाब)।

- 519 - (210)

स्था0 नि0 ले0 सं0—66

वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत नगर निगम, गाजियाबाद। द्वारा अप्रयुक्त अनुदानों की तालिका

क्रमसंख्या	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षान्त में अन्तिम अवशेष	मन्तव्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	कान्हा गौशाला योजना हेतु प्राप्त अनुदान									
	(i) शा0 सं0-5644/सात/ एक्स-11-571/गो0सं0 आ0/2018-19 दि0 6-2-19	कान्हा गौशाला हेतु।	50,00,000	20.2.2019	9,01,584	—	9,01,584	9,01,584	शून्य	
	(ii) शा0 सं0-8/1143/18-(1) गो0 से0 आ0/2018-19 दिनांक 17.1.2019	—"—	1,09,50,000	02.3.2019		—	50,00,000	50,00,000	शून्य	
	(iii) 691/नौ-8-2020/ गो0 ... / 2019-20 दि0 26.3.20	—"—	50,00,000	31.03.2020	50,00,000					
					59,01,584	—	59,01,584	59,01,584	शून्य	
14	नगरीय जल निकासी योजना हेतु प्राप्त अनुदान									कुल रुपया 100,00,000/- को जल निगम को अस्थाई अग्रिम हेतु दिया गया था अवमुक्त ...
	-अप्राप्त-	नगरीय जल निकासी योजना हेतु।	100,00,000	अप्राप्त	1,00,00,000	—	1,00,00,000	1,00,00,000	—	
				योग	1,00,00,000	—	1,00,00,000	1,00,00,000	—	

———— के सन्दर्भ में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, ———— विभाग को प्रेषित।

पत्रांक संख्या ———— दिनांक ————

ह0 ————

दिनांक ————

निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा,
उत्तर प्रदेश।

स्था0 नि0 के0 सं0—66

वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत नगर निगम गाजियाबाद द्वारा अप्रयुक्त अनुदानों की तालिका

क्रमांक	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षान्त में अन्तिम अवशेष	मन्तव्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	वर्ष 2020-21 में अमृत योजना के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-									
	(i) एस-एम-एम-यू/3423/974/2020-21 दिनांक 11.02.2021	रामतीरथ पार्क हेतु।	3,17,401	17.02.2021	—	3,17,401	317401	3,17,401	शून्य	
	(ii) एस-एम-एम-यू/3422/974/2020-21 दिनांक 11.02.2021	लाल धाम पार्क हेतु	12,86,000	17.02.2021	—	12,86,000	1286000	शून्य	12,86,000	
				योग	—	16,03,401	1603401	3,17,401	12,86,000	

के सन्दर्भ में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, ——— विभाग को प्रेषित।

संख्या ——— दिनांक ———

पृ0 ———

दिनांक ———

निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा,
उत्तर प्रदेश।

पी0 एस0 यू0 पी0—9 स्था0 नि0 के0—3-8-'99—100,000 (जाब)।

— 591 — (212)

स्था0 नि0 ले0 सं0—66

वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत नगर निगम गाजियाबाद द्वारा अप्रयुक्त अनुदानों की तालिका

क्रमांक	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षान्त में अन्तिम अवशेष	मन्तव्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत कान्हा गौशाला विकास कार्यों हेतु जन अनुदान शा0सं0-1570/नौ-8-20-06 के0पी0(बजट) 2018 दि0 02-12-2020	कान्हा गौशाला हेतु	52,42000	02.01.2021	—	5242000	5242000	5242000	शून्य	
				योग =	—	5242000	5242000	5242000	शून्य	

के सन्दर्भ में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, विभाग को प्रेषित।

पत्रांक संख्या .... दिनांक ....

पृ0 ....

दिनांक ....

निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा,
उत्तर प्रदेश।

पी0 एस0 यू0 पी0—9 स्था0 नि0 ले0—3-8-'99—100,000 (जाब)।

-52२-

(213)

स्था० नि० ले० सं०—66

वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा अप्रयुक्त अनुदानों की तालिका

क्रमांक	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षान्त में अन्तिम अवशेष	मन्तव्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	वर्ष-2020-21 में 15वां आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-									
	(i) शा०सं०-8/3082/320/15वां वि०आ०/2020-21 दिनांक 12-11-2020	विकास कार्य हेतु।	60,50,00,000	13.11.2020	—	60,50,00,000	60,50,00,000	—	60,5000,000	
	(ii) शा०सं०-8/3077/320/15वां वि०आ०/2020-21 दिनांक 10.11.2020	—"—	60,50,00,000	19.11.2020	—	60,50,00,000	60,50,00,000	—	60,50,00,000	
	(iii) शा०सं०-8/1288/320/15वां वि०आ०/2020-21 दिनांक 30.03.2021	—"—	60,50,00,000	31.03.2021	—	60,50,00,000	60,50,00,000	—	60,50,00,000	
				योग =	—	181,50,00,000	181,50,00,000	—	181,50,00,000	

प्रतिलिपि .... के सन्दर्भ में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, ... विभाग को प्रेषित।

खजाना संख्या .... दिनांक ....

पू० ....

दिनांक ....

निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा,
उत्तर प्रदेश।

-523-

(214)

वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा अप्रयुक्त अनुदानों की तालिका

क्रमांक	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षान्त में अन्तिम अवशेष	मन्तव्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	वर्ष 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-									
(i)	पी.एम.यू./3799/427(9)/2019 दिनांक 01.07.2020	आई.ई.सी.	250000	24.8.2020	—	250000	250000	—	250000	
(ii)	पी.एम.यू./479/427(3)/2017 दिनांक 22.12.2017	सा० शौचालय	392000	17.09.2020	—	392000	392000	392000	शून्य	
(iii)	पी.एम.यू./45/427(9)/2019 दिनांक 04.01.2021	आई.ई.सी.	1000000	06.01.2021	—	1000000	1000000	—	1000000	
				योग	—	1642000	1642000	392000	1250000	

के सम्बन्ध में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, विभाग को प्रेषित।

संख्या दिनांक

पृ०

दिनांक

निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा,
उत्तर प्रदेश।

-524- (215)

स्था० नि० के० प्र०—66

नगर निगम गाजियाबाद द्वारा अप्रयुक्त अनुदानों की तालिका

वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत

क्रमांक	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गयी धनराशि	वर्षान्त में अन्तिम अवशेष	मन्तव्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	क्रमांक '1' से '18' तक का सारांश		क्रमांक '1' का योग		703	—	703	—	703	
			— '2'	— ” —	1,62,292	—	162292	—	162292	
			— '3'	— ” —	376200	—	376200	—	376200	
			— '4'	— ” —	150000	—	150000	—	150000	
			— '5'	— ” —	15473720	—	15473720	—	15473720	
			— '6'	— ” —	194,654	—	194654	—	194654	
			— '7'	— ” —	371,574	—	371574	—	371574	
			— '8'	— ” —	1795293317	—	1795293317	1062401170	732833147	
			— '9'	— ” —	12906480	—	12906480	—	12906480	
			— '10'	— ” —	244070	—	244070	—	244079	
			— '11'	— ” —	5839481	—	5839481	2174000	3665481	
			— '12'	— ” —	34236033	—	34236033	11205400	23030633	
			— '13'	— ” —	5901584	—	5901584	5901584	—	
			— '14'	— ” —	100,00,000	—	10000000	10000000	—	
			— '15'	— ” —	—	1603401	1603401	317401	1286000	
			— '16'	— ” —	—	5242000	5242000	5242000	—	
			— '17'	— ” —	—	181500000	181500000	—	181500000	
			— '18'	— ” —	—	1642000	1642000	392000	1250000	
			कुल योग		1881150108	182348740	[illegible]	[illegible]	2607003954	

के सन्दर्भ में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, ... विभाग को प्रेषित।

संख्या .... दिनांक ....

प्र० ....

दिनांक ....

निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी०—9 स्था० नि० के०—3-8-'99—100,000 (आप)।

गाजियाबाद नगर निगम

वर्ष 2020-2021 व्यापार कर/जी0एस0टी0/आयकर/सेस/रायल्टी विवरण- 216

परिशिष्ट '6'

क्र.सं.	फर्म/ठेकेदार का नाम	कार्य का विवरण	टेण्डर राशि	टर्न ओवर	रॉयल्टी	आयकर	जी.एस.टी.	व्यापार कर	सैस	अन्य/पेनल्टी	कटौती	भुगतान राशि	दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	स्वच्छ भारत मिशन-अप्रैल 2020												
1	मै0 ईगल इन्टरप्राईजेज	स्वच्छता शंखनाद रैली दिनांक 30.11.2019 को रैली मार्ग में झण्डे तथा राष्ट्रीय ध्वज की आपूर्ति का कार्य।	88618	88618	0	2008	0	0	0	0	0	86610	27-Apr-20
2	मै0 ईगल इन्टरप्राईजेज	धैतान पब्लिक स्कूल स्पोटर्स काम्पैक्स राजेन्द्रनगर सै0-2 साहिबाबाद में दिनांक 30.11.2019 को स्वच्छता कार्य।	52392	52392	0	1187	0	0	0	0	0	51205	27-Apr-20
3	मै0 ईगल इन्टरप्राईजेज	मूवमेन्ट शील्ड के लिये शील्ड की आपूर्ति स्वच्छता सर्वेक्षण के अन्तर्गत।	22125	22125	0	501	0	0	0	0	0	21624	27-Apr-20
4	मै0 ईगल इन्टरप्राईजेज	गाजियाबाद नगर निगम द्वारा बर्तन बैंक व डाउनलोड सम्बन्धित यूनिपोलो पर फ्लैक्स आपूर्ति।	92512	92512	0	2096	0	0	0	0	0	90416	27-Apr-20
5	मै0 वारियर सोलूशन	स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत कार्य।	87615	87615	0	1985	0	0	0	0	0	85630	27-Apr-20
6	मै0 वारियर सोलूशन	स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत कार्य।	79296	79296	0	1797	0	0	0	0	0	77499	27-Apr-20
7	मै0 वारियर सोलूशन	स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत कार्य।	70092	70092	0	1588	0	0	0	0	0	68504	27-Apr-20
8	मै0 वारियर सोलूशन	स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत कार्य।	90747	90747	0	2056	0	0	0	0	0	88691	27-Apr-20
9	मै0 वारियर सोलूशन	स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत कार्य।	84960	84960	0	1925	0	0	0	0	0	83035	27-Apr-20
10	मै0 वारियर सोलूशन	स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत कार्य।	93456	93456	0	2118	0	0	0	0	0	91338	27-Apr-20
11	मै0 वारियर सोलूशन	स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत कार्य।	44793	44793	0	1015	0	0	0	0	0	43778	27-Apr-20
12	मै0 वारियर सोलूशन	स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत कार्य।	92884	92884	0	2105	0	0	0	0	0	90779	27-Apr-20
13	मै0 वारियर सोलूशन	स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत कार्य।	24922	24922	0	565	0	0	0	0	0	24357	27-Apr-20
14	मै0 वारियर सोलूशन	स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत कार्य।	92512	92512	0	2096	0	0	0	0	0	90416	27-Apr-20
15	मै0 वारियर सोलूशन	स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत कार्य।	92512	92512	0	2096	0	0	0	0	0	90416	27-Apr-20
16	मै0 वारियर सोलूशन	स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत कार्य।	10384	10384	0	235	0	0	0	0	0	10149	27-Apr-20
17	मै0 वारियर सोलूशन	स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत कार्य।	24662	24662	0	559	0	0	0	0	0	24103	27-Apr-20
18	मै0 वारियर सोलूशन	स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत कार्य।	84960	84960	0	1925	0	0	0	0	0	83035	27-Apr-20
19	मै0 वारियर सोलूशन	स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत कार्य।	92512	92512	0	2096	0	0	0	0	0	90416	27-Apr-20
20	मै0 वारियर सोलूशन	स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत कार्य।	92512	92512	0	2096	0	0	0	0	0	90416	27-Apr-20
21	मै0 शुभम टेन्ट एण्ड केटर्स	स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत कार्य।	77998	77998	0	1768	0	0	0	0	0	76230	27-Apr-20
22	मै0 एस0ए0इन्टरप्राईजेज	स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत कार्य।	22420	22420	0	508	0	0	0	0	0	21912	27-Apr-20
23	मै0 अमन जनरल स्टोर	स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत कार्य।	84771	84771	0	1921	0	0	0	0	0	82850	27-Apr-20
24	मै0 गौरव प्रिन्टर्स	स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत कार्य।	45830	45830	0	1039	0	0	0	0	0	44791	27-Apr-20
25	मै0 उदित इन्टरप्राईजेज	स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत कार्य।	94400	94400	0	2139	0	0	0	0	0	92261	27-Apr-20
26	मै0 उदित इन्टरप्राईजेज	स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत कार्य।	89208	89208	0	2022	0	0	0	0	0	87186	27-Apr-20
27	मै0 उदित इन्टरप्राईजेज	स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत कार्य।	94400	92261	0	2139	0	0	0	0	0	90122	27-Apr-20
28	मै0 मदन स्वीटस एण्ड रेस्टोरेन्ट	स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत कार्य।	94080	94080	0	2132	0	0	0	0	0	91948	27-Apr-20
29	मै0 मदन स्वीटस एण्ड रेस्टोरेन्ट	स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत कार्य।	175258	175258	0	3972	0	0	0	0	0	171286	27-Apr-20
30	मै0 मदन स्वीटस एण्ड रेस्टोरेन्ट	स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत कार्य।	77414	77414	0	1755	0	0	0	0	0	75659	27-Apr-20
31	मै0 मदन स्वीटस एण्ड रेस्टोरेन्ट	स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत कार्य।	313152	313152	0	7096	6263	0	0	0	0	299793	27-Apr-20
32	मै0 मदन स्वीटस एण्ड रेस्टोरेन्ट	स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत कार्य।	53760	53760	0	1220	0	0	0	0	0	52540	27-Apr-20
33	मै0 मदन स्वीटस एण्ड रेस्टोरेन्ट	स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत कार्य।	288960	288960	0	6548	5780	0	0	0	0	262800	27-Apr-20
34	मै0 आई0पी0बी0ट्रेडर्स	स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत कार्य।	93456	93456	0	2118	0	0	0	0	0	91338	27-Apr-20
35	मै0 आई0पी0बी0ट्रेडर्स	स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत कार्य।	78730	78730	0	1784	0	0	0	0	0	76946	27-Apr-20
36	मै0 आई0पी0बी0ट्रेडर्स	स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत कार्य।	90548	90548	0	2052	0	0	0	0	0	88496	27-Apr-20
37	मै0 आर0आर0इन्टरप्राईजेज	स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत कार्य।	90624	90624	0	2054	0	0	0	0	0	88570	27-Apr-20
38	मै0 आर0आर0इन्टरप्राईजेज	स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत कार्य।	83474	83474	0	1892	0	0	0	0	0	81582	27-Apr-20
39	मै0 आर0आर0इन्टरप्राईजेज	स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत कार्य।	84960	84960	0	1925	0	0	0	0	0	83035	27-Apr-20

-528 - वर्ष 2020-2021 व्यापार कर/जी0एस0टी0/आयकर/सेस/रायल्टी विवरण (217)

क.सं.	फर्म/ठेकेदार का नाम	कार्य का विवरण	टैण्डर राशि	टर्न ओवर	रॉयल्टी	आयकर	जी.एस.टी.	व्यापार कर	सेस	अन्य/पेनल्टी	कटौती	भुगतान राशि	दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	मै0 आर0आर0इन्टरप्राईजेज	स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत कार्य।	87719	87719	0	1988	0	0	0	0	0	85731	27-Apr-20
41	मै0 डिलीजेन्ट सर्विसेज	स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत कार्य।	90530	90530	0	2051	0	0	0	0	0	88479	27-Apr-20
42	मै0 डिलीजेन्ट सर्विसेज	स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत कार्य।	88988	88988	0	2016	0	0	0	0	0	86972	27-Apr-20
43	मै0 डिलीजेन्ट सर्विसेज	स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत कार्य।	86093	86093	0	1951	0	0	0	0	0	84142	27-Apr-20
44	मै0 डिलीजेन्ट सर्विसेज	स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत कार्य।	89208	89208	0	2022	0	0	0	0	0	87186	27-Apr-20
45	मै0 डिलीजेन्ट सर्विसेज	स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत कार्य।	88026	88026	0	1995	0	0	0	0	0	86031	27-Apr-20
46	मै0 डिलीजेन्ट सर्विसेज	स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत कार्य।	94471	94471	0	2142	0	0	0	0	0	92329	27-Apr-20
47	मै0 डिलीजेन्ट सर्विसेज	स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत कार्य।	98235	98235	0	2226	0	0	0	0	0	96009	27-Apr-20
48	मै0 डिलीजेन्ट सर्विसेज	स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत कार्य।	69252	69252	0	1569	0	0	0	0	0	67683	27-Apr-20
49	मै0 डिलीजेन्ट सर्विसेज	स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत कार्य।	73066	73066	0	1656	0	0	0	0	0	71410	27-Apr-20
50	मै0 डिलीजेन्ट सर्विसेज	स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत कार्य।	87719	87719	0	1988	0	0	0	0	0	85731	27-Apr-20
51	मै0 डिलीजेन्ट सर्विसेज	स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत कार्य।	75520	75520	0	1711	0	0	0	0	0	73809	27-Apr-20
52	मै0 डिलीजेन्ट सर्विसेज	स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत कार्य।	94400	94400	0	2139	0	0	0	0	0	92261	27-Apr-20
53	मै0 डिलीजेन्ट सर्विसेज	स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत कार्य।	86801	86801	0	1967	0	0	0	0	0	84834	27-Apr-20
54	मै0 डिलीजेन्ट सर्विसेज	स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत कार्य।	92512	92512	0	2096	0	0	0	0	0	90416	27-Apr-20
55	मै0 डिलीजेन्ट सर्विसेज	स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत कार्य।	94518	94518	0	2142	0	0	0	0	0	92376	27-Apr-20
56	मै0 डिलीजेन्ट सर्विसेज	स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत कार्य।	79230	79230	0	1796	0	0	0	0	0	77434	27-Apr-20
57	मै0 डिलीजेन्ट सर्विसेज	स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत कार्य।	46689	46689	0	1058	0	0	0	0	0	45631	27-Apr-20
58	मै0 डिलीजेन्ट सर्विसेज	स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत कार्य।	1226799	1226799	0	27799	24536	0	0	0	0	1174464	27-Apr-20
59	मै0 एस0आर0कन्स0एण्ड डवलपर्स	वार्ड-17 सिटीजोन हिण्डन विहार खेमजी के पीछे नाले शौचालय में फर्श की टाइल्स आदि का कार्य।	96573	96552	0	2188	0	0	966	98	0	93300	27-Apr-20
60	मै0 एस0आर0कन्स0एण्ड डवलपर्स	वार्ड-97 रामप्रस्थ डी-ब्लाक मदरडेयरी वाले पार्क में स्थित सार्वजनिक शौचालय में मरम्मत रंगाई-पुताई का कार्य।	70289	70108	0	1588	0	0	701	11	0	67800	27-Apr-20
61	मै0 नोबल इन्जी0	वार्ड-44 में मूर्ति विर्सजन स्थल के पास शौचालय की एप्रोंच पर इन्टरलाकिंग टाइल्स लगाने का कार्य।	94284	90756	0	2057	0	0	908	91	0	87700	27-Apr-20
62	मै0 एम0पी0इन्टरप्राईजेज	मोहननगर जोन में विभिन्न यूरिनलो फिटिंग एवं पाईप लगाये जाने का कार्य।	93030	93030	0	2108	0	0	931	91	0	89900	27-Apr-20
63	मै0 एम0पी0इन्टरप्राईजेज	वार्ड-80 राजेन्द्रनगर सै0-3 में मार्किट के पास महिलाओं हेतु शौचालय का निर्माण कार्य।	91471	86320	0	1956	0	0	863	1	0	83500	27-Apr-20
64	मै0 विशाल भारद्वाज	वार्ड-44 फिटिंग एवं टायलेट शीट लगाने तथा शौचालय पर ब्रिक कोवर लगाने का कार्य।	95836	74328	0	1684	0	0	744	100	0	71800	27-Apr-20
65	मै0 आर0एस0जैन	स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत कार्य।	175840	175840	0	3985	0	0	0	0	0	171855	27-Apr-20
66	मै0 आर0आर0इन्टरप्राईजेज	स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत कार्य।	95155	95155	0	2156	0	0	0	0	0	92999	27-Apr-20
			Total-	**6977635**	**0**	**158167**	**36579**	**0**	**5113**	**392**	**0**	**6763544**	
	स्वच्छ भारत मिशन-मई 2020												
1	मै0 नवीन प्रकाशन प्रा0लि0	स्वच्छ सर्वेक्षण-2020 से सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यशाला में टूल किट बुक की आपूर्ति।	262656	262656	0	5253	0	0	0	0	0	257403	30-May-20
			Total-	**262656**	**0**	**5253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**257403**	
	स्वच्छ भारत मिशन-जुलाई 2020												
1	मै0 प्रमोद कुमार सिंघल	वार्ड-18 शास्त्रीनगर में डायमण्ड तिराहे पर 03 सीटर सामुदायिक शौचालय की मरम्मत एवं रंगाई पुताई का कार्य।	95461	94494	0	2141	0	0	945	8	0	91400	7-Jul-20
2	मै0 प्रमोद कुमार सिंघल	कविनगर जोन में विभिन्न यूरिनलों पर जी0आई0शीट लगाने का कार्य।	95868	92108	0	2087	0	0	921	100	0	89000	20-Jul-20

गाजियाबाद नगर निगम

- 527 - वर्ष 2020-2021 व्यापार कर/जी0एस0टी0/आयकर/सेस/रायल्टी विवरण (218)

क्र.सं.	फर्म/ठेकेदार का नाम	कार्य का विवरण	टेण्डर राशि	टर्न ओवर	रॉयल्टी	आयकर	जी.एस.टी.	व्यापार कर	सेस	अन्य/पेनल्टी	कटौती	भुगतान राशि	दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	मै0 प्रमोद कुमार सिंघल	कविनगर जोन में विभिन्न यूरिनलों की मरम्मत का कार्य।	96867	96867	0	2195	0	0	969	3	0	93700	20-Jul-20
4	मै0 प्रमोद कुमार सिंघल	वार्ड-24 बुलन्दशहर रोड इण्ड0एरिया झुग्गी-झौपडी के बीच में 06 सीटर सामुदायिक शौचालय की मरम्मत एवं रंगाई पुताई का कार्य।	95774	93755	0	2124	0	0	938	93	0	90600	20-Jul-20
5	मै0 प्रमोद कुमार सिंघल	वार्ड-85 राजनगर में जल निगम ऑफिस के कट पर 03 सीटर सामुदायिक शौचालय की मरम्मत एवं रंगाई पुताई का कार्य।	95461	94494	0	2141	0	0	945	8	0	91400	20-Jul-20
6	मै0 प्रमोद कुमार सिंघल	कविनगर जोन में राजनगर सै0-8 मे महावीर स्कूल के पास पार्क के अन्दर पोर्टेबल टायलेट लगाने का कार्य।	94474	94474	0	2141	0	0	945	88	0	91300	20-Jul-20
7	मै0 प्रमोद कुमार सिंघल	वार्ड-65 विवेकानन्द नगर निकट आश्रम स्थल मुख्य मार्ग पर 06 सीटर सामुदायिक शौचालय की मरम्मत एवं रंगाई पुताई का कार्य।	94178	94158	0	2134	0	0	942	82	0	91000	20-Jul-20
8	मै0 प्रमोद कुमार सिंघल	वार्ड-24 बुलन्दशहर रोड इण्ड0एरिया झुग्गी-झौपडी के बीच में 06 सीटर सामुदायिक शौचालय की मरम्मत एवं रंगाई पुताई का कार्य।	95688	94550	0	2143	0	0	946	61	0	91400	20-Jul-20
9	मै0 प्रमोद कुमार सिंघल	वार्ड-85 राजनगर रेलवे साईन के निकट आश्रम स्थल के पास सामुदायिक शौचालय की मरम्मत व रंगाई पुताई का कार्य।	94287	86098	0	1951	0	0	861	86	0	83200	20-Jul-20
10	मै0 प्रमोद कुमार सिंघल	वार्ड-24 बुलन्दशहर रोड इण्ड0एरिया झुग्गी-झौपडी के बीच में 06 सीटर सामुदायिक शौचालय की मरम्मत एवं रंगाई पुताई का कार्य।	94662	93605	0	2121	0	0	936	48	0	90500	20-Jul-20
11	मै0 यूनिवर्सल वैंसर्च	कटोरी मिल स्थित सार्वजनिक शौचालय पर रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का कार्य।	96903	77492	0	1756	0	0	775	61	0	74900	20-Jul-20
12	मै0 यूनिवर्सल वैंसर्च	वार्ड-10 जनकपुरी में खजूरी वाले पार्क स्थित शौचालय की रंगाई पुताई का कार्य।	96030	92764	0	2102	0	0	928	34	0	89700	20-Jul-20
13	मै0 एस0आर0कन्स0एण्ड डवलपर्स	लोहियानगर में बी-ब्लाक में रेलवे फाटक के पास शौचालय के क्षतिग्रस्त मरम्मत का कार्य।	90569	90560	0	2052	0	0	906	2	0	87600	20-Jul-20
14	मै0 एस0आर0कन्स0एण्ड डवलपर्स	वार्ड-97 चन्द्रनगर बी-ब्लाक मार्किट स्थित पोस्ट ऑफिस के बराबर सार्वजनिक शौचालय की मरम्मत व रंगाई पुताई का कार्य।	95529	87500	0	1750	0	0	875	75	0	84800	20-Jul-20
15	मै0 प्रमोद कुमार सिंघल	नवयुग मार्केट स्थित नगर निगम मुख्यालय में भूतल पर बने शौचालय में वाटर लेस-यूरिनल लगाने का कार्य।	30012	29992	0	680	0	0	300	12	0	29000	20-Jul-20
16	मै0 प्रमोद कुमार सिंघल	आर0डी0सी0 प्लाई ओवर के नीचे यूरिनल पर सी0आई0शीट लगाने का कार्य।	25347	25347	0	575	0	0	253	19	0	24500	20-Jul-20
17	मै0 प्रमोद कुमार सिंघल	वार्ड-84 राजननगर सै0-10 रामलीला मैदान में 06 सीटर सामुदायिक शौचालय की मरम्मत व रंगाई पुताई का कार्य।	96142	96141	0	2179	0	0	961	1	0	93000	20-Jul-20
18	मै0 यूनिवर्सल वैंसर्च	कटोरी मिल स्थित सार्वजनिक शौचालय की मरम्मत एवं रंगाई पुताई का कार्य।	96030	67523	0	1530	0	0	675	78	0	65300	20-Jul-20
19	मै0 मोहित चौधरी	वार्ड-60 श्यामपार्क मैन जी0टी0रोड पर सार्वजनिक शौचालय की मरम्मत एवं रंगाई पुताई का कार्य।	83614	77441	0	1755	0	0	775	11	0	74900	20-Jul-20

-528-

गाजियाबाद नगर निगम

वर्ष 2020-2021 व्यापार कर/जी0एस0टी0/आयकर/सेस/रायल्टी विवरण- (219)

क्र.सं.	फर्म/ठेकेदार का नाम	कार्य का विवरण	टेण्डर राशि	टर्न ओवर	रॉयल्टी	आयकर	जी.एस.टी.	व्यापार कर	सेस	अन्य/पेनल्टी	कटौती	भुगतान राशि	दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	मै0 एम0पी0इन्टरप्राईजेज	हिण्डन एयरफोर्स,करहेडा बिजलीघर,लाजपतनगर सामुदायिक भवन स्थित शौचालय में यूरिनल वाटर सैस लगाने का कार्य।	86400	86400	0	1958	0	0	864	78	0	83500	1-Jul-20
21	मै0 एम0पी0इन्टरप्राईजेज	साहिबाबाद स्टेशन,इन्दिरा कालोनी,कटोरी मिल तक शौचालय में यूरिनल शीट लगाने का कार्य।	94575	94575	0	2143	0	0	946	86	0	91400	1-Jul-20
22	मै0 कृष्णा कन्स0 कम्पनी	विजयनगर जोन में बने स्थानो पर यूरिनल की मरम्मत का कार्य।	96418	92187	170	2089	0	0	922	6	0	89000	1-Jul-20
23	मै0 कृष्णा कन्स0 कम्पनी	विजयनगर जोन में बने स्थानो पर यूरिनल की मरम्मत का कार्य।	96903	87874	30	1992	0	0	878	74	0	84900	1-Jul-20
24	मै0 विश्वकर्मा इन्टरप्राईजेज	वार्ड-62 गोविन्दपुरम चौ0चरण सिंह पार्क डी-ब्लाक में 06 सीटर सामुदायिक शौचायल की मरम्मत व रंगाई पुताई का कार्य।	95548	92022	0	2085	0	0	921	16	0	89000	1-Jul-20
25	मै0 विश्वकर्मा इन्टरप्राईजेज	वार्ड-30 गोविन्दपुरम ई-ब्लाक में गौर होम्स/बस स्टैण्ड के पास 06 सीटर सामुदायिक शौचालय की मरम्मत व रंगाई पुताई का कार्य।	96760	96760	0	2193	0	0	968	99	0	93500	1-Jul-20
26	मै0 विश्वकर्मा इन्टरप्राईजेज	वार्ड-53 संजयनगर एम-ब्लाक के सामने डबल रोड पर 06 सीटर सामुदायिक की मरम्मत व रंगाई पुताई का कार्य।	96959	96208	0	2180	0	0	962	66	0	93000	1-Jul-20
27	मै0 मोहित चौधरी	वार्ड-75 लाजपतनगर सामुदायिक भवन में स्थित सार्वजनिक शौचालय की मरम्मत व रंगाई पुताई का कार्य।	91665	90266	0	2045	0	0	903	18	0	87300	1-Jul-20
28	मै0 विश्वकर्मा इन्टरप्राईजेज	वार्ड-46 मेरठ रोड इण्ड0 एरिया में सामुदायिक शौचालय की मरम्मत व रंगाई पुताई का कार्य।	96544	77521	0	1756	0	0	775	90	0	74900	1-Jul-20
29	मै0 विश्वकर्मा इन्टरप्राईजेज	वार्ड-46 मेरठ रोड इण्ड0 एरिया में सामुदायिक शौचालय की मरम्मत व रंगाई पुताई का कार्य।	97113	89593	0	2030	0	0	896	67	0	86600	1-Jul-20
30	मै0 श्री0जी0डवलपर्स	आर0डी0सी0 में पिंक शौचालय की दीवार के निकट पार्क की दीवार व कविनगर कलाधाम पार्क की दिवारो पर पेन्टिंग एवं जैन मन्दिर फ्लाई ओवर पर स्लोगन लिखने का कार्य।	95199	94298	0	2137	0	0	943	98	0	89403	1-Jul-20
31	मै0 चन्द्रमोहन रघुंवशी	अम्बेडकर रोड पर गणपति आटोमोबाईल से पुलिस चौकी तक स्वच्छ भारत सर्वेक्षण लिखने का कार्य।	98674	95217	0	2158	0	0	952	7	0	92100	1-Jul-20
32	मै0 चन्द्रमोहन रघुंवशी	नगर निगम कार्यालय के सामने स्टेट बैंक की दीवार व पेडो पर स्लोगन/सीनरी बनाने का कार्य।	86747	86787	0	1967	0	0	868	52	0	83900	1-Jul-20
33	मै0 चन्द्रमोहन रघुंवशी	अम्बेडकर रोड के0डी0इसी0 के आगे से नेहरू युवा केन्द्र तक डिवाइडर पर लगी ग्रिल पर एस0बी0एम0 के स्लोगन लगाने का कार्य।	93254	95217	0	2158	0	0	952	7	0	92100	1-Jul-20
34	मै0 महादेव इन्टरप्राईजेज	कविनगर जोन में आर0डी0सी0 फ्लाई ओवर पर बांये हाथ की और स्लोगन लिखने का कार्य।	83474	82043	0	1860	0	0	820	63	0	79300	1-Jul-20
35	मै0 चन्द्रमोहन रघुंवशी	अम्बेडकर रोड पर गणवाल पनीर भण्डार से कुमार मोटर की और डिवाइडर पर लगी ग्रिल पर स्वच्छ भारत सर्वेक्षण स्लोगन लगाने का कार्य।	95254	95217	0	2158	0	0	953	6	0	92100	1-Jul-20
36	मै0 श्री0जी0डवलपर्स	वार्ड-67 कमला नेहरूनगर में डाकघर की दीवार पर पेन्टिग का कार्य।	94767	93604	0	2121	0	0	936	47	0	90500	1-Jul-20

- 529 -

वर्ष 2020-2021 व्यापार कर/जी0एस0टी0/आयकर/सेस/रायल्टी विवरण- (226)

क्र.सं.	फर्म/ठेकेदार का नाम	कार्य का विवरण	टेण्डर राशि	टर्न ओवर	रॉयल्टी	आयकर	जी.एस.टी.	व्यापार कर	सेस	अन्य/पेनल्टी	कटौती	भुगतान राशि	दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	मै0 चन्द्रमोहन रघुवंशी	अम्बेडकर रोड पर पुराना बस अडडे से अग्रवाल स्वीटस की ओर डिवाइडर पर लगी ग्रिल पर स्वच्छ भारत स्लोगन लिखने का कार्य।	95254	95216	0	2158	0	0	952	6	0	92100	1-Jul-20
38	मै0 साईन इमेज एडवरटाईजिंग नेटवर्क प्रा0लि0	एल0ई0डी0 विडियो वैन की किट 2 गाडियो की आपूर्ति दिनांक 04.01.2020 से 31.01.2020 तक आपूर्ति।	788000	788000	0	15760	15760	0	0	0	0	756480	1-Jul-20
39	मै0 कृष्णा कन्स0 कम्पनी	वार्ड-51 में जी0-ब्लाक पार्क व ई-ब्लाक पार्क की दीवार पर पेंटिंग बनाने का कार्य।	94720	94264	0	2136	0	0	943	85	0	91100	1-Jul-20
40	मै0 डिलीजेन्ट सर्विसेज	नये कन्ज्यूमर सिस्टम की आपूर्ति।	89373	89373	0	2025	0	0	0	0	0	87348	1-Jul-20
41	मै0 एस0ए0इन्टरप्राईजेज	नगर निगम द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत घरेलू निर्मित शौचालय के स्टीकर की आपूर्ति।	99120	99120	0	12246	0	0	0	0	0	96874	1-Jul-20
42	मै0 एस0ए0इन्टरप्राईजेज	स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत घरेलू निर्मित शौचालय के स्टीकर की आपूर्ति।	99120	99120	0	2246	0	0	0	0	0	96874	1-Jul-20
43	मै0 मदन कन्स0	वार्ड-59 घण्टाघर टैक्सी स्टेण्ड के पास शौचालय में मरम्मत व रंगाई पुताई का कार्य।	52117	51549	0	1168	0	0	516	65	0	49800	29-Jul-20
44	मै0 मदन कन्स0	वार्ड-59 कम्पनी बाग स्थित शौचालय की मरम्मत व रंगाई पुताई का कार्य।	95328	94115	0	2133	0	0	941	41	0	91000	29-Jul-20
45	मै0 गौरव कन्स0	वार्ड-04,48 में विभिन्न जगहों पर एस0बी0एम0 के अन्तर्गत पेन्टिंग बनाने का कार्य।	92351	91761	0	2079	0	0	918	64	0	88700	29-Jul-20
46	मै0 गौरव कन्स0	वार्ड-26 माधोपुरा में बने शौचालय की मरम्मत व रंगाई पुताई का कार्य।	96343	80661	166	1828	0	0	807	60	0	77800	29-Jul-20
47	मै0 गौरव कन्स0	वार्ड-25 अम्बेडकर में राठी रोड बने शौचालय की मरम्मत व रंगाई पुताई का कार्य।	95682	92706	67	2101	0	0	927	11	0	89600	29-Jul-20
48	मै0 गौरव कन्स0	वार्ड-03,25 में विभिन्न जगहो पर एस0बी0एम0 के अन्तर्गत पेन्टिंग का कार्य।	96668	88118	0	1997	0	0	881	40	0	85200	29-Jul-20
49	मै0 अमन जनरल स्टोर	सामुदायिक सार्वजनिक शौचालय में रबड़ के पायदान की आपूर्ति।	87797	87797	0	1756	0	0	0	0	0	86041	29-Jul-20
50	मै0 मनीष भार्गव	सिटीजोन के नन्दग्राम में डबलटंकी के पास वाले शौचालयो में क्षतिग्रस्त गेट कुन्डी,यूरिनल,सिस्टर्न आदि ठीक करने रंगाई पुताई का कार्य।	70082	70000	0	1586	0	0	700	14	0	67700	29-Jul-20
51	मै0 लिमरा इन्टरप्राईजेज	एस0बी0एम0-2020 के अन्तर्गत गाजियाबाद में कपडे के डीरमेट की आपूर्ति।	62853	62853	0	1257	0	0	0	0	0	61596	29-Jul-20
52	मै0 अश सप्लाई इन्जी0 सर्विसेज	वार्ड-38 अर्थला में आनन्द औ0क्षेत्र में 2 सीटर यूरिनल का कार्य।	222677	186044	0	4215	0	0	1860	69	0	179900	29-Jul-20
53	मै0 महिमा कन्स0	नवयुग मार्केट में न0नि0 के पास पेशावघर का निर्माण कार्य।	55259	54742	0	1241	0	0	548	53	0	52900	29-Jul-20
54	मै0 विशाल भारद्वाज	वार्ड-97 चन्द्रनगर में अतिक्रमण मुक्त कराकर एस0बी0एम0 के अन्तर्गत दीवार का सौन्दर्यकरण का कार्य।	88569	88011	0	1995	0	0	880	36	500	84600	29-Jul-20
55	मै0 विशाल भारद्वाज	वार्ड-97 चन्द्रनगर मोड पर सूर्यनगर की और अतिक्रमण मुक्त कराकर एस0बी0एम0 के अन्तर्गत दीवार का सौन्दर्यकरण का कार्य।	92763	90989	0	2062	0	0	910	17	1000	87000	29-Jul-20
56	मै0 मनीष भार्गव	नन्दग्राम में मरियम गेट के सामने वाले शौचालय में क्षतिग्रस्त गेट आदि की मरम्मत का कार्य।	92736	80176	0	1817	0	0	802	57	0	77500	29-Jul-20

गाजियाबाद नगर निगम

- ~~530~~ - वर्ष 2020-2021 व्यापार कर/जी0एस0टी0/आयकर/सेस/रायल्टी विवरण (221)

क्र.सं.	फर्म/ठेकेदार का नाम	कार्य का विवरण	टैण्डर राशि	टर्न ओवर	रॉयल्टी	आयकर	जी.एस.टी.	व्यापार कर	सेस	अन्य/पेनल्टी	कटौती	भुगतान राशि	दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	मै0 डिलीजेन्ट सर्विसेज	दिनांक 08.03.2019 को मा0 प्रधामंत्री जी भारत सरकार आगमन पर नगर निगम गाजियाबाद द्वारा जी0टी0रोड पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन के फ्लैक्स बोर्ड की आपूर्ति कर स्थापित कराने का कार्य।	68676	68676	0	1374	0	0	0	0	0	67302	29-Jul-20
58	मै0 डिलीजेन्ट सर्विसेज	दिनांक 08.03.2019 को मा0 प्रधामंत्री जी भारत सरकार आगमन पर नगर निगम गाजियाबाद द्वारा जी0टी0रोड पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन के फ्लैक्स बोर्ड की आपूर्ति कर स्थापित कराने का कार्य।	77030	77030	0	1541	0	0	0	0	0	75489	29-Jul-20
59	मै0 डिलीजेन्ट सर्विसेज	दिनांक 08.03.2019 को मा0 प्रधामंत्री जी भारत सरकार आगमन पर नगर निगम गाजियाबाद द्वारा जी0टी0रोड पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन के फ्लैक्स बोर्ड की आपूर्ति कर स्थापित कराने का कार्य।	77832	77833	0	1557	0	0	0	0	0	76276	29-Jul-20
60	मै0 डिलीजेन्ट सर्विसेज	दिनांक 08.03.2019 को मा0 प्रधामंत्री जी भारत सरकार आगमन पर नगर निगम गाजियाबाद द्वारा जी0टी0रोड पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन के फ्लैक्स बोर्ड की आपूर्ति कर स्थापित कराने का कार्य।	89680	89680	0	1794	0	0	0	0	0	87886	29-Jul-20
61	मै0 मोहित चौधरी	मोहननगर जोन में जल निगम कालोनी स्थित शौचालय एवं इन्दिर कालोनी स्थित शौचालयों एवं 150 फुटा स्थित शौचालय में डब्लू0सी0 लगाने का कार्य।	35621	35621	0	807	0	0	356	58	0	34400	29-Jul-20
62	मै0 मोहित चौधरी	मोहननगर जोन में विभिन्न स्थानो पर यूरिनल फिटिंग एवं पाईप लाईन लगाने का कार्य।	96428	96383	0	2184	0	0	964	35	0	90404	29-Jul-20
			Total-	6054990	433	143650	15760	0	45160	2461	0	5851573	
	स्वच्छ भारत मिशन-सितम्बर 2020												
1	मै0 डिलीजेन्ट सर्विसेज	स्वच्छ सर्वेक्षण-2020 के अन्तर्गत नजारत /स्वास्थ्य स्टोर में सामान की आपूर्ति।	37760	37760	0	755	0	0	0	0	0	37005	25-Sep-20
2	मै0 डिलीजेन्ट सर्विसेज	स्वच्छ सर्वेक्षण-2020 के अन्तर्गत नजारत /स्वास्थ्य स्टोर में सामान की आपूर्ति।	76983	76983	0	1745	0	0	0	0	0	75238	25-Sep-20
3	मै0 डिलीजेन्ट सर्विसेज	स्वच्छ सर्वेक्षण-2020 के अन्तर्गत नजारत /स्वास्थ्य स्टोर में सामान की आपूर्ति।	87981	87981	0	1994	0	0	0	0	0	85987	25-Sep-20
4	मै0 डिलीजेन्ट सर्विसेज	स्वच्छ सर्वेक्षण-2020 के अन्तर्गत नजारत /स्वास्थ्य स्टोर में सामान की आपूर्ति।	86611	86611	0	1732	0	0	0	0	0	84879	25-Sep-20
5	मै0 डिलीजेन्ट सर्विसेज	स्वच्छ सर्वेक्षण-2020 के अन्तर्गत नजारत /स्वास्थ्य स्टोर में सामान की आपूर्ति।	75992	75992	0	1520	0	0	0	0	0	74472	25-Sep-20
6	मै0 डिलीजेन्ट सर्विसेज	स्वच्छ सर्वेक्षण-2020 के अन्तर्गत नजारत /स्वास्थ्य स्टोर में सामान की आपूर्ति।	45312	45312	0	906	0	0	0	0	0	44406	25-Sep-20
7	मै0 डिलीजेन्ट सर्विसेज	स्वच्छ सर्वेक्षण-2020 के अन्तर्गत नजारत /स्वास्थ्य स्टोर में सामान की आपूर्ति।	87981	87981	0	1994	0	0	0	0	0	85987	25-Sep-20
			Total-	498620	0	10646	0	0	0	0	0	487974	
	स्वच्छ भारत मिशन-जनवरी 2021												
1	मै0 एस0पी0इन्स्ट्रूमेन्ट एण्ड केलीब्रेशन	स्वच्छ भारत मिशन योजना अन्तर्गत कपड़े के थेले की आपूर्ति।	69560	69560	0	1577	0	0	0	0	0	67983	30-Jan-21

गाजियाबाद नगर निगम

-538-

वर्ष 2020-2021 व्यापार कर/जी0एस0टी0/आयकर/सेस/रायल्टी विवरण (222)

क्र.सं.	फर्म/ठेकेदार का नाम	कार्य का विवरण	टेण्डर राशि	टर्न ओवर	रॉयल्टी	आयकर	जी.एस.टी.	व्यापार कर	सेस	अन्य/पेनल्टी	कटौती	भुगतान राशि	दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	मै0 एस0पी0इन्स्ट्रमेन्ट एण्ड केलीब्रेशन	स्वच्छ भारत मिशन योजना अन्तर्गत कपड़े के थेले की आपूर्ति।	69560	69560	0	1576	0	0	0	0	0	67984	30-Jan-21
3	मै0 एस0पी0इन्स्ट्रमेन्ट एण्ड केलीब्रेशन	स्वच्छ भारत मिशन योजना अन्तर्गत कपड़े के थेले की आपूर्ति।	73760	73760	0	1671	0	0	0	0	0	72089	30-Jan-21
			Total-	**212880**	**0**	**4824**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**208056**	
	स्वच्छ भारत मिशन-फरवरी 2021												
1	मै0 आर0आर0इन्टरप्राईजेज	स्वच्छ भारत मिशन योजना शहर के शौचालय के साईनज बोर्ड तथा एपरेन की आपूर्ति।	48675	48675	0	1103	0	0	0	0	0	47572	11-Feb-21
2	मै0 आई0पी0बी0ट्रेडर्स	स्वच्छ भारत मिशन 2020 के अन्तर्गत पालिथीन मुक्त किये जाने हेतु सिटीजोन के मुख्य बाजारो में पैड आदि का वितरण का कार्य।	90548	90548	0	2052	0	0	0	0	0	88496	11-Feb-21
3	मै0 डिलीजेन्ट सर्विसेज	विभिन्न बाजारो में प्रमुख मार्गो पर स्थित ढलाव घरो की विडियो मोनिटरिंग करने का कार्य।	76983	76983	0	1745	0	0	0	0	0	75238	11-Feb-21
4	मै0 डिलीजेन्ट सर्विसेज	गाजियाबाद के बेस्ट शौचालय में फिनाईल,टायलेट पेपर, पौंछे,झाडू,वाईपर आदि की सामग्री आपूर्ति।	64015	64015	0	1280	0	0	0	0	0	62735	11-Feb-21
5	मै0 डिलीजेन्ट सर्विसेज	दिनांक 30.11.2019 में शंखनाद रैली में साईन साईड बोर्ड फ्लैक्स बोर्ड की आपूर्ति।	86348	86348	0	1957	0	0	0	0	0	84391	11-Feb-21
6	मै0 डिलीजेन्ट सर्विसेज	स्थायी और अस्थायी रैन बसेरे में कूड़ा बैंक के व्यापक प्रचार-प्रसार का कार्य।	82317	82317	0	1646	0	0	0	0	0	80670	11-Feb-21
7	मै0 डिलीजेन्ट सर्विसेज	शौचालय पर सैनेट्री नेपकीन बेडिंग मशीन की आपूर्ति।	26835	26835	0	608	0	0	0	0	0	26227	11-Feb-21
8	मै0 डिलीजेन्ट सर्विसेज	शौचालय पर सेनेट्री नेपकिन बेडिंग एवं नेपकटि आदि का कार्य।	552060	552060	0	12510	11042	0	0	0	0	528508	11-Feb-21
9	मै0 डिलीजेन्ट सर्विसेज	शौचालय में हैण्डवाश फिनाईन वाईपर टॉयलेट की आपूर्ति।	94471	94471	0	2141	0	0	0	0	0	92330	11-Feb-21
10	मै0 डिलीजेन्ट सर्विसेज	स्वच्छ भारत मिशन योजनान्तर्गत प्रदर्शनीय स्आल लगाये जाने का कार्य।	43925	42934	0	995	0	0	0	0	0	42934	11-Feb-21
11	मै0 डिलीजेन्ट सर्विसेज	शंखनाद रैली में फैलेक्स बोर्ड की आपूर्ति।	73514	73564	0	1666	0	0	0	0	0	71848	11-Feb-21
			Total-	**1238750**	**0**	**27703**	**11042**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1200949**	
	स्वच्छ भारत मिशन-मार्च 2021												
1	मै0 वारियर सोलुशन	स्वच्छ भारत मिशन-2020 के अन्तर्गत गाजियाबाद क्षेत्र में प्रसंस्करण केन्द्रो में फिनाईल सनबोर्ड दिशा सूचक बोर्ड आपूर्ति।	84069	84069	0	1905	0	0	0	0	0	82164	23-Apr-21
2	मै0 गौरव प्रिन्टर्स	स्वचछ भारत मिशन-2020 सर्विस किट की आपूर्ति का कार्य।	97055	97055	0	2199	0	0	0	0	0	94856	23-Apr-21
3	मै0 गौरव प्रिन्टर्स	स्वच्छता शपथ पत्र बहुस्तरीय 100 जी0एस0एम0 पेपर की आपूर्ति।	89192	89192	0	2021	0	0	0	0	0	87171	23-Apr-21
4	मै0 रश्मि प्रिन्टोपैक	स्वच्छता सर्वेक्षण-2020 फीडबैक के लिये समन्वकर्ता कार्य।	19470	19470	0	441	0	0	0	0	0	19029	23-Apr-21
5	मै0 रश्मि प्रिन्टोपैक	स्वच्छता सर्वेक्षण-2020 फीडबैक के लिये समन्वकर्ता कार्य।	19470	19470	0	441	0	0	0	0	0	19029	23-Apr-21
6	मै0 उदित इन्टरप्राईजेज	स्वच्छता सर्वेक्षण-2020 फीडबैक के लिये समन्वकर्ता कार्य।	19470	19470	0	441	0	0	0	0	0	19029	23-Apr-21
7	मै0 अजन्ता स्टेशनरी मार्ट	एस0बी0एम0-2020 स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 सर्वेकिट छपवाकर आपूर्ति।	91450	91450	0	2075	0	0	0	0	0	89375	23-Apr-21

गाजियाबाद नगर निगम

- 539 वर्ष 2020-2021 व्यापार कर/जी0एस0टी0/आयकर/सेस/रायल्टी विवरण- (223)

क्र.सं.	फर्म/ठेकेदार का नाम	कार्य का विवरण	टेण्डर राशि	टर्न ओवर	रॉयल्टी	आयकर	जी.एस.टी.	व्यापार कर	सेस	अन्य/पेनल्टी	कटौती	भुगतान राशि	दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	मै0 ईगल इन्टरप्राईजेज	स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के अन्तर्गत गाजियाबाद नगर निगम द्वारा पांचो जोनो में सनबोर्ड आपूर्ति का कार्य।	66764	66764	0	1513	0	0	0	0	0	65251	23-Apr-21
9	मै0 ईगल इन्टरप्राईजेज	स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के अन्तर्गत गाजियाबाद नगर निगम द्वारा पांचो जोनो में सनबोर्ड आपूर्ति का कार्य।	89562	89562	0	2030	0	0	0	0	0	87532	23-Apr-21
10	मै0 ईगल इन्टरप्राईजेज	नेहरूनगर स्टेडियम में 26 जनवरी गणतन्त्र दिवस के उपलब्ध में फ्लैक्स बोर्ड आपूर्ति।	22892	22892	0	519	0	0	0	0	0	22373	23-Apr-21
11	मै0 ईगल इन्टरप्राईजेज	नगर निगम सीमान्तर्गत मुख्य चौराहे स्थानो रेलवे स्टेशनो आदि पर फ्लैक्स बोर्ड आपूर्ति।	90624	90624	0	2053	0	0	0	0	0	88570	23-Apr-21
12	मै0 ईगल इन्टरप्राईजेज	शौचालयो पर कोविड 19 के प्रति जागरूकता करने हेतु फ्लैक्स बोर्ड कार्य।	94400	94400	0	2739	0	0	0	0	0	92261	23-Apr-21
13	मै0 ईगल इन्टरप्राईजेज	स्वच्छता सर्वेक्षण-2020 के अन्तर्गत अपने विचार हेतु आर0डी0सी0 गौरमाल रोड पर फ्लैक्स बोर्ड आपूर्ति।	96345	96345	0	2183	0	0	0	0	0	94162	23-Apr-21
14	मै0 ईगल इन्टरप्राईजेज	रामलीला मैदान में लोन मेला के आयोजन में स्टैण्डी आपूर्ति।	50740	50740	0	1150	0	0	0	0	0	49590	23-Apr-21
15	मै0 वारियर सोलूशन	गाजियाबाद नगर निगम शौचालय पर कोविट-19 के प्रति जागरूकता करने हेतु फ्लैक्स बोर्ड आपूर्ति।	94400	94400	0	2139	0	0	0	0	0	92261	23-Apr-21
16	मै0 वारियर सोलूशन	कोविड-19 के प्रति जागरूकता व ब्लाक किये जाने हेतु चौराहे र सरकारी सीनो पर फ्लैक्स बोर्ड का कार्य।	93456	93456	0	2118	0	0	0	0	0	91338	23-Apr-21
17	मै0 वारियर सोलूशन	कोविड-19 के प्रति जागरूकता करने नगर निगम मुख्य कार्यालय तथा पांचो जोनल कार्यालय में फ्लैक्स बोर्ड आपूर्ति।	89604	89604	0	2030	0	0	0	0	0	87574	23-Apr-21
18	मै0 वारियर सोलूशन	नगर निगम गाजियाबाद सीमान्तर्गत बने सार्वजनिक शौचालय पर साफ-सफाई एवं सुझाव शिकायत से सम्बन्धित सनबोर्ड आपूर्ति।	83172	83172	0	1885	0	0	0	0	0	81287	23-Apr-21
19	मै0 वारियर सोलूशन	हापुड रोड मोड से हापुड चुंगी कामपलैक्स तक ई0ओ0एल0 के ताजा सर्वेक्षण-2020 के फ्लैक्स आदि का कार्य।	95580	95580	0	2166	0	0	0	0	0	93414	23-Apr-21
20	मै0 वारियर सोलूशन	दिनांक 02.10.2019 को फिट इण्डिया कार्यक्रम में मास्क आपूर्ति कार्य।	23954	23954	0	543	0	0	0	0	0	23411	23-Apr-21
21	मै0 वारियर सोलूशन	कोविड-19 से बचाव हेतु शहर के मुख्य चौराहे पर फ्लैक्स बेनर होर्डिंग की आपूर्ति का कार्य।	92355	92355	0	2093	0	0	0	0	0	90262	23-Apr-21
22	मै0 वारियर सोलूशन	दिनांक 28.12.2020 को हिन्दी भवन लोहिया नगर में कार्यशाला में फ्लैक्स बोर्ड आपूर्ति।	72879	72879	0	1651	0	0	0	0	0	71228	23-Apr-21
23	मै0 वारियर सोलूशन	आई0टी0एस0 कालेज में दिनांक 19.01.2021 फ्लैक्स बोर्ड का कार्य।	75477	75477	0	1710	0	0	0	0	0	73763	23-Apr-21
24	मै0 वारियर सोलूशन	गाजियाबाद नगर निगम सीमान्तर्गत बने शौचालय पर सनबोर्ड आपूर्ति का कार्य।	96660	96660	0	2190	0	0	0	0	0	94470	23-Apr-21
25	मै0 वारियर सोलूशन	कोविड-19 के प्रति जागरूक करने के लिये गाजियाबाद शहर में फ्लैक्स बोर्ड आपूर्ति का कार्य।	84960	84960	0	1925	0	0	0	0	0	83035	23-Apr-21
26	मै0 वारियर सोलूशन	नागरिक धारणा सर्वेक्षण-2020 के अन्तर्गत फ्लैक्स आदि का कार्य।	94815	94815	0	2150	0	0	0	0	0	92665	23-Apr-21

गाजियाबाद नगर निगम

-533- वर्ष 2020-2021 व्यापार कर/जी0एस0टी0/आयकर/सेस/रायल्टी विवरण-224

क्र.सं.	फर्म/ठेकेदार का नाम	कार्य का विवरण	टैण्डर राशि	टर्न ओवर	रॉयल्टी	आयकर	जी.एस.टी.	व्यापार कर	सेस	अन्य/पेनल्टी	कटौती	भुगतान राशि	दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	मै0 वारियर सोलूशन	फ्लैक्स बोर्ड की आपूर्ति छटघाट व त्योहार पर हिण्डन में बोर्ड का कार्य।	74464	74464	0	1733	0	0	0	0	0	74731	23-Apr-21
28	मै0 वारियर सोलूशन	2 अक्टूम्बर गांधी के अवर पर फ्लैक्स बोर्ड आपूर्ति का कार्य।	66198	66198	0	1500	0	0	0	0	0	64698	23-Apr-21
29	मै0 वारियर सोलूशन	स्वच्छ सर्वेक्षण-2020 के अन्तर्गत प्रचार प्रसार हेतु फ्लैक्स बोर्ड लगाने का कार्य।	93456	93456	0	2118	0	0	0	0	0	91338	23-Apr-21
30	मै0 वारियर सोलूशन	नगर निगम गाजियाबाद द्वारा करोना वायरस के प्रति जागरूक करने के लिये गाजियाबाद शहर के मुख्य स्थलो में लगे यूनीपोल पर फ्लक्स की आपूर्ति का कार्य।	92512	92512	0	2096	0	0	0	0	0	90416	23-Apr-21
31	मै0 वारियर सोलूशन	करोना वायरस के बाथरूम के प्रसार को रोकने के लिये नागरिको को जागरूकता हेतु गोविन्दपुरम सिहानी चुंगी कविनगर शास्त्रीनगर आदि में फ्लैक्स की आपूर्ति।	94400	94400	0	2140	0	0	0	0	0	92260	23-Apr-21
32	मै0 वारियर सोलूशन	दिनांक 23.01.2021 को कविनगर रामलीला मैदान में मा0महापौर जी द्वारा सफाई किट बाटने का कार्य।	304606	304606	0	6902	6092	0	0	0	0	291612	23-Apr-21
33	मै0 वारियर सोलूशन	गाजियाबाद नगर निगम द्वारा स्वच्छता हुनर/प्रतिभा के पांचो जोन के यूनिपोल फ्लैक्स बोर्ड लगाये जाने का काय।	451269	451269	0	10226	9026	0	0	0	0	432017	23-Apr-21
34	मै0 वारियर सोलूशन	शौचालयो के आसपास फ्लक्स बोर्ड लगाये जाने का कार्य।	489215	489215	0	11086	9785	0	0	0	0	468344	23-Apr-21
35	मै0 वारियर सोलूशन	नगर निगम द्वारा आमजन को समस्त शौचालयो पर दिशा सूचक फ्लैक्स बोर्ड लगाये जाने का कार्य।	305856	305856	0	6931	6117	0	0	0	0	292808	23-Apr-21
36	मै0 मित्र रंग मंच	स्वच्छ सर्वेक्षण-2019 के अन्तर्गत 100 नूकड़ नाटक का कार्य।	531000	531000	0	12033	10620	0	0	0	0	508347	23-Mar-21
			Total-	4431791	0	101075	41640	0	0	0	0	4291671	

- 538 -

225

गाजियाबाद नगर निगम

वर्ष 2020-2021 व्यापार कर/जी0एस0टी0/आयकर/सैस/रायल्टी विवरण-

क्र.सं.	फर्म/ठेकेदार का नाम	कार्य का विवरण	टैण्डर राशि	टर्न ओवर	रॉयल्टी	आयकर	जी.एस.टी.	व्यापार कर	सेस	अन्य/पेनल्टी	कटौती	भुगतान राशि	दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	अवस्थापना विकास निधि-अप्रेल 2020												
1	मै0 सुनीत गर्ग एण्ड कम्पनी	नेहरूनगर में आडोटोरियम सिटीजन क्लब स्वीमिंग पूल एवं पार्किंग निर्माण का कार्य।	188500000	15391469	0	348771	307830	0	153915	53	0	14580900	20-Apr-20
2	मै0 सिद्व कन्स0 कम्पनी	वार्ड-89 सै0-5 वैशाली में कामना सोसायटी एवं कल्पना सोसायटी एवं कल्पना सोसायटी में क्षतिग्रस्त सडक का सुधार कार्य।	4407500	1597701	0	36204	31955	0	15978	64	0	1513500	20-Apr-20
3	मै0 आर0जी0बिल्डटैक इन्जी0लि0	जी0टी0रोड से बाबा बालकनाथ मन्दिर के सामने वाली सडक पर इन्टरलाकिंग टाइल्स लगाने का कार्य।	2588120	2326630	0	52722	46533	0	23267	8	0	2204100	20-Apr-20
4	मै0 विपिन कन्स0	वार्ड-68 ब्रज विहार में अवशेष नाले की दीवार का निर्माण का कार्य।	1780000	1550000	0	35123	31000	0	15500	77	0	1468300	20-Apr-20
5	मै0 डी0के0एस0इन्फ्रा0इण्डिया प्रा0लि0	सौर उर्जा मार्ग पर डिवाईडर का निर्माण एवं सुधार कार्य।	37465000	6088299	0	137961	121766	0	60883	89	0	5767600	20-Apr-20
6	मै0 शान्तनु कन्स0	वार्ड-30 गोविन्दपुरम जी-ब्लाक में जी-619 से जी-597 आर0सी0सी0 नाली व डेंस द्वारा सडक सुधार कार्य।	3330369	165362	0	3748	3308	0	1654	52	0	156600	20-Apr-20
7	मै0 शान्तनु कन्स0	वार्ड-24 बुलन्दशहर रोड औ0क्षेत्र में रोड-08 आर0टी0 ओफिस से प्लाट डेंस द्वारा सडक सुधार का कार्य।	2765839	188298	0	4267	3766	0	1883	82	0	178300	20-Apr-20
			Total-	**27307759**	**0**	**618796**	**546158**	**0**	**273080**	**425**	**0**	**25869300**	
	अवस्थापना विकास निधि-मई 2020												
1	मै0 बी0एस0बिल्डकॉन	वार्ड-85 लाजपतनगर एफ-ब्लाक की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	3478187	1077111	0	21543	21543	0	10772	53	0	1023200	20-May-20
2	मै0 मार्डन इन्जी0 एसो0	सिहानी में श्री विनोद त्यागी के मैडिकल स्टोर से नन्दग्राम डबल रोड तक सडक का नाला निर्माण कार्य।	7579220	1685790	0	33716	33716	0	16858	0	0	1601500	20-May-20
3	मै0 मलिक कन्स0	वार्ड-73 शालीमार गार्डन बी-ब्लाक में नवनिर्मित सडको की रोड पटरी पर इन्टरलाकिंग टाइल्स लगाने का कार्य।	4307266	1343254	0	26866	26866	0	13433	89	0	1276000	20-May-20
			Total-	**4106155**	**0**	**82125**	**82125**	**0**	**41063**	**142**	**0**	**3900700**	
	14 वां वित्त आयोग-मई 2020												
1	मै0 एस0जी0कन्स0	नन्दग्राम एस0पी0एस0 से सिहानी स्थित बालिका इन्टरलाकिंग कालेज तक 35 नग पोल पर 35 नग 72 वाट एल0ई0डी0 लाईन अण्डर ग्राउन्ड केबिल सहित कार्य।	1335943	901579	0	18032	18032	0	9016	99	0	856400	14-May-20
2	मै0 महालक्ष्मी ट्रेडर्स	10 नग 909 बैसिस और उसके समकक्ष पैसि पर 6-8 घन मीटर क्षमता के टिपर वाहन की क्रय की आपूर्ति का कार्य।	17632000	17632000	0	0	352640	0	0	60	0	15551300	14-May-20

-535-

गाजियाबाद नगर निगम (226)

वर्ष 2020-2021 व्यापार कर/जी0एस0टी0/आयकर/सेस/रायल्टी विवरण-

क्र.सं.	फर्म/ठेकेदार का नाम	कार्य का विवरण	टेण्डर राशि	टर्न ओवर	रॉयल्टी	आयकर	जी.एस.टी.	व्यापार कर	सेस	अन्य/पेनल्टी	कटौती	भुगतान राशि	दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	मै0 कीशर कन्स0 प्रा0लि0	मोहननगर जोन में लोनी रोड पर एयरफोर्स चौराहे से सिकन्दरपुर रोड तक सडक के दोनो ओर सौन्दर्यकरण का कार्य।	13491900	934419	0	21174	18690	0	9345	10	500	873700	14-May-20
4	मै0 तीसा कन्स0	मोहननगर जोन अन्तर्गत राम मनोहर लोहियापार्क तथा ई0एस0आई0 के सामने सीवर ओवर की स्थायी रूप रोकने हेतु मशीन सीवर राइजिंग मैन सीवर पाईप लाईन बिछाने का कार्य।	16269450	6723133	0	134463	134464	0	67232	74	0	6386900	14-May-20
5	मै0 नैहा ट्रेडर्स	जलकल स्टोर में 10 हजार नग जी0आई0पाईप क्रय की आपूर्ति।	7156936	7156936	0	0	143140	0	0	96	0	7013700	14-May-20
6	मै0 पी0डब्लू0डी0 गाजियाबाद	मोहननगर जोन के अन्तर्गत अराधना सिनेमा की पुलिया सडक क्रोस का शहीद नगर नाले तक जी0टी0रोड कटिंग के सम्बन्ध में।	4915890	4905000	0	0	0	0	0	0	0	4905000	14-May-20
			Total-	**38253067**	**0**	**173669**	**666966**	**0**	**85593**	**339**	**500**	**35587000**	
	अवस्थापना विकास निधि-जून 2020												
1	मै0 टी0पी0एस0इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	स्वच्छ भारत मिशन हेतु ट्रांसफार्मर स्टेशनों हेतु पोर्टवल कोम्पेन्टर हेतु लोडर की आपूर्ति।	76556880	16149232	0	322985	322985	0	161493	69	0	15341700	19-Jun-20
2	मै0 टी0पी0एस0इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	स्वच्छ भारत मिशन हेतु ट्रांसफार्मर स्टेशनों हेतु पोर्टवल कोम्पेन्टर हेतु लोडर की आपूर्ति।	76556880	5000000	0	100000	100000	0	50000	0	0	4750000	19-Jun-20
3	मै0 अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम	कविनगर जोन सै0-12 राजनगर पार्क डीपवैल नलकूप के विद्युत संयोजन का कार्य।	471288	471288	0	0	0	0	0	0	0	471288	19-Jun-20
4	मै0 अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम	कविनगर जोन सै0-12 राजनगर पार्क डीपवैल नलकूप के विद्युत संयोजन का कार्य।	60177	60177	0	0	0	0	0	0	0	60177	19-Jun-20
5	मै0 अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम	सांई उपवन मेंडीपवैल नलकूप-2 के विद्युत संयोजन का कार्य।	410336	410336	0	0	0	0	0	0	0	410336	19-Jun-20
6	मै0 अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम	सांई उपवन मेंडीपवैल नलकूप-2 के विद्युत संयोजन का कार्य।	52261	52261	0	0	0	0	0	0	0	52261	19-Jun-20
7	मै0 अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम	सांई उपवन मेंडीपवैल नलकूप-2 के विद्युत संयोजन का कार्य।	410251	410251	0	0	0	0	0	0	0	410251	19-Jun-20
8	मै0 अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम	सांई उपवन मेंडीपवैल नलकूप-2 के विद्युत संयोजन का कार्य।	52245	52245	0	0	0	0	0	0	0	52245	19-Jun-20
			Total-	**22605790**	**0**	**422985**	**422985**	**0**	**211493**	**69**	**0**	**21548258**	
	14 वां वित्त आयोग-जून 2020												
1	सरफराज, इफ्तखार, साजिव,श्रीमती अफसरी, इकबाल, फारूख आदि	खसरा नम्बर-754 की 1.7590 हैक्टेयर भूमि के प्रतिफल हेतु।	48442940	48442940	0	0	0	0	0	0	0	48442940	3-Jun-20
2	इस्माईल एण्ड याकूब	खसरा नम्बर-1667 की 0.1990 व खसरा नम्बर-1668 की 0.1900 की कुल 0.3890 हैक्टेयर भूमि क्रय करने का कार्य।	10713200	10713200	0	0	0	0	0	0	0	10713200	3-Jun-20
3	ईस्टन कैमिकल सैन्टर	दाई साईकल ठेला गाडी की आपूर्ति।	3181360	3181360	0	63628	63628	0	0	4	0	3054100	3-Jun-20

-536-

गाजियाबाद नगर निगम (227)

वर्ष 2020-2021 व्यापार कर/जी0एस0टी0/आयकर/सेस/रायल्टी विवरण-

क्र.सं.	फर्म/ठेकेदार का नाम	कार्य का विवरण	टेण्डर राशि	टर्न ओवर	रॉयल्टी	आयकर	जी.एस.टी.	व्यापार कर	सेस	अन्य/पेनल्टी	कटौती	भुगतान राशि	दिनांक
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	एस0एफ0सी0 खाते में	वेतन पर व्यय	0	129472757	0	0	0	0	0	0	0	129472757	3-Jun-20
			Total-	191810257	0	63628	63628	0	0	4	0	191682997	
	अवस्थापना विकास निधि-जुलाई 2020												
1	मै0 डी0के0एस0इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0	लिंक रोड से कौशाम्बी बस अडडे तक सौर उर्जा मार्ग का सडक सुधार द्वारा कार्य।	66099488	36155550	0	723111	723111	0	361556	72	0	34347700	01-Jul-20
2	मै0 गोपाल इलै0 इन्जी0	सिटीजोन द्वितीय अन्तर्गत वार्ड-90 एम0बी0गर्ल्स स्कूल नया बस अडडा पम्प-01 पूर्वसे अधिष्ठापित नलकूप का रिबोरिंग का कार्य।	1376100	943591	0	18872	18872	0	9436	11	0	896400	01-Jul-20
3	मै0 गोपाल इलै0 इन्जी0	सांई उपवन में पूर्व से अधिष्ठापित पम्प-2 का रिबोरिंग का कार्य।	1376100	1005957	0	20120	20120	0	10060	57	0	955600	01-Jul-20
4	मै0 गोपाल इलै0 इन्जी0	कविनगर जोन वार्ड-62 गोविन्दपुरम डी-ब्लाक पार्क में पूर्व से अधिष्ठापित डीपवैल बोर की रिबोरिंग का कार्य।	1376100	883761	0	17676	17676	0	8838	71	0	839500	01-Jul-20
5	मै0 गोपाल इलै0 इन्जी0	कविनगर जोन वार्ड-62 गोविन्दपुम सी-ब्लाक पानी की टंकी परिसर में पूर्व अधिष्ठापित डीपवैल बोर रिबोरिंग का कार्य।	1376100	885567	0	17712	17712	0	8856	87	0	841200	01-Jul-20
6	मै0 गोपाल इलै0 इन्जी0	वार्ड-84 स्थित राजनगर सै0-3 में पूर्व से अधिष्ठापित डीपवैल बोर की रिबोरिंग का कार्य।	1376100	884043	0	17681	17681	0	8841	40	0	839800	01-Jul-20
7	मै0 शान्तनु कन्स0	ग्राम सिहानी में नगर निगम बालिका इन्टर कालेज में 4 कमरों का निर्माण एवं मरम्मत का कार्य।	7461000	1418000	0	28360	28360	0	14180	100	0	1347000	01-Jul-20
8	मै0 ई0ई0ई0यु0डी0डी0 गाजियाबाद।	ई-ब्लाक म0न0-415 के पास शान्तिनगर गाजियाबाद विधुत संयोजन	499912	499912	0	0	0	0	0	0	0	499912	23-Jul-20
9	मै0 ई0ई0ई0यु0डी0डी0 गाजियाबाद।	ई-ब्लाक म0न0-415 के पास शान्तिनगर गाजियाबाद विधुत संयोजन	72164	72164	0	0	0	0	0	0	0	72164	23-Jul-20
10	मै0 गोपाल इलै0 इन्जी0	वार्ड-69 लोहियानगर में पूर्व से अधिष्ठापित डीपवैल बोर रिबोर का कार्य।	1352700	995337	0	19907	19907	0	9954	69	0	945500	23-Jul-20
11	मै0 गोपाल इलै0 इन्जी0	वार्ड-77 वैशाली सै0-4 स्थित पम्प74/7 की रिबोरिंग का कार्य।	1438200	972482	0	19450	19450	0	9725	57	0	923800	23-Jul-20
12	मै0 आर0जी0बिल्डटैक इन्जी0लि0	वार्ड-76 वैशाली सै-3 एवं 05 में मध्य नाली सडक हिण्डन से डैंस सुधार का कार्य।	5659234	5524200	0	110484	110484	0	55242	90	0	5247900	23-Jul-20
13	मै0 माही कन्स0 एण्ड बिल्डर्स	वार्ड-16 भटटा-05 से बाल जगत गढी गॉव में नाला निर्माण का कार्य।	13448052	5828506	0	116571	116571	0	58286	78	0	5537000	23-Jul-20
14	मै0 आर0जी0बिल्डटैक इन्जी0लि0	वार्ड-7 वृन्दावन गार्डन में बजरंग वाली ट्रांसपोर्ट वाली गली में तक क्षतिग्रस्त सडक का सुधार का कार्य।	4312000	4073889	0	81478	81478	0	40739	94	0	3870100	23-Jul-20
15	मै0 मलिक कन्स0	वार्ड-73 शालीमार गार्डन में नवनिर्मित सडको की रोड पटरी पर इन्टरलाकिंग टाइल्स लगाने का कार्य।	4307266	283187	0	5664	5664	0	2832	27	0	269000	23-Jul-20